(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 27वां दिवस [संख्या 19

बृहस्पतिवार,

दिनांक 18 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना

521. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( ) राजस्थान में नये विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु कब कब, कौन कौन सी समिति गठित की गई तथा उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हैं? कृपया सिफारिश का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन समितियों ने अजमेर में विश्वविद्यालय की स्थापना के औचित्य को स्वीकार किया है?

(3) क्या राज्य सरकार अजमेर नगर की भौगोलिक स्थिति शिक्षण स्थिति व शिक्षण संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री बी० डी० कल्ला) : (1) राज्य सरकार ने नये विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु श्रीमाली समिति सन् 1972 में गठित की थी। समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्रीमाली समिति ने राजस्थान में तीन स्थानों पर विश्वविद्यालय के विशेष लघु केन्द्र स्थापित कर उन्हें विश्वविद्यालय का स्वरूप देने की मशा व्यक्त की थी।

(3) जी नहीं।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में और अनुपात में राजस्थान में, विश्वविद्यालय बहुत कम हैं? दूसरा, क्या राज्य सरकार उच्च शिक्षा को सार्थक, नियंत्रित और अनुशासित और उसके अनुसंधान को ठीक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अजमेर सिटी की जनसंख्या को देखते हुए और राजस्थान की जनसंख्या को देखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करेगी?

श्री बी0 डी0 कल्ला : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय स्थापित करने के पहले क्षेत्र मे उच्च शिक्षा की प्रगति, आवश्यकता और भौगोलिक स्थिति पर विचार करना होता है। विश्वविद्यालय की स्थापना आर्थिक साधनों की उपलब्धि को देखते हुए होती है। विश्वविद्यालय संघों मे विचार विमर्श की भी आवश्यकता होती है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना पर विचार किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में देखा जाय तो उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए केवल विश्वविद्यालय ही कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे शिक्षा का प्रसार किया जाय। राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं और पिछले वर्ष से लगभग 100 महाविद्यालयों में अलग अलग विषय साइंस, कामर्स, लॉ के खोले हैं। मैं समझता हूं कि बुनियादी, प्राथमिक शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको भी नहीं भूलना चाहिये। कई बार प्रश्न आते हैं कि हम बुनियादी शिक्षा पर कम खर्चा कर रहे हैं। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए ही हमने काम किया है जो मैं समझता हूं कि काफी संतोषप्रद है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन सवाल किये हैं जिनमें से जवाब एक का भी नहीं आया। पहला भारत के अन्य प्रदेशों की जनसंख्या की तुलना में राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में क्या विश्वविद्यालय हैं? दूसरा, क्या राज्य सरकार की मंशा है कि उच्च शिक्षा को सार्थक, नियंत्रित और....

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न अलग प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : दूसरा मैंने पूछा है कि यू. जी. सी. से क्या चर्चा हुई और कौन सी ग्रान्ट मानी गई?

श्री अध्यक्ष : पृथक प्रश्न दो आपने किये हैं उनका उत्तर दीजिये। एक प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री बी. डी. कल्ला : वर्तमान में केन्द्र सरकार की नीति और यू. जी. सी. की नीति है कि बुनियादी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में मेरा कहना है कि हम उच्च शिक्षा के प्रसार के लिये अपनी तरफ से पूर्ण यत्नशील हैं। उच्च शिक्षा का यही उपाय नहीं है कि हम विश्वविद्यालय खोलकर ही उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करें। अधिकांश जन प्रतिनिधियों की भी यही आकांक्षा रहती है कि अलग अलग जिले में महाविद्यालय स्थापित किये जायं।

जहां तक माननीय सदस्य ने जनसंख्या के आधार पर विश्वविद्यालयों की संख्या की बात कही है तो पहले से ही जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में तीन विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। इसके अलावा बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंस भी राजस्थान में काम कर रहा है। इसके अलावा कई अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर काम कर रहे हैं। तो, मैं समझता हूं राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई कमी नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पहला प्रश्न का जवाब आया नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा थोड़ा आया है। जनसंख्या के अनुपात में राजस्थान में अन्य प्रदेशों की तुलना में बतावें।

श्री बी. डी. कल्ला : विश्वविद्यालयों की संख्या जनसंख्या से नहीं आंकी जाती। विश्वविद्यालय कितने होने चाहिये, यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कितने ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय होने चाहिये, उसके आधार पर है या नहीं, यह देखा जाता है। जनसंख्या और विश्वविद्यालय में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जनसंख्या के अनुपात में कम हैं क्या ?

श्री बी. डी. कल्ला : जनसंख्या के अनुपात में कोई कम नहीं हैं। दूसरे प्रदेशों की स्थिति और ......

श्री अध्यक्ष : एक करोड़ से अधिक की आबादी पर विश्वविद्यालय हो ?

श्री बी. डी. कल्ला : ऐसे कोई आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं और न भारतीय स्तर पर ऐसे आंकड़े एकत्र किये जाते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने कहा कि स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो क्या अजमेर इस दृष्टि से पीछे रहता है ?

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रत्येक जिले में जितने विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाते हैं उनके लिये हर जिले में कालेज है और हर जिले में बहुत नजदीकी स्थान पर विद्यार्थी पढ़ने के लिये जा सकते हैं। फिर विश्वविद्यालय ही उच्च शिक्षा देने का प्रमुख स्रोत नहीं है। हमारी राजस्थान सरकार और यू. जी. सी. का उद्देश्य देश में शिक्षितों की पर्सेन्टेज बढ़ाने का है उसके लिये बुनियादी शिक्षा आवश्यक है। कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा पाने के लिये विश्वविद्यालय में पढ़ने से वंचित रहता है तो सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी उच्च शिक्षा पाना चाहे वह पा सके। हम केवल 2-3 स्थानों पर ही नहीं राजस्थान के तमाम इलाकों मे बी. ए., एम. ए. की कक्षाएं और नये नये विषय लगातार खोल रहे हैं।

हमने टोंक में लैदर से सम्बन्धित एक ट्रेनिंग का विशेष कार्यक्रम रखा है। इसी प्रकार से समय समय पर नये विषय के स्कूल, कालेज खोले जा रहे हैं। उच्च शिक्षा एक दो स्थान तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। दूर दराज के इलाके में भी, ग्रामीण इलाकों में भी हम इसको देना चाहते हैं ताकि विद्यार्थी बड़े स्थानों पर न जाकर समीपस्थ स्थानों पर बढ़ती शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हों....

श्री कैलाश मेघवाल : यह मेरा मूल सवाल नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल के उत्तर में कही है।

श्री कैलाश मेघवाल : हम उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर तय करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या सरकार के पास है, क्या उसमें अजमेर पीछे रहता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एक मात्र साधन नहीं हैं, माध्यम नहीं है विश्वविद्यालयों को जनसंख्या के आधार से नहीं जोड़ा जा सकता है। मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज और दूसरी ऐसी संस्थाएं हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं जैसे पिलानी का बिरला इन्स्टीट्यूट है, वनस्थली बालिका विद्यापीठ है उसको भी यूनिवर्सिटी का स्टेटस देने की बात चल रही है दूसरी संस्थाएं हैं, मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज भी विश्वविद्यालय के समकक्ष शिक्षा देने में समर्थ हैं। अन्य प्रदेशों की तुलना में हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा पिछले दिनों कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज खोला गया है। हमने यूनिवर्सिटी नहीं खोली है। हमने यह महसूस किया कि इन्जीनियरिंग कालेज की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा स्कोप है। इस वास्ते अन्य इन्जीनियरिंग कालेज में सीटें भी बढ़ाई गई हैं। सरकार इस बात का मानीटरिंग करती रहती है कि किस विषय की किस जगह जरूरत है। उस जरूरत के हिसाब से हम करते हैं। दूसरे प्रदेशों की तरह हम यूनिवर्सिटीज बढ़ाते रहें, आर्ट्स कालेज बढ़ाते रहें, यह बात नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा, सब्जेक्ट, कालेज बढ़ाने आदि की चर्चा की और कहा कि उच्च शिक्षा का राजस्थान में विकास हुआ है। हमारे हायर एजूकेशन में कालेजेज हैं, उनका विकास ठीक रूप से प्रबन्धित करने के लिये उस परिमाण में विश्वविद्यालय की संख्या चाहिये। इसलिये आवश्यकता है विश्वविद्यालयों की अधिक संख्या की। मैं केवल यहां पर श्रीमाली कमेटी को कोट करना चाहता हूं :

"The University of Rajasthan, with student populatton of nearly 70000 in 1973 has already become tco unwieldy. Tensions are built up among members of the academic community. There is also great deal of ill-will between two wings of the faculty teachers—University teachers and teaehers of affiliated instituions."

मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, सवाल को इवेड नहीं करें। हायर एजूकेशन में हम सबसे पीछे हैं। आपने बिलकुल हायर एजूकेशन को प्रमोट नहीं किया है....

श्री चन्दनमल बैद : आपने बिलकुल नहीं बढ़ायी है। हमने बढ़ायी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे टाइम में डिग्री कालेज और 15 पोस्ट डिग्री कालेज खोले गये हैं। एकेडेमिक कालेज काफी संख्या में हो गये हैं इसलिये रीजनल आधार पर विश्वविद्यालय होने चाहिये।..

श्री अध्यक्ष : आप विश्वविद्यालय ही खोल देते।...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसीलिये निवेदन कर रहा हूं यह कि सरकार वित्तीय दृष्टि से दिवालिया हो गई है, यह बात कहते तो समझ में आता। सारे बजट भाषण में इसी की चर्चा होती है। यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमाली रिपोर्ट राज्य सरकार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के पास है। मध्य प्रदेश में 12 यूनिवर्सिटीज हैं इसलिये यह कह कर नहीं टाला जा सकता है। यदि मन्त्री महोदय यह कहें की वित्तीय संकट हो गया है, दिवालिया हो गये हैं इसलिये नहीं खोलना चाहते हैं तो दूसरी बात है। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिये। इसी तरह से आपको शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। उसको संभालने के लिये विश्वविद्यालय चाहिये। इसलिये क्या कोटा, अजमेर में विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं या वित्तीय सकट के आधार पर, दिवालिया होने के कारण नहीं खोलना चाहते हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मध्य प्रदेश में पांच युनिवर्सिटीज हैं...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 12 हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मेडिकल कालेज कितने हैं हमारी तुलना में।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आबादी के अनुपात में हैं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं हैं। आबादी के अनुपात में नहीं हैं। पता लगा लें। आफ हैण्ड कोई बात नहीं कहें। पता लगाइये मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज में हम उनसे आगे हैं। आप आफ हैण्ड कह देते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपको चुनौती दूंगा। यह मेरा विश्वास है कि हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यह रिपोर्ट 1974 में आ गई थी। उस समय सरकार ने उचित नहीं समझा कि और विश्वविद्यालय खोले जायं कोई वित्तीय स्थिति उस समय खराब नहीं थी। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। तीन साल वह रही, जिसमें कोटा से आने वाले माननीय सदस्य शिक्षा मन्त्री रहे। लेकिन उन्होंने भी नहीं खोला। इसका मतलब कि हमने जो निर्णय लिया था वह सही था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज भी हम ने ही खोला। हमने ही आकर खोला और बात करते हैं उच्च शिक्षा की।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम पूरक प्रश्न श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या रिसर्च केवल यूनिवर्सिटी में ही होती है और महाविद्यालय में नहीं होती है? क्या यह भी सही है कि यूनिवर्सिटीज और महाविद्यालयों की परीक्षाएं लेट हो रही हैं? क्या इसका कारण यह नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

आपको मैंने अनुमति दी है विद्यार्थी नेता होने के कारण उस हैसियत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिये।...

श्री नाथूसिंह : मेरा रेलेवेन्ट प्रश्न है। क्या रिसर्च विश्वविद्यालयों में होती है। इसलिये यूनिवर्सिटीज पर बर्डन ज्यादा होता है? इसके हिसाब से विश्वविद्यालय ज्यादा खोले जायं तभी यह जो अनियमितताएं ह

(श्री नाथूसिंह)

रही हैं और परीक्षाएं लेट हो रही हैं उस समस्या का समाधान हो सकेगा।...

श्री अध्यक्ष : आर्डर।...

श्री राजबहादुर। यह अन्तिम पूरक प्रश्न होगा।

(व्यवधान)

आपको कालेज तक की इजाजत दे सकता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। यह आपका विषय नहीं है। सब विषय पर अनुमति नहीं है। आपका प्रिय विषय होगा तो मैं आपको इजाजत दूंगा। सब विषय पर नहीं।..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री राजबहादुर का नाम पुकारा है।

कृपया स्थान ग्रहण करें।....

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटा सवाल यह करना चाहता हूं। आपने कहा, श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा की आवश्यकता आपने बताया। कालेज बढ़े हैं, इन सब के उपरांत क्या सरकार यह मानती है कि जितने विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में वह पर्याप्त हैं? साक्षरता का अनुपात सारे देश में 31 प्रतिशत है और राजस्थान में 24 प्रतिशत, उस अनुपात से विश्वविद्यालय हैं? मैं जन्म जात विद्यार्थी हूं और जीवन पर्यन्त विद्यार्थी रहूंगा, इसलिये यह सवाल कर रहा हूं।....

श्री अध्यक्ष : पहले नाथूसिंह के पूरक प्रश्न का उत्तर दें।

श्री चन्दनमल बैद : जहां तक साक्षरता का सवाल है तो विश्वविद्यालय की शिक्षा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजबहादुर : आपके उपमन्त्री ने जवाब में कहा था इसलिये मैंने कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : साक्षरता का कोई सम्बन्ध नहीं है, उच्च शिक्षा का सम्बन्ध हो सकता है।

दूसरी बात आपने कही कि तीन विश्वविद्यालय पर्याप्त समझते हैं क्या? इसका इससे कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि रिसर्च केवल यूनिवर्सिटी में होती है और कॉलेजों में नहीं होती है, यह सही है। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में भी रिसर्च होती है।

श्री नाथूसिंह : मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़कर बतायें।

श्री अध्यक्ष : एग्रीकल्चर।

श्री नाथूसिंह : वह भी सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज में ही होती है विश्वविद्यालय में नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : तो अध्यक्ष महोदय, रिसर्च तो सब जगह होती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, श्री देवीसिंह भाटी।

कान्ता खतूरिया कालोनी में बेची गई भूमि

522. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर

(श्री देवीसिंह भाटी)

शहर के मास्टर प्लान के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम शिवबाड़ी में कान्ता खतूरिया नामक कॉलोनी में करीब तीस लाख वर्ग गज जमीन की बिक्री में घोर अनियमिततायें हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि समय समय पर बीकानेर के जिलाधीशों ने इसकी जांच करके सरकार को भेजी है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने अपने किसी बड़े अधिकारी से इसकी जांच सम्पूर्ण रूप से कर ई है और क्या इस जांच के उपरान्त इसमें बहुत बड़ा घोटाला पाया गया है ?

(4) क्या केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने भी इसकी जांच की है तथा इस जोटाले के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई निर्देश भेजे हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार इस अनियमित कार्यवाही को रद्द करने के आदेश जिलाधीश बीकानेर को भेज चुकी है ? यदि ऐसे आदेश हुए हैं तो जिलाधीश को किस तारीख को भेजे गये तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई, यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री पंचायत, (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां।

(2) जी हां। जिलाधीश से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं सरपच के दोषी पाये जाने के कारण राजस्थान पचायत अधिनियम की धारा 17 (4) के अन्तर्गत तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध दिनांक 10-1-81 को परिनिर्णय लेखबद्ध किया गया।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशिष्ठ शासन सचिव आयोजना विभाग से जांच करवाई थी, और जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के निराकरण हेतु जिलाधीश बीकानेर को जांच प्रतिवेदन के साथ दिनांक 24-4-80 को लिखा गया।

(4) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(5) जी हां। जिलाधीश, बीकानेर को विभागीय पत्र दिनांक 24-4-80 द्वारा अनियमित रूप से आवंटित प्लाटों को उनके स्तर पर मेरिट के आधार पर राजस्थान पंचायत एव न्याय पचायत (सामान्य) नियम के नियम 272 के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु लिखा गया था। जिलाधीश द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ सूचना चाही थी, उसका उत्तर भेज दिया गया है। अभी प्लाटों के निरस्तीकरण का मामला जिला स्तर पर विचाराधीन है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से एक 1-"-70 को स्थगन आर्डर जारी हुए थे उसके उपरान्त भी इन पट्टों को कैंसिल नहीं किया गया है ? दूसरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि जिलाधीश को 24.4.80 को राज्य सरकार ने जांच को सम्पूर्ण करने के बाद अनियमितताओं के निराकरण हेतु लिखा गया है। जांच जब हो गयी है तो उसके बाद में भी क्या कारण रहे हैं कि ये पट्टे कैंसिल नहीं किये जा रहे हैं ? इसमें पहले भी चार करोड़ का घोटाला है। इस कान्ता खतूरिया कॉलोनी में अभी भी राजनैतिक रूप से प्रभावी लोग, बड़े बड़े लोग, जो अधिकारी हैं, भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं और करोड़ों का घोटाला हो रहा है। इसके बारे में राज्य सरकार क्या

(8)

(श्री देवीसिंह भाटी)

कर रही है कि भोले भाले लोगों के साथ अन्याय न किया जाय ?

श्री शीशराम श्रोला : आपसे निवेदन किया कि कौन से कैंसिल किये जायं किन को दिये जायं पट्टे और किनको नहीं दिये जायं, यह निर्णय करने का उनका अधिकार है। राज्य सरकार ने पूरे अधिकार जिलाधीश को दे दिये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : जिलाधीश महोदय को आदेश दे दिये हैं उनको पूरा अधिकार है, पर क्या राज्य सरकार के पंचायत विभाग को यह जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे काण्ड, जिसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हो चुका है, के बाद भी जिलाधीश कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, निरन्तर राज्य सरकार की ओर से जिलाधीश को पत्र लिखा गया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर राजनैतिक दृष्टि से कुछ बड़े लोग जुड़े हुए हैं इसके कारण से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मन्त्री महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि पंचायत विभाग की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है जिलाधीश अगर कोई कार्यवाही नहीं करता है ?

श्री शीशराम श्रोला : अध्यक्ष जी, पंचायत विभाग ने कलेक्टर को पूरे अधिकार दे दिये हैं। अगर वह नहीं करता है या डिले करता है तो फिर हम कार्यवाही करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : और कितनी देर करेंगे ? आपने 24/4/80 को यदि आदेश भेजा था और आज तक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसमें×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, जो सदस्य हाउस में उपस्थित नहीं हों उनके बारे में मानहानिकारक अपमानजनक आरोप नहीं लगायें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आरोप नहीं है, यह करोड़ों का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

संतोषजनक उत्तर आ गया है। जिलाधीश को पूरे डायरेक्शन के साथ मामला भेजा गया है। आपको इस प्रश्न को दूसरे तरीके से उठाना चाहिए। दूसरे तरीके से आप उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय से मैं यह कह रहा हूं कि यह मामला दो साल से पैंडिंग पड़ा हुआ है। इससे पूर्व भी जिलाधीश को बार-बार कहा जाता रहा है। जब राज्य सरकार ने स्वयं माना है कि 24/4/80 को यह जिलाधीश को भिजवा दिया गया है उसके बाद भी कार्य-

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

वाही नहीं की जा रही है। पट्टे कैंसिल नहीं किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस कान्ता खतूरिया कालोनी के मामले में कार्यवाही नहीं हो रही है, करोड़ों का घोटाला है। इसलिये ही राज्य सरकार पर ओवर ड्राफ्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं अब पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह 30 लाख वर्ग गज जमीन का मामला है, 60 हजार में बेची गयी है, यह 67 हजार बीघा जमीन है ..

श्री अध्यक्ष : अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : XXX नहीं दी है....

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द हटा दो।

श्री देवीसिंह भाटी : उत्तर नहीं दिया है मेरे प्रश्न का। जब 24/4/80 को सरकार की ओर से लिख दिया गया है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को आप किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं। इस समय विस्तृत चर्चा वाजिब नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हर प्रश्न को अन्य तरीके से तो नहीं उठा सकते ?

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने अपने नियमों के अन्दर प्रावधान हैं उन सबका उपयोग करें। बहुत सी विधियां इसमें अंकित हैं माध्यम उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करें।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : क्षमा करें, मैंने अगला प्रश्न पुकारा है।

श्री दुलाराम : इससे जिन लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है उनका भविष्य अन्धकार में है, इसलिये आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को आप भी किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं। आर्डर. आर्डर।

श्री दुलाराम : इजाजत दे दें

श्री अध्यक्ष : समय जा रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जायेंगे।

अगला प्रश्न।

श्री केशोरायजी के मंदिर हेतु स्वीकृत राशि

523. **श्री गोपाल पचरेवाल** (पाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केशोराय

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(10)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पाटन, जिला बूंदी में श्री केशोरायजी के मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु कुछ राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब और कितनी राशि।

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त मंदिर की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को अब तक नहीं भेजी गई? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री : देवस्थान (श्री घासीराम यादव) : (1) जी हां। मंदिर श्री केशोराय पाटन जिला बूंदी के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 1979-80 में 50 000 रुपये एवं वर्ष 1979-80 में 50,000 रुपये एवं वर्ष 1981-82 में 48,000 रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(2) जी नहीं। राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेज दी गई है।

श्री अध्यक्ष : पिछले साल भी शायद यही उत्तर था।

श्री गोपाल पचेरवाल : ये तो एक ही उत्तर देते हैं। क्या यह राशि भेज दी गयी है? कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है?

श्री घासीराम यादव : यह पैसा चालान संख्या 4 द्वारा दिनांक 11/11/82 को भेजा गया है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को। पहले 22/-12/81 को काम शुरू हुआ था। शायद यह काम शुरू नहीं हुआ होगा, दो चार महीने में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। यह काम कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : पहले वाले पैसे का भी काम हुआ या नहीं?

श्री गोपाल पचेरवाल : पहले वाले का तो हो गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : कब तक यह काम चालू हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष : पहले का हो गया है तो यह भी हो जायेगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो जनता पार्टी ने करवाया था, उन्होंने नहीं करवाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल बंशीवाल।

गुप्तेश्वर से सिगवाड़ा (दौसा) सड़क निर्माण

524. **श्री सोहनलाल बंशीवाल** (दौसा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करें: –

क्या कृषि उपज मण्डी समिति दौसा द्वारा चार साल पहले गुप्तेश्वर से सिगवाड़ा तक सड़क बनाने का कार्य चालू किया गया था? क्या उक्त सड़क पर एक किलोमीटर तक सीलिंग करने के बाद आज तक उस सड़क पर कोई कार्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : जी हां। 18 दिसम्बर, 1976 में सड़क बनाने

(श्रीमती कमला)

का कार्य चा'ल किया गया था। उक्त सड़क को कृषि उपज मण्डी समिति दौसा द्वारा केवल 1.5 किलोमीटर तक की ही स्वीकृति दी गई थी। ठेकेदार द्वारा 1 कि. मी. तक ही सीलिंग का कार्य किया गया एवं दिनांक 26.3.78 को उसी स्थिति में कार्य बद कर दिया गया। उक्त ठेकेदार को नोटिस दिये जाने पर उसने शेष कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया है। कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा।

श्री मोहनलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, यह सड़क मैं कम से कम पिछले 5-6 बरस से देख रहा हूं। यह सड़क ऐसी बनायी है कि कच्ची बनाकर रोड़ी डाल दी है, यह सरकार पैसा क्यों बर्बाद करती है मेरी समझ में नहीं आता। सरकार कहती है कि हम घाटे में जा रहे हैं सरकार अपने आप घाटे में जा रही है। जगह जगह रास्ते खराब हो रहे हैं।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने सवाल किया, उसके सम्बन्ध में, आपके माध्यम से एक जानकारी सदन को देना चाहती हूं कि पूर्व में जब बोर्ड ने सड़कों का काम अपने हाथ में लिया, उस वक्त कृषि उपज मण्डी समितियां खुद ही सड़कों के काम कराया करती थीं। यह सड़क उस वक्त की पड़ी हुई है जिस वक्त इसको कृषि उपज मण्डी ने बनाना शुरू किया था। उस वक्त की कृषि उपज मण्डी समिति के ठेकेदार ने थोड़ा काम करने के बाद उसको उसी हालत में छोड़ दिया। कृषि उपज मण्डी समिति ने कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद यह कार्य पी. डब्ल्यू .डी. को बोर्ड की तरफ से दिया गया। पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर भी बहुत सारा बोर्ड का पैसा जगह जगह पड़ा हुआ था. काम अधूरा पड़ा हुआ था। उस समय में भी अधूरा पड़ा हुआ था। पड़ा रहा ...

श्री अध्यक्ष : आपको बंद करना पड़ गया होगा।

श्रीमती कमला : अब यह बोर्ड ने खुद ने अपने हाथ में ले लिया है। बोर्ड की तरफ से इस ठेकेदार को नोटिस दे दिया है कि या तो दो चार महीने में तुरन्त पूरा करिये, या तो फिर वापस ले लेंगे। इस काम को तुरन्त शुरू करें। तीन महीने के बाद एजेंसी चेंज होने में ठेकेदार को मौका मिल गया, वह बैठा है उसको फाइनल नोटिस जारी हो गया है। उसने हमें आश्वासन दिया है कि काम जल्दी पूरा कर देगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी हमारे एक माननीय साथी ने हमको बताया, कृषि उपज मण्डी समिति ने कामां क्षेत्र के अन्दर 3 सड़कें आज से करीब 6साल पहले बनायीं, पत्थर डालकर उन पर चूरी डाल दी गयी। मैंने मंत्री महोदय को कहा कि चार मत कराइये, दो मत कराइये,....

श्रीमती कमला : मुझे जरा लिखकर दें कि कौन कौन से क्षेत्रों में क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : आप लिखकर दे देना।

(12)

श्री सोहनलाल बंशीवाल : मैं पूछना चाहता हूं कि इस सड़क का एग्रीमेण्ट कितने में हुआ कितना रुपया पी. डब्ल्यू. डी. ने दिया ? यह दोनों सड़क 5-6 साल से पड़ी हैं। उम्मीद दिलावें कि कब तक तैयार हो जायेंगी, डामर कर दिया जायेगा ? कितना पैसा पी. डबल्यू. डी. के पास है ? कितना पैसा दिया ? मैंने बात की तो बताया कि हमने 36 हजार का पी. डबल्यू. डी. को पेमेंट किया है. 85 हजार दिये हैं पता नहीं क्या गोलमल है, समझ में नहीं आता।

श्रीमती कमला : कुल दो किलोमीटर सड़क है, जैसा मैंने बताया कि यह एजेन्सी चेंज होने से ठेकेदार ने अपनी शर्तों के मुताबिक काम नहीं किया। इस दो किलोमीटर सड़क में स्वीकृति तो डेढ़ किलोमीटर की हुई है, आधा किलोमीटर की और लेनी है। डेढ़ किलोमीटर तक शर्तें लागू होती हैं, उसकी पूर्ति करनी है। डेढ़ किलोमीटर जल्दी पूरी कर दे, ऐसी व्यवस्था की है, वरना दूसरी कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर, माननीय सदस्य।

शीर्ष सहकारी बैंक की ब्याज की दर में कमी

525. **श्री नेजपाल यादव** (चौमूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–(1) सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण वितरण में रिजर्व बैंक द्वारा वसूल किये जाने वाले एवं किसानों द्वारा देय ब्याज की दर में कितना अन्तर है ? (2) शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति का ब्याज मार्जिन कितना कितना है ? (3) क्या सेवा कार्य एवं दायित्व को निभाने के लिए शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एव ग्राम सेवा सहकारी समिति का ब्याज मार्जिन का बटवारा उचित है ? (4) क्या सरकार शीर्ष सहकारी बैंक के ब्याज मार्जिन को कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण वितरण में रिजर्व बैंक द्वारा वसूल किये जाने वाले एवं किसानों द्वारा देय ब्याज की दरें तथा उनका अन्तर निम्न प्रकार है:

ऋण का प्रकार	रिजर्व बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर	किसानों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर	ब्याज में अन्तर
1	2	3	4
1. अल्पकालीन, मध्यकालीन परिवर्तित एवं पुनः परिवर्तित कृषि ऋण			
अ–छोटे एवं सीमान्त कृषकों से	7 प्रतिशत	12.5 प्र०	5.50 प्र०

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

1	2	3	4
ब–बड़े कृषकों से	7 प्रतिशत	15.0 प्र०	8.0 प्र०
2. मध्यकालीन कृषि ऋण			
अ–लघु सिचाई एवं भूमि विकास हेतु सभी प्रकार के कृषकों के लिए	7 प्रतिशत	10.5 प्र०	3.5. प्र०
ब–सभी प्रकार के कृषकों को डाइवर्सीफाइड उद्देश्यों हेतु यानि पशुपालन दुधारू पशुओं आदि हेतु	7 प्रतिशत	11.5 प्र०	4.5 प्र०
स–अन्य उद्देश्य हेतु			
1. लघु कृषक	7 प्रतिशत	11.5 प्र०	4.5 प्र०
2. बड़े कृषक	7 प्रतिशत	12.5 प्र०	5.5 प्र०

(2) शीर्ष सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ब्याज मार्जिन निम्न प्रकार रखा गया है :—

ऋण का प्रकार	शीर्ष सहकारी बैंक स्तर पर मार्जिन	केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर मार्जिन	सहकारी समिति स्तर पर मार्जिन
1	2	3	4
1. अल्पकालीन, मध्यकालीन परिवर्तित एवं पुनः परिवर्तित कृषि ऋणों पर			
अ–छोटे एवं सीमान्त कृषक	0.75	2.25	2.50
ब–बड़े कृषक	2.00	3,00	3.00

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

1	2	3	4
2. मध्यकालीन कृषि ऋण			
अ–लघु सिंचाई एवं भूमि विकास हेतु सभी प्रकार के कृषकों हेतु	0.50	1.50	1.50
ब–सभी प्रकार के कृषिकों को डाईवर्सीफाइड उद्देश्यों हेतु यानि पशुपालन दुधारू पशु आदि हेतु	0,50	2.00	2.00
स–अन्य उद्देश्य हेतु			
1. लघु कृषक	0.50	2.00	2.00
2, बड़े कृषिक	0.50	2.50	2.50

(3) सेवा कार्य एवं दायित्व को निभाने के लिए शीर्ष बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति का ब्याज मार्जिन का बंटवारा समस्त स्तर पर संबंधित संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(4) जी हां। शीर्ष बैंक के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या 526

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल बैरवा। अगला प्रश्न।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न सुश्री पुष्पा जैन

जयपुर जिले के कृषि फार्म

527. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की किस-किस पंचायत समिति के अधिकार में कृषि फार्म के लिए कितनी-कितनी भूमि थी ?

(2) इन कृषि फार्मों से अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना हानि-लाभ हुआ है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन मेज पर रखें।

(3) इन फार्म्स की भूमि अब किस-किस के अधिकार में कब से है और यह भूमि पंचायत समिति के अधिकार से किस प्रकार निकली ?

राज्य मन्त्री, पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) : (1) जयपुर जिले की पंचायत समितियों के अधिकार में कृषि फार्म के लिये निम्न प्रकार भूमि थी :—

1.	पंचायत समिति	झोटवाड़ा	100 बीघा
2.	,,	शाहपुरा	4 बीघा 4 बिस्वा
3.	,,	बस्सी	132 25 एकड़
4.	,,	चाकसू	88 बीघा 2 बिस्वा
5.	पंचायत समिति	कोटपूतली	14 बीघा
6.	,,	विराटनगर	10 एकड़

(2) इन कृषि फार्म्स से अब तक हुए हानि लाभ का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) पंचायत समिति, झोटवाड़ा का कृषि फार्म सन् 1968 से, शाहपुरा का सन् 67 से, चाकसू का सन् 66 से, कोटपूतली का सन् 1966 से, एवं विराटनगर का सन् 1964 से पंचायत समितियों के स्वयं के अधिकार में है। पंचायत समिति बस्सी का फार्म वर्ष 1959 से पंचायत समिति के पास था जिसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28-5-77 के तहत कृषि विभाग को दिनांक 9-5-77 को ट्रान्सफर किया जा चुका है।

(विवरण के कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय मैंने पूछा था कि कितनी पंचायत समितियों के अन्तर्गत कृषि फार्म की जमीन है, और ...

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : आहिस्ता बोलिये, आहिस्ता बोलिये, हम भी निवेदन कर रहे हैं।

निवेदन ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मैंने आपको तसल्ली से निवेदन किया। हमारे पास कहीं भी रिकार्ड में आमेर पंचायत समिति के पास जमीन नहीं बताई गई और यदि है तो जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ एक्शन लूंगा।

(16)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी, उस हानि का कारण क्या है? और जो नुकसान हुआ किसके जिम्मे है? वह नुकसान किसको भुगतना पड़ा? इसका भार किसके जिम्मे पड़ा?

श्री अध्यक्ष : खेती में नुकसान के कारण तो सदैव सदन के समक्ष आते रहते हैं, ओला वृष्टि, वगैरह।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने पूछा, यह जो आपने कृषि फार्म के नुकसान का बताया उस नुकसान का कारण क्या है? दूसरा, उसका भार किस पर पड़ा? यह ठेके पर देते हैं या मजदूरों से करवाते हैं?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, कुछ तो मिसमैनेजमेन्ट था, कुछ जमीन ठीक नहीं थी,....

सुश्री पुष्पा जैन : आप कभी किसी फार्म पर गये या नहीं?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हर एक फार्म के अन्दर किस तरह से नुकसान हुआ, इस तरह की विस्तृत जानकारी देना कैसे संभव है। एक फार्म के बारे में पूछ लीजिए, विस्तार से से उसकी सूचना मंगवा लेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : झोटवाड़ा का ...

श्री अध्यक्ष : यूं नहीं अलग से।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, उसका दुरुपयोग हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। कौनसे साल कितना नुकसान हुआ, प्राकृतिक आपदाओं के लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं है....

श्री अध्यक्ष : सूचना उपलब्ध करा दी गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आप उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी

खाद्य निगम के नियुक्त होलसेल डीलर्स

528. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग ने खाद्य निगम से सस्ते गल्ले की दुकानों को माल सप्लाई करने हेतु राज्य में होलसेल डीलर नियुक्त किए हैं?

(2) यदि हां, तो कब से व क्यों? उन्हें कितना कमीशन दिया जाता है?

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(3) क्या क्या टर्म्स एवं कण्डीशंस उनसे तय की गई हैं ? कृपया राज्य भर के होलसेल डीलर्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कोटा नगर में माह दिसम्बर, 1981 जनवरी एवं फरवरी, 1982 में कोटा में नियुक्त होलसेल डीलर्स को खाद्य निगम से कितना कितना गेहूं एवं चावल उठाना था ? कितना उठाया गया ? होलसेल डीलर्स द्वारा पूरा कोटा न उठाने पर विभाग ने क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, नागरिक आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में 26 जिलों से सूचना मंगवानी है, बहुत विस्तृत है, इसलिए....

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी सन में कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आम तौर से आ जाते हैं। अगला प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय

529. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि अभियान्त्रिकी, कृषि स्नातक, कृषि स्नातकोत्तर एवं अन्य संकायों में राज्य सरकार कितने विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करा सकती है ?

(2) क्या कृषि अभियान्त्रिकी शिक्षा हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में किन्हीं छात्रों के नाम उदयपुर विश्वविद्यालय को प्रवेश देने हेतु भेजे थे ? यदि हां, तो किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में जिन विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष कृषि अभियान्त्रिकी में प्रवेश दिया गया, उनकी सूची मय उनके प्राप्तांक के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि यह प्रश्न स्थगित किया जाय क्योंकि इस कार्य में जितने नाम इसके निमित्त भेजे गये थे उनकी संख्या तो बहुत है क्योंकि मूल रूप में भेजे गये उसके अतिरिक्त नाम भी हैं, उनकी सारी सूची है, किन किन को एडमिशन मिला, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय से पिछले दो दिनों से पूरी कोशिश करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाई है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न जनवरी में पूछा था उसमें केवल एक ही इन्जीनियरिंग की सूची मांगी थी, अगर वह भी साल भर की सूची नहीं दे सकते डेढ़ महीने में, यह कैसी व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर उत्तर दिलाया जाय स्थगित किया।

अगला प्रश्न। श्री रघुवीरसिंह कौशल

सहकारी विभाग में पदों का स्थाई सृजन

530. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारिता विभाग में किस-किस स्तर के कितने पद स्थाई व अस्थाई रूप से स्वीकृत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय एवं अन्य विभाग से आये हुए ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्तियां अभी तक नियमित नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि एडहाक एवं अस्थाई नियुक्तियों की अवधि बढ़ाये बिना ही कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को विभाग द्वारा वेतन दिया जाता रहा है। यदि हां, तो इस अनियमित कार्य के लिये कौन उत्तरदायी है ?

(4) क्या यह सही है कि अब इन कर्मकर्मचारियों को वेतन भुगतान न करने के लिये समस्त कोषाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्यरत कर्मचारियों को वेतन देना विभाग का उत्तरदायित्व नहीं है ? इन पदों को नियमित न करने के लिये कौन उत्तरदायी है ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। दिनांक 16-1-82 को ऐसे आदेश जारी किये गये थे किन्तु कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 1-2-82 को आदेश द्वारा ऐसे अधिकारियों के प्रोविजनल भुगतान की स्वीकृति की तिथि 31-3-82 कर दिये जाने पर पे स्लिप जारी की जा चुकी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भाग संख्या 4 का उत्तर बता दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : भाग 4 का उत्तर है—जी हां। दिनांक 16-1-82 को आदेश जारी किये गये थे किन्तु कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 1-2-82 को आदेश द्वारा ऐसे अधिकारियों के प्रोविजनल भुगतान की स्वीकृति की तिथि 31-3-82 कर दिये जाने पर पे स्लिप जारी की जा चुकी है।

यानि 31-3-82 तक मुख्य मुद्दा था कि तनख्वाह से नुकसान होगा, प्रोविजनल तौर पर पे स्लिप से भुगतान करा दिया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तनख्वाह नहीं मिलने का जो कारण है, अस्थाई नियुक्ति थी। उनकी टर्म नहीं बढ़ाई गई थी, इस कारण से तनख्वाह रोक दी गई है। अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले विभाग में यह परम्परा थी कि अवधि खत्म होने के बाद पेमेन्ट कर दिया जाता था और बाद में रेगूलेराइज किया जाता था, उसमें कुछ आपत्तियां उठायी जाती थीं।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए गवर्नमेन्ट ने टाइटन अप किया है, फायदे से भुगतान करें, ठीक है।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थगन प्रश्न भी लेने हैं।

उद्योग विषय के अध्यापकों की वरिष्ठता

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मैं एक मिनट में खतम कर दूंगा।

531. क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के किस किस विद्यालय में कौन कौन से उद्योग विषय पढ़ाये जा रहे है? क्या उन विषयों को पढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में उद्योग अध्यापक हैं? यदि हां, तो विभाग द्वारा सामान्य अध्यापकों से विषय पढ़ने हेतु आप्शन क्यों भरवाये जाते हैं?

(2) क्या ऐसे आप्शन भरवाने से उद्योग अध्यापकों के पद पर नियुक्त अध्यापकों की वरिष्ठता पिछड़ जाती है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सामान्य अध्यापकों की वरिष्ठता आप्शन तिथि से मानने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री बी० डी० कल्ला) : (1) जयपुर जिले के जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उद्योग विषय पढ़ाया जाता है उनकी सूची संलग्न है। पर्याप्त संख्या में उद्योग अध्यापक उपलब्ध हैं अतः सामान्य अध्यापकों से उद्योग संवर्ग हेतु आप्शन फार्म नहीं भरवाये जाते।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

(व्यवधान)

श्री नथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची मुझे अब मिली है...

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न।

(व्यवधान)

स्थगित प्रश्न है। श्री कनकराज मेहता। 316

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1982)

जालौर जिले में अवसायन में आई सहकारी समितियां

316. **श्री कनक राज मेहता** (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जालौर जिले में कबसे कितनी सहकारी समितियां अवसायन में हैं? अवसायन कार्य में आज तक क्या प्रगति हुई है? कृपया पूर्ण ब्यौरा दें।

(श्री कनकराज मेहता)

(2) क्या यह सही है कि अवसायन की कार्यवाही शीघ्र न होने से राज्य को भारी नुकसान हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी सहकारी समितियों के निष्क्रिय होने से काश्तकार सहकारिता के लाभ से वन्चित हो रहे हैं ?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जालौर जिले में 90 सहकारी समितियां अवसायन (लिक्वीडेशन) में हैं। समितियों के अवसायन की तिथि व अब तक में प्रगति हुई है। संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित है।

(2) जी नहीं। अवसायन कार्य राज्य सरकार की बकाया वसूली को वसूल कर ही समाप्त किये जाने की दृष्टि से रुका हुआ है।

(3) जी नहीं।

(सूची के कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यह है कि अवसायन से कितने वर्षों से यह कार्यवाही चल रही है, मंत्री महोदय जवाब दें कि किस सोसाइटी का काम कब से चल रहा है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 90 समितियों की सूची है और मैंने आपको यह सूची दे दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री कनकराज मेहता : चितलवाना और भवातड़ा में सहकारी समितियां कब से अवसायन में हैं ?

श्री अध्यक्ष : बहुत दूर के इलाके हैं, जिनकी जानकारी आपने पूछी।

(व्यवधान)

सूची बाद में दे दी जायेगी...

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा, 335।

(दिनांक 11 मार्च, 1982)

विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था

335. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राइमरी, मिडिल व सैकण्डरी स्तर पर कितने शिक्षक कम हैं ? क्या उक्त कमी की पूर्ति के लिये कदम उठाये गये है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्राइमरी स्तर पर 40 बच्चों पर एक शिक्षक के हिसाब से कितने स्कूलों में व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक कम है और क्या 30 पर एक शिक्षक किये जाने की योजना की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, शिक्षा : श्री बी० डी० कल्ला) : (1) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,

(श्री बी० डी० कल्ला)

माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी स्थिति निम्न प्रकार है ?

1. माध्यमिक । उच्च माध्यमिक ।
15 व. अ, 370 दि. श्रे. अ.

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय 123

3. प्राथमिक शून्य

इनकी शीघ्र ही पूर्ति करदी जायेगी।

(2) शहरी क्षेत्र के लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में इस अनुपात में अध्यापक उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं अध्यापकों की कमी हो सकती है। 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक दिये जाने का मानदण्ड उपयुक्त है तथा इस मानदण्ड को 30 विद्यार्थियों पर शिक्षक किये जाने की कोई योजना नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने गलत सूचनायें दी हैं उनके पास पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। उन्होंने खुद कल कहा कि उनके पास शिक्षक नहीं हैं, दूसरा यह है कि जो 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपयुक्त है, जबकि कल मंत्री महोदय ने कहा था 49 पर एक....

श्री अध्यक्ष : पंचायत में वह उपयुक्त समझते हैं, शहरी क्षेत्र में 40....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बी० डी० कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सूचना बिलकुल सही दी गई है 49 विद्यार्थी जो पहले आते हैं वहां पर एक अध्यापक और उनके बाद में 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक दिये जाते हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षकों की जो कमी बताई है, वह कमी नहीं है। जैसे कि वरिष्ठ अध्यापकों के पद 5135 पद स्वीकृत हैं, उनमें 15 पद रिक्त हैं, वह शिक्षक के न मिलने के कारण हो जाते हैं। विज्ञान, गणित, कृषि जैसे विषयों के लिये ट्रेण्ड अध्यापक नहीं मिलते हैं हम शीघ्र कार्यवाही करेंगे कि....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पं.स. में कहा, 90 शिक्षक नहीं है। अगर वहां शिक्षक नियुक्त कर दिये गये तो वह कहां गये ? उन सबके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? जो नियुक्त कर दिये गये हैं वह उन स्थानों पर नहीं पहुंचते हैं ? परीक्षा आज से प्रारम्भ हो रही है, सालभर से आपके यहां शिक्षक नहीं पहुंचते आप कहते हैं कि हमने नियुक्त कर दिया, तो आपने क्या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से प्रशासनिक विभाग, पंचायत विभाग से बातचीत की जा रही है। यह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जब आपने नियुक्ति दे दी तो आप बतायें।....

(22)

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : इन्होंने जो संख्या बताई है अध्यापकों की क्या इन्होंने विद्यार्थियों पर बताई या हरेक स्कूलों पर बताई है। शहरों में40....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे भी यही आशंका है।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग से जितने भी सम्बन्धित स्कूल हैं उन सबको निर्देश दिये गये हैं कि पहले 49 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक और उसके बाद में जितने विद्यार्थी बढ़ते जाते हैं उसके आगे 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक है। इस प्रकार की व्यवस्था हमने कर रखी है और उसके आधार पर मैंने शिक्षा विभाग में बताया है कि प्राथमिक स्कूलों में एक भी अध्यापक की कमी नहीं है। सैकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में शिक्षकों की कमी है उसके बारे में सदन में मैंने स्पष्ट कर दिया है हमारे पास में कितने-कितने अध्यापक किस क्षेत्र में हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : मैं यह जानना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऐसा है कि माननीय सदस्य का पूछना यह है कि आपके 5000 पद हैं वह तो पूरे हो रहे हैं लेकिन अलग-अलग गांवों में, कस्बों में वहां पर ,जो खाली हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपने बताया कि भरे हुए हैं, लेकिन जो खाली हैं .

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कुछ प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं ...

श्री अध्यक्ष : प्राथमिक नहीं सभी स्तर के हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री बी. डी. कल्ला : प्राथमिक स्कूलों में...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप, कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है....

(व्यवधान)

शांत रहें, माननीय सदस्य, मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : यह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित स्कूलों का उत्तर है। पंचायत समितियों में जो स्कूल हैं, उस दिन मैंने आपसे निवेदन किया था....

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : यह तो हमें मालूम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को अवसर दूंगा। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं। मन्त्री जी को सुनिये..

(व्यवधान)

शासन पैरों पर है, बैठ जायं, शांति से सुनें ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप यदि शांति से सुनना चाहते हैं तो मैं मन्त्री महोदय से उत्तर दिला दूं उसके पश्चात् एक दो, तीन माननीय सदस्यों को अवसर दे सकता हूं। एक साथ बोलेंगे तो उससे समस्या का हल नहीं होगा। बीच में न बोलें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे एक एक करके प्रश्न पूछेंगे तो सब प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूंगा, 4-4, 5-5 सदस्य एक साथ पूछेंगे तो न उनकी बात रिकार्ड होगी न उनको संतोषजनक उत्तर दे सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये। मन्त्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। पंचायत विभाग के पास जो प्राइमरी स्कूल देहात में हैं उनके बारे में यह सूचना नहीं है। कुछ दिन पहले, जिस दिन यह प्रश्न पूछा गया था उस दिन मैंने निवेदन किया था कि कितने स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं और कितने टीचर्स की वहां कमी है, वह सूचना पचायत विभाग से लेकर मैंने आपके सामने निवेदन की थी। उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि उनमें कमी क्यों है, क्या अव्यवस्था के कारण कमी है। क्यों कमी है इसका विस्तृत जवाब पंचायत मन्त्री ही दे सकते हैं क्योंकि वह प्रश्न पंचायत विभाग से सम्बन्धित था।

जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, हमने यह निवेदन किया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 15 वरिष्ठ अध्यापकों की कमी है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : मैं निवेदन कर रहा हूं यह कोई मानदण्ड के अनुसार नहीं है। स्कूलों में जहां जहां पद खाली हैं वह आपको बताया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी के 123 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 370 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पद खाली हैं। यह भी उपमन्त्री ने बताया कि फर्स्ट ग्रेड के 5,134 पद हैं उनमें से 15 पद खाली हैं, 3 प्रतिशत। द्वितीय श्रेणी के 24,755 पद हैं जिनमें से 370 पद खाली हैं, 4 प्रतिशत। थर्ड ग्रेड के 61,107 पद हैं उनमें से 123 पद खाली हैं, 2 प्रतिशत।

अध्यक्ष महोदय, कई बार ट्रांसफर करने के बाद किसी का नहीं जाना, छुट्टी

(२४)

(श्री चन्दनमल बैद)

लेकर बैठ जाना, बीमार हो जाना या ऐसे कई कारण हो सकते हैं जैसे विज्ञान का अध्यापक नहीं मिला या कृषि का अध्यापक नहीं मिला तो भी इतनी बड़ी संख्या 61 हजार में से 123, 25 हजार में से 370 और 5 हजार में से 15 अध्यापकों की कमी नहीं रहनी चाहिये, मैं मानता हूं लेकिन यह कमी ऐसी शोचनीय नहीं है जिसके लिये चिंता प्रकट की जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, व्यवस्था बनाये रखें।

श्री सुनील कुमार।

(व्यवधान)

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहूंगा जो उन्होंने बताया अध्यापक पूरी संख्या में हैं या नहीं, इसका कैसे केलकुलेशन करते हैं? स्कूलवाइज स्टूडेंट्स चैक करते हैं या टोटल नम्बर आफ स्टूडेंट्स?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : फार्मूला क्या है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अलग से प्रश्न है इसका उत्तर दे दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मन्त्री महोदय ने बिलकुल सदन को गुमराह करने के लिये उत्तर दिया है। मेरा निवेदन है कि किसी भी जिले में अध्यापकों का अनुपात बच्चों की संख्या से होता है। मान लीजिये, जोधपुर या बीकानेर में 50 हजार लड़के हैं तो उसका भाग लेकर करते हैं। उसका फायदा शहर के अध्यापक को होता है। शहरों में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सड़क किनारे स्कूल हैं जहां मान लीजिये 200 बच्चे हैं वहां 25 अध्यापक हो जाते हैं, गांव में 200 बच्चे हैं तो तीन ही हैं। हमारा मकसद था कि गांवों में स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके अनुपात से मास्टरों की संख्या पर्याप्त होना चाहिये। वहां आप अध्यापक लगाते हैं 3-3, 4-4 आदेश के बाद नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं तो ऐसे कितने अध्यापकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की, कितनों को सस्पेंड किया, कितनों को यह किया.

श्री अध्यक्ष : सस्पेंड वाली अलग बात है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब तक यह व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : इसी प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सम्भव हुआ तो समय दे सकूंगा लेकिन वर्तमान में नहीं। इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने उत्तर यह दिया है कि ये जो पद खाली हैं स्कूलवाइज

(श्री चन्दनमल बैद)

इनमें ग्राम के स्कूल भी हैं। हो सकता है शहरों के स्कूल भी हों, पहले भी मैं कह चुका हूं कि देहात के प्राइमरी स्कूल जिनमें..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 123 स्थान खाली हैं। इसमें देहात के भी हैं, शहर के भी हैं। हो सकता है देहातों के ज्यादा हैं, शहर में कम हैं। हो सकता है शहर में एक भी नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप उतावले न हों, माननीय सदस्य। श्री राधेश्याम, कल परसों आपने चर्चा की।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं गांवों में जैसे अभी माननीय सदस्यों ने फर्माया, जो प्राइमरी शिक्षा है उसके लिये तो पंचायतों को जिम्मेदार ठहराया..

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, समस्या को थोड़े शब्दों में सदन के समक्ष रखने की कृपा करें।

श्री राधेश्याम : गांवों में शिक्षा का स्तर गिरा वह किस तरह से उठेगा....

श्री अध्यक्ष : किस तरह से उठेगा इसका कोई....,

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी रहती है। उसका कारण क्या है, वे नहीं जा पाते हों..

श्री अध्यक्ष : अब जो स्थिति मन्त्री महोदय ने बताई है उस बारे में यदि कोई पूरक प्रश्न पूछना हो

श्री यदुनाथ सिंह : यह सत्य है कि गांवों में अध्यापकों की कमी रहती है चाहे पंचायत समिति के स्कूलों में रहती हो, चाहे शिक्षा विभाग के स्कूलों में रहती हो सरकार के पास ऐसी कोई योजनाबद्ध योजना है कि आगे से गांवों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी न रहे, इस बारे में आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इनके आंकड़े तो कहते हैं कि असाधारण कमी है ही नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : पदों में कमी नहीं है टोटल नम्बर में कमी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, आर्डर, आर्डर माननीय सदस्यगण।

(श्री अध्यक्ष)

ऐसा है, जब मन्त्री जी ने प्रथम बार उत्तर दिया मुख्य प्रश्न का, उस वक्त मुझे भी आशंका थी। कुल मिलाकर कितने पद चाहिये और कितने ऊपर अध्यापक वर्तमान में मौजूद हैं, यह मुझे भी आशंका थी। जब कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि गांवों में कमी है, मैं भी जानता हूं गांवों के अन्दर कमी है, पद रिक्त रहते हैं तो भी मन्त्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि पद पूरे विभाग में जोड़कर रिक्त नहीं हैं। यह जो बताया गया है यह प्रत्येक स्कूल की जानकारी लेकर चाहे प्राइमरी स्तर का हो चाहे सैकण्डरी स्कूल का हो, चाहे हायर सैकण्डरी स्कूल का हो, अलग अलग विद्यालयों के अन्दर कितने पद रिक्त हैं। और यदि वास्तव में इतने पद रिक्त हैं तो यह कोई असाधारण बात नहीं है क्योंकि एक पर्सेन्ट और सवा पर्सेन्ट अधिक नहीं हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बिलकुल गलत बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह जो आप महसूस कर रहे हैं उसको मैं भी महसूस कर रहा हूं लेकिन जैसा कि मन्त्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है उनके पास जो सूचना आई है उसके आधार पर उन्होंने सदन में सूचना दी है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

मैं सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसको वापस चैक करवा लें।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

(व्यवधान)

अनुपस्थिति सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, आमेर की अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण

526. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1981-82 में राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, आमेर, जिला जयपुर की कुछ अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण अन्यत्र किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस के (पति के नाम सहित) कहां कहां और किस कारण से?

(2) क्या यह सही है कि कुछ अध्यापिकाओं ने अपने पति को शासकीय या अर्द्ध-शासकीय कर्मचारी बताकर स्थानान्तरण निरस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे? यदि हां, तो किस-किस ने (पति के नाम एवं विभाग सहित) और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि कुछ अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण निरस्त किये गये हैं या उन्हें पुनः आमेर स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस के (पति के नाम सहित) और किस-किस कारण से?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) जी हां। एक अध्यापिका अनुपकुमारी पत्नि श्री अर्जुन सिंह, जो खाद्य विभाग जयपुर में कार्यरत हैं, ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। स्थानान्तरण आदेश को आदेश दिनांक 18-9-81 द्वारा निरस्त कर दिया था।

(3) जी हां। दो अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण निरस्त किए गए। जिनका ब्यौरा व निरस्तीकरण कारण निम्न प्रकार है:—

क्रम सं. नाम	नाम पति	स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने का कारण
1. श्रीमती अनुपकुमारी	श्री अर्जुन सिंह	पति राज्य कर्मचारी होने कारण
2. राजकुमारी	श्री राधेश्याम	हृदय रोग के कारण।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मनोरंजन कर की आय में संबंधित नगरपालिका का हिस्सा

456. श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका सीमाओं में मनोरंजन कर से होने वाली आय में से सम्बन्धित नगरपालिका को कुछ हिस्सा देने का प्रावधान है?

(2) यदि हां, तो फिर दौसा नगरपालिका को स्थानीय सिनेमा से दिये जाने वाले टैक्स से हिस्सा नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल अनुदान दिया जाता है।

(2) दौसा नगरपालिका को अनुदान दिनांक 1.4.74 से दिया जाता है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शराब की दुकानें

457. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जन जाति उपयोजना क्षेत्र में किस-किस जिले में कितनी-कितनी शराब की दुकानें कब से आरम्भ की गई हैं और कितनी नई दुकानें वर्ष 1982-83 में खोलने का प्रस्ताव है? कृपया जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्णय अनुसार देशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञा-पत्र निजी व्यक्तियों को नहीं दिये जाते हैं। इन क्षेत्रों में मेसर्स. गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा देशी शराब की दुकानें चलायी जा रही हैं। दुकानों की सूची साथ में संलग्न है। वर्ष 82-83

(28)

(आबकारी मंत्री)

इस क्षेत्र में कोई नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

आदिवासी क्षेत्र में नीति विरुद्ध खोली गई शराब की दुकानें

458. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़):– क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान में 11 अगस्त, 1981 से शराब बन्दी समाप्त कर दी थी? यदि हां, तो सम्पूर्ण शराब बन्दी काल में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कहां-कहां देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें चल रही थीं? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अचानक शराब बन्दी समाप्ति के पश्चात् सरकार ने अपनी नीति के विरुद्ध भारी तादाद में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलीं एवं खोलने की स्वीकृति दी? यदि नहीं, तो कृपया जुलाई, 1981 के पूर्व एवं वर्ष 1981-82 में दुकानों की तादाद का तुलनात्मक ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार यह स्वीकार करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में दुकानें खोलने से आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति और बिगड़ेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। समस्त राजस्थान में शराब बन्दी समाप्त कर दी थी।

जी नहीं। जुलाई, 81 के पूर्व वर्ष 1981-82 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में चल रही दुकानों की सूची साथ में संलग्न है।

(2) मद्यनिषेध समाप्ति के पश्चात् आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्णय अनुसार देशी मदिरा की दुकानें निजी अनुज्ञाधारियों को नहीं दी जानी हैं। इस क्षेत्र में देशी मदिरा की दुकानें मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलायी जा रही हैं। सूची साथ में सलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सवाई माधोपुर का देशी शराब का ठेका

459. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देशी शराब का ठेका सवाई माधोपुर व मानटाउन का सन् 1981 में किया गया था? यदि हां, तो यह किस तारीख को किस-किस स्थान का कितनी कितनी राशि में किसके नाम दिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि अन्य स्थानों का ठेका भी उसी समय देना था? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो ग्राम फलौदी व ग्राम भगवतगढ़ का ठेका उसी समय क्यों नहीं दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार को राहत पहुंचाने व बचा हुआ माल खाली

(श्री हंसराज शर्मा)

स्थानों में सप्लाई करवाने की दृष्टि से अधिकारियों ने ऐसा किया ? यदि नहीं, तो ग्राम फलौदी, तहसील खंडार व ग्राम भगवतगढ़, तहसील सवाईमाधोपुर का ठेका कितने दिनों बाद दिया गया है और सरकार को कितनी गारन्टी राशि कम मिली है ? क्या सरकार इस की जांच करने का इरादा रखती है तथा दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । स्टेशन सवाई माधोपुर व उसकी उप दुकान मानटाउन का ठेका दिनांक 10.9.81 को नीलामी में 5,02,000 रुपये की बोली पर श्री आसूमल पुत्र मेघराज मल छोगानी, निवासी सवाई माधोपुर को दिया गया ।

(2) जी हां । अन्य दुकानों के ठेके भी उसी दिन नीलाम किये गये । नीलामी में देशी मदिरा दुकान टोरड़ा फलौदी व भगवतगढ़ के लिये कोई बोली प्राप्त नहीं हुई इसलिये इन दुकानों के ठेके नहीं दिये गये ।

(3) जी नहीं । देशी मदिरा दुकान टोरड़ा फलौदी के लिये कोई टेण्डर प्राप्त नहीं होने पर तथा नीलामी में कोई बोली नहीं आने पर एवं देशी मदिरा दुकान भगवतगढ़ के लिये नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं होने के कारण यह दुकानें पड़त रही । देशी मदिरा की दुकानें दिनांक 1.9.81 से 31.3.82 तक की अवधि के लिये दी जानी थीं । उक्त दोनों दुकानें दिनांक 9.11.81 की नीलामी में 9.11.81 से 31.3.82 तक की अवधि के लिये उठायी गई । देशी मदिरा दुकान टोरड़ा फलौदी के लिये 71,919 तथा भगवतगढ़ के लिये 6,539 रुपये की राशि कम मिली । उक्त राशि दुकानें पड़त रहने के कारण कम मिली । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार का निर्माण

460. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार निर्माण की देखरेख, व्यवस्था एवं प्रबन्ध हेतु इस विद्यालय के अथवा जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर कार्यालय के किस किस कर्मचारी को पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन कब कब से लगाया हुआ है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सभागार निर्माण की देखरेख व्यवस्था एवं प्रबन्ध हेतु किस किस अधिकारी/कर्मचारी ने कहां कहां की यात्रा की और उसका यात्रा व्यय कहां से उठया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर ने प्रमुख रूप से इस कार्य हेतु एवं इस कार्य के साथ अन्य कार्यों हेतु कहां कहां कब कब यात्रा की एवं यात्रा व्यय उठाया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(30)

(श्री सी. पी. जोशी)

(4) क्या शिक्षण हेतु नियुक्त व्यक्तियों से दूसरा काम लेने से शिक्षण कार्यों मे बाधा पहुंची है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अपने कार्य के साथ साथ भवन विकास समिति का सहयोग देने के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) से निर्देश ले रखे हैं।

1. श्रीमती सरोज मित्तल, सहायक प्रधानाध्यापिका।

2. श्री स्वरूप चन्द जैन, सहायक अध्यापक।

3. श्री राधेश्याम गर्ग, लेखाकार।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर ने इस कार्य हेतु कोई भी यात्रा नहीं की है।

(4) जी नहीं। इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर आयुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्रतिवेदन मांगा गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

वरिष्ठ अध्यापक श्री बजरंगलाल धाभाई की सेवानिवृति प्रकरण

461.श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्यमिक शाला (निजी अनुदान प्राप्त) मण्डावा, झुन्झुनू के वरिष्ठ अध्यापक श्री बजरंगलाल धाभाई की सेवानिवृति गैर कानूनी हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि संयुक्त निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट में श्री धाभाई को निर्दोष पाया गया है ?

(3) क्या सही भी सही है कि शिक्षा आयुक्त के आदेश (अप्रेल, 1977) जो जुलाई, 1977 व फरवरी, 1980 में दिये गये, उनमें श्री धाभाई को पुन: सेवा में लेने का उल्लेख है ? उक्त तीनों आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ने निदेशक के निर्णय पर एक तरफा स्थगन आदेश अगस्त, 1980 में दिया ? यदि हां, तो इसका क्या आधार था ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था की प्रबन्ध कमेटी अनुदान नियमों के अनुसार गठित नहीं की गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त संस्था को अनुदान क्यों दे रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त संस्था में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय कर लिया था ? यदि हां, तो फिर प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) सनातन धर्म पंचायत उच्च

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक विद्यालय, मण्डावा के वरिष्ठ अध्यापक श्री बजरंगलाल धाभाई की सेवाएं दिनांक 29.11.73 को संस्था ने समाप्त कर दी थीं। संस्था की अपील राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ?

(2) जी, हां।

(3) राज्य सरकार ने दिनांक 19.4.-77 एवं निदेशक. प्रा. एवं मा. शिक्षा, बीकानेर ने दिनांक 9.2.80 को आदेश प्रसारित किये, जिसकी प्रति संलग्न है।

(4) संस्था के कार्यरत अध्यापकगण को वेतन न मिलने के कारण अध्यापकगणों के आन्दोलनात्मक रुख को एवं विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश दिये ताकि छात्रों के अध्ययन में व्यवधान न पड़े।

(5) शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके, इसलिये सरकार ने अनुदान देना जारी रखा है। उक्त संस्था को अनुदान नियमों के अनुसार प्रबन्ध समिति गठित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(6) जी नहीं

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार निर्माण हेतु सामान

462. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार निर्माण कार्य में उपयोग हेतु किस-किस राजकीय विभाग से क्या-क्या सामान कब-कब से किराये अथवा उधार पर ले रखा है ? किराये वाले सामान का अब तक कितना किराया चुकाया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सभागार के एस्टीमेट, डिजाइन, ब्लू प्रिन्ट आदि बनवाने में कुल कितनी रकम सार्वजनिक निर्माण विभाग को चुकाई गई ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग से 20 तगारियां, 12 फावड़े 8 गैंतियां, 5 हलवानियां व 6 हथौड़ियां उधार प्राप्त की गई हैं। इस सामान का कोई किराया नहीं दिया गया।

(2) सभागार के एस्टीमेट, डिजाइन व ब्लू प्रिन्ट के बनाने के लिए कोई भी राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं दी गई।

जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर द्वारा उठाया गया यात्रा भत्ता

463. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितना यात्रा भत्ता उठाया गया ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(32)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) जिला शिक्षा अधिकारी के घर पर लगे टेलीफोन का 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक प्रति माह ट्रंक-काल का बिल एवं लोकल काल की तिमाही राशि का बिल कितना आया ?

(3) जिला शिक्षा अधिकारी ने 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितनी चिकित्सा पुनर्भरण राशि किन-किन व्यक्तियों के नाम से उठाई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर द्वारा निम्नानुसार मासिक यात्रा व्यय उठाया गया :—

माह	बिल नं.	दिनांक	रकम
जनवरी, 81	352	11-2-81	716-92
फरवरी, 81	385	1-3-81	114-00
मार्च, 81	565	29-3-81	114-00
अप्रेल, 81	071	18-5-81	142-50
मई, 81	100	11-6-81	209-00
जून, 81	187	28-8-81	209-00
जुलाई, 81	187	28-8-81	57-00
अगस्त, 81	289	18-1-82	152-00
सितम्बर, 81	289	18-1-82	538-96
अक्टूबर, 81	283	15-1-82	66-50
नवम्बर, 81	283	15-1-82	133-00
दिसम्बर, 81	376	6-3-82	76-00
			2528-88

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिला शिक्षा अधिकारी के घर का टेलीफोन नं. 3110 का मासिक ट्रंक काल बिल एवं त्रैमासिक लोकल काल बिल निम्न प्रकार आये :–

माह	मासिक ट्रंक काल राशि	लोकल काल की तिमाही राशि
जनवरी, 81	21-00	619-00
फरवरी, 81	20-00	–
मार्च, 81	55-50	–
अप्रेल, 81	88-00	837-20
मई, 81	350-50	–
जून, 81	72-00	–
जुलाई, 81	125-00	772-60
अगस्त, 81	142-05	–
सितम्बर, 81	30-00	–
अक्टूबर, 81	180-00	1079-40
नवम्बर, 81	128-00	–
दिसम्बर, 81	82-00	–
	1294-05	3308-20

(3) जिला शिक्षा अधिकारी ने 1 जनवरी, 81 से 31-12-81 तक निम्न प्रकार चिकित्सा पुनर्भरण की राशि उठाई :—

क्र. सं.	नाम	सम्बन्ध	राशि
1	2	3	4
1.	श्री जे. एल. उदावत	स्वयं	156-85
2.	श्री मुकेश	पुत्र	45-97

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4
3.	सुश्री संगीता	पुत्री	23-38
4.	श्रीमती प्रेम उदावत	पत्नी	51-35
5.	श्री प्रदीप	पुत्र	58-90
			336-45

जयपुर की विभिन्न कन्या शालाओं में अध्यापिकाओं की उपस्थिति

464. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1980-81 से अब तक सिकराय, गीजगढ़, भाण्डारेज व सिकन्दरा की कन्या शालाओं में कौन-कौन सी अध्यापिकायें कार्यरत थीं ? ये अध्यापिकायें इस अवधि में प्रतिमाह कितने कितने दिनों तक शाला में उपस्थित थीं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जुलाई, 81 में गीजगढ़ की कन्या शाला में कोई भी अध्यापिका कार्यरत नहीं थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इन शालाओं में पिछले वर्ष कौन कौन सी अध्यापिकाओं को पदस्थापित किया गया और उनमें से किस किस ने कार्यभार नहीं संभाला ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि कई अध्यापिकाएं इन शालाओं का रजिस्टर मंगाकर जयपुर में ही उपस्थिति भरती हैं और वास्तव में जयपुर की "इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल" में ही कार्य करती हैं ? यदि हां, तो कृपया मय नामों के सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सत्र 1980-81 में अब तक सिकराय, गीजगढ़, भाण्डारेज व सिकन्दरा की कन्या विद्यालयों में कार्यरत अध्यापिकाओं की सूची मय उनकी उपस्थिति के ब्यौरे के संलग्न है।

(2) जी नहीं। 3 [तीन] अध्यापिकाएं माह जुलाई, 81 में शाला में उपस्थित थीं।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य के विश्वविद्यालयों के लिये गठित जांच आयोग के प्रतिवेदन

465. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान उदयपुर व जोधपुर विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं पर कौन कौन से जांच आयोग कब कब बैठाये गये थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किस किस जांच आयोग की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(3) कौन कौन से जांच आयोग की रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गई, और क्यों ? यह कार्यवाही अब कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1972 से 1980 के मध्य जो जांच आयोग स्थापित किये गये थे उनकी सूचा सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2 व 3) श्री गोपाल शर्मा द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय के मामलों की जांच रिपोर्ट अपेक्षित है, बाकी तीन जांच आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां सचिव, विधान सभा को विधान सभा पुस्तकालय में रखनें हेतु भेज दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला बांसवाड़ा में अध्यापकों की कमी की पूर्ति

466. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के स्कूलों में कितने अध्यापकों की कहां कहां कमी है ? इस कमी की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(2) जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, उनके निवास के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों के निवास हेतु कोई भत्ता देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में मिडिल व प्राइमरी शालाएं कितनी कितनी व कहां कहां खोली गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में कालेज खोलने के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? क्या कुशलगढ़ ट्राइबल क्षेत्र के नाम से कालेज खोलने की राज्य सरकार की मंशा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, सूची संलग्न है। इस कमी की पूर्ति शीघ्र ही कर दी जावेगी।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों के निवास के लिए अध्यापक अपने निवास की व्यवस्था स्वयं करते हैं।

36

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में निवास हेतु भत्ता देने का कोई निर्णय नहीं है।

(4) वर्ष 1980-81 में कुशलगढ़ क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं खोले गये हैं।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर के सभागार हेतु गठित निर्माण समिति

467. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर की परिसीमा में एक सभागार का निर्माण कार्य चल रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस सभागार ने निर्माण को एक निर्माण समिति के माध्यम से कराने की अनुमति दी थी? यदि हां, तो कृपया उस स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस कार्य हेतु प्रथम निर्माण समिति कब बनी, उसका स्वरूप एवं रचना क्या थी? उसमें कब-कब किस-किस आदेश से परिवर्तन हुआ एवं वर्तमान में उसकी स्वरूप एवं रचना क्या है?

(4) क्या यह सही है कि समिति के सदस्यों में मतभेद के कारण इसकी बैठकें नहीं हो पाती हैं? यदि नहीं, तो समिति की बैठकें कब-कब हुई और उनमें क्या निर्णय लिये गये? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माप्र/डी/2054/अज/सी/9/79 दिनांक 9-6-80 से सभा भवन का निर्माण काम भवन विकास समिति के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है। स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस कार्य हेतु प्रथम विकास समिति का गठन दिनांक 29-9-79 को किया गया था जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों का चयन किया गया :—

1. श्री मोहनराज भण्डारी	— अध्यक्ष
2. श्री गोपाल लाल	—कोषाध्यक्ष
3. अधिशाषी अभियन्ता	—तकनीकी सलाहकार
4. श्रीमती सीता अग्रवाल जिला शि0 अ0 (छात्रा)	

(शिक्षा मंत्री)

5. श्रीमती तारा सेठी आचार्य —सचिव
6. श्री स्वरूप चन्द जैन, स0 अ0 —सदस्य
7. कुमारी अनिता चौपड़ा —सदस्य
8. श्री हरिशचन्द्र खण्डेलवाल —सदस्य
9. श्री चिरंजी लाल गर्ग
10. श्री जे0 सी0 अग्रवाल
11. श्री रामरिछपाल

दिनांक 30-7-80 से श्रीमती सीता अग्रवाल सचिव है।

भवन विकास समिति ने दिनांक 23-5-80 को बैठक में निम्न व्यक्तियों को और सदस्य बनाने का निर्णय लिया है :—

(1) श्री माणक चन्द सोगानी (2) श्री मुकन्द राज गर्ग।

वर्तमान में भवन विकास समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री मोहनराज भण्डारी — अध्यक्ष
2. श्री गोपीलाल —कोषाध्यक्ष
3. श्रीमती सीता अग्रवाल —सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अजमेर
4. अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 खण्ड अजमेर —तकनीकी सलाहकार
5. श्री राधेश्याम गर्ग
6. श्री स्वरूप चन्द जैन स0 अ0
7. श्री माणक चन्द सौगानी —सदस्य
8. श्री मुकन्दराज गर्ग —सदस्य
9. श्री चिरंजी लाल गर्ग —सदस्य
10. श्रीमती सरोज मित्तल
11. श्री जे0 सी0 अग्रवाल —सदस्य
12. श्री केसरीमल गोयल —सदस्य

(4) जी नहीं। भवन विकास समिति की बैठक निम्नांकित तिथियों को हुई है :—

(38)

(शिक्षा मंत्री)

1. 8-3-80
2. 23-5-80
3. 7-6-80
4. 21-6-80
5. 3-8-80
6. 12-10-80

बैठकों में लिए गये निर्णयों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(प्रति व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

नये स्कूल खोलने के आधार

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वर्ष 1981-82 में नये स्कूल गांव की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, भवन की उपलब्धि को ध्यान में रख कर ही खोले गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) जिला बीकानेर में कितने प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां खोले गये हैं?

(3) वर्ष 1982-83 में कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में नये स्कूल खोलना कहां-कहां प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार ने उपलब्ध साधनों, भवन व्यवस्था, स्थानीय मांग तथा विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नये स्कूल खोले हैं।

(2) वर्ष 1981-82 में बीकानेर जिले में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1981-82 में बीकानेर जिले में कोई भी माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया है।

(3) वर्ष 1982-83 में वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर भवन व्यवस्था, स्थानीय मांग व विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर राज्य सरकार नये विद्यालय खोलने का निर्णय करेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

पंचायत समिति इटावा में बेघरबार व्यक्तियों को पट्टों का आवंटन

469. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 1981-82 में बेघरबार व्यक्तियों को

(श्री देवीसिंह भाटी)

निशुल्क पट्टे ग्रावंटित करने के ग्रादेश दिये थे? यदि हां, तो पंचायत समिति इटावा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कितने व्यक्तियों को पट्टे ग्रावंटित किये गये? पंचायतवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1981-8' में पंचायत समिति इटावा को विभिन्न ग्राम पंचायतों में 633 व्यक्तियों को भूखण्ड ग्रावंटित किये गये हैं। पचायतवार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

ग्राम खसणी (कोटा) को ग्राम पंचायत ग्रलोद में शामिल करना

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पचायत समिति चेचट जिला कोटा के ग्राम खसणी को ग्राम पंचायत, घाटोली से हटाकर ग्राम पंचायत ग्रलोद में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

(2) ग्रब तक उक्त निर्णय को कार्यान्वित नहीं करने का क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम खसणी, घाटोली पंचायत मुख्यालय से बहुत दूर होने के कारण ग्रामवासियों को भारी कठिनाई होती है? यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने हेतु राज्य सरकार कार्यवाही कब तक पूर्ण करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। पुनः सीमा निर्धारण समिति द्वारा लिए गये निर्णय को दिनांक 23-2-82 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा गया है। यह निर्णय राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित तिथि से क्रियान्वित किया जावेगा।

(2) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण इस निर्णय की क्रियान्विति में विलम्ब हुग्रा है।

(3) जी हां। राजस्थान राजपत्र में में प्रकाशन होने के पश्चात् निर्णय की क्रियान्विति हो जायेगी एवं ग्रामवासियों की कठिनाई दूर हो जावेगी।

सब-डिवीजन सवाई माधोपुर के ग्रामों में रिहायशी भूमि का बेचान

473. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1981 में राजस्व ग्रभियान के ग्रन्तर्गत सब-डिवीजन सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायतों के गरीबों को रिहायशी मकानों के लिये ग्राबादी भूमि दी गई है? यदि हां, तो सब डिवीजन

(श्री हंसराज शर्मा)

सवाईमाधोपुर में किस-किस किस्म की कुल कितनी जमीन आबादी में बदली गई ? कृपया तहसीलवार अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन पंचायतों को यह आबादी भूमि दी गई है वह बिना कीमत लिये गरीबों को बांट दी गई है या नहीं ? यदि हां, तो किन-किन पचायतों द्वारा कितनी जमीनें दी गई हैं तथा अब कितनी आवंटित करनी शेष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त आबादी में निकाली गई जमीनों को पंचायतों ने कुछ स्थानों पर बड़े लोगों को मकान बनाने के लिए बेच दी है ? यति हां, तो क्यों ? क्या ग्राम पंचायत कुण्डेरा, पंच यत समिति सवाई माधोपुर द्वारा बेची गई भूमि को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1981 में राजस्व अभियान के तहत उप खण्ड सवाईमाधोपुर में चरागाह व वन भूमि के अलावा सिवाय चक भूमि में आबादी में दी गई है । तहसील सवाई माधोपुर में 375 बीघा 19 बिस्वा तथा खण्डार में 236 बीघा 4 बिस्वा भूमि आबादी हेतु ग्राम पंचायतों को दी गई है । इस प्रकार कुल 877 बीघा 4 बिस्वा भूमि आबादी में बदली गई है ।

(2) जी हां । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । अब 733 बीघा 8 बिस्वा आबादी भूमि आवंटित करनी शेष है ।

(3) जी हां । गरीब परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के उपरान्त शेष बची आबादी भूमि में से पंचायतों ने भूमि विक्रय की है, जिसके लिये पंचायतें सक्षम हैं । ग्राम पंचायत कुण्डेरा द्वारा अनियमित रूप से बेची गई कृषि भूमि को निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही जिला स्तर पर जारी है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

ग्राम पंचायत मम्मड़खेड़ा (सादुंल शहर) को प्रदत्त अनुदान राशि

474. श्री महेन्द्र सिंह (सांगरिया) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सादुंलशहर द्वारा ग्राम पंचायत मम्मड़खेड़ा को सन् 1964 से 1972 में पंचायत क्षेत्र में पक्का खाला बनवाने के लिए 4500/– रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा यह सारी धनराशि अपनी खुद की जमीन चक 19 एस.डी.एस. के खाले को पक्का बनवाने में व्यय की गई ? यदि नहीं, तो सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नही । चूंकि ग्राम पंचायत मम्मड़खेड़ा को इस अवधि में पक्का खाला

(पंचायत मंत्री)

बनवाने हेतु कोई राशि नही दी गई अतः सरपंच के विरूद्ध जांच करवाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तहसीलें प्रतापगढ़ में कार्यरत लैम्प्स

475. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में जो लैम्प्स कार्य कर रहे हैं, उनमें किन किन सहकारी समितियों को मिलाया गया ? कृपया मिलाई गई सहकारी समितियों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन जिन सहकारी समितियों को जब लैम्प्स में मिलाया गया था, इसके पूर्व क्या मर्ज की गई सहकारी समितियों का आडिट किया गया था ? यदि हां, तो मिलाई गई समितियों के किन-किन सदस्यों में ऋण राशि बकाया निकलती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रख।

(3) तहसील की किन-किन सहकारी समितियों की ऐसी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं जिसमें यह उल्लेख है कि लोगों ने कर्जा ही नहीं लिया और उनके नाम लिख दिये गये ? कृपया ऐसी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में 4 लैम्प्स कार्य कर रहे हैं।

उनमें लैम्प्सवार मिलाई गई सहकारी समितियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र० सं० नाम लैम्प्स	मिलाई गई	ग्रा० सेवा	सहकारी समिति
1. अचलपुर लैम्प	(1) मनोहरगढ़	ग्राम सेवा	सहकारी समिति लि०
	(2) अमलावद	,,	,,
	(3) सुहागपुरा	,,	,,
	(4) खेरोट	,,	,,
2. कुलमीपुरा लैम्प	(1) कलमीपुरा	ग्राम सेवा	सहकारी समिति लि०
3. अरनोट लैम्प	(1) अरनोट	,,	,,
	(2) जांजली	,,	,,
	(3) साखथली खुर्द	,,	,,
4. दलोट लैम्प	(1) रायपुर	,,	,,
	(2) दलोट	,,	,,

(५२)

(सहकारिता मंत्री)

(2) जिन जिन सहकारी समितियों को जब लैम्प में विलीनीकृत किया गया था, उससे पूर्व उनका आडिट कराया गया था। आडिट के समय विलीनीकृत समितियों के सदस्यों में समितिवार बकाया ऋण राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) तहसील की किसी भी सहकारी समिति की ऐसी दरख्वास्तें विचाराधीन नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचौर की सहकारी समितियां

476. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सांचौर समिति की कितनी सहकारी समितियां अवसायन में हैं और कब से ?

(2) क्या उक्त सहकारी समितियों के निष्क्रय होने के कारण इस क्षेत्र में सहकारिता का लाभ देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? समितियों के अवसायन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र की निम्न समितियां उनके नाम के आगे अंकित तिथि से लिक्वीडेशन में हैं :–

क्र० सं०	नाम सह० समिति	अव० में आने की तिथि
1	2	3
1.	किसन बहुधन्धी स० स० सांचौर	6– 4–63
2.	कारोली ,, ,,	6– 1–69
3.	डाबल ,, ,,	18– 8–69
4.	रामदेवा ,, ,,	13– 4–71
5.	डाबल ग्राम सेवा स० समिति लि०	21–10–76
6.	इटावा ,,	21–10–76

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3
7.	छाव सेवा स. समिति लि.	30– 9–76
8.	विछावाड़ी ,,	21–10–76
9.	वावरला ,,	30– 9–76
10.	आखा ,,	30– 9–76
11.	सांचौर मार्केटिंग सोसाइटी	27–10–76
12.	मिट्टी उद्योग सांचौर	3– 3–79
13.	सांचौर ईंट उत्पा० स० स० लि०	3– 3–79
14.	सांचौर श्रमिक ठेका स० स० लि०	3– 3–79
15.	जायल बुनकर सह० स० लि	3– 3–76
16.	देवड़ा घाणी तेल उत्पा० स० स०	31– 8–79
17.	लक्ष्मी चर्म उत्पादक सह० स०	24– 9–81
18.	सांचौर भेड़ पालक सह० स० लि०	19–10–81

(2) 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियां बहुधन्धी सहकारी समितियों के सदस्यों को उनके कार्यक्षेत्र की सहकारी समितियों में सदस्य बनकर लाभ उठाने हेतु उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि की गई है। सांचौर में पृथक नई क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन हो चुका है। शेष 7 विभिन्न प्रकार की समितियों के कार्यक्षेत्र में अधिनियमानुसार सुविधा प्राप्त करने के, इच्छुक सदस्य नई समिति का गठन करा सकते हैं। लिक्वीडेशन की समितियों की लेनदारियों और देनदारियों का भुगतान होते ही नियमानुसार समितियों का लिक्वीडेशन कार्य समाप्त हो जावेगा। अतः निश्चित तिथि बताया जाना सम्भव नहीं है।

आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर

477. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदर्श नगर, गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर का पंजीयन हुआ था? यदि हां, तो यह पंजीयन कब हुआ था और पंजीयन तिथि को इसके कितने सदस्य थे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

५५

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा इस समिति के पंजीकृत उप नियमों को अनियमित घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब एवं क्यों और अब इस समिति में कौन से उप नियम लागू हैं ?

(3) इस समिति के चुनाव पिछली बार कब हुए थे ? प्रशासक कब व क्यों लगाया गया और अब कब तक चुनाव करा दिये जायेंगे ?

(4) क्या इस समिति के विरुद्ध कुछ सदस्यों की ओर से फिजूल खर्ची एवं अनियमितताओं की शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि० अजमेर का पंजीयन दिनांक 18-3-1932 को हुआ था। पंजीयन तिथि को इसके 56 सदस्य थे। सूची सदन में रख दी गई है।

(2) जी। नहीं समिति के आवेदन पर ही पुराने उप नियम के स्थान पर नये उप नियमों को दिनांक 31-8-76 को पंजीकृत किया गया, जो अभी तक लागू हैं।

(3) इस समिति का चुनाव पिछली बार दिनांक 18-2-79 को सम्पन्न हुआ था। प्रशासक की नियुक्ति दिनांक 15-6-81 को की गई थी क्योंकि प्रबन्धकारिणी के अधिकांश सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दे दिया ा। चुनाव की तिथि 28-3-82 निश्चित र दी गई है।

(4) जी नहीं

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

अलवर बेकन फैक्ट्री का ठेका

479. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर बेकन फैक्ट्री, जहां आज कल कम्पोजिट मीट प्लान्ट चलता है, किस किस व्यक्ति, फर्म या संस्थान को ठेके पर दिया गया है ?

(2) इस ठेके से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ?

(3) ठेकेदार को किन पशुओं का मांस विक्रय करने का अधिकार है ?

(4) ठेके की शर्त क्या है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कम्पोजिट मीट प्लान्ट, अलवर किसी व्यक्ति फर्म या संस्थान को ठेके पर नहीं दिया गया है।

केवल मैसर्स मिडलेड फूड वेजीटेबल प्रोडाक्ट्स को थल सेना के लिये डिब्बा बंद मांस व मै. गिटवाक्रो फार्मस बफ (पांडे का) मांस तैयार कर निर्यात करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(2) फैडरेशन द्वारा उपरोक्त प्रदत्त सुविधा से वर्ष 79-80 में 236935 रुपये व 80–81 में 374154 एवं 81–82 में (फरवरी–82) तक (250301–32445) 2,82,746.00 रुपये की आय हुई है।

(3) इस सुविधा के तहत भेड़ बकरे व पाडे का डिब्बा बन्द मांस तैयार करने का अधिकार है परन्तु पाडे का वध फैक्ट्री पर नहीं किया जा सकता है।

(4) इस सुविधा के तहत बिजली, पानी एवं मशीनों के उपयोग की छूट दी गई है जिसके बदले डिब्बा बन्द मांस पर प्रोसेसिंग चार्जेज 1.15 प्रति किलो व बफर पर 0.35 प्रति किलो फेडरेशन को प्राप्त होता है। शर्तों की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

बीकानेर जिले में सफेद लट नियन्त्रण हेतु किये गये कार्य

480. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में सफेद लट नियन्त्रण हेतु वर्ष 1979–80 व 1980–81 में कोई कार्य नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? कार्यवाही की गई, तो कितने क्षेत्र में बुवाई से पूर्व रसायनों का उपयोग किया गया तथा कितनी राशि व्यय की गई? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले की चारों तहसीलों–बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा व कोलायत के क्षेत्रों में वर्ष 1979–80 व 1980–81 में सफेद लट का प्रकोप नहीं हुआ तथा प्रकोप नहीं होने के कारण क्षेत्र में रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया। वर्ष 1979–80 से पूर्व भी बीकानेर जिले में सफेद लट का प्रकोप नहीं हुआ अतः बुवाई से पूर्व रसायनों का उपयोग आवश्यक नहीं समझा गया। रसायनों का उपयोग न होने के कारण तदर्थ कोई राशि व्यय नहीं की गई।

गौण मंडी सुल्तानपुर (कोटा) का मंडी क्षेत्र में परिवर्तन

481. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा की कृषि उपज मण्डी अन्ता की गौण मण्डी सुल्तानपुर को कुल कितनी आय गत 3 वर्षों में हुई?

(2) क्या यह सही है कि आय के स्रोत को देखते हुए सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में अलग से मण्डी कमेटी घोषित की जा सकती है? यदि हां, तो क्या अब अलग से सुल्तानपुर मण्डी क्षेत्र घोषित करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गौण मण्डी सुल्तानपुर की गत तीन वर्ष में मण्डी शुल्क से आय निम्न प्रकार रही है:

वर्ष	मण्डी शुल्क से आय (लाखों रुपये में)
1	2
1978–79	1.34

(कृषि मंत्री)

1	2
1979–80	1.34
1980–81	1.85

(2) सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में अलग से मण्डी समिति घोषित नहीं की जा सकती चूंकि अब राज्य सरकार ने पृथक से मण्डी समिति स्थापित करने हेतु मण्डी शुल्क से 3 लाख की वार्षिक आय का मापदण्ड निर्धारित किया है।

भीलवाड़ा जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा दिये गये विज्ञापन

482. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भीलवाड़ा नगर व जिले की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सन् 1980–81 व 1981–82 में किन-किन समाचार पत्रों को कब-कब कितने रुपयों के विज्ञापन जारी किये गये ?

(५७)

(कृषि मंत्री)

उत्तर

वांछित सूचना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :

क्र.उ.मं.स. का नाम	1980–81 विज्ञापनों का विवरण समाचार पत्र का नाम व तिथि	राशि	1981–82 समाचार पत्र का नाम व तिथि	राशि
1	2	3	4	5
1—भीलवाड़ा	1. लोकजीवन साप्ता. 15 अगस्त, 1980	50-00	1. प्रागवाट हिन्दी पाक्षिक 1 मई, 1981	100-00
	2. दैनिक लोकजीवन 15 अगस्त, 1980	50-00	2. दैनिक भीलवाड़ा संदेश 14 नवम्बर, 81	100-00
	3. झंझवाता साप्ताहिक 15 अगस्त, 1980	50-00	3. प्रभावित हिन्दी पाक्षिक 26-1-81	100-00
	4. प्रभावित साप्ताहिक 15 अगस्त, 1980	50-00	4. दैनिक तरुणदेश 3-7-81	100-00

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4	5
	5. तरुणदेश साप्ताहिक 15 अगस्त, 1980	50-00	5. दैनिक भीलवाड़ा संदेश 3-7-81	100-00 100-00
	6. ग्राम समाज साप्ताहिक 15 अगस्त, 1980	50-00	6. दैनिक प्रभावित 3-7-81	78-00
	7. प्रागवाट पाक्षिक 15 अगस्त, 1980	50-00	7. प्रागवाट हिन्दी पाक्षिक 3-7-81	23-40
	8. भीलवाड़ा संदेश 15 अगस्त, 1980	50-00	8. नेहरू गोल्ड कप बास्केटबाल स्मारिका में विज्ञापन	100-00
	9. कुश्ती संघ भीलवाड़ा कुश्तीसंघ की स्मारिका	50-00	9. राजस्थान भूगोल परिषद स्मारिका में विज्ञापन	50-00
	10. मेनाल साप्ताहिक 15 अगस्त, 1980	100.00	10. रा. उप्रा. वि. नयासमेलिया खेलकूद प्रतियोगिता में स्मारिका हेतु	50-00

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4	5
	11. दैनिक अणिमा 15 अगस्त, 80	50-00		
	12. भीलवाड़ा डिस्ट्रीक स्वि. एसोसियेशन स्मारिका में विज्ञापन हेतु	100-00		
	13. कण्डी एक्सप्रेस 15 अगस्त, 80	50-00		
	14. दैनिक भीलवाड़ा संदेश 2-10-80	250-00		
	15. दैनिक लोकजीवन दीपावली पर्व	90-00		
	16. साप्ताहिक लोकजीवन दोपावली पर्व	90-00		

1	2	3	4	5
	17. दैनिक लोकजीवन 26-1-81	90-00		
	18. दैनिक तरुणदेश दीपावली पर्व	90-00		
	19. दैनिक तरुणदेश 16-1-81	90-00		
	20. दैनिकनवज्योति दीपावली पर्व	100-00		
	21. दैनिक न्याय, अजमेर दीपावली पर्व	100-00		
	22. प्रभावित साप्ताहिक दीपावली पर्व	90-00		
	23. प्रागवाट पाक्षिक दीपावली पर्व	70-00		

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4	5
	24. दैनिक अरिणमा संजय स्मृति विशेषांक भीलवाड़ा परिशिष्ट में विज्ञापन	90-00		
	25. भीलवाड़ा संदेश 26-1-81	90-00		
2—आसीन्द	कोई विज्ञापन नहीं दिया		1. दैनिक भीलवाड़ा संदेश 1-12-81	51.00
			2. दैनिक प्रभावित भीलवाड़ा 1-12-81	51·00
3—शाहपुरा	1. दैनिक तरुणादेश 15-8-80	50-00	1. दैनिक नवज्योति, अजमेर 3-[illegible]-81	100-00
	2. दैनिक लोकजीवन 7-11-80	100-00	2. दैनिक तरुणादेश 15-8-81	50-00
	3. प्रागवाट पाक्षिक 15-8-80	50-00		

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4	5
4—माण्डलगढ़	1. दैनिक लोकजीवन 15-5-80	110-00	1. दैनिक लोकजीवन 28-8-81	100.00
	2. दैनिक प्रभावित 15-8-80	110-00		
5—बनेड़ा	1. दैनिक लोकजीवन 16-8-80	50-00	1. दैनिक लोकजीवन 18-8-81	50.00
	2. दैनिक तरुणादेश 4-10-80	45-00	2. दैनिक तरुणादेश 14-8-81	49-92
	3. साप्ताहिक प्रभावित 22-8-80	100-00		
6—गुलाबपुरा	1. धाकड़ साप्ताहिक जयपुर वार्षिक चन्दा	20-00	कोई विज्ञापन नहीं दिया	
	2. प्रागवाट पाक्षिक दीपावली पर्व	50-00		
	3. दैनिक लोकजीवन दीपावली पर्व	100-00		
	4. भीलवाड़ा संदेश दीपावली पर्व	75-00		

कोटा कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कें

483. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा कृषि उपज मंडी के तहत बावड़ी खेड़ा से रानपुर तथा झालावाड़ सड़क से डीवड़ा नया गांव तक की सड़क निर्माण की स्वीकृति हो गई है? क्या बजट स्वीकृत होने पर भी अधिशाषी अभियन्ता कोटा ने निविदाए आमन्त्रित नहीं की? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं, तो किस तारीख को कीं?

(2) क्या यह भी सही है कि सचिव एवं प्रशासक, कृषि उपज मण्डी, कोटा ने अधिशाषी अभियन्ता को यह भी लिखा है कि सड़कें बनाने में धन की कमी नहीं होने दी जावेगी? यदि हां, तो सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही नहीं है कि अधिशाषी अभियाता, कोटा ने निविदाए आमन्त्रित नहीं कीं। निविदाए दिनांक 2-3-82 को प्राप्त करली गई हैं।

(2) जी हां। सड़क निर्माण हेतु निविदाए प्राप्त हो चुकी हैं तथा शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

किसानों को दी जाने वाली तकावी राशि

484. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि लगातार अकाल पड़ने के कारण केन्द्र सरकार ने किसानों को दिये जाने वाली तकावी की राशि को वहन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है? यदि हां, तो यह राशि कितनी है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से इस प्रकार की मांग की है?

उत्तर

जी नहीं। केन्द्र सरकार ने राजस्थान में लगातार अकाल पड़ने के कारण किसानों को दी जाने वाली तकावी की राशि को वहन करने की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है और न ही इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार को कोई राशि आवंटित की है। राज्य सरकार ने भी केन्द्र से इस प्रकार की कोई मांग नहीं की है।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में प्रहरी (आरक्षी) की नियुक्ति

श्री राजबहादुर: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री राजबहादुरजी का व्यवस्था का प्रश्न है। वयो वृद्ध सदस्य हैं उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजबहादुर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 304 और 305 की ओर आकर्षित करता हूं।

(54)

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा फर्मावें ।

श्री राजबहादुर : मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, नियम 304 और 305 की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इन नियमों के अन्तर्गत जो प्रावधान है उसके अनुसार इस सदन के अन्दर और बाहर स्ट्रेन्जर्स मौजूद हैं । जो लोग प्रतिदिन यहां पर खड़े होते हैं वह नहीं है उनके अलावा दूसरे लोग यहां पर खड़े हैं । दूसरे लोगों का सदन के अन्दर आने का प्रावधान नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : आप स्ट्रेन्जर की परिभाषा बतायें ।

श्री राजबहादुर : स्ट्रेन्जर की परिभाषा आप भी जानते है ।

श्री अध्यक्ष : फिर भी आपके अनुभवों के आधार पर ।

श्री राजबहादुर : मेरे अनुभवों के आधार पर स्ट्रेन्जर का मतलब है जो विधान सभा का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : जब विधान सभा का कौन अधिकारी होगा और कौन कर्मचारी होगा यह तो दिया हुआ है ।

श्री राजबहादुर : मेरा फोर्थ क्लास सर्वेन्टस के बारे निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति है कि नियमों में यह स्पष्ट है कि मैं किसी भी कर्मचारी और अधिकारी, जो विधान सभा का हो, को किसी काम के लिये लगा सकता हूं । वैसे में किसी माननीय सदस्य को तो लगा नहीं सकता, ऐसी व्यवस्था तो नियमों में नहीं है । दूसरे, यहां पर जो भी विधान सभा के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको क्या काम करना है इसके लिये मैं सम्पूर्ण रूप से अधिकृत हूं । उनको अनुमति दी है सदन के अन्दर आने के लिये । सदन के अन्दर अनधिकृत रूप से प्रवेश उसका कहा जायेगा जो कि मेरे द्वारा अधिकृत नहीं किया जाय । इसलिये किसी कर्मचारी को सदन में प्रवेश के लिये अधिकृत करना या अधिकृत नहीं करना मेरे अधिकारी क्षेत्र की बात है । मैं समझता हूं कि यह बात आपको मालूम होगी ।

श्री राजबहादुर : मुझे बहुत कुछ मालूम है लेकिन यहां पर किसी भी व्यक्ति, जो कि विधान सभा का कर्मचारी नहीं है अधिकारी नहीं है, पुलिस कर्मचारी को और वह भी किसी दूसरे भेष में सदन के अन्दर प्रवेश कराना गलत है । यह हाउस की गरिमा का सवाल है इस हाउस की गरिमा को ठेस पहुंचती है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब से यह सदन बना है संविधान के अन्तर्गत उस दिन से हमारे हाउस की व्यवस्था के लिये पुलिस के कर्मचारी बुलाये जाते रहे हैं और वह सरकारी विभाग से आते हैं । उनके नाम हमेशा से ही मंगाते रहे हैं । उनके नाम आने पर उनका स्क्रीनिंग किया जाता है उसके पश्चात् उन व्यक्तियों को विधान-सभा प्रहरी के रूप में यहां पर आने की अनुमति दी जाती है ताकि माननीय सदस्यों को दुविधा न हो । यह तो हमेशा से ही सदैव से ही परम्परा रही है । यह परम्परा आज ही कायम हुई हो ऐसी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, अगर यह कहते हैं कि पुलिस अधिकारी सदन में क्यों हैं तो पुलिस के महानिरीक्षक और दूसरे पुलिस अफसर भी यहां पर दीर्घा में बैठे रहते हैं।

श्री राजबहादुर : उसके लिये तो प्रावधान है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मेरा निवेदन यह है कि सदन में आसन के पास यह शक्ति है कि स्पीकर किस तरह की व्यवस्था सदन में करें। इस संबंध में नियमों में स्पष्ट प्रावधान है और उसके संबंध में सदन में चर्चा नहीं होती है। यदि किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो वह मुझसे अलग से आकर मिल सकता है। अगर कोई खामी है तो मुझे बता सकता है आकर।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मैं आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यह तो आपको अधिकार है कि आप किसी स्ट्रेन्जर को हाउस से विदड्रा कर सकते हैं लेकिन किसी भी स्ट्रेन्जर को लाने का अधिकार आपको नहीं है।

"The Speaker may, whenever he thinks fit, order any stranger to withdraw or any gallery to be cleared."

श्री अध्यक्ष : I have got every authority to appoint any person in the House and I think there is no rule, If I do, no rule is violated"

श्री राजबहादुर : यह तो हाउस की गरिमा का प्रश्न है। यह हमारे प्रिविलेजेज के विरुद्ध है। आप हाउस की गरिमा के विरुद्ध किसी भी पुलिस कर्मचारी को हाउस में प्रहरी के रूप में नहीं खड़ा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां पर जितने भी प्रहरी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पुलिस विभाग से उन लोगों को बुलाते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। वह अध्यक्ष द्वारा यहां पर आने के लिये अधिकृत किये जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यू० पी० विधान सभा में पुलिस के कर्मचारियों को बुलाकर×××कराई गयी थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पुलिस वालों को, अजनबी लोगों को विधान सभा के कर्मचारियों की तरह कपड़े पहना-कर×××के भेष में खड़ा कर रखा है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों को देखें, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे यहां के कर्मचारी और विधान सभा के अधिकारियों को हाउस में प्रवेश कराने के लिये मैं अधिकृत हूं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा वो फोर्थ क्लास कर्मचारियों की आज हड़ताल है, आज कोई डाक बांटने वाला नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज कोई असाधारण बात नहीं हुई है। आप भी समझते हैं कि मैं यहां के अधिकारी और कर्मचारियों को आदेश देकर प्रवेश करने की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को यह पता होगा कि नियमों में प्रावधान है कि विधान सभा के किसी कर्मचारी और किसी भी अधिकारी के बारे में हाउस में चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय सदस्यों को अगर कोई व्यवस्था से परेशानी हो रही है तो वह मुझसे अलग से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं एक तो अली खां और दूसरा तेजसिंह। यह दोनों ही वाच एण्ड वार्ड के सदस्य हैं और पुलिस विभाग के हैं जो चपरासी की वर्दी पहन कर खड़े कर दिये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। हमारे यहां की व्यवस्था है उसमें पुलिस वर्दी पहन कर कोई कर्मचारी हाउस में नहीं आ सकता है। हाउस के अन्दर किसी भी कर्मचारी को आने की अनुमति देना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं किसी भी विधान सभा के अधिकारी और कर्मचारी को हाउस में आने की अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसे क्या कारण हैं कि जो रोज कर्मचारी खड़े रहते हैं वह यहां पर खड़े नहीं हैं और उनके बदले में यहां पर दूसरे लोग खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : हमको लिखित में दिया गया है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, किन की वजह से इन कर्मचारियों को फोर्थ क्लास की वर्दी पहनाकर खड़ा किया है? उसका कारण क्या है?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : ऐसा क्यों करना पड़ा?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : बेरी आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए वह हड़ताल पर हैं....

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(व्यवधान)

....यह क्या तरीका है किसी को चौ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे सम्पूर्ण अधिकार हैं। मैं चाहे जिस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हूं।

(व्यवधान)

कृपयाXX XXशब्द कह कर हमारे विधान सभा के कर्मचारियों का अपमान नहीं करें। यह कार्यवाही से हटाया जाता है।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 158 में विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न रखा है ...

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिह। आपका एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे पास है, मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा, अनुमति दीजिए मुझे।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार कर रहा हूं। कोई अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अपनी व्यवस्था पैंडिग रखो।

श्री अध्यक्ष : उसका अध्ययन किया जायेगा उसके पश्चात् मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। इसलिए, नाथू सिंह ...

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नयी बात कहना चाहता हूं। जो बात नहीं कही गयी है वह कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आपको हाउस में किसी को भी नियुक्त करने का अधिकार है, आप नियुक्त कर सकते हैं और आपका नियुक्त किया हुआ व्यक्ति अन्दर आ सकता है, यह बिलकुल सही है ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन सा रूल।

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो यह ठीक बात कह रहे हैं। आगे सुनियेगा आप।

श्री नाथूसिह : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो आलरेडी सरकार के कर्मचारी हैं उन्हीं व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करके हाउस में नहीं भेज सकते। कर्मचारी एक ही जगह काम कर सकते हैं। या तो विधान सभा में ही काम कर सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष : यह हमारी आन्तरिक व्यवस्था है। हम किसी को कह दें यहां खड़े हो जाओ, किसी को कह दें यहां खड़े हो जाओ....

श्री नाथूसिह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है ...

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(58)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं।

आवश्यक हो जाय कि किसी व्यक्ति को यहां लगाना है तो उसको लगा सकते हैं। यह तो होता नहीं है कि हरेक स्थान के लिए व्यक्ति नियुक्त किये जायं। यह हमारी आन्तरिक व्यवस्था है कि जो कर्मचारी हैं उनको कौन सा काम सुपुर्द करें। यह हमारे अधिकार में है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : इसको चैलेन्ज नहीं कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल आपके अधिकार में है। मैं स्वीकार करता हूं, मना नहीं करता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह नहीं हो सकता है कि सुरक्षा प्रहरी को कहीं भी लगा दें, क्योंकि जो सुरक्षा प्रहरी होते हैं वह केवल इस हाउस के बाहर सुरक्षा के लिए हैं, हाउस के अन्दर के लिए नहीं। हाउस के अन्दर केवल हाउस में नियुक्त किये हुए कर्मचारी रहते हैं। आज हाउस में नियुक्त किये हुए कर्मचारी मौजूद नहीं हैं और यह सुरक्षा प्रहरी हैं यह बाहर के हैं। यह हाउस के अन्दर के लिए नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अगर ऐसा होगा....

श्री अध्यक्ष : मेरे अधिकृत किये बगैर कोई व्यक्ति इस सदन में प्रवेश नहीं कर सकता....

श्री नाथूसिंह : बिलकुल, यह मैं स्वीकार कर रहा हूं लेकिन आप सुरक्षा प्रहरी को नहीं करेंगे। यह प्रहरी केवल बाहर के लिए हैं। अध्यक्ष महोदय, रूल 303 पढ़िये। आपको अधिकार है लेकिन रूल 303 क्या कहता है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं : "The admission of strangers during the sittings of the House to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of members shall be regulated in accordance with orders made by the Speaker" इसमें लिखा है to those portions जो मैम्बर्स के एक्सक्लूजिव यूज के लिये ही नहीं हैं उन पोर्शन्स के लिए कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले से ही यह व्यवस्था है कि जो पुलिस में लोग होते हैं उनको आप अपने आदेश से बाहर के लिये प्रहरी नियुक्त करते हैं। उनको इन पोर्शन्स के लिए नियुक्त करते हैं which are not reserved for the exclusive use of members हाउस के अलावा जो पोर्शन्स हैं they are not reserved for the exclusive use of members. एक्सक्लूजिव यूज शब्द इसमें लिखा हुआ है तो जो यह हाउस है : It is for the exclusive use of the members इसलिए एक्सक्लूजिव यूज की जो परिधि आती है....

श्री अध्यक्ष : मैम्बर्स के सेवक भी यहां उपस्थित रहते हैं।

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय। आप नयी नियुक्ति कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप मुझे इजाजत दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं अन्य सदस्यों की भी राय जान लूं।

श्री नाथूसिंह : आप नयी नियुक्ति तो कर सकते हैं लेकिन प्रहरियों को नियुक्त नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है यह विषय नहीं है। आप किसी का टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट करके अन्दर पोस्ट कर ही सकते है। इसको मैं चैलेन्ज नहीं करता मेरा तो सिर्फ यह पूछना है कि यह स्थिति आज क्यों पैदा हुई है? इसका कारण क्या है?....

श्री अध्यक्ष : कोई बीमार हो गया हो ...

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सत्य कहेंगे स्थिति क्या है। यह तो हम आशा लेकर चलते हैं कि आसन से सरकार की तरह जवाब नहीं मिलेगा। स्थिति क्या है? क्या कारण हैं ..

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी] : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यहां चपरासियों की यूनिफार्म पहनाकर खड़े कर दिये यहां कोई××× नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार को इजाजत दी है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 की ओर आसन का ध्यान आकर्षित करके व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इसमें जो शब्द काम में लाया गया है 'स्ट्रेन्जर' शब्द को इन नियमों में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो हमें 'स्ट्रेन्जर' शब्द की परिभाषा के लिए डिक्शनरी को उठाना पड़ेगा ...

श्री अध्यक्ष : कोई बढ़िया डिक्शनरी में। यह नहीं कि कोई मामूली डिक्शनरी में।

श्री सूर्यकुमार : मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है वह माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझते हैं कि 'स्ट्रेन्जर' का अर्थ क्या हो सकता है। स्ट्रेन्जर का अर्थ हमें इन नियमों के अनुसार वही समझना पड़ेगा जो रीजनेबल आदमी कामनसेन्स का आदमी समझ सकता है और वह यह होगा कि स्ट्रेन्जर इस विधान सभा में, इस सदन में वही होगा जो किसी के द्वारा अधिकृत न हो....

श्री अध्यक्ष : हां स्ट्रेन्जर का मतलब यह नहीं है कि उसका चेहरा आपका परिचित नहीं है इसलिए वह स्ट्रेन्जर है।

श्री सूर्यकुमार : इसलिए स्ट्रेन्जर का मतलब कामनसेन्स के आधार पर, डिक्शनरी के आधार पर एक रीजनेबल आदमी क्या निकाल सकता है उसके आधार पर निकाल

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सूर्यकुमार)

करके यह सोचना पड़ेगा कि वह आदमी जो अनधिकृत है, जिसको किसी कम्पीटेन्ट आदमी ने, सक्षम अधिकारी ने अधिकृत नहीं किया है और बिना अधिकृत किये हुए वह अन्दर प्रवेश कर गया है तो वह स्ट्रेन्जर होगा....

श्री अध्यक्ष : उसका मतलब यह नहीं होगा साथ ही साथ कि अगर चेहरा परिचित नहीं है तो वह स्ट्रेन्जर होगा। स्ट्रेन्जर वह नहीं होगा। नया भी आ सकता है।

श्री सूर्य कुमार : इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रक्रिया एव कार्य संचालन नियमों के नियम 307 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। नियम 307 यह कहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय :

"Residuary powers–All matte not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speakar may, from time to time, direct."

मेरे कहने का आशय यह है, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आपके सेवक को विधान सभा ने बहुत बड़े अधिकारी दिये हैं।

श्री सूर्यकुमार : जिन बातों का प्रावीजन इन रूल्स में नहीं किया गया है और स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किया गया है उसके लिये रेजुडरी पावर्स इस हाउस ने माननीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय आसन को डेलीगेट कर दी हैं। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जो आदमी नियुक्त था आज से पहले आज अवकाश पर है या नहीं आना चाहे तो इस सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालन करने के लिये अध्यक्ष महोदय ने इन्हें अधिकृत कर दिया है और उस आधार पर वे अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं। इस कारण वे स्ट्रेन्जर की परिधि में नहीं आते हैं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह निरस्त करने योग्य है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्ट्रेन्जर के बारे में कहा, यह बात सच है कि आपके अधिकार में है ...

श्री अध्यक्ष : तथ्यों के बारे में ही कहें। कोई पापूलर स्पीच से काम नहीं चलेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपके अधिकार में है, आप जिसको नियुक्त करें वह यहां आ सकता है और वह स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले विधायक ने कार्यवाहक के रूप में जिन बन्धुओं को पुलिस की नौकरी में देखा है उनको जब बुलाया तो वे क्रास करके आये और उधर से बुलाया तो क्रास करके वहां गये।

श्री अध्यक्ष : प्रशिक्षित कर रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें एक बार पुलिस की वर्दी में देखा है। जिस काम के के लिये नियुक्त हैं उस काम के लिये उन्हें बुलाया और उन्होंने नियम का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से मन में आ गया कि ये स्ट्रेन्जर हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह आपके अधिकार में होगा। यह बात सच है और आप रूलिंग इस पर देंगे किन्तु जब इस प्रकार की अव्यवस्था हो गई है तो निश्चित प्रकार की प्रक्रिया अपना कर व्यवस्था करें, यह मैं निवेदन कर रहा हूं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने एक बार बात कह दी, एक बार फर्मा दिया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ..

श्री अध्यक्ष : एक बार आपने कह दिया। अब मंत्री महोदय, श्री परसराम मदेरणा।

मैंने काफी माननीय सदस्यों के विचार सुन लिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गंभीर विषय है, सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 301 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उनका व्यवस्था का प्रश्न यह है कि रूल 304 के अन्तर्गत जिस पोर्शन को माननीय सदस्य आकूपाई किये हुए हैं इससे बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें स्ट्रेन्जर को किस प्रकार से एडमिट किया जाय। स्ट्रेन्जर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब अध्यक्ष महोदय कोई परमिशन दें। जिन सीटों पर माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनके लिये स्थान मुकर्रर हैं। कौन माननीय सदस्य कौनसी सीट पर बैठेगा। यह पोर्शन वह है जिसको सिर्फ माननीय सदस्य ही आकुपाई कर सकता है या हिन्दुस्तान के संविधान में माननीय सदस्यों के अलावा जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी सीट भी इस सदन में मुकर्रर है। उसके अलावा बहुत से पोर्शन में रिपोर्टर्स हैं, असेम्बली का दूसरा स्टाफ है वे स्ट्रेन्जर की परिधि में नहीं आते हैं। जिनकी आप बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार वाच एन्ड वार्ड के लोग यहां रहते हैं। सार्जेन्ट एट आर्म्स का स्थान मुकर्रर नहीं है, रिजर्व नहीं है, किसी स्थान पर नहीं बैठ सकते लेकिन वे बैठे हुए हैं अपने स्थान पर। वे अन्दर भी नहीं आयेंगे और दूसरी जगह भी नहीं आयेंगे जिसे माननीय सदस्य आकुपाई किए हुए हैं। किन्तु माननीय अध्यक्ष ज्यों ही किसी माननीय सदस्य को विथड्रा करने के आदेश देंगे और वह विथड्रा नहीं होते तो उसको बाहर ले जाने के लिये सार्जेन्ट एट आर्म्स अकेले ही नहीं आयेंगे बल्कि वाच एण्ड बार्ड के दूसरे जितने लोगों की आवश्यकता होगी, उनको साथ में लेकर वे सदन में आ जायेंगे। परमिशन भी स्पीकर देते हैं। वह परमिशन देते हैं तो अन्दर आ जाते हैं। माननीय सदस्यों

(श्री परसराम मदेरणा)

के कागज ले जाने के लिये या उनको फैसिलिटेट करने के लिये, उनकी सेवा करने के लिये अध्यक्ष महोदय ने हमेशा इस सदन में कुछ लोगों की आने की अनुमति दे रखी है। वे किसको अनुमति देते हैं यह अध्यक्ष महोदय की इच्छा पर होगा। उन्होंने आज यह आदेश दिये हैं कि जिस पोर्शन को माननीय सदस्य आकुपाई किये हुए हैं वहां अन्य कौन से लोग आ सकते हैं। अब उनको स्ट्रेन्जर मानेंगे या क्या मानेंगे ? यू वाच एण्ड वार्ड वाले अन्दर आयेंगे, व्यवस्था करने के लिये, तो उनको भी क्या स्ट्रेन्जर मान लेंगे जब कि उनको परमिशन माननीय अध्यक्ष महोदय देते हैं, सेवा करने के लिये या किसी मैम्बर को बाहर निकालने के लिये। उसको स्ट्रेन्जर नहीं माना जाय....

(व्यवधान)

आप समझिये मेरी बात को। आप सुनिये।

विधान सभा के परिसर में, पूरी विधान सभा में क्या व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में पूरे अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को हैं और रूल्स आफ प्रोसीजर में इस बात की व्यवस्था है। जहां तक प्रश्न है असेम्बली में क्या व्यवस्था हो, आप अध्यक्ष महोदय से बात कर लीजिये लेकिन इस सदन में चर्चा नहीं होगी। मैं एक सप्ताह से देख रहा हूं, अध्यक्ष महोदय की इन्टरनल क्या व्यवस्था है अपने सैक्रेटेरियट में, या विधान सभा में या विधान सभा के परिसर में, इस बात को बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा परम्परा न यहां रहा है और न पार्लियामेंट के इतिहास में हिन्दुस्तान में रही है। इस प्रकार के मुद्दे उठाकर सदन का समय जाया न करें। जो अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देते हैं उसको आप बहस का विषय बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह बहुत खराब होगी....

(व्यवधान)

इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि अध्यक्ष महोदय की जो इन्टरनल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कभी भी चुनौती नहीं दी जाय और हाउस में इस प्रकार के पाइन्ट आफ आर्डर रेज करके जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है उसमें किसी प्रकार की बाधा न डाली जाय।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं इसलिये मैं उसी सम्बन्ध में आपकी अनुमति से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उस सम्बन्ध में भी विचार प्रकट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपको पावर आफ अपाइन्टमेंट है। आप किसी व्यक्ति को किसी भी क्षण अपाइन्ट कर सकते है, एक बात। हाउस के मैम्बर्स के एक्सक्लूजिव प्रिविलेज है कि वह बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के विचारों को प्रकट कर सकें, उसकी लिबर्टी में फर्क न हो, यह दूसरी बात है। किसी व्यक्ति को अपाइन्ट करेंगे, कब करेंगे अपाइन्टमेंट। उसके लिये यह नियमावली है लेकिन जिस किसी को अपाइन्ट किया है मैं कहना चाहता हूं क्या वह अभी पुलिस रोल पर नहीं है ?–

(श्री राजबहादुर)

एक बात और अगर है, तो कैसे नियुक्त कर सकते हैं? यह आपके अधिकारों की बात है लेकिन जो पुलिस के रोल पर है तो हाउस में कमी नहीं आता। यह माना हुआ प्रिविलेज है हाउस का कि यहां कोई स्ट्रेन्जर नहीं आ सकता है। स्ट्रेन्जर क्या है, स्ट्रेन्जर की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। लॉ डिक्सनरी में मिलेगी, मेरे पास इस वक्त में है नहीं, रेफरेन्सेज देख लें लेकिन स्ट्रेन्जर वह है जो हाउस का मैम्बर नहीं हो, हाउस से संबधित नहीं हो। अगर पुलिस के रोल से इस्तीफा देकर आ गये हैं और आपने नियुक्त कर दिये हैं तो क्या परमानेन्ट नियुक्त हो गये है? मैं समझता हूं, ऐसा नहीं है वहां से तनख्वाह लेंगे, यहां से तनख्वाह लेंगे। ये सारी बातें है। आपने एक फरमान निकाल दिया इनको लाने का लेकिन मेरा प्रिविलेज है, मान लीजिये मेरी स्पीच के अन्दर मैं कुछ बातें कहना चाहना चाहता हूं उनके बारे में तो बाहर जायेंगी। शंकधर कौल ने भी कहा है....

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई परिस्थिति है या विषय है एक्सक्लूजिवली माननीय, सदस्य....

(व्यवधान)

उस तरीके से ।

श्री राजबहादुर : I cannot anti cipate. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एन्टीसिपेट नहीं कर सकता हूं। किसी क्षण क्या हो जाय आप भी एन्टीसिपेट नहीं कर सकते है। लेकिन यह निश्चित बात है, कोई पुलिस का आदमी आता है तो हमारी लिबर्टी पर फर्क पड़ता है। मैं विनती करूंगा आपसे, अभी जैसा कहा गया 304 में रेजुडरी पावर्स है वह बड़ा क्लियर है—

"All matters not specifically provided for in the se rules and all questions ..."

इसमें अपाइन्टमेंट प्रोवाइडेड नहीं है। क्या आप अपाइन्टमेंट कर सकते है? मुझे पता नहीं है, बतायेंगे तो मुझे खुशी होगी लेकिन मैं यह देखता हूं अपाइन्टमेंट कैसे और किस प्रकार होता है।

श्री अध्यक्ष: बहुत छोटा मामला है। आगस्ट हाउस में अपाइन्टमेंट कैसे होंगे, यह बहुत छोटी सी बात है। जहां तक रूल 304 का सम्बन्ध है....

श्री राजबहादुर : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, यह पोर्शन हाउस का मैम्बर्स के एक्सक्लूजिव यूज के लिये है। प्रिसिंक्ट्स ऑफ हाउस में अलाउ कर सकते हैं अथवा निकाल सकते हैं। लेकिन हाउस में स्ट्रेन्जर को अलाउ कर ही नहीं सकते हैं। आप भी नहीं कर सकते हैं, यह क्लियर है जो पोर्शन रिजर्व्ड नहीं है हमारे एक्सक्लूजिव यूज के लिये वहां आप एडमिट कर सकते हैं लेकिन जो रिजर्व्ड है हमारे एक्सक्लूजिव यूज के लिए, बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, वहां एडमिट करने का आपको भी अधिकार नहीं है, और वह भी एक ऐसे आदमी को जो कि पुलिस के रोल्स पर है। अगर नहीं है तो इन्कार किया जाय, पुलिस के रोल्स पर नहीं है, तो कहा जाय कि उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा नहीं दिया। क्या उसका एपाइन्टमेन्ट रेगुलर वे में हुआ है? आज जिनके स्थान पर कुछ कारणों से हुआ है

(64)

(श्री राजबहादुर)

तो इनके स्थान पर किसी और को लाते तो बहुत ही अच्छा होता। कोई मंत्री महोदय ही यह काम कर देता, मैं हंसी में नहीं कहता इस बात को, आपने कहा अभी

श्री अध्यक्ष : वह कैसे वैलिड हो जाता ?

श्री राजबहादुर : मैं एक बात और कहूंगा कि मैं कोई पापुलर स्पीच देने के इरादे से, ख्याल से इस बात को नहीं रखता। सवाल सैक्टिटी आफ दि हाउस का है, आप सैक्टिटी आफ दी हाउस को देखें It is a temple of democracy and you are the high priest: इस टैम्पल आफ दि डैमोक्रेसी के हाई प्रीस्ट हैं। हमारे अधिकार का प्रश्न आता है उसकी अगर आप रक्षा नहीं करते हैं तो कौन रक्षा करेगा। तो यह सैक्टिटी आफ दि हाउस की बात है।

सार्जेंट एट आर्म्स की बात जो कही है आपने Seargent-at-Arms is defined. He is very much a part and parcel of the House. इसकी डैफिनेशन आप देखें। नियम 2 में देखिये। सार्जेंट एट आर्म्स की डैफिनेशन आपको मालूम होगी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, एक मिनट लगेगा। I am Sorry, I did not mark it. He is our officer and he is entitled. सार्जेंट एट आर्म्स की डेफिनेशन मौजूद है। सार्जेंट एट आर्म्स हमारा आफिसर है। Sergeant at Arms means any person appointed as such or any officer to whom duties of Sergeant-at-Arms under these rules....। पेज इसका है 2,3,4 पर है। But who will pay them ? Have you appointed them according to the normal procedure of appointment ?

श्री अध्यक्ष : तो आपने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी, या तो ये अपाइंटेड हों या हम कहीं से लाकर सार्जेंट एट आर्म्स अपाइन्ट कर दें।

श्री राजबहादुर : इसलिए अर्ज कर दिया। आप कह दें, पुलिस से इस्तीफा दे दिया है क्या इन्होंने ? इनके रोल्स कहां से मिलेंगी ? ये सारे सवाल उठते हैं। हुजूर, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये स्ट्रेंजर फार दि हाउस है. ये परिभाषा में नहीं आते। सार्जेंट एट आर्म्स की जो व्याख्या आपने की है, जो आपने उपमा दी है, वह उन पर बिल्कुल लागू नहीं है। सार्जेंट एट आर्म्स तो हमारा आफिसर है और वाच एण्ड वार्ड का आफिसर है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूं, इसी प्रकार से राजेन्द्र प्रसाद एक दफा प्रसीडैन्ट की हैसियत से...

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लें। प्रेसीडैन्ट की हैसियत से वे एड्रेस करने आये, उनके साथ आर्मी के आफिसर्स थे और कई पुलिस के अधिकारी थे। अंग्रेजों के जमाने में जैसे हैलमेट पहने रहते थे, लोहे की स्क्रीन के वैसे पहने थे। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने जब खड़े हुए राजेन्द्र बाबू भाषण देने के लिये तब कहा Mr. President, until we see these helmeted men are gone out of this house we shall not allow you to speak,

(श्री राजबहादुर)

राजेन्द्र बाबू ने उनकी बात मानी और हटाया गया। मैं भी कहना चाहता हूं We won't allow these officials in the viels of police here in this House. Sanctity of the house is being violated. So I appeal to you to preserve the sanctity of the huosc.

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना निवेदन करना है. जब तक सार्जेन्ट एट आर्म्स को अपाइन्ट नहीं किया गया, तब तक इस सदन में, 15 वर्ष तक सब इन्सपैक्टर के स्टेटस का आदमी आपका सार्जेंट एट आर्म्स के रूप बैठता रहा, 15 साल तक थानेदार बैठता रहा है, सार्जेन्ट एट आर्म्स आप डैपुटेशन पर लाते थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इजाजत दे रहा हूं। श्री नाथू सिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने रूल्स को इन्टरप्रेट किया, मैंने 303 कोट किया था। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप नये रूल्स पढ़ रहे हैं या पुराने ही पढ़ रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं नये पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, सही बात है, जिसको आप अपाइन्ट करेंगे, उसका माननीय राज बहादुर जी ने अच्छी तरह से इन्टरप्रिटेशन किया कि जब तक हाउस में अपाइंटमेन्ट न हो वह हाउस में नहीं आ सकता। मैं आपकी अथोरिटी को चेलेन्ज नहीं कर रहा, न ही हम आपके किसी अधिकार को चेलेन्ज कर रहे हैं। हम तो केवल चाहते हैं, हमारा जो अधिकार है उसमें आपकी तरफ से हमको प्रोटेक्शन दिया जाय। हम उसके लिये ही कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए किसी डिपार्टमेन्ट का कोई व्यक्ति है जिसके विषय में सदन में कोई चीज उठाना चाहता हूं और 273 के तहत आपको नोटिस देता हूं कि मैं इसके विरुद्ध यह मामला उठाऊंगा, अध्यक्ष महोदय, उस समय यदि वह व्यक्ति हाउस के अन्दर सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी या आन डैपुटेशन नियुक्त कर दिया जाता है, लगा दिया जाता उस दिन के लिए....

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझा नहीं, दुबारा कह दें।

श्री नाथूसिंह : मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई मामला हाउस में लाना चाहता हूं वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, दूसरे डिपार्टमेन्ट में है किन्तु जिस दिन हाउस में वह मामला आ रहा है, उस दिन वह व्यक्ति आपके द्वारा हाउस में, विधान सभा सैक्रेटेरियेट में आपके द्वारा नियुक्त हो, चाहे वह व्यक्ति किसी भी रैंक का हो, किन्तु जिस दिन मैं उसके बारे में मामला उठाना चाहता हूं उस दिन इस पोस्ट पर जो व्यक्ति है वह छुट्टी ले लेता है और उसकी जगह, आन डैपुटेशन उसकी जगह उस दिन के लिए वह अपाइन्ट कर दिया जाता है—

श्री अध्यक्ष मैं अपाइन्ट करूं जब होता है यानि मेरी साजिश हो गयी।

श्री नाथूसिंह : नहीं।

(66)

श्री अध्यक्ष : फिर क्या हुआ ?

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही वह आन डैपुटेशन अपाइन्ट होगा, उस दिन He is part and parcel of this house. यदि ऐसा किया जाता है तो मैं उसके विरुद्ध इस हाउस में चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि....

श्री अध्यक्ष : यहां अपाइन्टेड कर्मचारी हो या डेपूटेशन पर आता है वह झगड़ा कर के चला जावे तो क्या उस पर आप स्थगन प्रस्ताव देंगे। आपको अधिकार नहीं होगा उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखने का भले ही उसने अपराध कर दिया है। बाहर की बात अलग है और यहां की बात अलग है। हमारे यहां का कर्मचारी भी तो कोई अपराध कर सकता है, हड़ताल पर जा सकता है। वह क्या हड़ताल के अधिकार से वंचित रह जायेगे क्योंकि वह यहां पर कर्मचारी हैं....

श्री नाथूसिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस को हाउस में यदि नियुक्त किया जाता है तो गलत है। इस डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित कोई दूसरा व्यक्ति हो, हाउस में, क्योंकि They are not appointed by the Government.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें नियुक्त....

श्री अध्यक्ष : मैं जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकारू वही बोलें। अगली पंक्ति में बैठने वाले माननीय सदस्यों का नाम बाद में पुकारूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप अस्थायी नियुक्ति दे सकते हैं, नियुक्ति दे सकते है अस्थायी लेकिन ये जो आन डैपुटेशन सुरक्षा के लिए आये हैं, इनकी वर्दी बदला कर इन्हें प्रहरी के बजाय चतुर्थ श्रेणी की वर्दी पहनाकर लगायें, यह कौनसी सी व्यवस्था है। यह कहीं व्यवस्था नहीं है, न पहले कभी ऐसा हुआ। मान्यवर....

श्री अध्यक्ष : हम तो जिस काम में लेना चाहते है, उसके उपयुक्त ही उनके कपड़े होने चाहिए। जिस काम में हम लेना चाहते हैं

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैंने जो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न आपके सामने रखा है उसमें यही था कि हाउस में इस तरह से अपरिचित व्यक्ति सेवा के लिये नहीं लाये जा सकते। अस्थायी नियुक्ति देने की अगर आपको आवश्यकता थी तो मेरा निवेदन यह था कि आप अस्थायी नियुक्ति विधान सभा के लिए ही देकर चतुर्थ श्रेणी के रूप में किसी को ला सकते थे लेकिन आप लाये हैं, वाच एण्ड वार्ड के लोगों को दूसरी वर्दी में। यहां के कर्मचारी की वर्दी में लाये हैं, मैं समझती हूं मेरे को इसमें कोई गंध आती है।

श्री अध्यक्ष : सही तरीका यह था कि यहां जो व्यक्ति आपकी सेवा में हो, वह यहां की वर्दी में ही होना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गलत है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, हमारा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। हम यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मानते हैं कि इनका यहां रहना हमारे लिए सरासर गलत है, हमारी सुरक्षा के लिए भी गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं इनको यहां से हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष : बहुत सीधे सादे और अच्छे आदमी हम नियुक्त करते हैं। आपको कोई खतरा नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या आपने इनके....

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत तौर पर मैं छानबीन करके जो अच्छे अपने यहां कार्य करने लायक व्यक्ति हों, उनको ही अपाइन्ट करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह हाउस की डिगनिटी का प्रश्न है कि बाहर के आदमियों को इस तरह से भेष बदल कर....

श्री अध्यक्ष : सभी बाहर रहते हैं। अपन सभी के कोई मकान हैं? क्या यहां बाहर से ही आते हे? बाहर से ही आकर बैठते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न बहुत गम्भीर है। जैसा आपने संकेत किया, कोई पोपुलर स्पीच नहीं होनी चाहिए। माननीय सिंचाई मन्त्री जी का जो कथन है, उसका गम्भीरता से, हृदय से समर्थन करता हूं कि आसन किसी भी प्रकार की यहां पर व्यवस्था करें, उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करें लेकिन कोई विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने कहा कि उस आगस्ट हाउस की बहुत गरिमा है। यह अनुभव होना चाहिए कि आसन निष्पक्ष है और यहां पर सब सदस्यों की बात को सुना जाता है। आज यह जो सारी चर्चा उठी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर साधारण परिस्थितियां होतीं तो पाइन्ट आफ आर्डर पर नहीं बोलता। आज राजस्थान का जो कर्मचारी वर्ग है, राजस्थान के सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यहां के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर गये हैं, तो जिस आगस्ट हाउस के सदस्यों के प्रतिबिम्ब आप हैं, प्रतीक आप हैं, क्या आप राजस्थान के कर्मचारियों की हड़ताल को असफल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं? इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न उठा है। प्रश्न यह नहीं है कि यहां पर कोई भी खड़ा हो जाय, उसकी कभी चिन्ता नहीं करते हम लेकिन आज की पृष्ठ भूमि में क्या आप राजस्थान की जनता को, राजस्थान के कर्मचारियों को इस तरह का प्रतिबिम्ब देना चाहते हैं और इस तरह का संकेत देना चाहते हैं कि यह आगस्ट हाउस मुख्य मन्त्रीजी ने जो कहा था, कल या परसों कहा था कि मैं देख रहा हूं कि इसमें राजनीति है, उसका समर्थन करता है। यह भी मान लिया जाय कि उनके कदमों का समर्थन करते हैं तो यहां पर एक पक्ष ऐसा भी है जो कर्मचारियों की इस हड़ताल के साथ सहानुभूति रखता है, समर्थन भी देता है। इस पृष्ठ भूमि में इस पक्ष की बात को भी, इस पक्ष के मानस को भी ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा इस आगस्ट हाउस में गरिमामय पद पर विराजे हुए जो आप अध्यक्ष महोदय हैं, क्या आप यह छवि देना

(68)

चाहते हैं, यह मानस देना चाहते हैं कि राजस्थान के कर्मचारियों, मैं भी तुम्हारे खिलाफ हूं। यहां उचित अनुचित कदम का सवाल नहीं था यहां पर गम्भीर समस्याओं पर चर्चा होती है। सब तरह की समस्याओं पर चर्चायें होती हैं। सब तरह की बातें कही जाती हैं ....

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा सुझाव दे रहे हैं जैसी कि गांव में एक कहावत है कि घर मत बाड़ना। आपने ठीक याद दिलाई। यह कहीं चर्चा में आया भी नहीं था कि मैं पक्ष या विपक्ष में हूं हड़ताल के।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। यह चर्चा क्यों हुई है। इस सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उस हड़ताल में शामिल हुए हैं जो हड़ताल राजस्थान के कर्मचारियों ने की है। क्या यह सच नहीं है ? और अगर वह हड़ताल पर हैं तो क्या आज माननीय शिवचरण जी माथुर ने सचिवालय, राजस्थान के गांव गांव और हर घर के दरवाजे पर पुलिस का सिपाही खड़ा नहीं किया है यह स्ट्रेनियस है। शिक्षा मन्त्री जी ने सारे ही पुलिस वालों को ले जाकर खड़ा कर दिया है इस हड़ताल को खतम करने के लिए। वह क्या भड़काने वाली कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ? आज इस सदन में, इस गरिमामय आगस्ट हाउस में जो कर्मचारियों की भावना है हड़ताल पर जाने की उस भावना के प्रतिकूल कदम लिया है, वह चर्चा का विषय है। हमारी चिन्ता यह है कि इस सदन का कोई भी कार्य ऐसा न हो जिससे कि समाज को, कर्मचारियों को, किसी भी वर्ग को यह मालूम पड़े कि यह सदन किसी बात के पक्ष या विपक्ष में है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कर्मचारियों की हड़ताल है, हमारे यहां के कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं, उस को तो आप रहने दीजिये, पड़े रहने दीजिए लेकिन उनके स्थान पर इन्हें जो रिक्रूट किया है, यहां पर इस सदन में बैठने वाले सदस्यों को यह न मालूम पड़े कि हड़ताल हो रही है, उस परिस्थिति पर पर्दा डालने के लिए, कष्ट राजस्थान की जनता को दे रहे हैं उस कष्ट को यहां बैठने वाले विधायक अनुभव न करें उसके लिये ऐसी व्यवस्था जो आपने की है, उस व्यवस्था को मैं चाहता हूं कि आप तुरन्त तोड़ दीजिए।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अधिकार परिधि या उसके अर्थ के सन्दर्भ में तो कुछ नहीं कहूंगा। आपको विस्तृत अधिकार हैं, हाउस की व्यवस्था ठीक तरह से चले इसके लिये आप नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जो एक उदाहरण दिया कि हाउस में यदि आप किसी को नामजद करें, हाउस से किसी को निकालें तो उसके लिए सार्जेन्ट आ सकता है, वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारी आ सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां तो हैं नहीं। राज्य कर्मचारियों के फंक्शन्स हैं, अमुक आदमी किस तरह काम करेगा, अमुक आदमी किस तरह का काम करेगा इसका एक तरह से वाइफरकेशन है, विभाजन है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्या इस तरह की परिस्थितियां बन चुकी हैं कि जो पुलिस के कर्मचारी डण्डा धारण करते हैं, डण्डा उठाते हैं, डण्डा लेकर चलते हैं उनको हाउस में लगाया जाय ? हाउस की गरिमा रही है

(श्री बंसीलाल पटवा)

कि हम दबाव से मुक्त होकर यहां पर विचार करें। हाउस की कुछ गरिमायें होती हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस के आदमियों को साधारण वर्दी पहना कर फोर्थ क्लास की जगह पर लगाया है, तो उस गरिमा पर आघात होने की परिस्थितियां आ सकती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आज तो फोर्थ क्लास के कर्मचारियों ने हड़ताल की लेकिन कल सचिव और स्टेनो, दूसरे मान लो हड़ताल कर देंगे तो क्या पुलिस के एस. पी., बड़े आफिसर को आप सैक्रेटरी बना कर बिठा देंगे? यह लेजिस्लेशन की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। मैं सोचता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी के अन्दर हाउस में एक परम्परा है, पार्लियामेंट में एक परम्परा है। मैं सोचता हूं कि किसी कैडर का आदमी आप कहीं से ला सकते हैं। किसी फंक्शन का आदमी आप कहीं से ला करके यदि लगा दें तो कोई एतराज की बात नहीं है। आपको विस्तृत अधिकार है लेकिन मैं सोचता हूं कि हाउस में इस तरह की गलत परम्परा कायम करने से दबाव का वातावरण बनेगा। मैं सोचता हूं कि आज अगर हम एक जगह फिसल सकते हैं, कल दूसरी जगह फिसल सकते हैं, परसों तीसरी जगह फिसल सकते हैं, यह मामला गम्भीर है। मेरा आपसे निवेदन यही है कि इसमें नियम उप नियम का सवाल नहीं है। डेमोक्रेसी को दबाव से मुक्त रखकर किस तरह से चल सकते है, किस तरह से हाउस में हम दबाव की राजनीति से उभर कर चल सकते हैं, प्रश्न इस बात का है। तो मेरा निवेदन है, डेमोक्रेसी में दबाव से मुक्त हो करके किस तरह से रह सकते हैं। ऊंट को बैल और बैल को ऊंट हम इस तरह से बना करके नहीं चल सकते। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आपको विस्तृत अधिकार हैं, आपकी व्यवस्थायें हैं उसको हम मानते हैं लेकिन डेमोक्रेसी में भी यह व्यवस्था है। इस प्रकार की परम्परा की शुरुआत की तो मैं सोचता हूं कि कन्वेंशन डवलप हो जाएगा। उस कन्वेंशन के तहत आज आपने पुलिस के छोटे आदमियों को लगाया, कल मैं सोचता हूं कि सैक्रेटरी साहब को यदि हड़ताल करनी पड़े तो आप बड़े अफसरान, आई. जी., डी. आई. जी., बड़े एस. पी. को यहां पर लगा देंगे। यह हाउस में चल नहीं सकता। यदि आप इस तरह से चलायेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह हाउस की गरिमा के खिलाफ बात है।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : मैं दूसरी कोई बात को नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां यह निवेदन किया कि किन्हीं दूसरे आदमियों के आ जाने से हमारे बोलने की स्थिति के ऊपर फर्क पड़ता है। मैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। उनकी बात सुन लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह नहीं जानता था कि विरोधी पक्ष कमजोर है कि एक साधारण सा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आ गया....

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा : हम कमजोर नहीं हैं। इस तरह से नहीं चल सकता।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : इतने कमजोर हो गए कि यहां आ करके बोल नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य तो माणक चौक की चौपड़ पर बोलते हैं वहां पर पुलिस वाले बैठे रहते हैं। हम लोग चुनकर आये हैं जनता के द्वारा। हमें इससे क्यों भयभीत होना चाहिए कि हम अगर एक सच बात यहां कहते हैं तो उसे कोई सुन लेगा।....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप और हम जो यहां पर कहते हैं वह अखबारों में छपता है। हम जनता को सुनाने के लिए कहते हैं। हम जो कुछ कहते हैं सुनाने के लिए कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया शांत रहिये। आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अब रहा सवाल, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की स्थिति का। किन्हीं परिस्थितियों में मैं यह समझता हूं कि अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर सदन का कार्य कोलेप्स होता हो तो उसकी व्यवस्था को जारी रखें। अगर किन्हीं कारणों से ऐसी कोई स्थिति पैदा होती हो कि जिससे इस सदन का यह जो अधिकार है कि यहां की कार्यवाही चले, माननीय सदस्यों का यह अधिकार है कि उनको सारी सुविधायें प्राप्त हों, अगर यह व्यवस्था गलत होती है तो अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिये कि हाउस की व्यवस्था को बराबर बनाए रखे। उनकी काम्पीटेंस में यह है कि उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी आदेश दें उस आदेश का पालन हो। मैं स्पष्ट कहूं कि अगर कोई क्लास फोर्थ ही नहीं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और आफिसर कैटेगरी के लोग भी इस सदन के काम को चलने देने में व्यवधान पैदा करते हैं तो यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह देखें कि यह सदन चले और जनता का प्रतिनिधित्व हो। मैं इससे आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि अगर अध्यक्ष यह व्यवस्था नहीं कर सकें तो अध्यक्ष अपने कर्तव्य से एक प्रकार च्युत होंगे। राजस्थान की जनता का हक है कि उनकी सारी बातों को यहां कहा जाय। जहां तक मिनिस्ट्रियल स्टाफ के दायित्व का सवाल है, वह तभी पूरा होना कहा जा सकता है जब कि यह सदन चल सके। आप उस समय की कल्पना कीजिए जब मजबूर होकर अध्यक्ष को सदन को स्थगित कर देना पड़े यह कर कि अमुक प्रकार का कोआपरेशन नहीं मिल रहा है, मैं सदन को स्थगित कर रहा हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

इसलिये हमको अध्यक्ष को वह सारी सुविधाएं देनी चाहिये जिससे कि वह सदन को चालू रख सकें। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपके अधिकार सर्वोपरि हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके कहने से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री सुनीलकुमार बिश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महज आब्जेक्शन रेज करने के लिये आब्जेक्शन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। कृपया बैठ जायं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने एक बात कही कि हम इसलिये बोलना चाहते हैं कि पुलिस कर्मचारी....

श्री अध्यक्ष : ये तो मेरी मदद कर रहे हैं। आप कृपया नाराज न हों।

श्री गोपाल पचेरवाल : हम ना उनसे डरते हैं, ना आपसे डरते हैं, ना आपके कर्मचारियों से डरते हैं ना पुलिस से डरते हैं। सवाल इस बात का नहीं है, अध्यक्ष महोदय। सवाल दो तरह के हैं। एक तो इस हाउस से जिनका सम्बन्ध नहीं है, उन व्यक्तियों को हाउस में आने को परमिशन दी गई। दूसरा आप यहां कह दें, हमने उनको नियुक्ति दी है। अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति के, नियम बने हुए हैं। क्या हम मानकर चलें कि पुलिस के[illegible]मचारी आपके, हाउस के भी और पुलिस विभाग के भी कर्मचारी हैं और दोनों तरफ से वेतन उठायेंगे। कर्मचारियों को नियुक्ति देने के जो रूल्स बने हुए हैं उनकी अवहेलना करते हुए एक कर्मचारी दो जगह नौकरी करेगा ? कई बार सदन में यह हमने मामले उठाये हैं कि एक आदमी दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, एक जगह से जिसने वेतन उठाया है, दूसरी जगह से वेतन उठाया है। सरकार उसको जांच करवाकर उसको सजा देती है। तो कल इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ यह कहेंगे कि इन्होंने सदन में भी नौकरी की है, पुलिस विभाग में भी नौकरी की है। एक कर्मचारी, अध्यक्ष महोदय, दो जगह नौकर नहीं हो सकता है।

दूसरा निवेदन है कि सरकार से आपने पुलिस के आदमी मांगे, आप उनका कहीं भी प्रयोग करें। सरकार उनके साथ ज्यादती करे तो उसके बारे में भी हमको कहने का अधिकार है। आज राज्य के कर्मचारी, आपके विधान सभा के फोर्थ क्लास कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। उस स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, एक थानेदार को चपरासी बना दो, तो यह कौन सी न्यायप्रिय बात है। पुलिस के कर्मचारी को न हड़ताल पर जाने का अधिकार है, ना उसको अपनी मांग मांगने का अधिकार है, ना अपने अधिकारों की वह बात कर सकता है, सरकार के सामने। यह स्थिति है पुलिस के कर्मचारी की, जैसे बहन और बेटी की स्थिति होती है। बेटी को बाप जहां भेज दे, वहां उसको जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : आज कल पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह नहीं जातीं। पहले यह था।

श्री गोपाल पचरेवाल : लेकिन अधिकांश लड़कियों के साथ यह होता है। मैं निवेदन करूं, आज पुलिस कर्मचारी की यह स्थिति है कि उसको चाहो तो आप फर्श बिछाने में लगा दो, उसको चाहो तो आप झाड़ लगाने में लगा दो, आप चाहो जहां उसको लगा दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो शर्तें हैं। एक तो पुलिस कर्मचारी एक जगह दो नौकरी कर रहा है आज की तारीख में। दूसरी बात यह है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस कर्मचारी को यहां आने का अधिकार नहीं है, उसको यहां लाया जा रहा है। तीसरा मेरा निवेदन है, राजस्थान के किसी भी कर्मचारी के साथ, राजस्थान के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर उसके साथ ज्यादती करती है तो हमारा नैतिक दायित्व है हम उसकी मदद करें चाहे सरकार उसको राजनैतिक तूल दे, चाहे उसके लिये कुछ भी कहे। आज राज्य कर्मचारी हड़ताल पर गये, इसलिये शोषण पुलिस कर्मचारी का नहीं होने दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिवचरण जी को पता है, जनता राज में जब कर्मचारी ने हड़ताल की थी, तो कुछ लोगों को नौकरी से मुक्त किया गया था। जब पहाड़ियां जी मुख्य मन्त्री बने तब शिव चरण माथुर ने पत्र लिखा पहड़िया साहब को कि जिन निर्दोष कर्मचारियों को पुलिस की नौकरी से निकाला गया है, इनके साथ ज्यादति और अन्याय हुआ है, उनको पुन: नौकरी में लिया जाय। वही शिवचरण माथुर के राज में आज एक थानेदार से चपरासी का काम लिया जा रहा है। जो पुलिस के हित की बात करते थे, जिन्होंने चिठ्ठी लिखी मुख्य मन्त्री पहाड़िया साहब को, पुलिस की बात करने वाले मुख्य मन्त्री, वही पुलिस की बात करने वाले शिवचरण माथुर आज पुलिस कर्मचारियों का शोषण करने के लिये उनकी दो जगह ड्यूटी लगाने दे रहे हैं। मैं मांग करूंगा आपसे, श्रीमन्, आप उनको मुक्त करें यहां से। आप नये व्यक्तियों को नियुक्तियां दीजिये। जो बेरोजगार हजारों लोग घूम रहे हैं, आप उनको बुलाकर नियुक्ति दें। आप यहां एक सवाल खड़ा कर देंगे कि नये आदमी को नियुक्ति देंगे, तो वह काम में अनुभव नहीं रखता है। तो इनको भी अनुभव नहीं है। आप बेरोजगार लोगों को नियुक्ति दीजिये, उससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यह अपने शोषण से मुक्त होंगे, हमारे हाउस की परम्पराएं कायम रहेंगी और हमारे हाउस की मर्यादाओं का, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा। श्रीमन्, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि एक कर्मचारी वहां भी नौकरी करे, यहां भी नौकरी करे और हमारे अधिकारों का हनन हो। तो बहुत हो अदब के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इनको मुक्त करें। नये कर्मचारियों को आप नियुक्ति दें। इससे दो लाभ मिलेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यह शोषण से मुक्त होंगे और हमारे हाउस की जो गरिमा का अपमान हुआ है वह नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज। सदन के नेता कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत बड़ी बात होगी कि सदन के नेता के बाद भी आपको बोलने का अवसर दें।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, एक विशेष परिस्थिति को लेकर, आपने अपने अधिकारों, जिसके लिये आप पूर्णतया अधिकृत हैं, का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों को इस सदन के अन्दर आने की अनुमति दी। किन्तु इस प्रश्न को लेकर यहां पर तरह तरह के सवाल उठे हैं। एक सवाल भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि एक व्यक्ति जो कोई दूसरी जिम्मेदारी के लिये यहां नियुक्त है, उसको यहां दूसरा काम करने की इजाजत दी गई। मैं ऐसा मानता हूं कोई भी व्यक्ति किसी एक काम के लिये नियुक्त किया जाये उससे दूसरा काम नहीं लिया जाये, ऐसा नहीं मानना चाहिये। उदाहरण के तौर पर पुलिस या सेना के सिपाहियों को जहां केवल युद्ध के लिये या लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था के लिये एक तरह से मुकर्रर किया जाता है वहां यदि बाढ़ आ जाय, या दूसरी स्थिति आ जाये तो सरकार उनको लगाती है तो क्या यह उनके कर्तव्य के बाहर की बात होती है?

श्री यदुनाथ सिंह : उसमें तो लॉ एण्ड आर्डर आता है।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये पहले इस प्रश्न का उत्तर

एक व्यक्ति किसी काम के लिये नियुक्त है उससे दूसरा काम नहीं लिया जा सकता है, मैं समझता हूं यह आपत्ति बिलकुल निराधार है।

सवाल यह है कि इस सदन में आने वाले व्यक्ति को स्ट्रेन्जर माना जाय या नहीं माना जाय, इसके लिये प्रावधान क्या है? मैं मानता हूं विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में जहां तक हम सोच सके हैं किस प्रकार की क्या व्यवस्था की जाय, सब प्रकार का समावेश किया गया है। जहां तक नहीं सोच सके, उसके लिये अध्यक्ष के लिये रेजीडुरी पावर दी गई हैं। इसलिये हमने इन नियमों में यदि कोई प्रावधान नहीं किया है, ऐसी कोई बात या कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तो उसको ठीक करने के लिये हर तरह से इस सदन के अध्यक्ष अधिकृत हैं, आथोराइज्ड हैं, सक्षम हैं। इसलिये सवाल यह उठता है, एक निश्चित व्यक्ति, जो कल तक यहां पर काम करता था, आज किसी कारण से यहां पर नहीं है तो सदन की कार्यवाही को मदद करने के लिये,

(व्यवधान)

सदन ठीक तरह से चले, उसके लिये अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को पूरी तौर पर संतोष करने के बाद कि वह व्यक्ति इस प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने योग्य है, अधिकृत करते हैं तो मैं समझता हूं उस व्यक्ति को स्ट्रेन्जर मानना उपयुक्त नहीं है। पूर्ण तौर से वह कर्तव्य, जिसके लिये अधिकृत किया है, करने के लिये अध्यक्ष महोदय के अधिकारों के अन्तर्गत पूर्ण तौर पर यहां आने के लिये सक्षम है।

(७५)

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं मानता हूं उसको यहां आने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। यह ठीक है यहां पर कुछ नयी परम्पराओं का निर्माण किया जा रहा है, मैं भी बहुत वर्षों से इस सदन के अन्दर बैठता हूं और माननीय सदस्य भी बहुत पुराने यहां पर हैं। मैंने कभी नहीं देखा असेम्बेली के सैक्रेटेरियट के द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है, उसको कभी भी यहां पर डिस्कस किया गया हो।

(व्यवधान)

सुनिये मेरी बात पहले।

अध्यक्ष महोदय ने क्या व्यवस्था अपना सचिवालय चलाने के लिये की, अपनी व्यवस्था सुचारु ढंग से चलाने के लिये वह क्या व्यवस्था करते हैं, यह सदन की चर्चा का विषय नहीं है। हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा में इस प्रकार का विषय चर्चा के लिये उपस्थित नहीं हुआ है। पालियामेंट तक की बात मैं कहता हूं, पार्लियामेंट के स्पीकर महोदय किस प्रकार से अपने सदन का काम चलाते हैं, सेक्रेटेरियट का काम चलाते हैं, वह मैं समझता हूं किसी भी प्रकार से सदन की चर्चा का विषय हो सकता है।

मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूं, अटकलबाजी आप लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह बात जाहिर है कि कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने अपने अधिकारों के अन्दर इस सारे सदन की व्यवस्था ठीक चले इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों को उन्होंने उपयुक्त समझा उनको डेप्यूट किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह उनके अधिकारों की बात है। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन सारी बातों को छोड़ कर इस सदन की कार्यवाही आगे चलने दें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटेरियट में—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को या चन्दनमल जी को—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह आदेश दिये दिये जाय कि चन्दनमल जी वहां खड़े हों तो....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मुझे आदेश दें तो मैं तैयार हूं आपकी सेवा के लिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी सेवा के लिये तो हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : ओवर एज हो गये, आपको नहीं कहा जा सकता।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी सेवा तो मरते मरते भी करना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात स्वीकृत, मानी हुई है कि जिन लोगों को यहां लगाया गया वे वाच एण्ड वार्ड के लोग हैं। ये लोग यहां सुरक्षा के लिये आते हैं। व्यवस्था यह है कि इनका बड़ा अधिकारी इस टीम को लेकर आता है और यहां के सार्जेण्ट साहब की सलाह से, दोनों मिलकर सुरक्षा के लिये इनको अधिकृत करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं अधिकृत करता हूं। आप मुझे छोड़ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मैं सार्जेण्ट तक आया हूं। इनकी और पुलिस के अधिकारी दोनों की मिली जुली सलाह से उन्हें कहां कहां नियुक्त किया जाय यह तय होता है। ये उसी पुलिस अधिकारी के अंडर में होते हैं। अगर ये अनुशासन भंग की या अन्य कोई कार्यवाही करते हैं तो आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, इनकी ए. सी. आर. खराब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो इनका अफसर है वही इनको दंडित कर सकता है, वही इनकी ड्यूटी लगाता है। यह विधान सभा का नहीं, पुलिस का स्टाफ है और अपनी मदद के लिये यहां पर आता है।

श्री अध्यक्ष : कब से ऐसी परंपरा है, यह बतायें। आप मंत्री थे तब ये कहां थे?

श्री भंवरलाल शर्मा : परंपरा तो वही है लेकिन ये राजस्थान विधान सभा के कर्मचारी नहीं हैं, न आपसे ये नियंत्रित हैं।

श्री अध्यक्ष : नई बात क्या हो गई, यह बतायें आप?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिये इनको ड्यूटी लगाने का काम सार्जेण्ट साहब का या इनका है। यह तो इन्हें लगा नहीं सकते अगर लगाया तो बड़ा गलत किया। इनके अलावा कोई दूसरा लगा नहीं सकता क्योंकि यह तो उस ड्यूटी पर हैं अब भी विधान के....

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रारम्भ में भी निवेदन किया कि सब कुछ करता तो आसन है। मैं यहां आपकी बात सुन रहा हूं। जरूरत हो जाय प्रहरी को इधर से उधर ले जाने की इसलिये व्यवस्था की दृष्टि से अधिकृत किया हुआ है कुछ अधिकारियों को। मैं आपकी सेवा बैठा बैठा करता रहूं और लाबी में कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाय या आवश्यकता हो जाय कि इस प्रहरी को इधर ले जाया जाय....

श्री भंवरलाल शर्मा : इसीलिये इन लोगों, जो भी यहां नियुक्त है, की नियुक्ति करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। अब दूसरी विडंबना खड़ी हो जायेगी इस निर्णय के बाद।

(व्यवधान)

अजी, आप सुनिये तो सरी, कैसी जोर की होती है, हां।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय हो जाता है, जिसको भी चाहे यहां खड़ा कर सकते हैं—

श्री अध्यक्ष : इतनी बात तो मानी आपने ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, स्थिति क्या पैदा होगी यह अर्ज कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्थिति आज जैसी हड़ताल होगी जो हुई है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आप यह व्यवस्था कर दें, अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को कहीं खड़ा किया जा सकता है तो मान लीजिये विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखते हैं, ऐसा प्रस्ताव लाते हैं और वह विचारार्थ या मतदान के लिये आता है तो मतदान के समय, मान लीजिये, डिप्टी स्पीकर साहब यहां पर विराजमान हैं, इनकी सरकार से उनकी मैत्री हो और वह यहां लाकर एस. डी. ओ. को खड़ा कर दें उस दिन देखें वोट कैसे डालेंगे, उस दिन कैसी विडंबना खड़ी होगी ।

श्री अध्यक्ष : आप यह काल्पनिक बात कर रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हो सकता है इस राज में कोई बात काल्पनिक नहीं है । यह हो सकता है । ऐसी स्थिति हो गई तो मनमाने किसी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे । अधिकार का आज तो कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, यह बात मैं मान सकता हूं लेकिन आगे जाकर....

श्री अध्यक्ष : पहले कभी हुआ है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आगे जाकर दुरुपयोग हो सकते हैं और पुलिस खड़ी हो सकती है । पुलिस खड़ी हो गई यहां पर तो हमारे माननीय सदस्य स्वतन्त्र रूप से सरकार के खिलाफ मतदान नहीं कर सकते । ऐसे परंपरा हो जायेगी । जैसा माननीय जोशीजी ने कहा कि मान लीजिये सदन नहीं चले तो यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन चलाये । वह सदन ऐसे चलायें कि हमारे खिलाफ पुलिस खड़ी कर दें लाकर के, हर बेंच पर पुलिस खड़ी कर दें चलाने के लिये । यह आप नहीं कर सकते । आपको चलाना होगा तो सदन के सहयोग से चलाना होगा । अगर नहीं चलेगा तो एडजोर्न करने देंगे आप । यह नहीं कर सकते वैसा जैसा कि माननीय जोशी जी ने संकेत किया कि हर हालत में चलायेंगे । इस प्रकार से उनके मन की बात आई कभी तो किसी प्रस्ताव पर सरकार गिरने वाली होगी तो वोटों को प्रभावित करने के लिये भी किसी पुलिस अधिकारी को खड़ा किया जा सकता है । इसलिये इस निर्णय से आगे जाकर काम्प्लीकेशन खड़े होंगे । इस पर विचार करना चाहिये आपको ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आसन पैरों पर है । मैंने माननीय सदस्यों की बात ध्यानपूर्वक सुनी ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : इनकी बात सुनें । कल के नेता हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दोनों में से एक बोलेंगे । श्री त्रिलोकसिंह ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था की गई है, इसके बारे में मुझे बहुत बड़ा एतराज है। हमने यहां शपथ ली थी कि हम हिन्दुस्तान के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। यह भी शपथ ली थी कि हिन्दुस्तान के अवाम के प्रति वफादार रहेंगे। तो आज यह क्या बात हो गई कि हमें नहीं बताया गया। सुबह, जब मैं यहां आया और उधर जा रहा था तो एक अनजान आदमी ने कहा कि पास दिखाइये। मैंने पूछा, भाई, तुम कौन बला हो। मैंने आज तक नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूं, यह सदन का अपमान है, मेरा अपमान है और यह नाकाबिले बरदाश्त है। पुलिस को सदन में नहीं आने देंगे। यह ××× हकूमत से पुलिस को नहीं आने देंगे। यह बला क्या है, समझ में नहीं आता। एक पुलिस का सिपाही जो रोज डण्डा रखता है, लोगों पर डण्डा चलाता है उसको यहां लाकर छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : इनमें से किसी को आपने डण्डा लिये हुए देखा ?

श्री त्रिलोकसिंह : हमें भय है। ये हमला कर सकते हैं। हमारी आजादी और हमारे बोलने में दखल कर सकते हैं, हम जनता के मसले को रखेंगे उसमें दखल कर सकते हैं। सरकार यह क्यों नहीं बताती कि वह लोगों पर लाठी चला रही है, लोगों की आवाज को बन्द कर रही है, कानून के जरिये मजदूरों, कर्मचारियों का गला घोट रही है इसलिये सदन को आज पुलिस से घेराबन्दी कराई है। सदन की आवाज को बाहर नहीं जाने देंगे। ईमानदारी से यह ××× सरकार क्यों नहीं कह सकती।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री त्रिलोकसिंह : जिन लोगों ने हमको चुन कर भेजा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : जिन लोगों से हम चुनिन्दा हैं उन लोगों ने हमें आदेश दिया है, हम उन लोगों की आवाज उठायेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं वजनदार शब्दों में कि आप इस व्यवस्था को बदल दीजिये। इन पुलिस वालों को हटाइये। अगर चाहते हैं कि हमारी आजादी रहे, सदन में कोई तरह का दखल न हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पुलिस व्यवस्था को खतम कर दिया जाय और, रोज जो व्यवस्था होती है वही लागू रखी जाय। यह हमारा अधिकार है। इस अधिकार का किसी हालत में हनन नहीं होने देंगे। इसके जो भी नतीजे होंगे वह हम भुगतने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में नई व्यवस्था जो आपके अधिकार में है, आपने की है....

श्री अध्यक्ष : आज से नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : कुछ व्यवस्था की है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

×××अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं सूचित कर दूं यह कर्मचारी जब से सत्र प्रारंभ हुआ तब से अपने यहां पर कार्य कर रहे हैं। ..

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, जैसा आपने....

श्री अध्यक्ष : सभी विपक्ष के नेताओं की मीटिंग इस पर विचार करने के लिये बुला लूं कि इस वाच एण्ड वार्ड को या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इस दरवाजे पर रखूं अथवा उस दरवाजे पर रखूं अथवा उस पर रखूं....

श्री राजबहादुर : वाच एण्ड वार्ड सदन का होता है। पार्लियामेन्ट हाउस में आप चले जाइये, पार्लियामेन्ट हाउस में आपको एक भी पुलिसमैन दिखाई नहीं देगा। वहां वाच एण्ड वार्ड होगा। ..

श्री अध्यक्ष : यहां पर भी कोई पुलिसमैन नहीं है।

श्री राजबहादुर : पुलिसमेन हैं। मुख्य मन्त्री जी ने कहा जैसे बाढ़ में या किसी और कठिनाई में आर्मी और पुलिस को बुला लेते हैं वैसे ही ले आये हैं। आपने यह कहा है कि इनकी नियुक्ति की है....

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि मुख्य मन्त्री जी एक पक्ष को रिप्रजेन्ट करते हैं। उन्होंने अपनी बात कही है। मैंने नहीं कहा है।...

श्री राजबहादुर : मालूम है, आपने नियुक्ति की है। यह प्रहरी नहीं हैं।...

श्री शिवचरण माथुर : मुझे मालूम नहीं है। यह बिलकुल अध्यक्ष महोदय के अधिकार में हैं कि किन को लगावें। उन्हीं के अधिकार की बात है। मेरे कहने पर नहीं लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, वाच एण्ड वार्ड मैन, जो आज नये प्रहरी दिखायी दे रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : इस बात पर आप प्रकाश डालें कि समाजवादी देशों में क्या व्यवस्था होती है वाच एण्ड वार्ड की। इस सम्बन्ध में आप कहें।...

श्री मेघराज तावड़ : .. जो मैं समझता हूं, वह मैं कहना चाहता हूं।

यह सदन सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रजातन्त्र है इसलिये प्रजातांत्रिक तरीके से यह सदन चलेगा। हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गये हैं, अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में हरेक को कहने का अधिकार है। प्रजातन्त्र में हर तरह के लोग होते हैं। पिछले 5-6 महीने से कर्मचारी बेरी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे थे। पिछली 4 फरवरी को उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने मुख्य मन्त्री से बात करने का रास्ता निकालने की बात कही। उन्होंने लिखित में दिया। मुख्य मन्त्री ने लिखित में दिया और इनकी मांग पर विचार करने का वायदा किया। उसके बाद भी कोई विचार नहीं किया। यहां तक कि बात चीत नहीं की। इस कारण से हड़ताल की बात सामने आई है। आज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मैं जानना चाहता हूं

(श्री मेघराज तावड़)

यहां पर जो कर्मचारी पहले थे वह आज क्यों नहीं हैं ? यह जो दूसरे कर्मचारी आज यहां पर हैं इनकी सेवाएं किस बात के लिये हैं ? जो नये लोग आये हैं, जिनकी नयी नियुक्ति की गई है, वह पुलिस के लोग हैं। पुलिस के लोग हमारे यहां की जो गुप्त बातें हैं हमारे यहां की जो सीक्रेसी होती है, वह नहीं रख पायेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सरासर पुलिसमैन हैं....

श्री अध्यक्ष : शाम को आकाशवाणी से प्रसारित हो गया है।

श्री मेघराज तावड़ : ... अध्यक्ष महोदय, यह सरासर पुलिस राज है। यह प्रजातंत्र नहीं है। पुलिस राज कायम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कल किसी थानेदार को लगा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों, जब इधर बैठने वालों का राज था तब पुलिस ने यूनियन बनाने की बात चलाई तो उनको बर्खास्त किया। वे लोग हाई कोर्ट में गये और जीत गये, तो माननीय माथुर साहब की सरकार ने जिनको जनता राज में बर्खास्त किया गया था उनको वापिस लेने के बजाय उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को विवश कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस का कर्मचारी है उसको कोई अधिकार नहीं है। वे बोल नहीं सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कर्मचारी हड़ताल पर क्यों गये हैं ? आज विद्यार्थियों की हायर सैकण्डरी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, वे परीक्षाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। एक दो स्कूल्स में मैं गया था वहां पर नये लोग लगाये गये हैं। वहां पर इस इस तरह के नये लोगों की नियुक्त की गई है ...

श्री अध्यक्ष : किन किन स्कूलों मे पधार कर आये हैं ?

श्री मेघराज तावड़ : कई स्कूलों में गया हूं। उनको पता नहीं है कि स्कूल में कहां से कहां तक रोल नम्बर हैं, सूची किस के पास है। कौनसा स्कूल है। इस तरह की व्यवस्था पूरे राजस्थान में चल रही है। पूरा प्रांत जल रहा है, अध्यक्ष महोदय। इसका कारण यह है कि नई नियुक्तियां दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी एम्पाला कार में पधारे केवल टिकट बेचने के लिये। हमारे अधिकार को पूंजीपति के हाथ में बेचने के लिये गये। बिरला और दूसरे पूंजीपति को टिकट बेचने को गये। प्रगतिशील दल के सदस्य श्री ताम्बी ने कहा है, राज्य सभा के चुनाव में चाहे भवानीसिंह को टिकट मिले, चाहे बिरला को टिकट मिले, हम उनको वोट देने वाले नहीं हैं। उनका विरोध करेंगे। आज अखबार में था।....

श्री अध्यक्ष : आप और उनका दल प्रगतिशील है। साम्यवादी पार्टी प्रगतिशील है। ...

श्री मेघराज तावड़ : आइडेन्टिटी अलग अलग है। हम समाजवाद में विश्वास करते हैं। चाहे ये लोग इधर बैठें, हमारे लिये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार समाजवाद नहीं आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

(श्री मेघराज तावड़)

मैं पूछना चाहूंगा जो कर्मचारी आज हड़ताल पर जा रहे हैं, वह हड़तालों पर क्यों जा रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी ने वायदा किया है, कर्मचारियों को लिख कर दिया है। उन्होंने यह वायदा किया था कि रास्ता बातचीत से निकालेंगे, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी इस बात की घोषणा करें कि उनके दरवाजे खुले हैं। कल सैक्रेटेरिएट के सामने प्रदर्शन हुआ था। आज भी प्रदर्शन हो रहा है। यह पूरे राजस्थान में एक परेशानी पैदा करने वाला है। मुख्य मन्त्रीजी, मैंने कल भी कहा था आज भी कहना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को आश्वासन दें। आश्वासन आपको देना पड़ेगा। उनकी मांगें वाजिब हैं। आपको बेरी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना होगा। आपको समय चाहिये तो समय लीजिये। आपकी स्थिति बेरी आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करने की नहीं है। रास्ता निकालिये। केवल पुलिस के बल पर आप अपने शासन को चलाना चाहेंगे तो यह नहीं चल सकेगा। मैं माथुर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का राज नहीं चलेगा। आप कितने लोगों को बन्दूक और गोली के बल पर दबाकर रखना चाहते हैं? बन्दूक और गोली के बल पर उनको दबाया नहीं जा सकता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारियों से वायदा किया गया है, राइटिंग में चिट्ठी लिख कर आपके सैक्रेटरी, श्री आदर्श किशोर सक्सेना की तरफ से दी गई है चाहे आपका आर्डर हो, चाहे अपनी मर्जी से लिख कर दिया हो, जो चिट्ठी छपी है वह साफ है। आप कहते हैं राज्य कर्मचारी हड़ताल नहीं करें, क्योंकि हालत खराब है। आपने वायदा किया है। यह सात महीने से चल रहा है, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। ...

श्री मेघराज तावड़ : मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह जो पुलिस कर्मचारी लगाये गये हैं इनको बाहर किया जाय, वापस किया जाय, निकाला जाय, इनकी नियुक्ति निरस्त की जाय। अगर नई नियुक्ति करनी है तो दूसरे लोगों को लगाइये। सिविल लोगों को लगाइये। इस सदन में पुलिस के लोगों को नहीं रखें। इनको रखते हैं तो वह पुलिस राज है। मैं समझता हूं यह सरकार का XXX तरीका है। सरकार XXX शासन प्रणाली लागू कर कर के, XXX रवैया अपना कर XXX किन्तु चाहे लाठी, गोलियां चलाओ, जेलों में रखो चाहे कितना ही प्रबन्ध कर लो, आप कितनी ही व्यवस्था कर लो आप इस तरह से तो राजस्थान प्रान्त को जलने से नहीं बचा पायेंगे, राजस्थान को तबाही से नहीं बचा पायेंगे, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सुबह जब से मैं इस सदन में आया हूं तब से मेरे को बहुत जोर से डर लग रहा है, कपकपी लग रही है। इसका कारण है कि जिन लोगों को मैं खाकी वर्दी में देखता रहा हूं इनको जब से, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथसिंह)

रूप में देखा है तब से यह समझा है कि ये कोई भूत वूत हैं। इनसे भय लग सकता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मुझे भय लग रहा है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही सीधा सादा आदमी हूं। जब यह पता लगा कि पुलिस के आदमी आये हैं तो डर लगा, अध्यक्ष महोदय। अगर आपके पास स्टाफ नहीं था तो आप अतिरिक्त लोग लगा देते, दूसरे दफ्तर से लोग मंगा लेते, बाहर से ले आते परन्तु ऐसा लगता है कि बाहर भी सम्पूर्ण रूप से हड़ताल है और आदमी बाहर भी उपलब्ध नहीं हैं। सवाल यह आता है, अध्यक्ष महोदय, मान लो कल को ये कर्मचारी भी हड़ताल पर चले जायेंगे तो क्या करेंगे? आप अपने सैक्रेटरी को लगा देते तो कोई बात नहीं थी लेकिन पुलिस से मुझे भय लग रहा है।

दूसरा, यह है कि जो 19 तारीख की हड़ताल का मामला है, मुझे भरतपुर में पुलिस ने पीटा था, डंडे मारे थे। मुझे डर है कि मुख्य मन्त्रीजी और गृह राज्य मन्त्री जी के जरा से इशारे पर येXXXमेरे को न मारें। मुख्य मन्त्रीजी जरा सा इशारा कर दें तो ये हमको पीटने न लग जायं। ऐसी स्थिति में मुझे डर लग रहा है। मेरे डर का, शंका का निवारण किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात स्पष्ट कह नहीं सकता हूं।

श्री सूर्यकुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति प्रकट की थी अब वह सिमट कर केवल एक ही बात पर आ गई है कि पुलिस आफिसर या पुलिस आफिसियल को यहां पर पर अध्यक्ष महोदय किसी काम के लिये नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को सब्सटेन्सियेट करने के लिये भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने शहर की पुरानी बात ताजा कर ली। महामहिम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का उदाहरण पेश किया और कहा कि संसद सदस्य बालकृष्ण वली ...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने भावावेश में कुछ कह दिया होगा।

श्री सूर्यकुमार : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समय...

श्री राजबहादुर : मैं यह जानता हूं कि पार्लियामेंट हाउस में एक भी आदमी पुलिस का नहीं आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : अंगरक्षक कौन होते हैं राष्ट्रपति जी के?

श्री राजबहादुर : वे आर्मी के होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अन्दर आते हैं वे जब उनको एड्रेस करना होता है।

श्री राजबहादुर : वे आते हैं लेकिन पुलिस के आफिसर नहीं आते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : और राज्यपाल महोदय के साथ जो आते हैं वे कौन आते हैं?

श्री अध्यक्ष : सदन का यह सम्मान है कि कोई वर्दीधारी पुलिस वाला, फौज वाला

XXXअभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

सदन में नहीं आ सकता है तो फिर पार्लिया- में भी नहीं आ सकता है ...

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मैं यह कहता हूं कि एक तरफ सदन की गरिमा का, परम्परा का सवाल है। मैं आपसे, सदन से, सदन के नेता से यह अपील करता हूं कि चूंकि यह सदन की गरिमा का सवाल है ...

(व्यवधान)

श्री सूर्यकुमार : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब भरतपुर के माननीय सदस्य लोक सभा में विराजते थे उस समय उन्होंने देखा होगा, हेल्मेट पहने कोई पुलिस वाला आया होगा, आ गया होगा। लेकिन आज मैंने चारों ओर अच्छी तरह निगाह घुमाकर देखा है कि कोई हेल्मेट वाला, कोई पुलिस वाला आया हुआ है क्या ? लेकिन यहां पर पुलिस की वर्दी में आर्मी की वर्दी में कोई सज्जन उपस्थित नहीं हैं। इसलिये इस बात को कह कर, मैं समझता हूं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का उद्देश्य केवल स्मृति को ताजा करना था, यह इससे साफ हो जाता है। पुलिस आफिसर आ सकता है या नहीं आ सकता है उसके लिये मुझे, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम में जो हाउस की परिभाषा दी हुई है उसकी तरफ आपकाध्यान आकर्षित करना पड़ेगा :

"House means the Rajastuan Legislative Assembly."

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से तो आप अच्छे बने हुए केस को बिगाड़ दोगे इसको प्रक्रिया और हाउस की परिभाषा में डालकर।

श्री सूर्यकुमार : मैं यह कह रहा था कि हाउस की डेफिनेशन यह है "House means the Rajasthan Legislative Assembly."

इसमें हाउस ही नहीं है बल्कि इस हाउस की गैलरी भी सम्मिलित है। जब वाच एण्ड वार्ड का स्टाफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली में आता है तो उसको इजाजत है नियमों के अनुसार, सदन की गरिमा और परम्परा के अनुसार। तो इसका अर्थ यह है कि ये पुलिस आफिसर या पुलिस आफिसियल की परिभाषा में नहीं आते हैं, ये उससे मुक्त हैं। इसलिये इस बात को प्रेस करना बेमानी है।

अब प्रश्न रह जाता है इस बात का, जो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री मेघवालजी ने कही कि इसका अर्थ यह माना जाता है कि कर्मचारी आन्दोलन को आप, शासन, अध्यक्ष महोदय होने के नाम पर विफल करने की ओर आकृष्ट हैं। मैं दूसरी बात सोच रहा हूं। इस बात को सोचने का दूसरा पक्ष है। वह यह है कि सदन आज सीटिंग में है, सदन का सत्र चल रहा है तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सदन का सत्र चलता रहे, इसकी मीटिंग चलती रहे और यह सदन सुचारू रूप से संचालित होता रहे इसके लिये नियमानुसार इंतजाम किया जाय, यह माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकार में है। इसका मतलब यह है कि हड़ताल को विफल करने या हड़ताल को खतम करने की तरफ यह कदम नहीं उठाया है बल्कि सदन को सुचारू रूप से

(श्री सूर्यकुमार)

संचालित करने के उद्देश्य से ही यह किया गया है। आपने केवल कर्मचारियों की हड़ताल की तरफ ध्यान आकर्षित करने ये और समय नष्ट करने के उद्देश्य से ही इस प्रश्न को उठाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके दल के कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं भाषण नहीं करूंगी, केवल दो सवाल ही उठाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं उस घटना के बारे में बता रहा हूं जो मेरे साथ घटी। घटना पिछले सत्र की है। पिछले सत्र के अन्दर आसन के आदेश से मुझे जबर्दस्ती उठाकर बाहर ले जाया गया था लेकिन किस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया गया। यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, इसलिये उठता है कि पूर्व में जिनकी यहां ड्यूटी लगती थी इनको हमको जानते थे ...

श्री अध्यक्ष : पहले भी आते रहे हैं, यह बात तो साबित होती है आपकी इस बात से इसको तो आप मंजूर करते हैं?

श्री यदुनाथ सिंह ; वह दूसरे संदर्भ में आये थे।

श्री देवीसिंह भाटी : उस घटना के बारे में बता रहा हूं। मुझे उठा कर ले गये, किसी ने हाथ मरोड़ा किसी ने हाथ दबाया। मुझे 10 आदमियों द्वारा जबर्दस्ती उठा कर ले जाया गया अध्यक्ष महोदय, पुलिस वालों की प्रवृत्ति से आप अच्छी तरह से परिचित हैं उनकी यहां पर ड्यूटी लगायी है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम रास्ते से निकलेंगे तो ये पूछेंगे। फिर हम कहेंगे कि भाई हम एम. एल. ए. हैं। ये इस बात को मानेंगे नहीं और कहेंगे, चल इधर ...

श्री अध्यक्ष : पर यहां आने से पहले पूरी छानबीन तो होनी चाहिए कि यहां पर कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं आ जाय।

(व्यवधान)

इसलिये इनको आसन की ओर से अधिकार दिये जाते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पूर्व में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वे इस सारे सदन के नियम, कानून, कायदों से परिचित हैं। इससे भी परिचित हैं कि किस प्रकार से माननीय सदस्यों से व्यवहार करना चाहिए। आज आपने इनको लगा दिया है कल फिर किसी को लगा देंगे और फिर कोई तीसरा आयेगा फलस्वरूप रोजाना झगड़ा होगा जिससे कि रोजाना दुविधा होगी, कोई न कोई कुछ न कुछ कहेगा। अध्यक्ष महोदय,

(८५)

(श्री देवीसिंह भाटी)

मुझे बड़ी आशंका है कि जो हमारे अधिकार हैं उन पर कुठाराघात होगा। हम हमारे पूरे दिमाग में जनता की समस्या लेकर आते हैं लेकिन ऐसे वातावरण, जो वातावरण इससे बनता है, में जो हमारी समस्या है जो हम सुझाव देना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनको देने में बाधा होगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कहा गया कि आसन के अधिकार असीमित हैं। आसन के अधिकार असीमित हैं, मैं भी यह मानता हूं मैं मेरे विचार आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना पत्र देता हूं कि मेरी जगह मेरे किसी सहयोगी को बैठने की इजाजत दें तो क्या आप बैठने देंगे? नहीं ना, अध्यक्ष महोदय? आपके अधिकार असीमित हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरी जगह अगर कोई मेरा अन्य सहयोगी बाहर से आ जाय तो उसको बैठने की, अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप नौकर हैं क्या?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपके पास असीमित अधिकार हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं करता हूं परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों के भी कुछ अधिकार हैं ....

श्री अध्यक्ष : दोहरा रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को देखते हुए इन को तुरन्त बाहर निकाला जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : छोटी छोटी सी बातों को लेकर ढाई घण्टे की चर्चा हो चुकी है....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह XXX है, यह नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : आसन में विवाद न उठायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आपस में वाद विवाद में न उलझें। मैं आपकी बात शांतिपूर्वक सुन रहा हूं। मैंने करीब पौने दो घण्टे का समय दिया। अब मैं चाहता हूं, उस पर निर्णय देने से पहले एक दो माननीय सदस्यों को और अवसर दे दूं।

सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर यहां हंगामा किया जा रहा है। मन्त्री महोदय, यह छोटी छोटी बातें मिलकर बहुत बड़ी गंभीर बात बन जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज पुलिस कर्मचारियों को यहां फोर्थ क्लास की जगह लगाकर सदन को गुमराह करने की विफल चेष्टा की गई। मुख्य मन्त्री जी, एक बात........

श्री अध्यक्ष : कानूनी पक्ष बताओ। वकील हैं आप।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इन की यहां नियुक्ति को, यदि इनकी मौजूदगी को कोई कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जाती तो यकीनन उसके विरुद्ध कानूनी दलील पेश करती। मुझे दुख हुआ, बड़ी लचर दलीलें कई माननीय सदस्यों के द्वारा पेश की गई....

श्री अध्यक्ष : किधर वाले माननीय सदस्यों ने पेश की हैं दलीलें ?

सुश्री पुष्पा जैन : मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि बाढ़ और बाढ़ जैसी विकट परिस्थितियां जब पैदा हो जाती हैं तो पुलिस और आर्मी को इस तरह से नियुक्ति दी जाती है। इस तरह से कार्यरत किया जाता है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, पहले तो आप यह बताइये, यह स्पष्ट करिये, जैसी कि आप जानकारी दे रहे हैं. इस राज्य में बाढ़ और बाढ़ जैसी भयंकर परिस्थितियां हैं सारी, क्या हम यह मान लें ? यह जानकारी आपने दे दी। अगर यह सच है, मुख्य मन्त्री जी, तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी, मुझे डर है कि इस सदन में ही नहीं, अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, सिविल अदालतों में सारे कर्मचारियों की जगह पुलिस कर्मचारी कार्यरत हैं जिससे इस देश की, राज्य की जूडिशियरी को भी खतरा पैदा हो गया है। मुजरिम को न्याय नहीं मिलेगा, प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा. इस बात का अंदेशा हो गया है। बड़ी संदेहास्पद स्थिति हो गई है। मुख्य मन्त्री जी, आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने जो बातें यहां कहीं, मैं कहती हूं, उससे बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इन कर्मचारियों को यहां तैनात किया, अच्छा होता कि ये अपनी ओरिजनल ड्रेस में होते। आज यह जानकारी दे दी जाती कि हड़ताल के कारण परिस्थितियां ऐसी हो गई है जिनकी वजह से मजबूरन इन्हें यहां डेप्यूट करना पड़ा। ऐसा होता तो मैं समझती हूं कि इतनी लम्बी बहस होती नहीं। लेकिन जिस तरह से विवाद बनाकर खड़ा किया गया है....

श्री अध्यक्ष : वही प्रश्न अन्य किसी माध्यम से लाना था सो आ गया। बात इतनी है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस के कर्मचारी जो हैं, फोर्थ क्लास कर्मचारियों से ऊपर की रेक के हैं, तो बहुत बड़ी तोहीन पुलिस कर्मचारियों की है।

श्री अध्यक्ष : आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तोहीन कर रही हैं इस तरह कह कर....

सुश्री पुष्पा जैन : तोहीन नहीं कर रही। इस तरह इनको उनकी जगह बैठाकर दोनों पक्षों की तोहीन की गई है।

श्री अध्यक्ष : अपने अपने स्थान पर सभी कर्मचारी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, जितना कि सर्वोच्च अधिकारी अपने स्थान पर।

सुश्री पुष्पा जैन : आज जिस तरह से जिन परिस्थितियों में इनको यहां खड़ा किया गया, मैं निश्चित तौर पर कह सकती

(86)

(सुश्री पुष्पा जैन)

हूं. यह दोनों पक्षों की तोहीन की गई है। मैं यह कहना चाहती हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बार बार यह नहीं कहें। सदन में सेवा करने का अवसर बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आज जैसे कर्मचारियों को यहां डेप्यूट....

श्री अध्यक्ष : और इसके पश्चात् विवाद का विषय बने, दो घण्टे के लिये, इससे बड़ी बात, मैं समझता हूं, ...

सुश्री पुष्पा जैन : इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आज कौनसी विशेष परिस्थिति है जिसके कारण फोर्थ क्लास कर्मचारियों की एवज में पुलिस कर्मचारियों....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष जो यहां कार्यवाही करता है, मैं बार बार माननीय सदस्यों को निवेदन करता रहा हूं डिसीजन्स देता रहा हूं, उसके सम्बन्ध में सदन के अन्दर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैंने क्यों कर दिया ...

सुश्री पुष्पा जैन : तो क्या हम मान लें कि सारे राज्य मे इस तरह से पुलिस कर्मचारियों को दफ्तरों में घुसा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। कोई वाद-विवाद, चर्चा का विषय हो, या आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो उस पर विनिश्चय जरूर दे सकता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : इनकी मौजूदगी हम सब लोगों के लिए खतरे का कारण बन गई है। पिछली दफा हम लोगों को इन पुलिस कर्मचारियों से घसीटवाकर निकलवाया था।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से उपाध्यक्ष महोदय फर्मा रहे हैं। कृपया शांत रहिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं, अपने चैम्बर में बैठा हुआ करीब पौने दो घण्टे से इस विषय पर बहस सुन रहा था। मुझे खेद है कि इस इश्यू पर चर्चा की गई, रूल इसके मुताल्लिक 303 और 304 बहुत साफ हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां। जिस वक्त कोई कर्मचारी यहां पर काम करता है वह आपकी सेवा में हाजिर रहता है। अगर वह नहीं आता है किसी कारण वश, तो यह स्पीकर का जुरिस्डिक्शन है एक्सक्लूजिवली वह अपने डिस्क्रिशन से किसी आदमी को उनकी जगह तैनात कर दे ताकि आपकी कार्यवाही में सुविधा हो। यह जो कहा जा रहा है बार बार, ये पुलिस के आदमी हैं और पुलिस के आदमी जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, लोगों को मालूम है। श्रीमन्, देवीसिंह जी ने तो यहां तक कहा कि जिस वक्त मुझे उठाकर ले गये तो मेरे साथ क्या बर्ताव किया। शायद उस वक्त पुलिस वाले नहीं थे। बहरहाल, यहां इस वक्त बहैसियत पुलिस के तैनात नहीं हैं और ये ना पुलिस की वर्दी में हैं। अगर पुलिस की हैसियत से तैनात किये जाते तो पुलिस की वर्दी में होते। XXXकहना उनका अपमान करना है..

श्रीमती उजला अरोड़ा : छद्मवेश ठीक है शायद..

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष बोल रहे हैं कृपया....

XXXशब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ग्रहमद बक्श सिंधी : तो यह पुलिस वाले तैनात नहीं किये गये हैं। इनकी ड्यूटी वह है, जो ग्रध्यक्ष महोदय ने मुकर्रर की है। वही ड्यूटी है जो कल तक और लोग कर रहे थे। इसलिए मैं समझता हूं, यह मामला ग्रध्यक्ष के जुरिस्डिक्शन का है, इसलिए इसको हाउस में चर्चा का विषय बनने नहीं देने का सब माननीय सदस्यों का मत होना चाहिये। अगर कोई माननीय सदस्य पुलिस का नाम लेकर कहे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा तो ग्राप इतमिनान रखिये, जब तक कार्रवाही चल रही है किसी किस्म का पुलिस का इन्टरफियरेन्स नहीं होगा। वे तो हाजिरी में खड़े हैं, जब कोई ग्रापको जरूरत पड़े, माननीय सदस्य को चिट भिजवानी हो, वह ग्रायेगा, ग्रापके पास से चिट लेकर पहुंचा देगा। क्या काम है इनका सिवाय इसके कि ग्रापकी सर्विस में खड़े हैं। ऐसी सूरत में, मेरी राय यह है, बहुत इज्जत के साथ, नम्रता के साथ मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा समाप्त की जाय ग्रौर कार्यवाही ग्रागे चलने दी जाय।

श्री चन्द खां (कामां) : ग्रध्यक्ष महोदय, यह चर्चा के होते करीब पौने दो घण्टे होने को ग्राये, कई किताबें यहां पढ़ी गईं। मैं किताबें पढ़ना नहीं जानता, न नियमों को बताना चाहता हूं, मैं तो यह महसूस करता हूं कि हमारे जो ग्राज माननीय सदस्य बैठे हैं, एक माननीय सदस्य एक हैसियत से ग्राता है, इसलिए कोई भी कर्मचारी जिस हैसियत से हमारी इबादत करने के लिये खड़े किये गये हैं वह ग्रध्यक्ष महोदय की ग्रनुमति से खड़े किये गये हैं। हमको उनकी हैसियत को मानना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप व्यवस्था दें इससे पहले....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : समय हो गया, कृपया।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : ग्राप व्यवस्था दें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : मैंने सदन का वक्त जाया करने के लिये कोई बात नहीं की। यह मेरा ग्रनुभव है ऐसा कहीं नहीं हुग्रा। यह एक मौलिक प्रश्न है।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस के ग्रादमी लाये गये हैं। दोनों पुलिस डिपार्टमेंट से तनख्वाह लेते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं यह मौलिक प्रश्न है, मर्यादा ग्रौर सिद्धान्त का प्रश्न है। सदन में वाच एण्ड वार्ड का रह सकता है, मैं यह मानता हूं ग्रगर पुलिस की मौजूदगी में कार्यवाही चलाते हैं तो मैं सदन में नहीं बैठूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापको ग्रौर काम है क्या ?

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य एवं वांदीकुई से पधारने वाले माननीय सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाये कि इस सदन के अन्दर हाउस पियोन्स की ड्यूटी पर जो आज व्यक्ति हैं वह इस हाउस में स्ट्रेन्जर्स हैं। यह भी कहा कि यहां के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर चले गये थे उनके स्थान पर जिन व्यक्तियों को लगाया गया है वह स्ट्रेन्जर्स की तारीफ में आते हैं। उसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि ये पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं। उसके पश्चात् यह भी कहा गया कि पुलिस की मौजूदगी में सदन को चलाया जा रहा है, पुलिस की सहायता से सदन को चलाया जा रहा है, इस तरह की बातें कही गई हैं।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो सज्जन आज यहां पर आपकी सेवा में उपस्थित हैं हाउस पियोन्स या मैसेन्जर्स के रूप में वे इस सदन के लिये नये व्यक्ति नहीं हैं। जिस दिन सदन का सत्र प्रारम्भ हुआ उसके लगभग एक सप्ताह पहले से वे यहां हैं। वह यहां पर तैनात हैं। यह इस सत्र में ही नहीं इससे पहले जो सत्र हुआ था उसके अन्दर भी तैनात थे। हो सकता है कि अलग अलग दिनों पर उन्होंने अलग अलग स्थानों पर काम किया हो। आज मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हाउस पियोन्स के तौर पर सदन में आने जाने के लिये नियुक्त किया है। आपकी कोई खबर हो, आपकी कोई चिट हो, तो आपकी मदद के लिए मैंने नियुक्त किया है। माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि ऐसा मुझे करने का अधिकार नहीं है। सवाल यह है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि पुलिस के कर्मचारियों को सदन में सेवा करने के लिये, सत्रकाल में काम करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है? माननीय सदस्य, सब अच्छी तरह से जानते है कि इस सभा का गठन 1952 में हुआ था। 52 से आज दिन तक कोई ऐसा सत्र या कोई सदन की बैठक नहीं हुई जिसके अन्दर सुरक्षा प्रहरी के तौर पर ऐसे व्यक्ति न हों, जिनकी पुलिस विभाग में स्थायी नियुक्ति हो। यही नहीं वर्तमान सार्जेन्ट एट आर्म्स साहब तो इसी सचिवालय के अधिकारी हैं। पहले, मैं समझता हूं, लगभग 15-16 वर्षों पहले यहां पर जो सार्जेन्ट-एट-आर्म्स रहते थे वह भी पुलिस विभाग के कर्मचारी होते थे। यह पुलिस विभाग का ही प्रश्न नहीं, हमारे यहां जितने भी सचिव रहे हैं, जहां तक मुझे याद है, वह जुडिशियल हमारी जो सर्विस है उसके अधिकारी थे। वर्तमान में कमेटी आफिसर्स हैं वह इसी सभा के आफिसर्स हैं लेकिन इससे पहले जितने भी कमेटी आफिसर्स होते थे वो भी जूडिशियल डिपार्टमेंट के होते थे। यही नहीं एयर कण्डीशनर चलाने के लिये, माननीय सदस्यों की मेडिकल सुविधा के लिये, बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिये कई विभागों से हम कर्मचारियों को यहां बुलाते हैं लेकिन यहां वह हमारी सेवा में आते हैं। यहां पर जब वह ड्यूटी पर होते हैं उस वक्त उस विभाग के कर्मचारी नहीं होते हैं क्योंकि विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होता है उससे बहुत पहले हम विभागों को

(श्री अध्यक्ष)

लिखते हैं कि हमको इस योग्यता के, इस तरह की योग्यता के व्यक्ति चाहिये। उसके बाद हम उनकी छंटनी कर देते हैं। हम हमारी ओर से उनको नियुक्ति देते हैं। जब तक वह वहां पर रहते हैं. उनका जो पेरेन्ट डिपार्टमेंट हैं उससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। वह यहां पर कार्य करते हैं और हमारे निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, उनके विभाग के उनको क्या निर्देश है उसके अनुसार नहीं करते। इस सदन का गठन हुए 30 साल पश्चात् एकदम ही यह प्रश्न माननीय सदस्यों ने ऐसे उठा लिया जैसे आज कोई नई बात हो गई। हमेशा यह हुआ है, जब से सदन प्रारम्भ हुआ है, ये प्रहरी के तौर पर काम कर रहे थे। आज इनको हाउस मैसेन्जर्स के रूप में लगाया है। इसमें नई बात कौनसी हो गई, वह मेरी समझ में नहीं बैठी।

श्री यदुनाथ सिंह : कल होगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

क्षमा करें मुझे, प्रश्न जब बहुत लम्बा खिच जाता है तो मैं आपसे निवेदन कर देता हूं कि अन्य माध्यम से इस प्रश्न को दुबारा लायें। कोई अन्य समस्या हो और अन्य माध्यम से लायें तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे ख्याल से, किसी तरह ऐसी शिकायत हो गई। किन्तु ऐसी परिस्थिति नहीं बनाई कि जिसमें माननीय सदस्यों के जो इस सदन के सदस्य होने के नाते कुछ अधिकार हैं उनका हनन होता हो या सदन में उनके कार्य करने से किसी तरह से बाधा पहुंचाती हो। आप सब जानते हैं नियमों के अन्दर स्पष्ट प्रावधान है, इस सभा का कार्य सुचारू रूप से चले उसके लिए सब माननीय सदस्यों की ओर से मुझे अधिकृत किया गया है। आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो, आपको किसी तरह की कठिनाई न हो, आप अच्छी तरह से सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें इसलिये यह व्यवस्था की गई है जो वर्तमान में कर्मचारी हैं ठीक हैं उनका कोई पेरेन्ट डिपार्टमेंट हो सकता है लेकिन आज इस सभा के अध्यक्ष के नाते मेरे नियुक्त किये हुए व्यक्ति हैं। यह आज ही नये नहीं लगाये गये हैं पिछले सत्र में भी यहीं थे और इस सत्र में भी थे। जब से सत्र प्रारम्भ हुआ तब से हैं। आज हमने इनकी स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई है। शायद ये गेट पर खड़े होते हैं इसमें भी अनुभव देखना होता है ताकि माननीय सदस्यों को कोई सूचना देनी हो, कहनी हो तो उसकी व्यवस्था हो सके इसलिये इनको चुन करके मैंने नियुक्त किया, मेरी जिम्मेदारी के ऊपर किया। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को इसमें कठिनाई हो, बाधा हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिये जो व्यवस्था के प्रश्न माननीय सदस्य, श्री राजबहादुर और श्री नाथूसिंह ने उठाये है उनको मैं निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति

स्वर्गीय श्री रामरतन कोचर एवं श्री रामचन्द्र, भूतपूर्व सदस्य. राजस्थान विधान सभा, के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

आर्डर प्लीज। शोकाभिव्यक्ति। भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा।

(९०)

(श्री अध्यक्ष)

बड़े दुख की बात है कि हाल ही में अपनी विधान सभा के दो भूतपूर्व सदस्यों का देहावसान हो गया, श्री रामरतन कोचर और श्री रामचन्द्र जी।

श्री रामरतन कोचर, प्रथम विधान के लिये लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्र से जुलाई, 1957 में हुए उप चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए।

श्री कोचर का जन्म विक्रम सम्वत् 1961 में बीकानेर में हुआ। आप युवावस्था से ही समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गये थे। कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में आपने भूतपूर्व बीकानेर रियासत के जन साधारण में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का कार्य किया तथा स्वतन्त्रता संग्राम को नैतिक समर्थन देने की उनको प्रेरणा दी। आपने स्वयं भी स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी के रूप में अनुकरणीय कार्य किया।

श्री कोचर ने राजस्थान में पत्रकारिता के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। आपने देश के गणमान्य लेखकों का सहयोग लेकर राजस्थान में पत्रकारिता को सही दिशा देने का प्रयास तो किया ही, साथ ही पत्रकारिता को नये आयाम प्रदान किये। आपने अन्तिम वर्ष में आप पत्रिका "वल्लभ सन्देश" के सम्पादन कार्य में रत रहे।

श्री कोचर ने विधान सभा सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रभावी प्रतिनिधित्व किया।

श्री रामचन्द्र द्वितीय विधान सभा के डग निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री रामचन्द्र का जन्म झालावाड़ में 17 दिसम्बर, 1900 को हुआ। आपने इलाहाबाद व आगरा में शिक्षा ग्रहण की। आप उर्दू फारसी व संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। आपने विद्यार्थियों के लिये उपयोगी अनेक पुस्तकें लिखीं। "मेरे जीवन की एक झांकी" नामक पुस्तक में आपके अनेक संघर्षमय जीवन के संस्मरण उपलब्ध हैं।

श्री रामचन्द्र वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ अजमेर के सदस्य रहे व वर्ष 1934 में हरिजन सेवक संघ झालावाड़ के अध्यक्ष रहे। आपने कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में हरिजनों में जागृति लाने व उनके उत्थान के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

विधान सभा के सदस्य के रूप में आपने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान किया।

मैं दोनों ही दिवंगत व्यक्तियों के परिवार के लिये अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं की चिर शान्ति के लिये दो मिनट का मौन रख प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट खड़े होकर मौन धारण किया)

स्थान ग्रहण कीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री नाथूसिंह, गुलाब चन्द

(श्री अध्यक्ष)

कटारिया, अनंगकुमार जैन जीतमल जैन व ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर उप जिले में औरतों व लड़कियों के व्यापार के विषय में,

(2) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा डेम, जिला बूंदी में गत 17 मार्च को शराब का ठेका लूट लेने के विषय में,

(3) श्री चाव खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुई क्षति के विषय में,

(4) श्री मेघराज तावड़ सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले की ग्राम सहकारी समिति, गोगुन्दा में अनियमितताएं व किसानों से जबरन वसूली करने के संबंध में,

(5) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील रामगंज मण्डी जिला कोटा में गम्भीर जल समस्या के विषय में,

(6) श्री सोहनलाल बंशीवाल, सदस्य, विधान सभा का ओर से श्री गेंदाराम बैरवा निवासी निमोली तहसील, सुजानगढ़ जिला अलवर की खेती की जमीन पर कुछ व्यक्तियों के गैर कानूनी कब्जे के विषय में,

(7) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में सन्तरे की खेती के उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलाने के विषय में,

(8) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले तथा पीपल्दा तहसील में जिला विकास अधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों तथा किसानों को ऋण एवं अनुदान की पूरी राशि न देने के विषय में,

(9) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 5 जून को श्री मोहनलाल हरिजन, निवासी बमोरी, तहसील मांगरोल, जिला कोटा को आवंटित भूमि पर फसल बोने के बाद कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लेने के विषय में,

(10) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई-माधोपुर व खण्डार विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा पशुओं को उपलब्ध होते हुए भी पानी पीने की अनुमति न देने के विषय में,

(11) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस विभाग में नव सृजित महानिदेशक के पद पर मनोनीत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को चार्ज न देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(12) श्री यदुनाथसिंह व श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के 4 लाख कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(13) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी में अनियमितताओं का बोलबाला।

(92)

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(14) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री भगवानदास शास्त्री, निवासी दौसा की दुकान पर गत 1 मार्च को की गई लूट-पाट के विषय में।

यह एक व्यक्तिगत मामला है और मैं इसे अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के गजनेर क्षेत्र में भारी संख्या में पेड़ों की कटाई के बावजूद तहसीलदार द्वारा कार्यवाही न करने के विषय में ।

इस विषय में पूर्व में चर्चा हो चुकी है और इस पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं । इस विषय पर चर्चा की अनुमति भी नहीं होगी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): तहसीलदार द्वारा कार्यवाही न करने के कारण पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही करने का स्थगन प्रस्ताव था मेरा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मैंने अध्यक्ष महोदय, एक नोटिस दिया था....295 के

श्री अध्यक्ष : आप बता दें । उसके बारे में ...

श्री नाथूसिंह : राजस्थान सरकार ने कुछ आदेश दिये थे, उन आदेशों में कुछ आदेश केन्द्र सरकार द्वारा बदले गये हैं, न उनका एनक्रोचमेंट हुआ, इन सम्बन्ध में मैंने आपको एक 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगन प्रस्तावों को ले लें उसके पश्चात्। माननीय सदस्य, पहले स्थगन प्रस्ताव ।

श्री नाथूसिंह : आप उचित व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव भी आ चुका है, इसलिये मैं इजाजत नहीं दूंगा । मैंने उसमें सरकार से जानकारी चाही है ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : जानकारी का सवाल नहीं है, मुख्य मन्त्री बैठे हुये हैं ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : Important point for our students. पाइंट आफ इन्फार्मेशन । आज राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं रहा जहां पेपर आउट नहीं हुआ । एक ही पेपर आउट नहीं हुआ, हायर सैकण्डरी के पेपर्स आउट हो चुके हैं । जो वहां इन्विजीलेटर्स खड़े किये हैं उनको रुपया दिया गया है नकल कराने के लिये । इम्तिहान हाल में नकल कराने के लिये शिक्षा मन्त्री बैठे हैं, मुख्य मन्त्री बैठे हैं, एक भी जिला नहीं जहां पेपर आउट नहीं हुआ । एक भी जिला

(श्री हरीश शर्मा)

बता दीजिये। पहले भी मैंने खबर दी थी कि पेपर आउट हो गया। सरकार नहीं मानती थी किन्तु दूसरे दिन खबर आई कि बहुत से पेपर आउट हो गये। मेरे पास सूचना थी किन्तु ये मानते नहीं थे....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय बंशीवाल ने कहा था, वह पेपर्स लेकर आये थे। हरीश जी इस प्रश्न को ठीक तरह से नहीं रख पाये पेपर सब आउट हो गये।

श्री अध्यक्ष : उचित माध्यम से सदन के समक्ष रखें सरकार से जानकारी लूंगा उसके पश्चात् निर्णय दूंगा। क्या पता किसी विद्यार्थी को पेपर मिला हो और उसको आता नहीं है इसलिये वह उठकर चला आया हो और कह दिया....

(व्यवधान)

मुझे प्रस्ताव देंगे तो मैं जानकारी लेकर ...

श्री हरीश शर्मा : मैं विद्यार्थी हूं और विद्यार्थियों का प्रतिनिधि हूं। मैं नकल को पसंद नहीं करता। नकल सरकार करवा रही है। नकल नहीं हो सकती, सरकार यहां बैठी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री हरीश शर्मा : No, No I cannot admit it। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में नकल चल रही है। लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप किसी प्रस्ताव द्वारा इस प्रश्न को सामने लायेंगे तो नियमानुसार कार्यवाही करेंगे....

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज मैं नहीं मानूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री हरीश शर्मा : नहीं नहीं, कृपया Is it out of the way ? कई छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। कोटा कालेज में दुबारा परीक्षा करवा दी। आज महात्मा गांधी स्कूल में हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : आप कहिये।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में एक जिला नहीं जहां पेपर लीक नहीं हुआ हो। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी परीक्षा में जो इन्विजीलेटर्स खड़े हुये हैं, बोर्ड के सैक्रेटरी के आदेशानुसार पब्लिक का कोई भी आदमी खड़ा कर दिया तो विद्यार्थियों ने क्या किया ? उनको रुपये देकर खरीद लिया और खुले आम नकल चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है, कोटा कालेज में एक बार नकल चली थी सारे विद्यार्थियों के पास किताबें पाई गई। परिणाम क्या हुआ ? दुबारा परीक्षा हुई। सरकार सारे राजस्थान के छात्र जीवन को बर्बाद करना चाहती है, सरकार मान रखना चाहती है तो भले ही मान रखे पर छात्रों का, उनके लाखों अभिभावकों का भविष्य बर्बाद हो जायेगा। कितने रुपये खर्च हो जायेंगे, कितने साल बर्बाद होंगे, अध्यक्ष महोदय, यह विचार नहीं करेंगे ? एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पेपर आउट नहीं हुआ

(श्री हरीश शर्मा)

हो। एक भी जिला ऐसा नहीं बचा फिर भी आपकी इच्छा हो वह करें। मैंने सदन को सूचना दे दी। That is all.

(2. 13. म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से मेरे स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी गई है कि यह व्यक्तिगत लूटमार का मामला है इसलिये कार्यवाही के स्थगन का सवाल नहीं बनता है। मेरा निवेदन इसमें यह है कि जन जीवन की सुरक्षा का दायित्व प्रशासन पर है। आतंक और असुरक्षा की भावनाओं को लेकर श्री भगवान दास का पूरा परिवार दौसा से आकर जयपुर में बैठा है। वह असुरक्षा की स्थिति में है, वह वृद्ध व्यक्ति मुझसे मिले। उन्होंने कहा, मैंने देश के प्रधान मन्त्री से लगाकर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, प्रदेश के गृह मन्त्री, प्रदेश के आई. जी. पुलिस देश के राष्ट्रपति महोदय कई विधायकों, राज्यपाल महोदय सभी को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि दी और यह व्यक्त किया कि मेरी खेतीबाड़ी सब नष्ट कर रहे हैं, मेरा परिवार वहां नहीं जा सकता, मेरे पर कतिलाना हमला मेरी दुकान में आकर किया गया है। इस प्रकार से 452और 147 जैसे अभियोग में पुलिस वाले पार्टी से मिलकर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं इसलिये मुझे जान माल का पूरा खतरा हो गया। मैं गांव छोड़कर 15 दिन से जयपुर में बैठा हूं जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक मैं नहीं जा सकता हूं। इस प्रकार के गंभीर मामले में राज्य सरकार से सभी तरह की कार्यवाही के लिये निवेदन किया स्वयं जाकर किया, पत्रों द्वारा किया उसके बावजूद कोई कार्यवाही न हो तो, मैं समझता हूं यह उस व्यक्ति के जीवन के खतरे का सूचक है इसलिये मैं आपके मार्फत राज्य सरकार और गृह विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान दास के मामले के लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव आपको प्रस्तुत किया है....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था की जा रही है।

(गण पूर्ति घण्टी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आपस की लड़ाई हो सकती है पर पुलिस में जब रिपोर्ट की, डीवाई.एस.पी. और एस. पी. से स्वयं जाकर मिले और कहा कि मेरा जीवन खतरे में है, मेरे साथ प्राणघातक हमले की वारदात हुई है। 147 व 452 जैसी सारी घटना होते हुये अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने से आज उसको गांव छोड़कर जयपुर में दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा भगवान दास के मामले में कि यह साइक्लोस्टाइल्ड कागज है, पूरी वारदात इसमें लिखी हुई है। उन्होंने 15 तारीख को इस सम्बन्ध में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आवेदन किया है, जैसा मैंने निवेदन किया देश की प्रधान मन्त्री, देश के राष्ट्रपति, राजीव गांधी, देश के गृह मन्त्री श्री जैल सिंह, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, राजस्थान के गृह मन्त्री, राजस्थान के आई. जी. पुलिस और राजस्थान के गृह राज्य मन्त्री, सभी को उन्होंने प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि भेजी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान दास के परिवार को बिल्कुल खतरा है इनके पीछे इनकी फसल वगैरह का, चारे का वहां पर नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करके भगवान दास के परिवार की रक्षा करने के लिये सरकार जो कुछ भी कर सके वह निश्चित रूप से करे। इस ओर मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इस संबंध में सरकार निश्चित रूप से उचित कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री श्री नरेंद्र सिंह भाटी।

(व्यवधान)

सरकार से इन्फार्मेशन मंगाई गई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था उसके लिये मुझे निवेदन करना है।....

श्री नाथूसिंह : 295 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है....

श्री दाऊदयाल जोशी : एक तो कहा गया है शराब के ठेके लूटने के विषय में।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमन्, आपके जो स्थगन प्रस्ताव आये थे, राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त करने के लिये भेज दिये गये हैं। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। बोलने का सवाल नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मामला इतना गंभीर है।

श्री उपाध्यक्ष : सब मामले गंभीर हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : पुलिस के लोगों द्वारा शराब का ठेका लूटा गया ....।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्फार्मेशन मंगाई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सदस्य चाहते हैं वह कारण क्या हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि वहां सब प्रकार के सबूत नष्ट किये जायेंगे। रिजेक्ट कर दिया जाय लेकिन allow him for two minutes।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसको रिजेक्ट करने में असमर्थ हूं। यह माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई है। उन्होंने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। मैं पहले उनके ध्यान में लाऊंगा उसके बाद में वह जो भी निर्णय देंगे उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा, बून्दी और झालावाड़ में ।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । आपका स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट नहीं हुआ है, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक नोटिस है रूल 295 के अन्तर्गत ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के पास भेज रहा हूं । अगर वह अनुमति देंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे दूंगा । मैं भेज देता हूं ।

श्री नाथूसिंह : बस एक मिनट । मैं इतने समय में तो समाप्त ही कर देता । बस एक मिनट ।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान नहर निर्माण के दौरान तहसील कोलायत में कुछ काश्तकारों को भूमि का मुआवजा

श्री उपाध्यक्ष : आप चिन्ता मत कीजिये । आपको मौका मिलेगा बाद में । आप स्थान ग्रहण करें ।

मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य । श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, आपके तीन विषयों पर स्टेटमेन्ट हैं ।

(1) राजस्थान नहर निर्माण के दौरान तहसील कोलायत में कुछ काश्तकारों को भूमि का मुआवजा न देना,

(2) राजस्थान नहर की लूनकरणसर लिफ्ट योजना में दो माह से पानी उपलब्ध नहीं होना,

(3) राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में मेन केनाल के निर्माण कार्य को प्राथमिकता न देने से फसलें पैदा न होना ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप संयुक्त वक्तव्य देंगे ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना) : अलग अलग धीमी गति से ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, देवीसिंह जी भाटी के रूल 50 के अन्तर्गत रखे गये स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में यह मेरा स्टेटमेन्ट है ।

विषय राजस्थान नहर निर्माण के दौरान तहसील कोलायत में कुछ काश्तकारों को भूमि का मुआवजा न देने के संबंध में ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : है, कोरम है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बराबर है कोरम ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । मैंने गिन लिये हैं । आप मुझ पर भरोसा कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले की फलौदी तहसील में राजस्थान नहर का निर्माण कार्य नहीं चल रहा

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

है। केवल फलोदी तहसील के पास एक आवासीय कालोनी बनाई गई है जिस भूमि को कई वर्षों पहले अवाप्त कर ली गई थी तथा इस सम्बन्ध में विभाग के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बीकानेर जिले की कोलायत के राजस्व क्षेत्र का कुछ क्षेत्र राजस्थान नहर के मुख्य क्षेत्र में आर. डी. 800 से 1080 के बीच में आता है. उक्त क्षेत्र चार उपनिवेशन तहसील में विभाजित किया गया। इन चार तहसीलों में 8 दो तहसीलों में कोई खातेदारी की जमीन नहीं है। एक तहसील नम्बर 3 में एक गांव और अन्य तहसील में पांच गांवों में खातेदारी की जमीन है। दूसरों में केवल एक अरनेऊ में ही पूरी योजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण की गयी। उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि सभी काश्तकारों को नियमानुसार मुआवजा या अवाप्त की गयी भूमि के बदले भूमि 30-6-80 तक अवश्य दे दी जाय ताकि ये काश्तकार आने वाली वर्षा ऋतु में अपनी भूमि पर काश्त कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी आदेश दिये जा रहे हैं कि आगे नियमानुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूरी करने पर सम्बन्धित काश्तकारों को मुआवजा या भूमि के बदले भूमि आवन्टन करने के पश्चात् ही उनकी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाय।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या, उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : जवाब गलत दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात का तो मुझे एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य। आपको आगे बोलने का मौका देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : Thank you.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र में राजस्थान नहर का निर्माण हुआ। पाइलेट चैनल बनायी गयी, कोलायत तहसील के अन्दर लगते ही राजस्थान मैन केनाल के पास में सड़कों का निर्माण किया गया। उसके लगते ही वहां पर भट्टों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात के अन्दर जब पाइलट चैनल के लगते ही राजस्थान मैन कैनाल के लगते ही अलांग दी कैनाल जो रोड बनायी गई उसके लगते ही भट्टों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। अब आप सोचिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक गरीब काश्तकार, जिसके पास 20 बीघा भूमि है चाहे 50 बीघा भूमि है और उसकी सारी की सारी भूमि अवाप्त कर ली गई। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई काश्तकार हैं जिनकी पूरी की पूरी भूमि इस निर्माण कार्य में ले ली गई है बगैर कोई नोटिस दिये। मुझे एतराज है इस बात का, एक तरफ राज्य सरकार कानून और कायदे बनाती है, मोटे-मोटे पोथे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, इनके हर दफ्तर में इनकी हर लाइब्रेरी में। जगह-जगह पर वह उपलब्ध हैं परन्तु कानून और कायदे की कौन पालना नहीं करता? यह सरकार नहीं करती है। यह कायदे और कानून किसी एक व्यक्तिने

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं बनाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कायदे और कानून हमारी राज्य सरकार ने बनाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड एक्विजीशन एक्ट जो है उसका मैं हवाला दूं। सैक्शन 45 के सब सैक्शन (4) में है–

"(4) A public notice required to be given under this Act shall be in writing and shall be signed and sealed by the officer giving the same. It shall be affixed at a notice board of the office of such officer and the copies of such notice shall be affixed on the notice board of the tehsil concerned and on the notice board of the village panchayat, if any, constituted under any law for the time being in force. Its contents shall be made widely known in the locality in which the land proposed to be acquired is situated, by affixing copies thereof at some convenient place on or near about such land and in other conspicuous public places in the locality or by publishing the same by beat of drums or by advertisement in a newspaper having wide circulation in the locality or by any two or more of these means."

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड एक्विजीशन एक्ट, 1953 में यह प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा यह कानून और कायदा बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने नहर निर्माण के कार्य और अन्य निर्माण कार्यों के दौरान किसी एक भी काश्तकार को नोटिस दिया या नहीं दिया ? यदि नहीं तो क्यों ? आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। गांव का एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ किसान यह कायदे कानून जानता नहीं है। वह तो बस इतना ही जानता है कि यह राज्य सरकार है, इसकी व्यवस्था है। इसके पास ताकत है और यह जबरदस्ती से अपना काम करेगी। इसके कारण से वह बेचारा काश्तकार नुकसान भुगतता है। एक बीघा जमीन नहीं है, यह सैंकड़ों बीघा जमीन है। उपाध्यक्ष महोदय, रूल का इस तरह का वायोलेशन कौन करता है ? वह है राज्य सरकार। गांव का गरीब आदमी, एक अनपढ़ काश्तकार किसके पास जाय ? वह जाये तो कहां जाये ? क्या इस बात की जिम्मेदारी आपके विभाग की नहीं है कि वह कानून और कायदों की पालना करे ? क्या आप कायदे और कानून की पालना की उम्मीद किसान और गरीब काश्तकार से करते हैं ? राज्य सरकार उसका पालन नहीं करे, यह राज्य सरकार की कोई व्यवस्था है। लेकिन राज्य सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार ने साफ माना है एक अतारांकित प्रश्न संख्या 257 दिनांक 10-3-82 को मैंने पूछा था, प्रश्न के भाग (2) में मैंने पूछा था, "तहसील कोलायत उपनिवेशन नम्बर एक से चार में किन-किन काश्तकारों को कितनी-कितनी भूमि किन-किन गांवों में से अवाप्त की गयी है ? अवाप्त करने के पूर्व सभी काश्तकारों को सूचना या खबर दी है ?" यह मैंने पूछा था, अवाप्त की गयी भूमि के काश्तकारों के बारे में पूछा, उसका मुझे जवाब मिला।

श्री उपाध्यक्ष : क्या।

श्री देवीसिंह भाटी : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, गरीब काश्तकार को, गांव के गरीब आदमी को क्या पता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Leave it to me.

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से उत्तर आया, अवाप्ति से पूर्व सम्बन्धित विभाग ने काश्तकारों को सूचना नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह कायदे और कानून किसलिए बने हैं? उस गरीब को मारने के लिए, जिनके मुंह में जबान नहीं, जो बोल नहीं सकते, जो आंदोलन नहीं कर सकते। और वही काश्तकार संगठित हो जाते और नेशनल प्रोजेक्ट का कार्य रोक देते, निर्माण कार्य नहीं होने देते तो क्या यह उचित होता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? परन्तु इस राज्य सरकार ने, इस विभाग ने कतई ध्यान नहीं दिया, उपाध्यक्ष महोदय ··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लैण्ड एक्विजीशन एक्ट के प्रावीजन्स आपने पढ़े हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : पढ़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़े हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि बाद में कार्यवाही होती है एक्विजीशन पहले कर लेते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब होगी वह कार्यवाही? आपको यह पता है, उपाध्यक्ष महोदय, इसका निर्माण कार्य कब चालू हुआ? ऐसे काश्तकार हैं मेरे क्षेत्र के अन्दर जो दस-दस और बीस-बीस साल से बगैर जमीन के बैठे हैं। मैं उदाहरण दूं, उपाध्यक्ष महोदय, तहसील कोलायत में सादोलाई के अन्दर एक विधवा है, बेचारी बुढ़िया है उसके नाम पर जमीन बोलती है खाते के अन्दर। उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, रोजी रोटी का साधन नहीं है उसके पास। उपाध्यक्ष महोदय, उसने राज्य सरकार को वृद्धावस्था पेन्शन के लिए एप्लाई किया। पटवारी ने रिपोर्ट कर दी कि इसके खाते में जमीन बोलती है। जमीन कहां है? राजस्थान कैनाल के अन्दर, भट्टों के अन्दर। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा न्याय है? यह कैसी व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय।····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके लिये कानूनी अदालतें खुली हैं। उसको दावा करना चाहिए था। यहां उठाने से कोई उसको जमीन मिल जावेगी?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको जरूर गरीबों के प्रति हमदर्दी है, मैं मानता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद उसकी तरफ से पैसे लगाकर दावा करवा दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं सैकड़ों हैं। उनको क्या पता कि क्या कायदे कानून हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। जमीन उसकी जाये, शहरों में वह जाये, अदालतों में वह जाये···

श्री उपाध्यक्ष : फ्री लीगल एड कमेटियां बनी हुई हैं उनका फायदा उठाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : वहां कुछ नहीं है। आप भी वकील रहे हैं आपने कितनों को

(100)

(श्री देवीसिंह भाटी)

मदद दी है। उपाध्यक्ष महोदय, वह गरीब काश्तकार कैसे जायेगा अदालतों के अन्दर? पांच सौ और हजार रुपया तो वकील लेगा और स्टाम्प का खर्चा होगा, उपाध्यक्ष महोदय। आज मन्त्री महोदय ने एक आश्वासन दिया। मुझे खुशी है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव आने के बाद में इन्होंने इस बात पर गौर किया और यह आज आश्वासन दिया मंत्री महोदय ने कि 30 जून, 82 तक सब को मुआवजा दे दिया जाये....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अपने विभाग को निर्देश दिये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हम स्थगन प्रस्ताव लायें, आंदोलन करें क्या तभी किसी समस्या की ओर आपका ध्यान जायेगा? फिर आपने कायदे कानून किसलिये बना रखे हैं? क्या विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसका मतलब यह है कि आप तभी आप ध्यान दोगे? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उस क्षेत्र के साथ, गरीब जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर का निर्माण है हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम उन लोगों को मनायेंगे कि आप जमीन छोड़िये, आपको दूसरी जमीन दे दी जायेगी। परन्तु दस-दस और बीस-बीस साल तक उनके फैसले नहीं होते। मुझे एक तो उदाहरण बतायें, मन्त्री महोदय, जब से जमीन एक्वायर हुई एक का भी फैसला हुआ? इन्होंने माना है, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर के अन्दर कि 75 पर्सेन्ट से ज्यादा जमीनें अवाप्त कर ली गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके नाम गिनाऊं तो काफी ज्यादा हैं। इन्होंने माना है पिछले बजट सत्र में फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, जब इनके नोटिस में आ गया, इन्होंने माना कि काश्तकार की 75 पर्सेन्ट से ज्यादा भूमि हमने अवाप्त कर ली है तो कम से कम उसको काश्त करने के लिए दूसरी जमीन तो देते। उसको मुआवजा तो देते।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक काम कीजिए, माननीय सदस्य। आप मन्त्री महोदय के घर पर जाकर या चेम्बर में जाकर उनको यह लिस्ट दे दीजिए। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह ऐसे केसेज को जल्दी निपटायें।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : यह दोनों ही भाटी हैं। मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इनका मैं क्या अर्ज करूं, इनकी तो भाषण देने की आदत हो गयी है, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने स्टेटमेंट दिया उसमें जब कह दिया कि मैंने निर्देश दे दिये हैं मेरे सब अफसरों को, 30 जून तक भले ही जमीन के बदले जमीन या मुआवजा दे दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज नाचना में नहर चल रही है। आगे के लिए भी मैंने कह दिया है कि कोई जमीन एक इंच भी मुआवजा दिये या बिना उस आदमी को सेटिस्फाई किये ली नहीं जायेगी। भले ही काम वहां रुक जाये....

श्री देवीसिंह भाटी : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : That is the law of the country.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Thank you. उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमन्, आप फर्मायें कि पिछले तीन साल जब इनकी सरकार थी या 2½ साल इनकी सरकार थी, उपाध्यक्ष महोदय, उन दिनों में कोलायत में ही थोड़ा बहुत चला था, क्यों नहीं इनकी सरकार ने उस समय मुआवजा दिया ? इन्होंने जो गलतियां की हैं उनको हमें अब भुगतना पड़ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी : एक निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दुलाराम : अब क्या चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : आप संतुष्ट है क्या ? आपके क्षेत्र के अन्दर नहर का निर्माण हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें। समय का ध्यान रखें।

श्री देवीसिंह भाटी : बीच में जब....

श्री उपाध्यक्ष : बीच में उनकी बात सुनिये ही नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह उठता है कि मन्त्री महोदय ने घोषणा कर दी उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं....

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : आज से आपका लड़ाई-झगड़ा बन्द।

श्री देवीसिंह भाटी : आपका और हमारा लड़ाई-झगड़ा तो इसी प्रकार चलता रहेगा। इस व्यवस्था से झगड़ा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, घोषणा नहीं मैंने आदेश दिये हैं। हम घोषणा नहीं करते आदेश देते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे पता नहीं। आज ही आश्वासन दिया है आपने मुझे इस हाउस में। मैं यह निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कायदे-कानून बने हुए हैं पिछले समय में उनकी पालना नहीं हुई। मंत्री महोदय, कृपया मेरी बात सुन लें....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। आपकी मार्फत मुझे एड्रेस करें।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आइन्दा के लिए आर्डर्स इश्यू कर दिये। अब क्या आप चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह दस पीढ़ी पुरानी लड़ाई यहां पर ला रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा इतना ही निवेदन है कि इन्होंने आदेश प्रसारित कर दिये, इसके लिए धन्यवाद परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, गम्भीर मामला है। जब कायदे-कानून हम बनाते हैं, यह विधान सभा इसी के लिए गठित की गयी है....

श्री उपाध्यक्ष : कायदे--कानून की ही तो बात कही है इन्होंने ।

श्री देवीसिंह भाटी : कही है पर, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दस बीस साल से फैसले नहीं हुए, इसके लिए निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि जिन्होंने दस-बीस साल से पालना नहीं की उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए, उपाध्यक्ष जी ।

श्री उपाध्यक्ष : दस-बीस साल पहले तो शायद यह नगे फिरते होंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी : नंगे तो फिरते होंगे पर अब तो अकल आ गयी ।

मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने इस प्रकार से उन गरीब काश्तकारों को परेशान किया, उनको बरबाद किया, उपाध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यही मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा ।

मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि जिन्होंने पिछले समय में गलतियां की हैं, आपका हौसला मैं बढ़ाना चाहता हूं कि आप एक्शन लें ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने कायदे-कानून की कभी पालना नहीं की, कभी उन्होंने गरीब काश्तकार की ओर नहीं देखा । वह रोते रहे, वह परेशान होते रहे । मैं आपको उदाहरण दूं, उपाध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन कमिश्नर, बीकानेर पूर्व में रहे थे उनसे मैं मिला कि हमारी इस प्रकार की समस्यायें रह गयीं कि काश्तकारों की जमीनें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो तीन मिनट बोलने का समय होता है । आपने कितने मिनट ले लिये हैं। आपने इसको ध्यान में नहीं रखा । अब समाप्त कीजिए आप ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर मैं मेरा यही दुबारा निवेदन है कि जो कायदे-कानून बने हैं, उनकी अनुपालना नहीं की गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई ।

आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है क्या ?

श्री सुनिल कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : इस बारे में नहीं दिया मैंने ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा और तीसरा, मंत्री महोदय ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा वाला ले लूं ।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे और तीसरे दोनों का भेले ही दे दो ।

लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल में पानी की उपलब्धि

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री देवी सिंह जी भाटी का कालिंग अटेन्शन मोशन नियम 121 के अन्तर्गत है, उसका मैं आपके मार्फत रिप्लाई देना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, विषय है, राजस्थान नहर की लूणकरनसर लिफ्ट योजना में दो माह में पानी नहीं मिलने बाबत । माननीय सदस्य ने राजस्थान नहर की लूणकरनसर लिफ्ट कैनाल की जामसर वितरिका पर दो माह से पानी

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

नहीं चलाने का मामला उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जामसर वितरिका लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशन नं. 2 मलकीसर के बाद निकलती है और इस वितरिका में पूर्ण प्रवाह तभी सम्भव है जब कि दोनों पम्पिंग स्टेशन्स पर बिजली की सप्लाई व पूरा वोल्टेज बराबर मिलता रहे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो ध्यान है पिछले चार महीने में बिजली का क्या संकट रहा है इस प्रदेश में। बिरधवाल हैड पर जहां से कि लिफ्ट कैनाल निकलती है पानी की इस साढ़े चार महीने में, उपाध्यक्ष महोदय, हमें कोई कमी नहीं लगी। दिनांक 15-10-81 से 28-2-81 के दैनिक आंकड़ें देखने से पता चलता है कि इन साढ़े चार महीनों के दौरान कैनाल में 35 दिन पानी लगभग 20 से 52 क्यूसेक चला जो कि इस वितरिका की क्षमता का लगभग 30 से 60 प्रतिशत है। पम्पिंग स्टेशन नं. 2 मलकीसर के दैनिक आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि बिजली की सप्लाई नवम्बर तक तो ठीक थी और पावर फेल्योर और कम वोल्टेज की शिकायत अधिक नहीं रही पर दिसम्बर से 3-4 घण्टे से लेकर 8 घण्टे पावर फेल्योर होने लगा। इस प्रकार काश्तकारों की जो कि शिकायत ..

श्री उपाध्यक्ष : नं. 2 और नम्बर 3 कवर होता है इसमें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। आपका है कालिंग अटेन्शन, सेपरेटली आन्सर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इस प्रकार काश्तकारों को भी पूर्व सूचना देना सम्भव नहीं था बिजली कट्स के बारे में। निवेदन है कि राज्य विद्युत मण्डल के स्थानीय अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है कि बिजली की उपलब्धि सामान्य हो सके। क्योंकि पूरे राज्य में बिजली की कमी रही है इसी का प्रभाव लिफ्ट कैनाल पर भी पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि बिजली की उपलब्धि की कठिनाई थी फिर भी जितना पानी जामसर वितरिका, माननीय सदस्य पर्टीकूलर इन्ट्रेस्ट लेकर जिसका कालिग अटेंशन मोशन लेकर पधारे हैं आपके सामने और इस सदन के सामने, में छोड़ा जा रहा है उसके मुकाबले वास्तविक सिंचाई बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, इस डिस्ट्रीब्यूटरी से यूटिलाइजेशन हार्डली 9 पर्सेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, जो पानी छोड़ा जा रहा है वह कम से कम 2 हजार एकड़ क्षेत्र को सिंचित कर सकता है जब कि वास्तविकता में सिंचाई अब तक केवल 380 एकड़ में ही हुई है। इस साल, उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं कि पानी की कमी है लोग, त्राहि त्राहि कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां के हजारों फार्मर अगर 380 एकड़ में आ जायं तो फार्म की यूनिटी मेरे खयाल में ·01 एकड़ होगी।

पशु धन और लोगों के प्यासे मरने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक फसल की खराबी का सवाल है विभाग द्वारा प्रत्येक फसल के बाद पुख्ता पैमाइश कर खतोनियां तैयार की जाती हैं। कुछ काश्तकारों को सिंचाई व्यय निर्धारण के बारे में यदि कोई आपत्ति हो तो उस पर जांच

१०५

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

करके नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट दी जानी है और कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुनील बिश्नोई।

श्री सुनील कुमार बिश्नोई (सूरतगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है इसके सम्बन्ध में दो–तीन चीजें पूछना चाहता हूं। जो लिफ्ट के पम्पिग स्टेशन्स हैं इनका सोर्स आफ पावर, जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्या एक ही है? क्या इनके पास ऐसी कोई शिकायतें आई हैं कि पूर्वगत तहसील में उदयपुर गांव है वह गांव कई बार खाली करना पड़ता है क्योंकि वहां के काश्तकारों को पानी मिलता नहीं है? वहां इनके एस्केप में से पानी ओवर फ्लो होता है उससे पूरा गांव डूबने वाली हालत में हो जाता है। गांव वालों को पूरा गांव खाली करना पड़ता है और वे धोरे पर जाकर बैठते हैं। फिर जब पानी सूखता है तो वापस आकर बैठते हैं। पचासों वार उन्होंने गांव खाली किया है। क्या इनके पास ऐसी कोई शिकायत आई है?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरनसर के बारे में बात कर रहे हैं या....

श्री सुनील कुमार बिश्नोई : It is fameless canal जो लूणकरनसर को पानी देती है उससे काश्तकारों को तो पानी मिलता नहीं है, त्राहि त्राहि मची हुई है पानी के लिये। आगे लूणकरनसर का लिफ्ट इर्रिगेटेड एरिया है उसमें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने मेरा पूरा स्टेटमेन्ट ध्यान से सुना नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव न. 2 का है या नं. 3 का है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपका तीन का है लेकिन मैं उत्तर देने को तैयार हूं। आपने कहा, कितने पम्पिग स्टेशन्स हैं?

श्री उपाध्यक्ष : साथ साथ ही दे दीजिये दोनों का। एक साथ ही रिप्लाई दे दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तीसरा।

उपाध्यक्ष महोदय, चार पम्पिग स्टेशन्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन चार पम्पिग स्टेशन्स में कुल इर्रिगेशन पोटेंशियल....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको तो अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। आप तो आकाश की बात भी सुन लेते हो।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पराकाष्ठा है....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, देखिये मिस- बिहेवियर की....

श्री उपाध्यक्ष : अब यह तो आपकी छेड़छाड़ है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अल्टीमेट इर्रिगेशन पोटेंशियल 56 हजार 356 हैक्टेयर

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

है। उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें से 80–81 में 5058 हैक्टेयर ही जमीन काश्त की गई है। वह किन कारणों से है, उन कारणों को हम कैसे सोल्व करें। हम भी चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना वेल्यूएबल पानी वेस्ट नहीं हो इस एरिया में लेकिन इस वर्ष मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि काश्तकारों को इस फसल में पानी रिक्वायरमेंट से कम मिला हो। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फार्मर्स के बड़े सपोर्टर और कन्सर्ड इंडिविजुअल हैं लेकिन शायद इन्होंने खुद ने खेती नहीं की होगी, उपाध्यक्ष महोदय, हाथों से। क्यों?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जागीरदार हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, जागीरदार प्रथा होगी। ये भरतपुर के राजा बोल रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : राजा राजा को जवाब दें तो कोई फर्क नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अपन तो एक ही पार्टी में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जितना क्यूसेक पानी फ्लो में आया है उसके डिस्ट्रिब्यूशन की लिस्ट पूरी सुनाऊं तो आप अचंभित हो जायेंगे। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा जो लीन पीरियड है साढ़े चार महीने का, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार महीने में एक दिन ऐसा नहीं था जब टाइम पर रोटेशनल पानी नहीं मिला हो। जिस डिस्ट्रिब्यूट्री की, श्रीमन्, हम बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य सुनील जी ने जैसा फर्माया कि साहब वहां के फार्मर्स बहुत ही कन्सर्न हैं, बहुत इफेक्टेड हैं। 15-10-81 से, उपाध्यक्ष महोदय, 28-2-82 तक 99 दिन होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 99 दिन में अगर कोई आदमी खेती करना चाहे तो कैनाल एरिया में तो इरिगेशन रोटेशन मिनिमम 15 दिन बाद आना चाहिए। अगर उससे पहले आ जाय तो फसल भी खराब हो सकती है। आपको तो पता ही है कि जिस एरिया से अपन आते हैं, आप और हम, उस एरिया में तो अगर पानी मिल जाय तो इससे 100 गुना ज्यादा पैदाइश कर लें क्राप्स की।

श्री यदुनाथसिंह : बच्चों की....

(व्यवधान)

गुणा पानी से खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती।

श्री उपाध्यक्ष : बैठे बैठे बात नहीं, माननीय सदस्य। अभी बातें नहीं, माननीय सदस्य। वक्तव्य चल रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, पानी का फ्लो रहा है, कभी 59 क्यूसेक, कभी 54 क्यूसेक, कभी 53 क्यूसेक। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है इन 99 दिनों में से जब पानी नहीं चला हो, 15 या 16 दिन से ज्यादा नहीं हैं। पहले जो इनका स्थगन प्रस्ताव था, मैंने माना कि सरकार से गलती हुई, मैंने एडमिट किया, आलदो इनकी सरकार की गलती थी लेकिन हर एक चीज में चाहें कि हम बस सरकार की तरफ से इनको आश्वा-

(106)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

सन देते रहें और इनकी ××× शिकायतें मान लें तो आपकी मार्फत मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

अब मैं तीसरे आ जाऊं, उपाध्यक्ष महोदय ? I hope you are satisfied.

श्री उपाध्यक्ष : आप तो खतम करके बैठ जाइये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही पाइन्टेड क्वेश्चन था, दूसरे के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : कोई हर्ज नहीं। आप बैठ जाइये।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : मेरा बहुत ही पाइन्टेड क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे अपने तौर पर काम करने दीजिये। पहले स्टेटमेंट खतम हो जाय फिर मौका दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे का मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी राजस्थान कैनाल के बारे में ही है।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : तीसरे की बात चल गयी तो दूसरी को पूरा कर लेते हैं। आपका ...

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं करने दूंगा।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : वाद विवाद नहीं कर रहा हूं, I am coming straight to the point.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आपका वक्तव्य पहले हो जाय।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने××× शब्द का उपयोग किया है, जो एक्सपंज किया जाय। यह अपने यहां की परम्परा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : असत्य।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिये। मैं आपको मौका दूंगा, आप इत्मीनान रखिये। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ये दूसरा स्टेटमेंट....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नहीं है, आप बैठ जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय....

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई :XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप कम्पलीट कीजिए अपना बयान।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कौन सा सैकण्ड या थर्ड ?

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उसके बारे में मुझे एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई एतराज नहीं हो सकता।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ, जब हमारे क्षेत्र की शिकायत का मामला आया है तब आसन ने व्यवस्था दी कि इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे....

श्री उपाध्यक्ष : तो मैं दिलवा रहा हूं वक्तव्य पूरा।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : मन्त्री महोदय ने दूसरे पर वक्तव्य दे दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। बोल लेना बाद में। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : एक साथ में गड़बड़ हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप अपना दिमाग ।

(व्यवधान)

जी हां। Please।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्यों ने पानी रिलीज का कहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे पर आऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्टेटमेंट दीजिए। माननीय सदस्यों का हवाला ही न दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में देखा जायेगा जब ये सवाल करेंगे।

राजस्थान नहर निर्माण कार्य में मेन कैनाल के निर्माण कार्य को प्राथमिकता न देने से फसल का नुकसान

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तीसरा।

उपाध्य महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत माननीय सुनील विश्नोई जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, आपके मार्फत उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किया राज्य में मुख्य नहर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें मुख्य नहर को प्राथमिकता न देने से करोड़ों रुपये की फसलें पैदा होने से वंचित हैं।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : धीमी गति के समाचार ऐसे ही आते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सनस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

के माध्यम से जो मामला उठाया है, मेन कैनाल के निर्माण को प्राथमिकता नहीं देकर सी. ए. डी. वर्क्स के काम को पहले करवाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी इस प्रकार की शंका निराधार है। निवेदन है कि ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं व इनके सोर्सेज भी अलग हैं। सिंचित क्षेत्र विकास के काम पर जो धनराशि खर्च की जाती है उसका असर राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण पर नहीं पड़ता। निवेदन है कि राजस्थान नहर की कुल लम्बाई 445 किलोमीटर में से 189 किलोमीटर प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज में है, जिसका कार्य 1975 में ही पूरा हो गया था। सी. ए. डी. के कार्यक्रम प्रथम चरण में ही किये जा रहे हैं। जब तक सी. ए. डी. के कार्य नहीं होते हैं प्रथम चरण के, सिंचित क्षेत्र में हमारे हिस्से का पानी का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए उन खालों को पहले बनाना पड़ेगा ताकि जिस पानी के लिये आपकी शिकायत है, पंजाब वाले यूज कर रहे हैं, उस पानी को हम तभी यूज कर पायेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जबकि हमारा पूरा इन्फास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाय। इस पानी को काम में लाने के लिए फर्स्ट स्टेज पर, सैकेण्ड स्टेज पर कैनाल चल रही है, और सी. ए. डी. के अन्दर किये जा रहे कार्यों में मुख्य कार्य खालों को पक्का करने का है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कार्य काश्तकारों के खर्च पर इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सिग के माध्यम से किये जाते हैं। इस पर जो पैसा लग रहा है वह इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सिग से आता है। जो पानी उठाते हैं, अगर हम चाहें भी तो उसे मेन कैनाल पर डाइवर्ट नहीं कर सकते, ऐसे रीजन्स हैं, लीगल काम्पलीकेशन्स फाइनेन्शियल रेस्ट्रिक्शन्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शेष 256 किलोमीटर का कार्य इस फाइनेन्सियल ईयर 81–82 में करने का लक्ष्य है। बचा हुआ 120 किलोमीटर का कार्य आने वाले तीन वर्षों तक पूरा करना प्रस्तावित है। राज्य सरकार का ध्येय इस नहर को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का है ताकि हमारे हिस्से के पानी का पूरा उपयोग हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई। अब आप सवाल करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, सैकेण्ड स्टेटमेंट था।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने बेसब्र न होइये, आपको मौका मिलेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : दूसरे पर बोले नहीं, तीसरे पर बोलना चालू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को सुनेंगे।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो जवाब दिया है, फर्स्ट स्टेज पूरी करने के बारे में, दूसरे के बारे में वक्तव्य दिया था, लिफ्ट के बारे में बताया, उसमें भी कहा था कि इरिगेशन पोटेंशियल 56 हजार हैक्टेयर है किन्तु 1980-81 में 5 हजार हैक्टेयर काश्त की गई। इसके कुछ कारण हो गये। इरींगेशन के टार्गेट्स क्या हैं, दरअसल कितने में इरींगेशन होता है? आपने बताया सी. ए. डी. के फर्स्ट स्टेज के कार्य हो गये हैं। लिफ्ट कैनाल के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैटीरियल

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

लगा है, उसमें से 80–90 पर्सेन्ट गलत है, यह शिकायत है, मैंने मन्त्री महोदय से कहा था कि आपको शिकायत मिली? इसका सरकार के पास जवाब नहीं आया। खालों के बारे में मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं पहले मुख्य मन्त्री को शिकायत हुई थी। ए. डी. एम. गंगानगर द्वारा उसकी जांच की गयी थी। जांच की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है। कहा गया कि वह कोई टेक्निकल हैण्ड नहीं था इसलिए वह कोई इन्क्वायरी नहीं कर सकते। एक तरफ काश्तकारों पर हजारों करोड़ों रुपयों का भार डालते जा रहे हैं। दूसरी ओर खाले बनाते जा रहे हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, कोई इरिगेशन उनसे हो नहीं सकती। 80% of that material भी बिलकुल गलत मिलाया गया है, ठीक नहीं बनाया गया है। पिछले दिनों, अभी हाल ही में, बीकानेर में जब पंचायत सम्मेलन हुआ था उसमें बिना फाइनेन्शियल सैंक्शन दिए, बिना एस्टीमेट किए 34–35 करोड़ रुपये खर्च कर दिये इन्होंने, और अभी भी मुझे डाउट है कि वह सैंक्शन हुआ या नहीं हुआ। इस तरह से अन्धाधुन्ध काम होता है। बिना प्रायोरिटी के काम करते हैं ये। और इस तरह के करप्शन की इतनी सीमा है कि आप इसका कोई अन्दाजा नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ जो हमारी राजस्थान कैनाल बनाने का मेन मुद्दा है…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी नोट करते जावें। मैं एक बार जवाब दिलाऊंगा। घड़ी-घड़ी में अवसर नहीं दूंगा।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : सैकेण्ड स्टेज के बारे में माननीय मन्त्रीजी को और बता दूं : सैकेण्ड स्टेज के बारे में लिफ्ट सिंचाई के बारे में निवेदन करूं कि बीकानेर, के काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा है, वहां के काश्तकारों में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है और पानी के लिए जो लिफ्ट बनी थी वहां दो तीन महीने से पानी नहीं गया है। आप नहीं मानते तो आप जांच करवा लीजिए। वहां पर लूणकरणसर लिफ्ट इरिगेशन बिल्कुल फेल्योर है। इसके कारण शायद मन्त्री महोदय को पता नहीं हो। मैंने पूछा था कि इसका सोर्स ऑफ वाटर पम्पिंग स्टेशन का सैम है या अलग-अलग है। इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज मैंने यह पूछी थी कि सूरतगढ़ तहसील में उदयपुर गांव है, क्या वह कई बार खाली नहीं हुआ है? पानी में डूबने के कारण वहां के खेत जलते हैं। राजस्थान कैनाल के काश्तकारों को पानी नहीं दे सकते लेकिन स्कैप में पानी छोड़ेंगे, पूरे गांव को डुबो देंगे। गांव वाले हरदम टीबों में जाकर बैठते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल के बारे में आज की तारीख में भी आपके पास जानकारी नहीं है कि पिछले दिनों साखवाला और सूरतगढ़ के पास वाले दोनों स्कैप चल रहे थे। दोनों एक साथ चल रहे थे। गंग कैनाल के अनूपगढ़ तहसील में से आधी तहसील की फसलें खराब हो रही हैं। उसमें सूरतगढ़ ब्रांच से पानी देने का प्रावधान था, इसलिए वहां लाखों रुपये खर्च करके हमने स्कैप बनाया, लिंक बनाई, पानी देने के लिए लेकिन अभी तक पानी नहीं दिया। स्कैप में तो ज्यादा पानी छोड़ दिया गंग कैनाल में लेकिन करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का उन्होंने नुकसान कर दिया है। स्कैप में एक तरफ तो पूरा गांव पानी से उजड़ रहा है दूसरी तरफ पानी नहीं देने के कारण

(110)

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

फसलें सूख रही हैं। अनूपगढ़ तहसील की तरफ लिंक बनाई हुई है। आज पंजाब का पानी हमें हिट कर रहा है। हमारी भाखरा और गंग कैनाल एरिया की फसलें सूखने के कारण वहां तबाही मची हुई है। उनको एक मौके का पानी भी मिल जाता तो फेमिन की स्थिति में जो भी अधिक अनाज पैदा होता वह हमारे राज्य के लिए हितकारक होता। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। Nobody bothers कि क्या हो रहा है। कोई मौके पर जाकर देखे, काश्तकारों की सुने तो पता पड़े इन चीजों का। आप सोचें कि जयपुर या दिल्ली से कोई राजस्थान नहर का काम चल सकेगा तो यह नामुमकिन सी चीज है।

दूसरा, राजस्थान कैनाल का मुद्दा आया है। आज हमारे राजस्थान में जैसलमेर के जो प्लेन ग्राउण्ड्स हैं, हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी है वहां पर मेन कैनाल प्रायोरिटी से कम्पलीट कराते हैं तो उससे पैदावार होगी। गंग कैनाल आज से पचास साल पहले बनी थी। पचास साल पहले की लाइन अभी तक चल रही है। अभी तक गंग कैनाल के जितने भी चक्स हैं उनमें वाटर कोर्सेज बनाने की शुरूआत अभी की है। अभी तक वाटर कोर्सेज नहीं थे। तो इनको इतनी क्या जरूरत आ गई थी कि 190 और 194 करोड़ रुपये खर्च करके, मेन कैनाल को बनाने के पहले वाटर कोर्सेज बना रहे हैं। मेन मुद्दा है कि आपको राजस्थान कैनाल बनानी है, वह बनाइये। पहले आप दो साल तक खालों में पानी चलाइये, जब वाटर कोर्सेज एस्टेब्लिश हो जावें तब उन्हें पक्का कीजिए। आप मेन कैनाल से आगे वाटर कोर्सेज बना रहे हैं। जब मेन कैनाल आयेगी तो लेवल में फर्क रह जायेगा और वाटर कोर्सेज बेकार जायेंगे। काश्तकारों ने अपना टैक्स तो दिया ही। 190 करोड़ खर्च कर दिया इन खालों पर वह भी काश्तकारों से ही वसूल होगा, उसका हम ब्याज लेंगे, वह वसूली हम नहीं छोड़ेंगे। खाले पहले बनायेंगे, मेन कैनाल नहीं बनायेंगे। तो मेन मुद्दा जो राजस्थान मेन कैनाल का है वह आप पहले बनाइये। आज राजस्थान कैनाल ...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कीजिए, प्रश्न।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : आज राजस्थान के अन्य इलाकों में पानी पहुंचता है लेकिन वहां पर हजारों बीघा जमीन अकाल में पड़ी है, खाली पड़ी है। वह उपजाऊ जमीन है, वहां पहले पानी पहुचा दें तो वह राज्य की इस संकट की स्थिति में बहुत मददगार बनेगी जब हमारे यहां अकाल की विभीषिका है, हमारे ऊपर फाइनेन्सेज में 340 करोड़ का डेफिसिट चल रहा है। हमें चारा बाहर से लाना पड़ता है। आज यहां का काश्तकार बाहर से चारा लाता है, बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है ऐसी स्थिति में अगर वहां पर पानी पहुंचता है तो वहां पर चारा होगा, अनाज होगा, वहां का काश्तकार खुशहाल होगा, राजस्थान की प्रगति होगी। राजस्थान की प्रगति में पूरे हिन्दुस्तान की प्रगति है। मेरी यह दरख्वास्त है राजस्थान सरकार से कि राजस्थान कैनाल को प्रायोरिटी दीजिए। ये दो तीन चीजें पूछी हैं उसको बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल की जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी में टेल में जो गांव पड़ते हैं वहां पिछले तीन माह से एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। माननीय मन्त्री महोदय ने इतना तो माना कि 380 एकड़ में हमने अभी सिचाई उपलब्ध करवाई थी। इसका मतलब है कि वहां पर कोई रहता तो रहा है, चाहे पांच आदमी होंगे। अगर वह बात सही है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना हूं कि किस प्रकार से गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने एक तरफ तो नहर लाकर दिखा दी, एक तरफ पानी लाकर दिखा दिया और दिखा दिया कि आप हमारे इस स्रोत पर विश्वास रखिये, आपको नियमित रूप से पानी मिलता रहेगा सिचाई के लिए, पीने के लिए, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूं कि जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी के टेल के गांव के अन्दर पिछले तीन माह से पानी नहीं गया। आप सोचिये, उपाध्यक्ष महोदय, उस काश्तकार को, जो भूमिहीन है, जिसको भूमि मिली, जो ऐसा लैंडलेस कल्टीवेटर था अपना गांव, अपनी जगह छोड़ कर आया, वहां उसने अपनी झुग्गी-झोंपड़ी बनाई, कैसे भी, कर्ज लेकर, पूंजी लगा कर। भूमिहीन काश्तकार, कौन? बड़ा काश्तकार नहीं, भूमिहीन काश्तकार। जिसने वहां पूंजी लगाई, कर्जा लेकर वहां अपनी खेती का कार्य किया, उपाध्यक्ष महोदय, उसको मिला क्या? कर्जा और दुगुना हो गया, राजस्थान सरकार की ओर से दुगुना मामला बन गया। मामला लेने के लिए फट पटवारी पहुंच जाता है। बार बार नोटिस दिये हैं, धमकियां दी गई हैं कि अगर नोटिस के ऊपर मामला नहीं भरवाया तो हम तुम्हारे खिलाफ कुर्की करेंगे। अब कुर्की किस की करोगे? फसल तो है नहीं वहां। अब उसकी करोगे? पता नहीं, उसके कपड़ों की करोगे या उसके झोंपड़ों की करोगे? उपाध्यक्ष महोदय, पानी पीने को ही नहीं है, सिंचाई की बात तो दूर रही। क्या यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? अगर पावर कट है, पावर फेल्योर है तो वह गरीब काश्तकार जाकर क्या पंजाब से पानी लाएगा? यह शिकायत गांव के उन काश्तकारों ने की है, बार बार मैं भी अधिकारियों से मिला हूं, लिफ्ट केनाल के एक्स.-ई-एन से मिला हूं, लिफ्ट कैनाल के एस ई. से मिला हूं। मेरे साथ उन गांवों के काश्तकार आये हैं। मैं लिफ्ट कैनाल के एस. ई. से मिला तो उन्होंने वह भीड़ देख कर मुझे आश्वासन दे दिया कि आज-आज मौका दीजिए। यह मैं जनवरी के सैकंड-वीक की बात बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आज ही पानी छुड़वा देता हूं जिससे टेल के गांवों में पानी पहुंच जाएगा। उस पानी से पहले तो पीने वाले पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और फिर थोड़ी सिचाई कर लेंगे। जिससे उन्होंने अभी रबी की फसल बो रखी है यह बच जाएगी, उपाध्यक्ष महोदय। उसके बाद में एक अधिकारी जो एस. ई. लेवल का है, एक जिम्मेदार अधिकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, जब उसने यह आश्वासन दे दिया तो काश्तकार XXX घर चले गए वापस और इन्तजार करते रहे कि आज शाम को पानी आएगा, सुबह आएगा, कल

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

आएगा, परसों आएगा। उपाध्यक्ष महोदय बार-बार मैंने शिकायत की, टेलीफोन किया, एक्स. ई. एन., ए. ई. एन., सारों को, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया परंतु किसी ने कतई ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा बीस दिनों से काल-अटेंशन दिया हुआ है। क्या पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जायेगा? पावर कट इस प्रकार से हो रहा था तो उसके जो भी आउट लेट थे, उसको बन्द कर देते।

श्री **उपाध्यक्ष** : रिपोर्ट मत कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी बात कहिये। यह एक बार कह चुके आप।

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर हल क्या निकलेगा, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : तो सुझाव दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। जो पिछला सिस्टम है, जो पिछली डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको आप चाहें तो कटौती करके थोड़े रोज पानी दे सकते हैं, उनको आप कम रखिये और जो टेल एण्ड तक के गांव हैं, उनको कम से कम पीने के लिये पानी तो दीजिए। आपने विश्वास में तो रख दिया कि हमने आपके यहां नहर बना दी है। डिस्ट्रिब्यूटरी ले आये हैं, पानी आपको देंगे लेकिन पानी भी पीने को नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। आखिर वह गरीब काश्तकार है वह जाये तो जाये कहां? क्योंकि वह आंदोलन करने वाला नहीं है. उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये, उनका दुःख दर्द देखिये। उपाध्यक्ष महोदय, वह भूमिहीन है। राज्य सरकार की ओर से ऐसे काश्तकार को, जो भूमिहीन है जिसके अन्य कोई साधन नहीं हैं, उनको एक तरफ ले जाकर बसा दिया, ऊपर से उनको एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया और कह दिया कि हम नहर ले आये हैं, पानी इससे देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन पानी दिया नहीं। इस प्रकार से अन्याय सहन नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद माना है कि पिछले साढ़े चार महीने के अन्दर पूरी जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी के अन्दर केवल 35 दिन पानी चला है और टेल एण्ड तक कतई नहीं पहुंचा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पावर कट फिर भी रहेगा तो आखिर आपने जो करोड़ों रुपये इस लिफ्ट कैनाल पर लगाये हैं वह करोड़ों रुपया व्यर्थ जायेगा। चाहे काम कैसा भी हुआ हो आखिर जब इसका सदुपयोग नहीं हो।

जो लोग उस पर आश्रित हैं, वहां काम कर रहे हैं, वहां अपना घर बनाये बैठे हैं, उनका उसका आल्टरनेटिव क्या है? क्या यही कि काश्तकार, जो पहले भूमिहीन था, को अब राज्य सरकार ने जमीन अलाट की है, वह जमीन छोड़ कर ठोकरें खाने चला जाये? सरकार ने, विभाग ने इस समस्या का समाधान करने के लिये क्या आल्टरनेटिव व्यवस्था सोची? सरकार ने यह कहा, पावर कट है, पिछले तीन महीने से। लेकिन अब तो साल भी खतम हो गया। क्या यह समस्या अब भी रहेगी। मैं कहना चाहता हूं,

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह प्राब्लम अब भी रहेगी। इसके ऊपर लिफ्ट कैनाल बेस्ड है, हजारों काश्तकार इसी विश्वास पर आश्रित बैठे हैं, वह कहां जायेंगे. उपाध्यक्ष महोदय ? इसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं दिया। उन्होंने अपनी स्थिति बता दी कि हम तो फटेहाल हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है. हम तो शीर्षासन करके यहां आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां वक्तव्य देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप उन गरीब, भूमिहीन काश्तकारों को सोचिये, वह भूमिहीन काश्तकार गांव में बैठा हुआ है वह प्यासा है। उसकी प्यास बुझाने के लिये आपने कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था की है? यह आपकी जिम्मेदारी थी। आपने एक डिग्गी बनायी है आप बैंक से कहीं से भी उसकी व्यवस्था करते, आप जिलाधीश के द्वारा फैमिन के फंड से किसी प्रकार व्यवस्था करते, पीने के लिये पानी देते। पीने का तो पानी नहीं है और काश्त करने को, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाने को सोच रहे हैं, और कैनाल में हम कामयाबी कर रहे हैं, हम चारों तरफ नहरों का जाल बिछा देंगे। आप जाल ऐसा गूंथ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री महोदय और सरकार जाल तो ऐसा गूंथ रही है कि उसमें फंसकर, जो गरीब है, वह टूटता जा रहा है, वह मरता जा रहा है। आज उसके बच्चों की, परिवार की हालत देखिये। वह आपसे बोल नहीं सकता है, वह मन्त्री महोदय, आपसे मिल नहीं सकता है। मन्त्री महोदय वहां जायेंगे तो सड़क पर फर्राटे मारते हुए कार निकल जायगी। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या शिकायत मिलने के बाद, शिकायत करने वाले टेल एण्ड के गांव वाले हैं, कभी एक्स. ई एन. मौके पर गये, उनकी शिकायत पूछने के लिये ? कभी नहीं उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है। गाड़ी मिली है, अपनी बीबी बच्चों को घुमाने के लिये, समस्या देखने के लिये और क्षेत्र में जाने के लिये नहीं मिली है। वह बैठे हैं बगलों के अन्दर। जन प्रतिनिधि मिलता है उन ग्रामीणों को लेकर मिलता है, शिकायत करता है, फिर भी एक्स. ई एन. ध्यान नहीं देते। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। आखिर फैसला क्या हुआ ? आखिर क्या किया, मन्त्री महोदय इस बात का उत्तर दें ?

श्री उपाध्यक्ष : एक बात को, माननीय सदस्य, बार बार कहने से कोई नतीजा नहीं निकलता है। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। थोड़े शब्दों में एक बात को कहा जा सकता है। समय का ध्यान रखिये, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या आप संतुष्ट हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया क्या उससे क्षेत्र के गरीबों की समस्या का समाधान हो जाएगा ? क्या पीने को पानी मिल जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : These question are irrelevant. मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं, वह बात अलग है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जब वित्त मन्त्री महोदय बजट पेश करते हैं तो उनके लिये कांच के गिलास के अन्दर साफ सुथरा पानी लाकर पेश कर दिया जाता है, सिर्फ पांच-दस-पन्द्रह मिनटों के

(114)

(श्री देवीसिह भाटी)

लिये। लेकिन वह ग्रामीण जो दूर-दराज के गांवों में बैठा है, उसके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराज जायें आप, माननीय सदस्य। भाषण हो गया पूरा। एक पाइन्ट को बार बार कहने से कोई नतीजा नहीं निकलता है। उसको मन्त्री महोदय ने नोट कर लिया है।

श्री देवीसिह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इस बात का उत्तर दें, जो टेल-एण्ड के गांव हैं, उन गांवों के लिये पीने के पानी की क्या व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये आप।

श्री देवीसिह भाटी : जो पावर कट की प्राब्लम, जो बिजली की समस्या है....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आप को खुद को मालूम है, बिजली की समस्या है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सारे गांवों में पावर की प्राब्लम है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अब विराज जायं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट कमेटी वहां जाकर आयी थी। उस क्षेत्र के अन्दर काश्तकारों की जो हालत थी, उन्होंने उसकी शिकायत की थी ....

श्री उपाध्यक्ष : आपने दो मिनट की जगह 15-20 मिनट ले लिये। एक बात को बार बार कहने से क्या फायदा है ?

श्री देवीसिह भाटी : मैं थोड़े में कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े में कह चुके हैं।

श्री देवीसिह भाटी : जो पावर की प्राब्लम हैं उसके कारण, आज पानी लिफ्ट करके उन किसानों को नहीं दे सकते हैं, उसका आपने आल्टरनेटिव कोई ढूंढ़ा है ? क्या उसके लिये आप कोई ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं जिससे काश्तकारों को पानी दे सकें। पहला तो यह, उपाध्यक्ष महोदय। वर्तमान में बिजली फेल्योर के कारण पिछले तीन महीने से, तानासर बदमासर के टेल एण्ड के गांव हैं, उनमें पानी नहीं पहुंचा है, उसके लिये क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्या जिला प्रशासन या फैमिन डिपार्टमेंट से कोई टैंकर की या किसी प्रकार से व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे, जो आपके भरोसे पर बैठे हैं, आपके सिस्टम पर आश्रित हैं, उनको पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था हो सके ? और अगर आप उसमें पानी देंगे सिंचाई के लिये तो कब तक दे देंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक लास्ट सुझाव है। जिस प्रकार गंगानगर जिले में जब पानी की कमी होती है, तो उस दौरान इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारीगण काश्तकारों को यह सूचना देते हैं कि इस रबी की फसल या खरीब को फसल में हम आपको पूरा पानी नहीं दे पायेंगे, इसलिये कम पानी में जो फसल तैयार होती है, वह बोयें, हमारे भरोसे न रहें। पूर्व में इस विभाग ने ऐसे क्षेत्र के लोगों को कोई ऐसी सूचना नहीं दी, तो भविष्य के लिये मैं चाहता हूं, ऐसे काश्तकार जो आपके भरोसे

(श्री देवीसिंह भाटी)

बैठे हैं, आपके सिस्टम के भरोसे बैठे हैं, उनको आप सूचना दीजिये कि

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आप ऐसी फसल बोयें जो कम पानी में तैयार होती हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : विराज तो जाऊंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से....

श्री उपाध्यक्ष : You have said enough, more than enough. बैठ जाइये आप।

श्री दुलाराम, दो मिनट।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) **:** मैं प्रश्न ही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो नहर से सम्बन्ध ही नहीं है, आप क्या बोलेंगे, माननीय रामसिंह जी?

श्री रामसिंह विश्नोई : सम्बन्ध कैसे नहीं है? पूरा सम्बन्ध है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कमेटी के मेम्बर हैं, वहां जाकर आये थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है...

श्री उपाध्यक्ष ; स्टेटमेंट दिया है।

श्री दुलाराम : स्टेटमेंट दिया। यह जो स्पीच दी है, मेरा निवेदन है, वह राजस्थान कैनाल के चीफ इंजीनियर ने बनाकर के उनको दी, वह उन्होंने सिर्फ पढ़ दी। मैं आपसे निवेदन करूं इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है, राजस्थान कैनाल का सी. ए. डी. का वर्क चल रहा है, वह पूरा न होने की वजह से राजस्थान कैनाल फर्स्ट स्टेज के ऊपर अपनी केपेसिटी का पूरा पानी नहीं ले रही है। पहले तो यही गलत है। सैकण्ड, उन्होंने स्टेटमेंट में यह कहा है कि वहां सी. ए. डी. का वर्क चल रहा है, वहां काश्तकारों के खाते चल रहे हैं, वहां खालों का काम हुआ है। सी. ए. डी. और खालों का नहर से क्या ताल्लुक है? जब कि राजस्थान नहर पक्की हो चुकी है? मैं आपसे निवेदन करूं, जिस अधिकारी ने यह स्टेटमेंट आपको बना कर दिया है, आप उसको बुलाकर ताड़ना दो कि भविष्य में इस प्रकार का स्टेटमेंट बनाकर नहीं दें। राजस्थान कैनाल का फर्स्ट सन् 75 तक, आपके जवाब के अनुसार पूरा हो चुका है। जब सन् 75 तक पूरा हो चुका है, तो फर्स्ट स्टेज में पूरा पानी लेने में राजस्थान कैनाल को कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान कैनाल से मेरी समझ में करीब साढ़े सात हजार या आठ हजार क्यूसेक्स पानी जाता है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में जितने रकबे पानी लगता है, उस आधार पर पानी पूरा नहीं चल रहा है? एक तो यह आपको गलत सूचना दी। दूसरा, मेरा निवेदन है कि सी. ए. डी. से आपका ताल्लुक नहीं है। मगर आज काश्तकारों पर भार सी. ए. डी. का लादा जा रहा है, राजस्थान नहर के अधिकारी सी. ए. डी. पर बैठे हुए हैं,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पीछे से आना चाहिये था। आप मेरे आगे से निकल गये, बीच में से। आइन्दा ध्यान रखिये।

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : मैं माफी चाहता हूं, सर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जरा डिसिप्लिन का ध्यान रखिये आइन्दा।

श्री दुलाराम : मेरा आपसे निवेदन है जो पैसा राजस्थान कैनाल पर सी. ए. डी. का लग रहा है, वह वर्ल्ड बैंक का लग रहा है। वर्ल्ड बैंक के पैसे के द्वारा काश्तकारों के खाले बनाए जा रहे हैं। राजस्थान कैनाल के चीफ इंजीनियर और राजस्थान के उस एरिया के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर एक्स. ई.एन., एस. डी. ओ. और ओवरसियर काश्तकारों को घर में बैठे हुए लूट रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, सी. ए. डी. और राजस्थान कैनाल दोनों का तालमेल है। सी. ए. डी. मन्त्री जी से निवेदन कर रहा हूं, मैंने इनको कई दफा मीटिंग में कहा था आपके राजस्थान कैनाल के. सी. ए. डी. के चीफ इंजीनियर हैं उनकी नीयत में बेईमानी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : ये सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : मत सुनने दीजिये।

श्री दुलाराम : सी. ए. डी. के चीफ इंजीनियर जो सैक्रेटरी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट सैक्रेटरी गंगानगर, बीकानेर जिले और सब जिलों के विधायकों के निवेदन पर मन्त्री महोदय ने उनको आदेश दिया, तो यू सिस्टम के खालें बनाने में क्या दिक्कत हो रही है।

काश्तकार जब यू-सिस्टम के खाले बनवाना चाहते हैं तो आप वी-सिस्टम बगैर, मतलब थोपना क्यों चाहते हैं? मंत्री जी ने आपके सामने आदेश दिया था, उन्होंने कहा था व इस विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि यू सिस्टम का खाला काश्तकार बनाना नहीं चाहता। तो मैंने लिख कर दिया कि सबसे पहले हमारे गांव में यू-सिस्टम का खाला बनावें। हमारे लेबर पर आपको बना कर देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चीफ इंजीनियर और गवर्नमेंट सैक्रेटरी ने होशियारी से पहले मेरे खाले के टेंडर किये। आज मेरा खाला वी-सिस्टम के तौर पर बना रहे हैं जब कि मेरे गांव के हर एक काश्तकार और मैं स्वयं चाहता हूं कि यू-सिस्टम के खाले बनें मगर जबर्दस्ती जो सैक्रेटरी जैन हैं उनकी जिद से आज वी-सिस्टम के खाले बना रहे हैं। सारे काश्तकारों को इससे नुकसान हो रहा है। आप ताज्जुब करेंगे, इसकी जांच के लिये ए. डी. एम. को भेजा गया। उसने जांच की। उसके बाद टेक्निकल आफिसर क्या कहते हैं कि यह ए. डी. एम. जिसने जांच की टेक्निकल नहीं है। वह टेक्निकल तो नहीं है मगर क्या पानी ऊंचा-नीचा जाता हुआ नहीं देख सकता? उसके भी आंखे हैं, अकल है, काश्तकारों के बयान हैं, अकल तो काम

(श्री दुलाराम)

करती होगी। उस रकबे में पानी गया वह तो उसने देखा होगा। मगर इस बात को उन्होंने ना कर दिया। अब कहते हैं कि हमारे सी. ई. जायेंगे।×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे शब्द इस्तेमाल न कीजिये। एक्सपंज कर दिया जाय××× शब्द।

श्री दुलाराम : मैं××× नहीं बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि××× वह रिपोर्ट लेने के लिए सी. ई. जायेंगे। वह अधिकारी को कहेंगे कि तुम जाकर देखो कि सी.ए.डी. का खाला सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सी.ए.डी. में आज, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वर्ल्ड बैंक का पैसा लग रहा है, चाहे रिजर्व या और किसी बैंक का मगर पैसा काश्तकार का लग रहा है सुपरवीजन चार्ज आज काश्तकार से वसूल किया जा रहा है आज उनके एक्स.ईएन सी. ई., ओवरसीयर, चपरासी हमसे वेतन ले रहे हैं। मैं निवेदन करूं, पैसा जबर्दस्ती हमसे वसूल किया गया। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं सत्ता पक्ष का होते हुए भी मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि भविष्य में वहां का काश्तकार आपको पैसा नहीं देगा। क्योंकि आज जिस जबर्दस्ती के साथ खाले बना रहे हैं, पीली ईंट और सीमेंट लगा रहे हैं और अर्थ वर्क करवा रहे हैं इसलिये काश्तकार, चाहे वारण्ट भेज दें, चाहे गिरफ्तार करवा ले, आपको पैसा नहीं देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : नहर मंगवानी है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा खालों के लिये।

श्री दुलाराम : मैं निवेदन करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहे चेम्बर में कभी माननीय मन्त्री महोदय और उनके स्टाफ को बुलवा लेना।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर ऐसा कीजिये, मन्त्री महोदय के चेम्बर में भाटी जी और रामसिहजी विशनाई, जो इस मामले में जानकारी रखते हैं, और आप बैठकर बात कर लें। यह ठीक रहेगा।

श्री दुलाराम : एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें। आप स्टेटमेंट क्या देंगे। आपने हमारे सामने अपने आफिसर्स को आर्डर्स दिये हैं हां करवा कर भेजा है, एक दफा नहीं 7–7 दफा मीटिंग कर ली, हां करवा कर भेजा है कि हम जाकर इस तरीके से काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने नोट किया है, एक्शन लेंगे, अब आप देखिये।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, जब खाले बन जायेंगे तो क्या करेंगे ? विधान सभा में स्टेटमेंट देने से कौन से काश्तकार का पेट भर जायेगा या सी. ए. डी., सैक्रेटरी और चीफ इंजीनियर का हठ मिट जायेगा ? मैं ऐसा नहीं मान कर चलता। प्रेक्टिकल काम हुए बिना पूरा काम नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट मानने वाला है नहीं, डिपार्टमेंट हाथी है चाहे उसे लात से पकड़ लो चाहे पूंछ से पकड़ लो।

×××अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(118)

श्री उपाध्यक्ष : डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बहुत तगड़ा है।

श्री दुलाराम : नहीं साहब, ये सी. ए. डी. के हैं।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : मैं आपको बताऊंगी।

एक माननीय सदस्य : इसका सैक्रेटरी बहुत तगड़ा है।

श्रीमती कमला : जिसे आप समझ रहे हैं, इसका सैक्रेटरी नहीं है।

श्री दुलाराम : हमारी बला से नहीं है आप तो मिनिस्टर हैं, आपने तो अभी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा।

एक माननीय सदस्य : मैं जैन साहब की बात कर रहा हूं।

श्री दुलाराम : तो मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों की भावनाओं को समझिये आप किसान के नेता बनना चाहते हैं और उसकी भावना, दुख, तकलीफ को न समझें ऐसा मत कीजिये। मेरा निवेदन है कि कोई न कोई सन्तोषजनक जवाब जरूर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : [श्री रामसिंह जी, दो मिनट बोलेंगे।

श्री देवीसिह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, खालों के बारे में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तर्क नहीं है। आप घड़ी-घड़ी बोलना चाहें। एक दफा आप बोले और एक बात को पचास दफा रिपोर्ट किया।

श्री देवीसिह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव दे दिया, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री रामसिह विशनोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब से राजस्थान कैनाल मंजूर हुई है केन्द्र सरकार से, पंजाब की लॉबी इस पर हावी है और येन-केन-प्रकारेण राजस्थान में पूरे पानी का उपयोग न हो इसमें लगी हुई है इसलिये कोयला, सीमेन्ट और बीस तरह की अन्य बातों के बहाने लेकर, राजस्थान की सरकार और जनता इस कैनाल के पानी को यूज करने की स्थिति में नहीं है, यहXXX बहाना लेकर पानी का वह उपयोग करना चाहती है और राजस्थान की जनता को महरूम रखना चाहती है। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है जिसको हटाने में माननीय मन्त्री महोदय या सरकार सक्षम है या नहीं, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मेरा एतराज और निवेदन है कि क्या राजस्थान की सरकार और राजस्थान कैनाल के मन्त्री यह कहने की स्थिति में हैं कि आज से 5-7 वर्ष पहले जो काश्तकार अपने घर परिवार और जमीन को छोड़कर राजस्थान कैनाल पर आकर बस गये थे, क्या आपने उनकी 25 बीघा जमीन पर पूरा पानी दिया

XXXशब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

या नहीं ? यह बात यहां पर बतावें, उसमें एक से लेकर पांच वार्टारंग देने की स्थिति में थे या नहीं ? अगर नहीं थे तो आपने राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया और इसमें केन्द्र और पंजाब की लॉबी का बहुत बड़ा हाथ है।

तीसरा मेरा मत यह है कि अधिकारीगण जो सी. ए. डी. वर्क्स के नाम को लेकर करोड़ों रुपये खा जाते हैं वे कहते हैं कि राजस्थान नहर, डिस्ट्रिब्यूटरी और खाले पक्के नहीं बनेंगे तब तक आगे पानी जा नहीं सकता।XXX बिलकुल बे-बुनियादी है। ऐसे व्यक्तियों को ससपेंड करके उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, मुझे मालूम है कि जो प्रकृति से पानी आता है उस पानी को एक हजार मील तक भेज सकते हैं। कहां नहरें बनी हुई हैं ? ठेठ पाकिस्तान की सीमा तक जाता है, वहां कौनसी नहर बनी हुई है ? अगर पानी आयेगा तो हमारे अन्दर शक्ति है, हमारा किसान समझदार है, वह पानी का उपयोग करना जानता है। हमें आज कहीं पर भी पक्की डिस्ट्रिब्यूटरी और किसानों के खेत तक जाने के लिये पक्के नालों की जरूरत नहीं है। ज्यों-ज्यों किसान समृद्धशाली होगा, पानी की उपयोगिता को समझेगा, आज 10 हजार बीघा में पक्की डिस्ट्रिब्यूटरी हो गई तो हम 15 हजार तक कर देंगे। आज हमारी स्थिति 15 हजार में करने की नहीं है या हम करना नहीं चाहते इसलिये हम चाहते हैं कि जो जैसा पानी, जिस स्थिति में है, वह साल भर मिलना चाहिए। पानी का उपयोग, प्रयोग, मिसयूज पंजाब की सरकार कर रही है, राजस्थान की सरकार सक्षम नहीं है उस पानी को लेने में, पंजाब सरकारXXX इल्जाम लगाकर उसका उपयोग कर रही है किXXX नहर पक्की नहीं है इसलिये पानी लेने की स्थिति में नहीं हो। यहXXX बातें हैं इसलिये मंत्री महोदय स्पष्ट करें अपने वक्तव्य में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सुनीलकुमार विशनोई (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं, राजस्थान कैनाल में क्या-क्या हो रहा है। इनको पता है आज तक कितनी बुकिंग हुई।

श्री महेन्द्रसिंह : यह बहुत दुखी है, उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो मुद्दा उठाया, उसका जवाब आयेगा, आप बैठ जाइये।

श्री सुनील कुमार विशनोई : एक और मैं पूछ लेता हूं।

माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं किXXX उनको पता नहीं है कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बात हो तो आप कहिये। आंखों में धूल झोंकना, यह बात...

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

120

श्री सुनील कुमार विशनोई : आपके एक एक्स. ईएन. को एडीशनल चार्ज दिलाया हुआ है। आप बतायें, जनवरी तक कितनी बुकिंग हुई और जनवरी के बाद दो महीनें में कितनी बुकिंग हुई है। जितनी बुकिंग हुई उतना काम वह कर सकते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मन्त्री राजस्थान नहर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोईजी ने जो प्रश्न पूछा था, उत्तर में मैंने सी. ए. डी. वर्क्स का थोड़ा स्पष्टीकरण किया था। उपाध्यक्ष महोदय जो प्रश्न कालिंग अटेन्शन मोशन के अन्तर्गत लाया गया वह यह था कि राजस्थान कैनाल की मुख्य नहर को प्राथमिकता न देने से करोड़ों रुपये की फसल पैदा होने से वंचित हो रही है और प्राथमिकता किसको दी जा रही है, सी. ए. डी. वर्क्स को। मेरा इस बारे में मेरे स्टेटमेंट में, वक्तव्य में स्पष्टीकरण यह था, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान मेन कैनाल के सैकेण्ड स्टेज में काम चल रहा है फर्स्ट स्टेज में नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी क्लेरीफिकेशन मांगे गये कभी तो लूणकरणसर का स्पष्टीकरण मांगा गया कभी फर्स्ट स्टेज का मांगा गया, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल का सैकेण्ड स्टेज का जो कन्स्ट्रक्शन चल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी प्रगति में सी. ए. डी. वर्क्स में जो काम चल रहा है उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इसमें कोई गलती हो तो, श्रीमन्, मुझे फर्मा दें। अगर इस मेन कैनाल के कन्स्ट्रक्शन में थोडी बहुत स्लोनेस पोल की उपलब्धि टाइम पर नहीं होने के कारण या सीमेन्ट की उपलब्धि टाइम पर नहीं होने के कारण हो रही थी या हो सकती है फ्यूचर में, तो वह पाइन्ट कोई दूसरा ही है। इसलिये मैंने सी. ए. डी. वर्क्स का क्लेरीफिकेशन सिर्फ थोड़ा-सा पाइन्ट आउट करने के लिये दिया। ज्यादा क्लेरीफिकेशन सी. ए. डी. वर्क्स का माननीय दुलाराम जी ने अभी फर्माया। माननीय देवीसिंह जी ने अभी मेरे से स्पष्टीकरण मांगा है सी. ए. डी. वर्क्स पर, तो माननीय कमला जी यहां है शायद सी. ए. डी. वर्क्स का उत्तर देने को तैयार हों, नहीं तो बाद में यह प्रश्न सी. ए. डी. का सेपरेट से लाया जा सकता है, जिसका उत्तर मिल सकता है।

श्री दुलाराम : आपके चीफ इंजीनियर ने जो स्टेटमेंट दिया है, मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या यह सही है कि सी. ए. डी. के वर्क्स की वजह से आप राजस्थान कैनाल की फर्स्ट स्टेज में पूरा पानी नहीं दे रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इस कालिंग अटेन्शन में, उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइन्टेड मैटर भी नहीं है। या तो मेरे से पूछ लें मेरे वर्क्स को। अभी आप यह कहें, कल कहें

श्री सुनीलकुमार विशनोई : मैंने जो पाइन्टेड प्रश्न पूछे थे उनका एक का भी जवाब नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर जवाब, उत्तर दे सकते हैं तो दें वरना....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : एक प्रश्न का भी जवाब नहीं आ रहा है। मैं नाम लेकर बता सकता हूं। नाम लेना नहीं चाहता हूं किस तरह की गफलत हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए वरना अपने महकमे का तो उत्तर दे ही दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, वही दे रहा हूं अगर माननीय सदस्य को करप्शन के बारे में कोई नाम देना हो तो मुझे जरूर दें, अगर उनको प्रूव भी कर सकते हों तो मैं आपकी मार्फत इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पावर्स में जो कुछ भी अथॉरिटी होगी, उस इन्जीनियर को सस्पेण्ड करने की रिकमण्डेशन मेरी गवर्नमेंट को जरूर दूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि करप्शन....

(व्यवधान)

ठहरिये....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : या तो, उपाध्यक्ष महोदय, ये उत्तर सुन लें....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सुनील जी विश्नोई ने कुछ पाइन्ट पहले लूणकरणसर के बारे में उठाये थे। मैं आपकी मार्फत उनको निवेदन कर दूं कि दिसम्बर, 1980 से जिस एस. के. एफ. का वे जिक्र कर रहे थे, जिस गांव का वे जिक्र कर रहे थे लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल से दिसम्बर, 1980 के बाद में कोई पानी इन गांवों की तरफ नहीं छोड़ा गया है, नम्बर एक। नम्बर दो आप फर्मा रहे थे कितने आपके पावर स्टेशन हैं? लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के चार पावर स्टेशन हैं, जिनको मैंने मेरे जवाब में मेन्शन किया है। आप फर्मा रहे थे, उनका पावर का सोर्स क्या है? उपाध्यक्ष महोदय मेन सोर्स तो आर एस. ई. बी. का है। लेकिन यह जरूर हो सकता है कि एक स्टेशन पर 8 पम्प हैं जैसा कि फर्स्ट स्टेशन है, फर्स्ट स्टेशन में जैसलवाड़ा, जो कि आर. डी. 63 है, पर ...

श्री उपाध्यक्ष : Don't pay attention to them. Go on please.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जो आर. डी. 63 पर है वहां पर मिसाल के तौर पर 8 पम्प होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां आप सोचिये कि पावर अवेलेबिलिटी के कारण हम 250 क्यूसेक्स या 300 क्यूसेक्स पानी पम्प करें 250 क्यूसेक्स पानी फर्स्ट पम्प पर पम्प होगा तो सैकण्ड पम्प पर जाकर, सैकण्ड स्टेज को डिस्ट्रिब्यूटरी की केपेसिटी से वह पानी करीब 150 पर आयेगा।

(122)

श्री सुनीलकुमार बिश्नोई : क्वेश्चन यह था कि जो पावर स्टेशन हैं उनको आपने एक ही लाइन पर जोड़ा है या अलग ग्रिड लाइन पर जोड़ा है ? बिजली तो वहां भी आयी है, एक ही है, लेकिन कुछ गंगानगर से दी है और कुछ बीकानेर की तरफ से दी है। इसमें कोआर्डिनेशन है या नहीं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मलकीसर सैकेण्ड पम्पिंग स्टेशन है। वहां से 150 क्यूसेक्स पानी पम्प करके चालू करेंगे। जैसा कि माननीय श्री देवी सिंहजी ने फर्माया जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी में खेतों की बात छोड़िये पीने का पानी अवेलेबल नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय. मैंने मेरे स्टेटमेंट में आपके काल अटेन्शन के उत्तर में यह कह दिया था कि पीने के पानी की शॉर्टेज की हमारे पास एक शिकायत नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप अपने अधिकारियों से पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपको शिकायत है तो मिल लेना।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह मैं मानने को तैयार हूं कि लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल सिस्टम में काफी शार्ट कमिंग्स हैं, लेकिन इस सदन में मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पीने के पानी की कोई जेनवीन समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आपने कह दिया। माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात को नहीं माना है।

श्री उपाध्यक्ष : घड़ी–घड़ी में आपको अलाऊ नहीं करूंगा। स्टेटमेंट हो रहा है उसके बाद।

श्री देवीसिंह भाटी : इससे बड़ी शिकायत क्या होगी, उपाध्यक्ष महोदय ?

कई अधिकारियों को शिकायत की गई है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे, पाइन्ट्स उठाये गये थे कालिंग अटेन्शन मोशन में, इनमें माननीय सुनील जी ने यह भी पूछा था कि कौनसा ग्रिड है। मैं आपको सेटिसफाई करना चाहता हूं कि जो पहला स्टेशन जैसलवाड़ा है वह भाखरा और चम्बल दोनों से कनेक्टेड है बाकी के जो तीन पम्पिंग स्टेशन हैं वह चम्बल से भी कनेक्टेड हैं। आपके मन में जो शंका है कि सेपरेट ग्रिड से कनेक्शन टाइम पर पहुंचेगा नहीं और उस कारण से बराबर पम्पिंग नहीं होगा तो इसमें इवेनचुअलिटी नहीं है। पावर की शॉर्टेज है इसको मैं मानता हूं, सारे प्रदेश में है। मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इसका है कि लूणकरणसर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई समस्या नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : समस्या है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : समस्या नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत कह रहे हैं।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : XXX यह बोलने का तरीका नहीं है। कौनसा तरीका है यह ?

श्री देवीसिंह भाटी : तो यह भी कौनसा तरीका है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काल अटेन्शन में साफ लिखा है कि जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी के जो गांव हैं वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। आपने अधिकारियों को पूछा नहीं है, पूछ लें।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सी. ए. डी. के बारे में ...

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से ..

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हम यह मामला सदन में लायें, वक्तव्य देने के लिये अध्यक्ष महोदय आदेश दें और अगर इस तरह से आप करें तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि XXX कोई मजाक नहीं है यह किसी के घर XXX नहीं है। आखिर हमें तरीके से बात करनी है, उपाध्यक्ष महोदय, हम हाउस के अन्दर ...

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। यह कोई ढंग है आपका ?

एक माननीय सदस्य :

श्री देवीसिंह भाटी :

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : +++

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको, माननीय सदस्य, नाम से सम्बोधित करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : +++

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मर्यादा है, उसका ध्यान रखें।

(व्यवधान)

माननीय देवीसिंह जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, वह तो लैण्ड ही फर्टाइल है पहले भी रामकृष्ण दास गुप्ता वहां से ऐसे ही आये थे।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं बर्निग प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री नाथूसिंह। डेढ़ मिनट में आप अपना मामला ...

(व्यवधान)

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : हमारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे....

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने कॉल अटेंशन दिया हुआ है तो

XXX शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+++ माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(124)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नियमों में कार्यवाही करने को बाध्य नहीं करें, माननीय सदस्य । बैठ जाइये, चर्चा समाप्त हुई ।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा नम्र निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री. देवीसिंह जी, बैठ जाइये ।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : इसमें गलत ब्यानी हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुनील जी बैठ जाइये ।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रतापूर्वक कह रहा हूं गलत बयानी हुई है....

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा यह मामला उठाते हैं । तो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से सम्बोधित कर रहा हूं ।

श्री दुलाराम : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री देवीसिंह भाटी : पीने के पानी की समस्या है, मेरे प्रश्न का मन्त्री महोदय को जवाब देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन की गरिमा है, उसको बनाये रखने के लिये आप ही सहयोग नहीं देंगे तो मैं कैसे चला सकूंगा सदन को....

(व्यवधान)

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : I am sorry, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Very sorry चर्चा समाप्त हुई । ग्रार्डर ग्रार्डर, माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री दुलाराम : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : पीने के पानी की समस्या है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई बात नहीं लिखी जायेगी । ग्रंकित नहीं होगा । मैं ग्रंकित नहीं होने दे रहा हूं । मैं ग्रापको ग्रनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : XXX

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें माननीय सदस्य, किस तरह से बातें कर रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री दुलाराम : पाइन्ट ऑफ ग्रार्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं ग्राया है, यहां पर ।

श्री दुलाराम : मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि ग्रापने व्यवस्था दी वह तो सिर माथे पर है, पर मैंने मन्त्री महोदय से यह पूछा था ...

XXX माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात रह गई है तो मन्त्रीजी से बात कर लेना, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उनकी मंशा नहीं है जवाब देने की।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : कहां मिलने जायं, क्या दिल्ली जायेंगे मिलने हम ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : आश्वासनों से पेट नहीं भरता है काम करने से पेट भरेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री दुल राम : मैं सी. ए. डी. की बात कर रहा था। मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं जवाब दिलवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह एक बात रह गई है वह कह दें।

श्रीमती कमला : आपकी इजाजत हो तो मैं कहूं ?

माननीय दुलाराम जी ने और दो तीन माननीय सदस्यों ने सी. ए. डी. में जो खालों का काम किया जाता है उस पर काफी रोष और चिन्ता प्रकट की है। जैसा उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों से ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी एक बात तो सही है कि काश्तकारों को तकलीफ तो बहुत है, इसलिये आपको, दोनों मन्त्रीजी को मिलकर उनकी तकलीफें दूर हों इसकी कोशिश करनी चाहिए।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो भावनायें आपने प्रकट की हैं सभी सदस्यों को इसमें शामिल कर सकते हैं। दरअसल में इसके निर्माण कार्य में देरी होती है, खर्चा भी अधिक होता है। जितनी एफीसियेंसी के साथ यह काम होना चाहिए और उपयोग के लिये जो काम होना चाहिए उसमें भी काफी कमी रहती है और सारा भार भी काश्तकारों के ऊपर आता है, इसलिये पिछले अर्से में मैंने दो तीन दफा अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से चर्चा की है और इसका रास्ता निकालने की कोशिश की है। तीन चार ऐसी दिक्कतें हैं, एक तो शेप 'वी' के बजाय 'यू' होना चाहिए। टेक्निकल लोग यह कहते हैं कि 'वी' शेप ज्यादा उपयोगी है तो मैंने कहा कि यदि काश्तकार 'यू' शेप को ज्यादा उपयोगी मानते हैं और आपका खर्चा बढ़ेगा तो भी काश्तकार के ऊपर ही पड़ेगा तो आपको क्या एतराज है, आपको एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि खाले कई बार इस तरह के बनते हैं कि उनमें पानी नहीं पहुंचता है। तीसरी बात, बीच बीच में एफसेंटी काश्तकार हैं जो मेंटेन नहीं करते हैं तो खालों में रेत जम जाती है, मेंटीनेन्स नहीं होने से टूट जाते हैं इन सबको दृष्टिगत रखते हुए यह पाया कि मामूली सुधारों से बात नहीं बनेगी। इसलिये फैसला किया था और इसके लिए माननीय सदस्य को भी लिखा गया था, हमने पूरी तौर से यह तय किया है कि जितने भी ऐसे चक के काम होते हैं उनके लिये काश्तकार कमेटी को वह सारा काम सुपुर्द कर दिया जाय और हमारे पास जो टेक्निकल जानकारी है, जो मदद एडमिनिस्ट्रेशन आदि की है वह सब हम करेंगे।

(श्रीमती कमला)

तो कार्य या तो उस कमेटी को दे दिया जाय या पंचायत समितियां इलेक्टेड हो गई हैं अगर वे पंचायत समितियां वह काम करना चाहें तो पंचायत समितियां करें। क्योंकि पूर्व में भी पंचायत समितियों ने यह कार्य कम खर्चे से ठीक ढंग से किया था तो जो पंचायत समिति इसको लेना चाहें उनके देने के लिये हम तैयार हैं।

दूसरी, हमारी एक कोशिश यह है कि जो वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके तहत हमने कोशिश की है कि पांच वर्ष के लिये जिन काश्तकारों की हैसियत नहीं है, उन काश्तकारों की वहां पर खाने पीने और रहने के इन्तजाम में मदद करें और यह मदद पांच वर्ष तक की जाय जिससे कि वे काश्तकार वहां रह सकें और एफसेंटी काश्तकार न रहकर एक्टिवली काम करें। मैंने आपको ये दो तीन बातें बतायी हैं, मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य इस बात में रुचि लेंगे। और सभी माननीय सदस्यों, जो सी. ए. डी. प्रोग्राम के अन्दर आते हैं, से अपील करना चाहती हूं कि या तो पंचायत समितियों के माध्यम से या इसमें चक की कोई कमेटी बना सकते हैं तो कमेटी के माध्यम से आप जैसे चाहें आवेदन पत्र दे देंगे तो उसके तहत जो टेक्निकली हैल्प चाहिए वह आज जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरह से प्रोवाइड करेंगे। अगर इसमें माननीय जन प्रतिनिधि कोआपरेट करें तो इससे बहुत बड़ा हल निकल सकता है।

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैंने आपसे मेरे चक 13 सी. ए. डी. सूदपुरा के लिये निवेदन किया था। मगर सबसे पहले राजस्थान कैनाल के चीफ इंजीनियर और एक्स. ईएन. ने होशियारी करके मेरे वाले खाले का टेण्डर दिया और आज काम चल रहा है। मैं खाला कहां बनवाऊंगा? पांच प्रतिशत तो ओवरसियर को दिया, 10 प्रतिशत एस. ई. को और 15 प्रतिशत एक्स. ईएन. को दिया है ..

श्रीमती कमला : आपके चक की एप्लीकेशन नहीं आयी है।

श्री दुलाराम : मेरी बात को सुन लें। इस बात की कम से कम नहीं तो पांच दफा चर्चा कर ली लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट यह रहा कि ब्यूरोक्रेसी की हठधर्मी चली। आप इस बात को मान सकती हैं कि मेरे गांव में खाला बनाने के लिये मेरे से जिम्मेदार व्यक्ति और कौन हो सकता है? मैंने लिखकर दिया है उसमें मेरा रकबा है और 10 मुरब्बे हरिजनों के हैं। मेरी बात नहीं मानी गई। आपने तो मानी लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने मेरी और आपकी दोनों की बात नहीं मानी।

श्री उपाध्यक्ष : चलेगी तो मिनिस्टर की ही।

श्रीमती कमला : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कमेटी का निर्माण करने या पंचायत समिति को काम देने में आपकी रुचि नहीं है। सिर्फ इसमें रुचि है 'वी' शेप के बजाय 'यू' शेप बनाया जाना चाहिए। माननीय सदस्य यही चाहते हैं।

श्री दुलाराम : हमारी चर्चा इस बारे में हुई थी कि आपका डिपार्टमेंट एक मुरब्बे के पहले 9 हजार ले रहा था अब 15 हजार ले रहा है हम यह कह रहे थे कि हम यह

127

(श्री दुलाराम)

खाला 7 हजार में बनाकर देंगे, आपने कहा था कि कौन ऐसा काश्तकार है जो मंजूर करता है। मैंने कहा था, मैं करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी स्वीकार करता हूं अभी खाला बना नहीं है, 30 प्रतिशत लैस पर बनाकर दूंगा आपको....

श्रीमती कमला : मैं इसको मानती हूं, स्वीकृत करती हूं। आप आवेदन करिये। एक काश्तकार से प्रोग्राम पूरा नहीं होता है, एक कमेटी बना दी जाय तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : आज हमारे सामने मसला यह है कि कैनाल की फर्स्ट स्टेज कम्पलीट होने के बाद में हमें 6.5 एम. सी. एफटी. पानी इस्तेमाल करना चाहिए था, उसके बजाय हम 3.5 एम. सी. एफटी. कर रहे हैं। हमारा सारा पानी पंजाब ले लेता है। ऐसी स्थिति में जब आपके पास पानी सरप्लस है, आपके पानी पर पंजाब क्लेम बनाये जा रहा है, आपके यहां वाटर....

(व्यवधान)

खराब हो रहा है, करोड़ों रुपये खर्च यहां करके वाटर....

(व्यवधान)

इसकी क्या जरूरत है कि जब काश्तकार नहीं चाहता है तो उसके ऊपर वाटर..

(व्यवधान)

क्यों जा रहे हैं। आप वसूल तो उससे ही करोगे। ठीक है कोई बनवाना चाहे तो, हमारा खाला बना नहीं है वहां पर बनाइये आप। जो नहीं बनवाना चाहता है उसको धक्का क्यों देते हो आप ?

श्रीमती कमला : आप चाहें तो बीच में बना लें चाहें तो नहीं बनायें। इस तरह से वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम मनमर्जी का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग जो नहर के इलाके से आये हैं सब मिलकर दोनों मन्त्रियों से अपना समाधान करने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow. चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, बैठ जाइये, अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बार बार आपको वार्निंग दे चुका हूं। एक दफा बोलना चाहिए घड़ी घड़ी बोलने का कोई ढंग नहीं है। समय का ध्यान रखिये। बिजनेस मेरे पास बहुत है।

श्री देवीसिंह भाटी : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। I reject it। यू यह पाइन्ट

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

ऑफ आर्डर उठाते हैं, मैं अलाऊ नहीं करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं, नियमों के तहत

(व्यवधान)

131 में....

श्री उपाध्यक्ष : क्या है पाइन्ट आफ आर्डर, बताइये ? आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा मैंने सरकार को सूचित किया कि जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये। आपने 131 का हवाला दिया है, वह क्या है। पढ़ा भी है आपने ? पाइन्ट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

"A member may, with the previous permission of the Speaker" ली है आपने स्पीकर की परमिशन ?

"... call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance ."

You have been given time, sufficient time, and I am sorry. I cannot give you more time.

बैठ जाइये, आसन पैरों पर है, बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : ध्यानाकर्षण को शिकायत नहीं मान रहे....

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न

डायरेक्टर जनरल के नवसृजित पद पर पदस्थापित व्यक्ति द्वारा कार्य-भार न संभालना

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप धन्यवाद छोड़िये, दो मिनट में बात कह दीजिए। आपको अध्यक्ष ने अनुमति दी है दो मिनट के लिए।

श्री नाथूसिंह : इसीलिये अध्यक्ष महोदय और आपको भी धन्यवाद देता हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। जहां एक तरफ आंदोलन हो रहे हैं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है वहीं राजस्थान में आई. जी. के पद पर आज कोई नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे आई जी. थे....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह किस पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष ने अनुमति दी है इसलिए....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। एक आदमी को बोलने दीजिए।...

(श्री उपाध्यक्ष)

पाइन्ट आफ आर्डर नहीं, भाई, अध्यक्ष ने अनुमति दी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : किस बात पर बोल रहे हैं, आप बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

अध्यक्ष ने अनुमति दी है, दो मिनट का समय दिया है। माननीय सदस्य आपस, में बात नहीं करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : किस विषय पर दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप। प्रोसिडिंग में बाधा डालने का काम बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप बैठ जाइये। आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल एक अहम् मसला है उस पर....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही में एक ऐसा शब्द आया है, अभी एक ने कहा कि XXX एक माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : XXX एक्सपंज कर कर दिया जाय।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : आप जानकारी दें कि किस विषय पर आप बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य,....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : कई स्टेट्स में डी. जी. के पद सृजित किये गये हैं, उस समय देखा गया, उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं, इसलिये उन्होंने....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे को "अंकित नहीं हो" और ये माननीय सदस्य बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप एक आदमी बोलिये, कोई सुनाई नहीं दे रहा।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : पाइन्ट ऑफ आर्डर। आपने दो मिनट की स्वीकृति दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा काम है पूछने का, आप बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : इसका मतलब XXX

श्री उपाध्यक्ष : यह आसन के ऊपर जो बात कही है, यह नाकाबिले बर्दाशत है। यह नहीं होगा अर्थात् एक्सपंज की जाय।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपने उनको दो मिनट बोलने की इजजत इसलिये दी कि अध्यक्ष महोदय ने उनको स्वीकृति दी थी। मैं यह पूछ रहा था कि किस विषय पर स्वी-

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कृति दी ? यह तो आप जानकारी दें, वरना किसी विषय पर बोल सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : अभी हाल ही में राज्य सरकार को जो नोटिस दिया है, वह पढ़ रहा हूं। राज्य सरकार ने श्री भवानीमल माथुर, जो कि पूर्व में आर्मी फोर्स सिक्योरिटी में डी. जी. के पद पर नियुक्त थे और राजस्थान पुलिस सेवा से सम्बन्धित हैं, को राजस्थान में डी. जी. के पद पर नियुक्त किया था, लेकिन अभी पता लगा है कि केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप करके राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। उन्हें, अब पुलिस अकेडमी, मंसूरी में डी. जी के पद पर लगा दिया है। इससे केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों का एन्क्रोचमेंट होता है, अतः इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के लिये अनुमति दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, हर स्टेट में यह पद सृजित किया गया लेकिन कानून की दृष्टि से उनके हाथ में कुछ था नहीं इसलिए उन्होंने डी. जी. कम आई. जी यह एक संशोधन किया। इसी तरह से राजस्थान में राजस्थान सरकार ने डी. जी. का एक पद सृजित किया। श्रीमान भवानीमल जी माथुर, जो कि हमारे यहां से दिल्ली में महानिरीक्षक बन करके चले गये थे उसके पश्चात् उनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा संस्थान में भेज दिया उनकी नियुक्ति वहां हुई। जब उनका कार्यकाल वहां समाप्त हुआ तो केन्द्रीय मन्त्रालय ने राजस्थान सरकार को पूछा कि क्या राजस्थान सरकार ने उनकी स्वीकृति दी, इन्होंने नियुक्ति कर दी लेकिन इसके पश्चात् यहां न लगा करके अब मुझे पता चला है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उनको पुलिस अकादमी मन्सूरी के डी. जी. के पद पर ...

श्री उपाध्यक्ष : तो आपको क्या आपत्ति है इसमें ?

श्री नाथूसिंह : मैं वही बात कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत पढ़े-लिखे वकील और कानून के जानकार हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कब हुआ ? जब प्रधान मन्त्री सचिवालय को, गृह मन्त्रालय को इसका पता लगा कि ऐसे आर्डर राजस्थान सरकार कर चुकी है और उनकी नियुक्ति हो चुकी है इसके पश्चात् ऐसा किया। मेरा इसमें निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट आपको तो टिप्स पर याद हैं, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो याद नहीं है।

श्री नाथूसिंह : आपको किताब दिखाने की जरूरत नहीं, स्टेट लिस्ट का नम्बर 2 है उसमें देखिये, जो पुलिस सब्जेक्ट है वह स्टेट लिस्ट में है। स्टेट गवर्नमेंट को उस पर कानून बनाने का किसी को भी नियुक्ति करने का, हटाने का सारा अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, एक नियुक्ति राजस्थान में की, उसके पश्चात् उस नियुक्ति को सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा कैंसिल करना, मैं समझता हूं, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारों पर कुठाराघात है। यह किसलिये हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति कौन है ? वे हमारे राजस्थान कैडर के आई. पी. एस.

(श्री नाथूसिंह)

हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है। मुझे आपत्ति नहीं है, राजस्थान कैडर का कोई भी अधिकारी हो, मगर जिस तरह इनका आर्डर कैन्सिल हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, जो भवानीमलजी माथुर वहां हैं वे, राजस्थान के एक बहुत ही चमकते हुए सितारे हैं पुलिस में इनका अनुभव बहुत अच्छा है। वे दिल्ली के महानिरीक्षक पद पर रहे हैं और कई जगहों पर रहे हैं। उस राजस्थान कैडर के आई. पी. एस. को यहां न आने देकर वहां पर भेजा यह जो सजा दी है और स्टेट गवर्नमेन्ट के अधिकारों पर जो कुठाराघात किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कोई भी स्वाभिमानी ...

श्री माणकमल मेहता (पाली) : आई. पी. एस. तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सर्विस के होते हैं, राजस्थान कैडर में कैसे हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, टाइम दो मिनट का दिया है, अब आपके बीच में इन्टरप्शन करने से...

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी स्वाभिमानी मुख्य मन्त्री इस तरह की बात को स्वीकार नहीं कर सकता हो सकता है मुख्य मन्त्रीजी नामीनेटेड मुख्य मन्त्री हों लेकिन स्टेट का अपना अलग अस्तित्व है कान्स्टीटयूशन है, उसमें प्रोविजन रखा है, कान्स्टीटयूशन में सेन्टर को और स्टेट को अलग अलग अधिकार दिये हैं कर्त्तव्य अलग अलग हैं, दोनों की सीमायें अलग अलग हैं। केन्द्र के द्वारा स्टेट नामीनेटेड नहीं है। मैं मुख्य मन्त्रीजी के बारे में नहीं कहता अच्छा होता मुख्य मन्त्रीजी यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि आखिर क्या मजबूरी उनके सामने आ गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, नामिनेटेड मुख्य मन्त्री हो सकता है, केन्द्र से प्रधान मन्त्री का नामिनेटेड मुख्य मन्त्री हो सकता है लेकिन कान्स्टीटयूशन में जो अधिकार हैं, उनके लिए स्टेट की यह परम्परा एक बार जारी हो गई इस परम्परा में पड़ गये तो इस तरह की परम्परा पर मुझे आपत्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब श्रीमान् भैरोसिंहजी शेखावत मुख्य मन्त्री थे उस समय भी दिल्ली से प्रधान मन्त्री कार्यालय से दो आई. ए. एस. अधिकारियों, जो राजस्थान कैडर के थे, के बारे में इस तरह की चर्चा की थी कि कार्यकाल बढ़ा दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वापस आना होगा और मुझे याद है कितनी ताकत लगाने के बाद उन्होंने कितने ही दबाव डलवाये लेकिन हुआ यह कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि सवाल आई. ए. एस. आफिसर्स का ही नहीं है, यह स्टेट के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने उनको यहां पर बुलाया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीनियर आई. पी. एस. जिनका शायद इस कैडर में दूसरा नम्बर है, उनको नियुक्त किया गया। क्या आपत्ति आ गयी ? राजस्थान में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहां के जो आई. जी. हैं उनकी नियुक्ति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष के पद पर कर दी। उन्होंने जाकर चार्ज संभाल लिया और आज राजस्थान के आई. जी. का पद खाली है। उपाध्यक्ष महोदय, कैसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी। इसलिए आज हम जा

(श्री नाथूसिंह)

असेम्बली में बैठे गौरव अनुभव करते थे कि मुख्य मन्त्री शिवचरण माथुर हैं, मुझे कहते हुए दुख होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, इतना कमजोर मुख्य मन्त्री न तो कभी आया और न आयेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

स्टेट के अधिकारों पर कुठाराघात किया है, स्टेट को इन्होंने दिल्ली को गिरवी रख दिया है केन्द्र के साथ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये सेन्ट्रल एयर फोर्स सिक्योरिटी में डी. जी. थे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का उन पर नियन्त्रण था, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चाहे तो उनको मानेगी न मानेगी, इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री नाथूसिंह : नहीं, यह नियुक्ति हो गई, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वे यहां आ रहे थे।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आधा मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसी परिस्थिति है इस मामले में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने राजस्थान के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। माननीय मुख्य-मन्त्रीजी, मैं मुख्य मन्त्री होता, उपाध्यक्ष महोदय, और मेरे अधिकारों पर इस तरह से कुठाराघात होता तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुएं में कूद कर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता लेकिन स्टेट का अस्तित्व समाप्त नहीं होने देता। ऐसे अधिकारों का यूज क्या, उपाध्यक्ष महोदय, जिसने हमारा अस्तित्व समाप्त कर दिया

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुख्य मन्त्री के लिए शर्म की बात है, जो सरकार है इसके लिए शर्म की बात है और तालियां बजाने वालों के लिए शर्म की बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई चर्चा नहीं होगा। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हरिसिंह कुम्हेर याचिका उपस्थापित करेंगे। श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तालियां केवल एक हाथ से बजाई जाती हैं, दो हाथ से नहीं बजाते।

याचिका का उपस्थापन

जिला बाड़मेर के ग्राम सवाउ पदमसिंह से डण्डू तक ग्रेवल रोड को बी.टी. कराना

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर जिले के ग्राम सवाउ

(श्री हरिसिंह)

पदमसिंह से डण्डू तक ग्रेवल रोड को बी. टी. करवाये जाने से सम्बन्धित चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा दो याचिकायें उपस्थापित करेंगे।

श्री सूरजपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

अनुदान की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान। मांग संख्या 37–श्रीमती कमला।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या कृषि मांग संख्या 28–सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम एवं मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,18,01,000 रूपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 25

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 28–सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,60,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या–39

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,10,-57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1–कृषि विभाग द्वारा कृषकों को कृषि सम्बन्धी समुचित ज्ञान समय पर नहीं कराये जाने से कृषि पैदावार में होने वाली गिरावट पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2–सीकर जिले में कपास की खेती हेतु परीक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने हेतु चर्चा के लिये।

3–राजस्थान में अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(134)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

4–कृषि उपज मण्डी टैक्स वसूली में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

5–सीकर नगर में कृषि उपज मण्डी के निर्माण में हो रही देरी पर चर्चा के लिए।

6–सूरतगढ़ कृषि फार्म को केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को हस्तांतरित करवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने हेतु चर्चा के लिए।

7–राज्य में फसल बीमा योजना लागू करने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

8–किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

9–किसानों को कृषि कार्य हेतु विभिन्न माध्यमों से ऋण उपलब्ध कराने में विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

10–किसानों को कृषि कार्यों हेतु रियायती दर पर उत्तम खाद व बीज सही समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

11–किसानों को आधुनिक उपकरण उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

12–12 फरवरी, 1982 को कृषि विभाग राजस्थान के उपनिदेशक पदों पर अयोग्य अधिकारियों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

13–कीटनाशक औषधियों की उचित जांच नहीं कराये जाने से फसलों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

14–राज्य में फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

15–कृषकों को वितरित किये गए कपास के शंकर बीज के खराब होने से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

16–कृषि विभाग द्वारा बीज, खाद एवं आवश्यक औषधियों का वितरण करने की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

17–राज्य बीज निगम द्वारा किसानों से सस्ता बीज खरीद कर वापस उनसे ही दुगुना मूल्य वसूल कर भारी मुनाफा कमाने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री तेजपाल यादव)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

18–कृषि विभाग किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

19–उदयपुर विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

20–विभाग की अकर्मण्यता के कारण कृषि उत्पादन में हुई कमी पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

21–कृषि हेतु बीज व खाद समय पर न मिलने से काश्तकारों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये।

22–राज्य में फसल बीमा योजना को लागू किये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

23–कृषि विभाग अलवर द्वारा वर्ष 1978 में कीटनाशक दवाइयों की खरीद एवं वितरण मे की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक)

24–वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीकी सहायता देने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

25–कृषकों को उन्नत किस्म का बीज व तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध नहीं कराने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

26–प्रदेश में विभागीय कृषि कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

27–कोटा जिले में सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

28–झालावाड़ जिले में सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

29–कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए मिट्टी की किस्म के आधार पर होने वाली फसल तैयार करने सम्बन्धी उपाय कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30–नैनवा पंचायत समिति में कृषि विस्तार कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

31–कृषि विकास कार्यक्रमों में जालौर जिले की अवहेलना किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

श्री चतुर्भुज (टोडारामसिंह)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

32–कृषकों को उन्नत किस्म का बीज व खाद व दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

33–राज्य सरकार किसानों को उत्पादन का समता मूल्य दिलाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

34–कृषि विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई उपयोगी कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

35–काश्तकारों की वर्तमान कृषि समस्याओं का समाधान करने में विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

36–जिला बून्दी के किसानों को खाद व बीज आसानी से उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

37–केशवरायपाटन में गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38–हरिजन किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39–हरिजन किसानों को खाद, बीज आसानी से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40–कृषि विस्तार योजना को जिला बून्दी में प्रभावी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

41–कृषि व्यवसाय को उद्योग घोषित कराने में विभाग की असफलता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को बीज, खाद व दवाइयां समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

42–किसानों को बीज व खाद के लिए विभाग द्वारा अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

43–राज्य में कृषक की फसल पर

(श्री मोहनलाल मोदी)

बीमा योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

44–कृषि के समग्र विकास के लिए सघन कृषि कार्यक्रम कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा)

45–झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी में कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

46–झालावाड़ जिले में किसानों को अच्छे बीज दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार)

47–खण्डार ग्राम में कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य अब तक चालू नहीं किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा)

48–कृषि उपज बढ़ाने हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगनसिंह (बयाना)

49–प्रदेश में कृषि की सम्भावनाओं को देखते हुये किसानों को प्रोत्साहित करने व उन्नत विधि से कृषि कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

50–आधुनिक कृषि साधनों की कमी से कृषि की उपज बढ़ाने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

51–राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय और खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

52–सहायक अभियन्ता कृषि का कार्यालय इटावा में बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री दाऊदयाल जोशी (दागोद)

53–कृषकों को उचित मूल्य पर खाद, बीज तथा दवाएं दिलाने तथा कृषि उपज की सही कीमत दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(138)

श्री हीर लाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

54–कोटा जिले में भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक)

55–खाद, बीज व दवाइयों की वितरण व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

56–राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा कोई भी उपयोगी कार्य न करने तथा हर वर्ष भयंकर घाटा होने से राज्य कोष पर बढ़ रहे बोझ के कारण इस निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

57–कोटा में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

58–उन्नत कृषि हेतु कार्यक्रमों में सुधार लाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

59–पौध संरक्षण उपकरणों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60–कोटा जिले में सब्जी उत्पादन योजना को सघन रूप देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61–प्रदेश में एक एग्रीकल्चर बोर्ड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62–भूमि विकास कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सस्ता बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

63–कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये नवीनतम उपकरणों का प्रयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

64–राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में कीट नाशक दवाइयां उपलब्ध कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

65–राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में रहने वाले काश्तकारों को अच्छा उत्पादन देने वाला बीज समय पर उपलब्ध नहीं करा पाई, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

66–कृषि महाविद्यालयों में कृषकों के

139

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पुत्रों के लिए सीटें आरक्षण कराने में विभाग के असफल रहने से महाविद्यालयों को दिये वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

67–कीटनाशक औषधियों के नमूने निम्न स्तर के सिद्ध होने के पश्चात् भी निर्माताओं का चालान न करने पर चर्चा के लिए।

68–फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

69–मान्यता प्राप्त बीज एवं दवाइयों के घटिया किस्म से इस वर्ष हुये नुकसान का कृषकों को मुआवजा देने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

70–अन्ता कृषि उपज मण्डी की सांखली उप-मण्डी के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए।

श्री भालू खां (चूरू)

71–चूरू जिले के कृषकों को समय पर उन्नत किस्म के उन्नत बीज नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

72–कृषि की दवा व उन्नत बीज उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

73–भीलवाड़ा जिले में कृषि हेतु उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

74–खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं की बढ़ी हुई कीमत व उनका समय पर वितरण के अभाव के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

75–सांगोद जिला कोटा में स्थित कृषि मंडी क्षेत्र को विकसित न करने एवं वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री लालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

76–कृषि विभाग द्वारा कैचमेन्ट कार्यों में किये जा रहे खर्च में कमी कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुंजीलाल (वामनवास)

77–जिला सवाई माधोपुर के कृषकों को समय पर उचित मात्रा में बीज खाद एवं कीटनाशक औषधि उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता के कारण कृषि उत्पादन में होने वाली गिरावट पर चर्चा के लिये।

(140)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (छीपाबड़ौद)

78 सीड कार्पोरेशन में किसानों का प्रतिनिधित्व दिलाने की आवश्यकता के कारण निगम को दिये जाने वाले कर्ज के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञान सिंह (भादरा)

79–कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उन्नत कृषि के प्रयोगों में रुचि न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

80–कोलायत तहसील के काश्तकारों को उन्नत बीज दिलाने की पूर्ण व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

81–सीमावर्ती क्षेत्र के कृषकों को खेती हेतु उत्तम बीज खरीद करने के लिये विशेष तौर पर ऋण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

8 –सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार की भांति अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83–सर्वेलेन्स आफिसर स्टेशन रोड कोटा की रिपोर्ट के आधार पर चम्बल कमाण्ड क्षेत्र को रोली रोग के लिये एन्डेमिक क्षेत्र घोषित किये जाने की चर्चा के लिये।

84–राजस्थान बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर तकनीकी व्यक्ति को ही नियुक्त करने के सम्बन्ध में निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

85–निवाई में नव–निर्मित कृषि उपज मण्डी भवन इत्यादि में निर्माण कार्य (तकनीकी शाखा द्वारा) घटिया स्तर का होने से जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

86–कृषि बीज निगम द्वारा सही बीज वितरण न करने से निगम को दिये जाने वाले कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

87–राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

88–ग्राम सांवली तहसील दूदू जिला जयपुर में कृषि मण्डी निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)

89–राजस्थान सीड कार्पोरेशन द्वारा मनमानी करने व किसानों को सड़ा गला बीज देने के कारण दिये जाने वाले कज के बारे में चर्चा के लिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक)

90–कृषि उपज मण्डी के अधीन गौण मण्डियों की अनुपयुक्तता, आय कम, प्रशासनिक व्यय अधिक तथा व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

91–राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र में कृषकों को दिये जाने वाले अनुदान की राशि वितरित करने में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

92–राज्य सरकार बैंकों से खेती के साधन डीजल पम्प, मोटर, रहट, कुओं के लिये ऋण, अनुदान आदि समय पर देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

93–राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में किसानों को खाद बीज, दवाइयां उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

94–विभाग खेरली मण्डी जिला अलवर का कांटा जो गत 5–6 वर्षों से खराब है उसको ठीक कराने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

95–मसूदा निर्वाचन क्षेत्र के कृषकों को उचित समय पर उन्नत किस्म का बीज व रासायनिक खाद उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर)

96–कृषि की समस्याओं में सुधार लाने हेतु एवं कृषकों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने हेतु विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा)

97–राज्य के कृषि उद्योग निगम द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में हुई अनियमितताओं के कारण विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

98–क्षेत्रीय कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों में गति लाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

99–मसूदा निर्वाचन क्षेत्र के पर्वतीय इलाके में उत्पादन हेतु विशेष कृषि प्रणाली का सर्वे करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री पीरूराम (टी. बी.)

100–कृषि उपज मण्डी चाहीयागन्धेली रोड व रावतसर मण्डी में बाजारू बीज के वितरण करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

101–कृषि विभाग में प्रशिक्षण के लिये व्याख्याताओं की योग्यता पी. जी. रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

102–1981–82 में खरीफ एवं रबी की फसल नहीं पकने से जिले में उत्पन्न विषम स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)
श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

103–कृषि विभाग में पदोन्नति आदेशों

(५२)

(श्री भूपालसिंह)

का उल्लंघन किया जाने पर चर्चा के लिये।

104–कृषि विभाग के अधिकारियों की विभागीय प्रक्रिया पूरी न होने के बावजूद इन्हें पदोन्नत किये जाने बावत चर्चा के लिये।

105–संयुक्त निदेशक, कृषि पद पर तदर्थ सेवारत अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदन के अभाव में नियम के विपरीत पदोन्नति करने बाबत चर्चा के लिये।

106–कृषि विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा फरवरी, 1982 में जोन आफ कन्सीडरेशन के आदेशों पर अमल नहीं करने में हुई गलत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107–जनवरी, 1981 में राज्य सरकार के अधीन सेवारत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में जोन आफ कन्सीडरेशन की पालना उप निदेशक कृषि के लिये क्रमोन्नत अधिकारियों पर लागू न करने बाबत चर्चा के लिये।

108–वर्ष फरवरी, 1982 में उप निदेशक पद पर क्रमोन्नत किये गये अधिकारियों में वरिष्ठता एवं योग्यता चक्र की अवहेलना पर चर्चा के लिय।

109–वर्ष 1977 में पदोन्नत सहायक निदेशक या कृषि अधिकारी के पदों पर नियुक्त अधिकारियों को पांच वर्षों के अनुभव के अभाव में उप निदेशक पद पर पदोन्नति में बरती गई अनियमितता बाबत चर्चा के लिये।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा)

110–राज्य के कृषि अनुसंधान के निष्कर्षों का लाभ किसानों को नहीं मिलने की चर्चा के लिये।

111–सी. टी. ए. ई. महाविद्यालय उदयपुर में विभिन्न विषयों में प्रोफेसरों के पदों का सृजन न करने के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

112–सी. ए. डी. एवं कृषि विभाग के अनुसंधान कार्य को उदयपुर विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113–उदयपुर जिले में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में हुई अनियमितताओं की चर्चा के लिये।

114–विश्व बैंक द्वारा संचालित कृषि कार्यक्रम को ज़िला परिषद् के अन्तर्गत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115–उदयपुर विश्वविद्यालय में आई. सी. ए. आर. द्वारा छठी पचवर्षीय योजना में स्वीकृत पदों को सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं करने के कारण विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

116–नाथद्वारा में विश्व बैंक के कृषि विस्तार हेतु कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आफिस का निर्माण

(श्री सी० पी० जोशी)

करने में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

117–सन् 1981–82 में नाथद्वारा कृषि उपज मण्डी का कार्य प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118–नाथद्वारा हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय अध्ययन के लिये कृषि भूमि अधिगृहण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

119–राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

120– जयपुर जिले की बस्सी पचायत समिति क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

121– जयपुर कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) के अन्तर्गत यार्ड मण्डी बस्ती का निर्माण जो वित्तीय वर्ष 1981-82 में किया जाना था उसमें अनावश्यक विलम्ब किये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

122– किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में रोजवाड़ी, तूंगा, बांसखोह, देवगांव, जटवाड़ा, पाटण, बड़वा, कानोता, सांभरिया में ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

123– जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी के किसानों की माली हालत सुधारने हेतु कृषि विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

124– पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू ज़िला जयपुर में कृषि उत्पादकों को को उन्नत औजार, उन्नत बीज एवं रासायनिक खाद मुलभ कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

125– जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु कृषकों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126– जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के लिये वाणिज्यिक फसलों के अधिक उत्पादन हेतु अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127– जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में भू-संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128– जयपुर जिले की बस्सी, चाकसू और फागी तहसील को भौगोलिक दृष्टि से जिला कृषि अधिकारी दौसा के क्षेत्र से हटाने एवं जयपुर जिला कृषि अधिकारी के क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

129– किसानों को गेहूं, बाजरा तथा

(श्री तेजपाल यादव)

ज्वार का उन्नत बीज दिलाने पर चर्चा के लिये।

130– कृषि विस्तार कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कृषि विस्तार कार्यक्रम को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131– कृषि विभाग द्वारा कृषि उत्पादन को समर्थ मूल्य दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

132– कृषि विभाग द्वारा बीज बेचने की दोषपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

133– बीज भण्डारों के उचित संधारण नहीं होने के कारण राज्य भण्डार निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

134– कृषकों को उनकी पैदावार के उचित मूल्य नहीं दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

135– इस वर्ष की फसल में रोली लग जाने की सूचना समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136– राजस्थान बीज निगम द्वारा कृषकों को दिये गये खराब बीज के कारण निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

137– कृषकों को समय पर खाद व बीज दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

138– कृषकों को समय पर उचित मात्रा में सस्ती दर पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

1– सूखा प्रवण कार्यक्रम में हो रहे धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2– सीकर जिले में सूखा प्रवण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

3– सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर व पाली जिले में क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने की चर्चा के लिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक)

4– टौंक जिले में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

5– भीलवाड़ा तहसील में हर दो साल बाद सूखे पड़ने की स्थिति से निपटने हेतु

(श्री बंसीलाल पटवा)

सूखा प्रगत क्षेत्र कार्यक्रम प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

6– उदयपुर जिले के सूखे से निपटने के लिये कोई स्थायी हल निकाले जाने के लिये सूखा प्रगत क्षेत्र कार्यक्रम प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

7– सीमा से लगे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के बार्डर के क्षेत्रों को सदैव के लिये सूखाग्रस्त घोषित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

8– उदयपुर क्षेत्र में सूखा प्रगत कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य न होने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

9– घोषित सूखा आशंकित क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से लघु सिंचाई व चरागाहों के विकास कार्य प्रारम्भ करने की चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

10– पश्चिमी राजस्थान में हर वर्ष पड़ने वाले अकाल की रोकथाम हेतु व्यापक योजना बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

11– जालौर जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में वरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

12– बार बार पड़ने वाले सूखे का स्थाई हल निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

13– सरकार राज्य में सूखा का स्थाई हल खोजने में असमर्थ रही है, इस चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

14– काफी लम्बे अरसे से सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम निष्प्रभावी सिद्ध होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

15–एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमान्त एवं लघु कृषक को ऋण, अनुदान देने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

16–सूखा आशंकित कार्यक्रम को गतिशील बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

17–सूखा आशंकित कार्यक्रम के अन्तर्गत

(146)

(श्री सुन्दरलाल)

प्रारम्भ किये गये कार्यों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

18–सूखे क्षेत्रों के लिए और अधिक योजनायें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19- झालावाड़ जिले में सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

20–सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री जगनसिंह (बयाना)

21–सूखा प्रणत कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा पड़ने की स्थिति में कृषकों को राज्य सरकार द्वारा क्षति-पूर्ति हेतु सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

22–डी. पी. ए. पी. के कार्यों को गतिशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

23–हिण्डौन तहसील के सूखा क्षेत्र में कार्य खोलने में राज्य सरकार असफल रही है। इस पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

24–सूखा आशंकित क्षेत्रों में चरागाहों के विकास कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

25–सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की क्रियान्विति में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

26–सूखा आशंकित कार्यक्रम प्रारम्भ करने में सरकार द्वारा भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

27–उपनिवेशन क्षेत्र में अनकमाण्ड भूमि को सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित कराकर भेड़ चरागाह हेतु सुरक्षित करने पर चर्चा के लिए।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

28–पाली तहसील में सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम में गति लाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा)

29–भीलवाड़ा जिले की कुछ तहसीलों को सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

30-कुशलगढ़ क्षेत्र में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31-कुशलगढ़ क्षेत्र में डी०पी०ओ०पी० द्वारा भेड़ बन्दी कार्य में हुए भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

सैय्यद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

32-मसूदा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई ठोस योजना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भैरुलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

33-सरकार द्वारा निर्धारित सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में वहुत से गांव सूखे से पीड़ित हैं इस क्षेत्र में सूखा आशंकित कार्यक्रम के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)

34-नाथद्वारा तहसील में सूखा प्रणत कार्यक्रम प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

35-जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की तहसील जमवारामगढ़ को सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित कर चरागाहों का विकास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36-जमवा रामगढ़ तहसील में प्रत्येक वर्ष सूखा पड़ने पर भी इसे सूखा प्रणत क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1-जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2-सीकर जिले में पशु चिकित्सालय की कमी एवं सीकर नगर में स्थित पशु चिकित्सालय की दयनीय स्थिति को सुधार कर उसे उच्च श्रेणी का बनाने हेतु चर्चा के लिए।

3-सीकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पशुपालन चिकित्सालय में व्याप्त व्यवस्था एवं कर्मचारियों की लापरवाही में सुधार किए जाने पर चर्चा के लिए।

4-सीकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक संख्या में पशु चिकित्सालय खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

5-चित्तौड़गढ़ जिले में पशु चिकित्सालय भवन के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

6–पशुपालन विभाग की निष्क्रियता से पशुओं की नस्ल समाप्त होने, पशुओं की संख्या के आधार पर पशु चिकित्सालय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

7–तहसील बहरोड़ के ग्रामों में पशु चिकित्सा की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

8–भीलवाड़ा तहसील में सांगानेर, पुर, बड़ा महुआ, दांथल खेराबाद में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

9–पशु चिकित्सालयों में समुचित मात्रा में दवाओं की व्यवस्था करने तथा चौमूं निर्वाचन क्षेत्र में गोविन्दगढ़ हस्तेड़ा तथा चिथवाड़ी कस्बों में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

10–पशुपालकों की विशेष व्यवस्था एवं योग्य स्थान व चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

11–पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त औषधियां न होने के विषय में चर्चा के लिए।

12–सिकराय में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13–पशु औषधालय डौलीका में भवन की व्यवस्था के होते हुए भी कर्मचारियों के वहां न रहने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव) :

14–पशु चिकित्सालयों में स्टाफ पूरा न होने व लीलभा पाधीकापार–गंगाला और जैसलमेर जिला में चैलक व फतेगढ़ में नये पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

15. टौंक जिले में मुर्गी पालन हेतु सघन कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

16. पशु चिकित्सा एवं पशुधन विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

17. पशु चिकित्सालय अन्ता जिला कोटा में दो वर्ष से चिकित्सक न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नेनवा) :

18. नैनवा पंचायत समिति के ग्राम करवर में पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) ;

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) ;

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

19. पशुओं की संख्या के आधार पर बाड़मेर व टौंक जिलों में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) :

20. श्री माधोपुर क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) ;

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) ;

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :

21. राज्य के पशुधन को विभाग से कोई लाभ न होने तथा जनता के धन का अपव्यय रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) ;

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) ;

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) ;

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

22. पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति में चारे एवं पानी की भारी कमी होने पर भी राज्य सरकार द्वारा पशु-आहार अनुदान दर पर नहीं उपलब्ध कराने से पशुपालकों में भयंकर रोष व्याप्त है इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

23. पंचायत समिति केशवरायपाटन में पशुधन सहायक के पद समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. पशुओं की चिकित्सा हेतु कैम्प लगाकर उपचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

25. पशु चिकित्सा सुविधा में ग्रामीण विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

26. ग्राम खूड़ व कोछोर, जिला सीकर में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) :

27. ग्राम मांढन में नवीन पशु औषधालय खुलने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

28. पंचायत समिति नीम का थाना

(150)

(श्री मोहन लाल मोदी)

के ग्राम सांवलपुर तंवरान में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

29. पशुपालन को उन्नत बनाने तथा पशु औषधालय स्थापित करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) :

30. झुंझुनू जिले के गुढ़ा विधान सभा क्षेत्र में पशुपालन चिकित्सा की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) ;

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

31. झालावाड़ जिले के पशु चिकित्सालयों में दवाइयों का अभाव होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. झालवाड़ में पशुओं को पूर्ण रूप से चिकित्सा नहीं मिलने और पशुओं को मृत्यु से बचाने हेतु पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :

33. राज्य सरकार पशुपालन को प्रोत्साहन देने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

34. जिला उदयपुर की देलवाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशु चिकित्सालय की स्थापना एवं शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पशु–चिकित्सा के विस्तार पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

35. कोलायत तहसील के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु–चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

36. बीकानेर जिला में शीत लहर से हुई पशुधन की क्षति का मुआवजा दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) :

37. मत्स्य प्रजनन केन्द्रों से मत्स्य चोरी को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) ;

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

38. अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों को पशुपालन के लिये बिना ब्याज के ऋण व 50% अनुदान देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

39. पशुओं का अस्पताल खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) :

40. समदड़ी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

41 गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम साहरा, करदा, बगरुन्दा, मालवा का चोरा में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

42. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गायों व भैंसों के लिए नस्ल-सुधार केन्द्र खोलने बाबत चर्चा के लिये।

43. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विभाग द्वारा भेजे जाने वाले सांड एवं भैंसों की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

44. उदयपुर में पशु चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेंगूं) :

45. ग्रामीण एवं पशु बाहुल्य क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगनसिंह (बयाना) :

46. बयाना क्षेत्र में डांग (पहाड़ी क्षेत्र) होने के कारण पशुओं की अधिक संख्या होने पर भी पशु चिकित्सालयों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

47. पशुओं में बढ़ती हुई बीमारी का उन्मूलन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

48. परबतसर में पशु चिकित्सालय को ए श्रेणी का बनाने कीआवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

49. पीपल्दा क्षेत्र में पशुपालन की समुचित व्यवस्था होते हुए भी विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

50. कोटा जिले को पीपल्दा क्षेत्र के पीपल्दा, गैंता तथा अयाना में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

51. पशु नस्ल सुधार के लिये अच्छी नस्ल के सांड व भैंसे उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :,

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

52. पशुओं की सुरक्षा और उनके वध को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. झालावाड़ जिले के पशु चिकित्सा-

(श्री अनंग कुमार जैन)

लयों में दवाओं एवं स्टाफ के कम बजट से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

54. झालावाड़ के दुधालिया ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

55. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

56. सवाई माधोपुर जिले में पशु चिकित्सालय एवं दवाइयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. जिला सवाई माधोपुर में पशुओं के चराई की व्यवस्था कराने हेतु विभाग द्वारा व्यावहारिक योजना नहीं बनाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) :

58. कोटा जिले में पशु सवर्धन कार्यक्रम प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

59. पशु रक्षा के लिये विशेष कार्यक्रम बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

60. कोटा जिले में कृत्रिम गर्भाधान के लिये लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

61. टौंक एव निवाई में सुअर पालन के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. टौंक जिले में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) :

63. कोटा जिले के ग्राम आंवा में पशु चिकित्सालय प्रारम्भ करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

64. झालावाड़ जिले में ऊंटों की बहुतायत के उपरान्त भी पशु चिकित्सालयों में ऊंटों की बीमारी के इंजेक्शन उपलब्ध न रहने पर चर्चा के लिये।

65 मनोहरथाना विधान सभाई क्षेत्र के ग्राम मालता पशु बाहुल्य क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के अभाव में पशुओं की होने वाली मृत्यु पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू)

66. पशुओं की गिरती हुई नस्ल में सुधार लाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

67. कोटा जिले के पशु बाहुल्य क्षेत्र बोरावास तथा खेड़ारुद्धा में पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत कराने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

68. पाली जिले में पशुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भी चिकित्सालयों के कम होने पर पशुधन का उचित आर्थिक लाभ न मिलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) :

69. पशुपालकों की एवं पशु चिकित्सा की क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री भालू खां (चूरू) :

70. भेड़ पालकों को अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

71. जिला नागौर व डीडवाना में पशु चिकित्सालय व पशु पालकों की समस्याओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर–ग्रामीण) :

72. उदयपुर सम्भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :

73. राज्य की पशु चिकित्सा की दुर्व्यवस्था के कारण पशुधन कम हो रहा है, इसकी चर्चा के लिये।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) :

74. पिनान, रामपुरा, राजपुर, सकर में पशु चिकित्सालय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

75. कोटा जिले में पशुओं की नस्ल सुधार में विभाग असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

76. ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक नये पशु चिकित्सालय खोलकर पशुधन को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

77. दूर दराज के गांवों में भेड़ों की चिकित्सा हेतु विशेष प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

78. कोटा जिले की भूमि एवं चारे में कुछ तत्वों की कमी से गायों व भैंसों को गर्भाधान विलम्ब से होने से उचित उपचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(154)

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवा–रामगढ़) :

79. जयपुर जिले के जमुवा रामगढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा का पर्याप्त प्रबन्ध न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खन्डेला) :

80. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर में जाजोद व गुहाला में पशु चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन)

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

81. बाड़मेर जिले की चोहटन तहसील के ग्राम बाखासर, बावड़ी कलां व गंगासरा एवं नागा तरा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. बाड़मेर जिले की चोहटन तहसील में जहां पशुओं की अधिक संख्या हैं, पशु चिकित्सालय खोलने में उपेक्षा के कारण पशुपालकों में व्याप्त घोर असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

83. ग्राम सांवली तहसील दूदू जिला जयपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) :

84. आसीन्द तहसील में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

85. छोटी सरवा, मोहम्मदपुरा, रामगढ़, टिमेंडा, तामेसरा, दुगरा छोटा, कसारवाड़ी आदि गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

86. पशु नस्ल सुधार के सांड व पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

87. राज्य सरकार दूर दराज के गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने में असमर्थ रही, इसकी चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) :

88 जयपुर शहर की पुरानी बस्ती के पहाड़ की तलहटी वाले इलाके में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

सैय्यद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा) :

89. मसूदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पशुओं की . संख्या के अनुपात में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) :

90. झालावाड़ में पशुओं की सुरक्षा हेतु पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

91. पंचायत समिति गिरवा में पशु चिकित्सालय की कमी पर चर्चा के लिये।

सैय्यद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा) :

92. मसूदा निर्वाचन क्षेत्र में भेड़ प्रजनन कार्य खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

93. प्रदेश में पशुओं की ब्रीड़ सुधारने हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) :

94. डूंगरपुर जिले में पशु चिकित्सालय की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

95 मगरा व चोखला क्षेत्र में भेड़ों की नस्ल सुधार करने हेतु तहसील कोलायत के दूरस्त गांवों में ग्राम आधार योजना केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. 25 हजार गोवंश इकाइयों के आधार पर कोलायत तहसील के आंचलिक ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा संस्था की सुविधा उपलब्ध करने पर चर्चा के लिये।

97. कोलायत तहसील में चल पशु-चिकित्सा इकाई स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

98. ऊंट बाहुल्य सीमावर्ती क्षेत्र बरसलपुर, बीकरपुर व गोड़ू में सुर्रा नियन्त्रण इकाई स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

99. जिन-जिन क्षेत्रों में पशु नस्लों की विशेष महत्ता है, वहीं राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन कराने पर चर्चा के लिये।

100. बीकानेर व सीमावर्ती क्षेत्र बरसलपुर, बीकरपुर में ऊंट, भेड़ों की नस्लों की महत्ता को देखते हुए राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन करने पर चर्चा के लिये।

101. कोलायत तहसील में गोट फार्म स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

102. पंचायत समिति क्षेत्र गिर्वा के 10 पंचायतों के केन्द्र टी डी में पशु चिकित्सालय के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

103. कांकरोली में कार्यरत वेटरीनरी डाक्टर द्वारा आफिस टाइम में प्राइवेट व्यापार को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

104. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति खमनोर के गांव सांयो का

(श्री सी. पी. जोशी)

खेड़ा, गांव कोठारिया एवं गांव खमनोर में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

105. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में पशु चिकित्सा सेवायें सुलभ कराने हेतु जटवाड़ा, रोजवाड़ी, कानोता, कोटखावदा में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय अथवा स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

106. पशुओं को रोगों से बचाने की दृष्टि से पशुमाता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर जिले में चल पशु चिकित्सालय द्वारा टीके लगाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

107. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के ग्राम जटवाड़ा, रोजवाड़ी, कानोता, कोटखावदा में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय अथवा पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर चर्चा के लिये।

108. पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से व्याप्त असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू क्षेत्र के पशुपालकों को सभी सुविधायें तुरन्त एवं प्रचुर मात्रा में प्रदान की जाय, इस हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

110. पशुओं की नस्ल में हो रही गिरावट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. पशु चिकित्सालयों में आधुनिक उपकरणों एवं दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

112. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक आठ मील पर एक पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. जमवारामगढ़ तहसील (जयपुर) के क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

114. मछली पकड़ने के ठेके देने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

115. जमवा रामगढ़ (जयपुर) बांध में मत्स्य उद्योग को उचित प्रोत्साहन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37, 28 व 39 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जो प्रस्ताव आये हैं, उन पर चर्चा श्री हरिसिंह (कुम्हेर) !

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव आज की मांगों के सम्बन्ध में दिये हैं। राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता का प्रमुख धन्धा कृषि भी आज लाभदायक धन्धा न होकर जीवन के दिन गुजारने का एक तरीका मात्र है। श्रीमन्, आज भी राजस्थान के अन्दर कृषि एक गेम्बलिंग इन रेन है। 80 प्रतिशत जनता का प्रमुख धन्धा सरकार से बहुत कुछ अपेक्षायें रखता है। मैं यह तो नहीं कहता

(श्री हरिसिंह)

कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार को जितना करना चाहिये था, उतना सरकार ने नहीं किया। सरकार से जितनी अपेक्षायें थी वह पूरी नहीं हुईं। इस धन्धे में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार की ओर से काम करने में जो कमी रही है, उसे शीघ्र पूरा करना लाजमी है। इसके लिये मंजिल अभी बहुत दूर है। श्रीमन्, जो मौजूदा वर्ष है वह कृषि के लिये अनुकूल न होकर प्रतिकूल रहा है। इस वर्ष में जो वर्षा हुई वह गत वर्षों के अनुपात में बहुत कम रही। 1975-76 में 82 मिलीमीटर वर्षा हुई, राजस्थान में सामान्य वर्षा 70 मिलीमीटर से कम नहीं होती जब कि इस वर्ष वर्षा केवल 49.5 मिलीमीटर रही। राज्य सरकार को इस कारण 2123 गांव अभावग्रस्त घोषित करने पड़े। यह सब कुछ होते हुए भी किसानों को मैं इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्पादन में कमी नहीं आने दी। बिजली की कमी रही। और अनेक दिक्कतों के होते हुए भी खाद्यान्न का उत्पादन गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बढ़ा है। यदि आप 1980–81 का खाद्यान्न का कुल उत्पादन देखें, तो 65 लाख टन था और 81-82 में जैसा कि राज्य सरकार का अनुमान है, 66 लाख टन है। तिलहनों का उत्पादन भी 4 लाख टन से बढ़कर 5.60 लाख टन हुआ, 25 प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई। यहां इस सम्बन्ध में किसानों को बधाई दी जा सकती है। मैं राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी संतोष प्रकट कर सकता हूं कि उनका जो विस्तार कार्यक्रम है, उसके क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। लेकिन कृषि के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष जी, बहुत अधिक दिक्कतें हैं। मैं सबसे पहले तो राज्य सरकार का ध्यान किसानों की जो फसल की मार्केटिंग की समस्या है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किसान बड़े पसीने से अपनी फसल पैदा करता है और उसके बाद वह मण्डी में आकर अपनी फसल को बेचता है। तो, उसकी फसल को बेचने का जो तरीका है, वह उचित नहीं है। उसकी फसल सरे आम बाजार में नीलाम की जाती है। फसल किसानों की मेहनत का पसीना है, उसकी गृहणी का पसीना है, उसके बच्चों की मेहनत का पसीना है, जो स्कूल में न जाकर खेत में काम करते हैं। आपने कभी किसी फैक्ट्री का तैयार कपड़ा बाजार में आकर नीलाम होते हुए देखा है? आपने किसी फैक्ट्री के माल को बाजार में आकर नीलाम होते हुए नहीं देखा, अन्य किसी सामान को नीलाम होते हुए भी नहीं देखा। यह हमारा दुर्भाग्य है और देश की विडम्बना है कि किसान की फसल आकर....

व्यवस्था का प्रश्न

विभाग के प्रगति विवरणादि की प्राप्ति में विलम्ब

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं खेद प्रकट करती हूं कि आपको डिस्टर्ब किया। मान्यवर, आज जिस विषय की मांग रखी है, उसका विभाग की ओर से प्रगति प्रतिवेदन नहीं मिला। यह बड़े खेद की बात है कि मांग को ले लिया गया और

(158)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस विषय पर जितना कम्पायलेशन देना चाहिये, वह नहीं दिया गया है....

(व्यवधान)

हमें सीड कार्पोरेशन का प्रगति विवरण नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था कर रहा हूं। बैठ जायं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) जो प्रतिवेदन है, यहां के सचिवालय के कर्मचारियों को +++ गया कि आप अब 12 बजे डाक लेकर आ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप बैठ जायं। मैं व्यवस्था कर रहा हूं....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आसन ने यह की थी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब एकदम खड़े हो जाते हैं, तो क्या सुनाई देगा ?

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जायं ...

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं वही बात कह रहा हूं जो आप इनसे स्वयं कह रहे हैं ..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : राज्य मन्त्री जी यहां मौजूद हैं, लेकिन कोई वरिष्ठ मन्त्री यहां नहीं हैं जो हमारी बात सुन सकें....

(व्यवधान)

यह पार्टी का सवाल नहीं है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, माननीय सदस्य.

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

वह किसी काम से गई होंगी, थोड़ी देर में आ जायेंगी....

(व्यवधान)

इसके लिये हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह हो-हल्ला का सवाल नहीं है, यह व्यवस्था का सवाल है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : हम लोग बजट पर बहस कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : सदन में प्रतिवेदन नहीं मिलता, कोई मन्त्री नहीं मिलता और आप कोई व्यवस्था नहीं देना चाहते....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : क्या मैं दो मिनट के लिये पानी पीने के लिये नहीं जा सकती?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रतिवेदन आ रहे हैं....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : तो बहस किस प्रकार करें....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारे आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं, किसकी बात सुनी जाय....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बाधा न डालें। आपकी बात मैंने सुन ली, मैं व्यवस्था कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं तो आज क्या व्यवस्था होगी? जब पढ़ेंगे तब बोलेंगे। हाउस स्थगित किया जाय एक घंटा, पढ़ने के लिए तैयारी करने के लिए विधान सभा को स्थगित किया जाय जिससे हम पूरी तैयारी से आयें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इन्फार्मेशन मंगाई है कि सैक्रेटेरिएट से डिस्ट्रीब्यूट हुई या नहीं, अभी बताता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो बोलना किस बात पर है? कल्पना करें कि....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग का प्रगति विवरण 3-4 दिन पहले वितरित हो चुका था।

अनेक, माननीय सदस्य : हमको नहीं मिला।

श्रीमती कमला : वितरित हो चुकी हैं।

अनेक माननीय सदस्य : विभाग द्वारा नहीं मिला है।

श्रीमती कमला : आप बिलकुल गलत बयानी कर रहे हैं, 4 दिन पहले यहां हाउस के मैम्बर्स को वितरित हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कभी किसी महिला के खिलाफ गलत बात नहीं बोलती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप महिला मन्त्री हैं, मैं कभी गलत नहीं बोलती हूं। मंत्री महोदय, आप गलत बोल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप दिखवा लीजिये, उन्होंने नहीं भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की गरिमा को ताक पर रख रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह गलत आरोप लगा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : आप बार-बार आसन से व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रगति रिपोर्ट 3-4 दिन पहले और निष्पादन आय व्ययक अभी सुबह 11 बजे दोनों लॉबियों में रखवा दिये गये हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। लॉबी में रखवा दिये गये हैं, ले लिये जायं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अमीन खां (शिव) : कल शाम हमें मिल गया, हम सबको तो मिल गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं मिला है, अभी हमारे कहने के बाद लॉबी में रखवाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, आपको बोलना है? श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : हम आपकी शरण में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लाये हैं लॉबी में से?

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): लॉबी में पड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ले लिया जायं।

श्री अनंगकुमार जैन : अब लॉबी में

(श्री यदुनाद सिंह)
से लेने से क्या फयदा ? कब पढ़ेंगे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा हम लॉबी में जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : देर से आया इसलिये लॉबी में रखवाया। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : हम आपकी शरण में हैं। यह बजट सत्र है, अगले साल क्या होने वाला है किस किस क्षत्र में, इस बारे में यहां पर सगुण बहस होनी चाहिये नहीं तो उसका अर्थ क्या ? सैक्रेटेरिएट से बजट होकर चला जाता फिर विधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब तक हमको आय व्यय का अनुमान नहीं मिला है, निष्पादन आय व्ययक अनुमान नहीं मिला है और कह रहे हैं कि लॉबी में रख दिया। उसका हम कब अध्ययन करेंगे ? उसमें क्या कमियां हैं, क्या हमारा सुझाव है क्या कुछ किया जा सकता है कहां पैसा अधिक है, कहां कम है उसका हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। 11 बजे लॉबी में रख दिया। बहस समाप्त नहीं होने वाली है बहुत दिन तक विधान सभा चलने वाली है। कृषि देश और राज्य का प्रमुख तौर पर अभिन्न अंग है और इस पर सारी इकानामी निर्भर करती है। इस पर सगुण बहस हो इसलिये आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस बहस को दूसरे दिन के लिये रखें।

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से इस प्रकार के विचार शासन के समक्ष रखे जा रहे हैं कि जिस मांग को लेकर यहां बहस होती है उस मांग पर आय व्ययक निष्पादन और प्रगति रिपोर्ट नहीं मिलता। आपने ठीक कहा कि प्रगति रिपोर्ट दो तीन दिन पहले पहुंच गई है निष्पादन आय व्यक्क नहीं पहुंचा। इतनी ही बात नहीं है, इसके साथ ही साथ बीज प्रमाणीकरण संस्था है जिस पर भी बहस होने वाली है, सीड कार्पोरेशन का प्रगति प्रतिवेदन भी वहां पड़ा है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कृषि विभाग के प्रगति प्रतिवेदन से काम नहीं चलेगा। कृषि विभाग से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी इश्यूज मांग में सम्मिलित हैं उन सबके प्रगति प्रतिवेदन और निष्पादन आय व्ययक माननीय सदस्यों को यदि एक दिन पहले रात्रि को भी पहुंच जायेंगे तो माननीय सदस्य उसका पूरा अध्ययन करके इस बहस के लिये तैयार होकर आयेंगे। तीन दिन हो गये इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आप सरकार को ताड़ना तो दें। अभी भरतपुर जिले से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रस्ताव किया है मैं भी उसका अनुमोदन करता हूं और एक बात निवेदन करना चाहता हूं। कल भी मांग है और मेरी मान्यता है कि अभी तक शायद कल की मांग के लिये इस प्रकार पूरी सामग्री घर पर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, न ही होगी। क्या इस प्रकार की स्थिति पुराने समय से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी ? मैं आसन से विनम्र शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि सार्थक बहस तब होगी जब इस प्रकार के जितने लिटरेचर हैं वह लिटरेचर सबको मिल जायं। कृषि महत्वपूर्ण विषय है, राजस्थान से सम्बन्ध रखने वाला विषय है। सीड कार्पोरेशन के बारे

162

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

में आपको ज्ञान होगा। विभिन्न सवालों के जरिये, विभिन्न स्थगन प्रस्तावों के जरिये, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिये राजस्थान की विधान सभा में सीड कार्पोरेशन पर लगातार हिट आउट होता रहा है और आज अगर प्रगति प्रतिवेदन मिलेगा 11 बजे तो क्या बहस करेंगे माननीय सदस्य ? इसलिये मेरी आपसे अपील है कि जो भरतपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा मैं उसका समर्थन करता हूं। ऐसा आसमान नहीं टूट रहा है, आप इसको स्थगित कर दें और किसी समय इसको लें और आगे की व्यवस्था कर दें कि इस प्रकार का सारा लिटरेचर समय पर हमको उपलब्ध हो जायें।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कृषि विभाग का जो प्रगति विवरण है या अन्य विभाग जिनकी आज मांगें हैं उनके प्रगति विवरण तो माननीय सदस्यों को पूर्व में पहुंच चुके हैं। कृषि विभाग से सम्बन्धित दो कार्पोरेशन्स के प्रगति विवरण देर से पहुंचे हैं और उनका आय व्ययक निष्पादन आज जेट मिला है। प्रगति विवरण में यह होता है कि क्या क्या कार्य किया गया है और आगे क्या कार्य किये जाने वाले हैं। आय व्ययक निष्पादन विवरण के अन्दर जो आंकड़े होते हैं वह किस हद तक संतुष्ट करने वाले हैं। उसमें उसका मूल्यांकन या विवरण नहीं होता है वह सिर्फ खर्चे का ब्यौरा है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो है। प्रोग्राम की उपलब्धियां व प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बारे में खास तौर से माननीय सदस्यों को रुचि होती है, वह आपको काफी समय पहले मिल चुका है इसलिए स्थगित करने की मेरी समझ में जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। बैठ जाइये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : प्रगति प्रतिवेदन के हिसाब से हमने कट-मोशन्स दे दिये वे यहां पर खारिज हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई खारिज नहीं हुआ बैठिये।

माननीय सदस्य, डाक नहीं पहुंचने के लिये अपोजिशन के डिप्टी लीडर ने एक प्रस्ताव रखा है इस बिना पर कि उनको एक कार्पोरेशन का लिटरेचर प्राप्त नहीं हुआ है इसके अलावा एक प्रगति विवरण आज प्राप्त हुआ है।...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं मिला पूरे कृषि विभाग का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बाधा नहीं डालें। आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको कम से कम एक दिन पहले वह लिटरेचर मिलना चाहिए था। उसके जवाब में हमें खेद है और अब आपके सामने लिटरेचर हाथ में आप...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खेद आप प्रकट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप लोग समझदार लोग हैं। जो आपके पास आया है उससे काफी सवाल जवाब कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : तो फिर उनको इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, देवी सिंहजी आप बैठ जायं, मुझे आपको बार-बार वार्निंग देनी पड़ती है क्योंकि आप नियमों की पालना नहीं करते हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य, देवीसिंह।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खेद आपने प्रकट कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय जबकि खेद तो सरकार को प्रकट करना चाहिए। यह किस प्रकार की सरकार है ?

श्री उपाध्यक्ष : आइन्दा आप ध्यान रखिये, जो भी लिटरेचर हो वह कम से कम एक दिन पहले माननीय सदस्यों के पास पहुंचाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां राइट।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बुरी व्यवस्था है। अगर लिटरेचर हमारे पास नहीं आता है तो फिर बेकार है हमारा बहस करना।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : अवाम के लिए आज की कार्यवाही समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, देवी सिंह आप बाहर चले जाइये सदन से। आप इस सदन की गरिमा में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। आपको कितनी बार वार्निंग दी, आप मानते ही नहीं हैं। आप इस तरह की बार-बार आवाजें निकालते हैं, यह सदन है या बाजार है ? माननीय सदस्य, बाहर चले जायं।

श्री राजबहादुर : अब आपने ताड़ना दे दी, बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, अब आप ध्यान ध्यान रखिये, आइन्दा ध्यान रखें।

मांग संख्या 37, 28 व 39 पर विचार

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, मैं आज आपका और सदन का ध्यान किसान की इस विडम्बना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब किसान अपने पसीने की कमाई को मण्डी में बेचने जाता है तो वह अपने दिल में यह बात लेकर जाता है कि उसको पूरी कीमत मिलेगी। लेकिन उसकी फसल की सरे आम नीलामी की जाती है। बाजार का तरीका यह है कि जो खरीददार है वह और जो फसल को बेचना चाहता है, जिसका माल बिके वह दोनों बराबर रहें। लेकिन वह किसान अपनी फसल को देखता रहता है, खरीदार आते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार बोली बोल कर उसकी फसल की कीमत एक, दो, तीन करके लगा

(श्री हरिसिंह)

लेते हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि किसान अपनी फसल को नीलाम नहीं करावे और फसल को मण्डी में लाने से पहले उसको इस बात का कुछ हिन्ट मिल जाय या थोड़ा अन्दाजा लग जाय कि उसकी फसल किस भाव से बिकेगी ताकि अगर वह चाहे तो अपनी फसल बेचे और नहीं चाहे तो अपनी फसल नहीं बेचे। तो, श्रीमन्, आवश्यकता आज इस बात की है कि कृषि उपज मण्डी समिति को राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश दे कि वह अपने यहां पर इस प्रकार के गोदाम का निर्माण करें कि अगर किसान अपनी फसल को ले आये और वह बाजार के उन भावों में बेचना नहीं चाहे तो उन गोदामों में अपनी फसल को रख सके और बैंक से इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान को फसल की औसत कीमत का 75 प्रतिशत या 80 प्रतिशत पैसा मिल सके जिससे कि उसका खर्च चल सके।

इसके अलावा, श्रीमन्, मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं, कृषि के धन्धे में एक बहुत बड़ा क्राइसेस आने वाला है। एक तरफ तो आपके यहां आवाज उठती है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए क्या उपाय राज्य सरकार कर रही है? जहां तक सम्बन्ध कृषि का, फसल का है, कृषि के इनपुट्स की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। जो डीजल एक रुपये का एक लीटर आता था वह आज 3 रुपये 28 पैसे लीटर गया यानी साढ़े तीन गुणा बढ़ गया। इसी तरह ट्रैक्टर जो कि 17 हजार में आता था वह अब 85 हजार का हो गया यानी पांच गुणा बढ़ गया। जितनी भी चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं लेकिन जहां तक फसल की कीमत का सवाल है वह नहीं बढ़ रही है। जो सरसों 500 रुपये क्विन्टल थी वह आज 350 रुपये क्विन्टल हो गयी है और आने वाले समय में 300 रुपये क्विन्टल हो जायेगी। यानी कि फसल के भाव आधा हो गये और इनपुट्स के भाव तीन चार गुणा बढ़ गये इसलिए एक बहुत बड़ा क्राइसेस आने वाला है। एक तरफ बिजली देना नहीं चाहते हैं बिजली आपके पास है नहीं सिंचाई की दरों को आप बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन किसान की फसल की कीमत की आज कोई भी चिन्ता नहीं करना चाहते हैं। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान में 80 प्रतिशत धन्धा कृषि का है और जो क्राइसेस इस धन्धे में आने जा जा रहा है उससे राजस्थान की आर्थिक हालत बिगड़ जायेगी। इसका कारण यह भी है कि जो टैक्स राज्य सरकार लगाती है वह टैक्स अन्ततोगत्वा किसान पर ही पड़ता है चाहे आपका डाइरेक्ट टैक्स हो चाहे इन–डाइरेक्ट टैक्स हो वह अल्टीमेटली किसान पर ही पड़ता है। आज 80 प्रतिशत जनता की टैक्स देने की क्षमता धीरे धीरे गिरती जा रही है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं आज आवश्यकता इस बात की है कि इनपुट्स की कीमत पर आप कन्ट्रोल कर नहीं सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का कीमत को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं तो आप किसान को सब्सिडी दीजिये। हालांकि आप पचायत समिति के माध्यम से सब्सिडी

(श्री हरिसिंह)

देते हैं पर वह अलग अलग देते हैं जिससे किसानों को राहत नहीं मिलती है। दूसरे प्रदेशों में अगर आप देखें तो वहां के किसानों को एक साथ सब्सिडी दी जाती है और वहां पर ऐसा कोई किसान नहीं है जिसको कि सब्सिडी नहीं मिलती हो लेकिन राजस्थान में आज किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन एग्रीकल्चर इनपुट्स की कीमतें बढ़ रही हैं उनके लिए राज्य सरकार को चाहिये कि एक लेवल के ऊपर अगर कीमतें जा रही हों तो किसान को सब्सिडी दें। श्रीमन्, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज अनेक मुल्कों में ...

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज मुल्क में यह मांग होती जा रही है कि फसल की इन्श्योरेन्स स्कीम होनी चाहिये। आज ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी सेठ की फैक्ट्री में आग लग जाय या उसकी फैक्ट्री बरबाद हो जाय तो उसको इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। उस घाटे की पूर्ति की जाती है। आज अगर किसी सेठ की कार टूट जाय तो इन्श्योरेन्स कम्पनी उसको मुआवजा देती है लेकिन अगर आज किसी किसान की फसल ओला वृष्टि के कारण तबाह हो जाय या कोई और बात हो जाय तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसको मुआवजा दिया जा सके। उसकी फसल में अगर कोई बीमारी लग जाय, जैसे रोली लग जाय, तो उसकी फसल का मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(4.38 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि किसान को इस प्रकार के नुकसान से बचाने के लिये कोई ऐसी स्कीम नहीं है इसलिये मैं राज्य सरकार से, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं आप निश्चित रूप से धीरे धीरे आने वाले वर्षों में क्रॉप इन्श्योरेन्स स्कीम को लागू करें।

श्रीमन्, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार के द्वारा आई. आर. डी. की स्कीम और स्टाइपेण्ड की स्कीम चलती है। यह योजना किसानों के ऐसे बच्चों के लिये चलती है जो कि बेरोजगार हैं या जो गरीबी की रेखा के नीचे की आमदनी वाले किसान हैं। उनको ऊपर उठाने के लिये आज राजस्थान सरकार कुछ धंधों की ट्रेनिंग दे रही है। आप की पंचायत समितियों के हैड क्वार्टर्स पर सिलाई, यानी दर्जी का काम करने की स्कीम है आप उनको स्टाइपेन्ड देते हैं, पर यह क्या है? आपने एक पंचायत समिति में 20 दर्जी पैदा कर दिये, या आपने 30 दर्जी पैदा कर दिये तो उससे होगा क्या? आप उनको 100 रुपया स्टाइपेंड देते हैं और एक मशीन सिलाई के लिये देते हैं। होता क्या है कि थोड़े दिन बाद वह व्यक्ति उस मशीन को बेच देता है। इधर आपका पैसा जा रहा है उधर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ा सोचिये आज जरूरत इस बात की है कि आप जो ट्रेनिंग दें वह ट्रेनिंग ऐसी दें जिससे कि वह नौजवान, वह किसान का लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आपको ऐसी स्कीम बनानी चाहिये जो कि अट्रैक्टिव हो, ऐसी स्कीम होनी जो कि आमदनी का जरिया बन सके।

166

(श्री हरिसिंह)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज जो डिस्पेन्सरी खोली हैं वहां पर डाक्टर बैठे हुए हैं। डाक्टर साहब तो वहां पर बैठे हुए हैं लेकिन आपके पास जो बजट है वह बहुत कम है दवाइयां अगर डाक्टर लिखता है तो वह दवाइयां वहां पर उपलब्ध नहीं होती हैं और मरीज को दवा के लिये शहर में जाना पड़ता है और 10-15 दिन के बाद वह दवाई लेकर आता है। जब दवाई मिलेगी तब ही वह ठीक होगा। तो, जब आपने डिस्पेन्सरीज खोल रखी हैं और अगर वहां पर दवायें नहीं मिलती हैं तो शहरों के अन्दर जो ग्रेजुएट बैठे हैं उनको आप ड्रग्स की दुकानों पर बैठा दें ताकि जो बीच बीच में ऐसे गांव हों वहां पर ड्रग्स की दुकानें खुल सकें। आप उनको फार्मेसी की ट्रेनिंग दीजिये। इसके अलावा आप उनको ऐसी ट्रेनिंग दें जैसे मोटर बाइंडिंग का काम है। गांव गांव में आज मोटरें लगी हुई हैं अगर वह मोटर बाइंडिंग का काम सीखे हुए होंगे तो जली हुई मोटर को ठीक कर सकेंगे। इसी प्रकार आप उनको ट्रेक्टर ठीक करने की ट्रेनिंग दीजिये, थर्मल की ट्रेनिंग दीजिये। आप फर्टिलाइजर्स यूज करने की ट्रेनिंग दीजिये। अभी आपने हैण्डलूम कार्पोरेशन स्थापित किया है आप उनको उसकी ट्रेनिंग दीजिये ताकि वह अपने परों पर खड़े हो सकें। नहीं तो आप जो बढ़ईगिरी की ट्रेनिंग दे रहे हैं लुहारगिरी की ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे लाभ क्या है? कोई इससे नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो, मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टाइपेंड की स्कीम है उसमें इस प्रकार की ट्रेनिंग का प्रावधान करें।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई पर यद्यपि बहस नहीं है लेकिन फिर भी सिंचाई से कृषि इतनी जुड़ी हुई है जैसे जीवन और प्राण का सम्बन्ध है उसी प्रकार से किसान की फसल और सिंचाई का सम्बन्ध है। मेरा इलाका ऐसा है, श्रीमन्, वहां नहर कोई आ नहीं सकती, कुओं के अन्दर पानी सूख गया है और खारा पानी है। नीचे एक स्रोत ऐसा है कि जहां मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है। मुख्य मन्त्रीजी वहां पर गए थे, तो उन्होंने पड़ोस में यू. पी. के अन्दर देखा कि राज्य सरकार की ओर से पाताल तोड़ कुएं बनाये हुए हैं और वह कुएं किसानों के लिए पानी देते हैं और वह उस रेट पर देते हैं जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस की रेट है। तो आवश्यकता इस बात की है कि क्यों नहीं ऐसे इलाकों में आप जल्दी से कार्पोरेशन को क्रियाशील करें पाताल तोड़ कुएं बनाकर सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आपका जितना भी स्टाफ है, वह आवश्यक है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कम से कम उनके कार्य के मूल्यांकन का कोई तरीका आप निकालें। जब हम अपने कर्मचारियों को जैसी भी उनकी तनख्वाह है, डीयरनैस है वह सब देने वाली बात सोचते हैं तो उसका मन्तव्य क्या है यह भी देखें। यदि कोई आफिसर किसी क्षेत्र में मुकर्रर है उस क्षेत्र के अन्दर कोई बीमारी लगती है और उस बीमारी की रोकथाम नहीं होती है तो निश्चित रूप से उस आफिसर विशेष के खिलाफ इस संबंध में कार्यवाही होनी चाहिए। नेग्लीजेन्स मानी जानी चाहिए। अब दिन पर दिन वातावरण

(श्री हरिसिंह)

बदलता जा रहा है। जैसे असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट और प्रिवेन्शन आफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि जिसके पास अडल्ट्रेटेड चीजें पकड़ी जायेंगी तो यह माना जायेगा कि उसने अडल्ट्रेशन किया होगा। कानून के अनुसार उसकी नेग्लीजेन्स मानी जायेगी जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाय कि उसने उसमें कोई भाग नहीं लिया है। यह भार उसके ऊपर होता है। ऐसे ही यह प्रावधान होना चाहिए कि और किसी आफिसर के क्षेत्र के अन्दर कोई बीमारी बढ़ जाती है या कोई नुकसान फसल का होता है, जिसको वह रोक सकता था, तो माना यह जाना चाहिए कि उसकी नेग्लीजेन्स है जब तक कि वह यह बात साबित नहीं कर दे कि उसकी नेग्लीजेन्स नहीं है। इसके लिए सी. आर. में कोई प्रावधान होना चाहिए और उसके प्रमोशन के समय वह सब देखा जाना चाहिए। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक कृषि के ऊपर जितना पैसा लगा रहे हैं, जितना स्टाफ लगा रहे हैं वह हितकारी साबित नहीं होगा और वह बर्डन उसी किसान के ऊपर आकर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के खेतों में ओले वगैरह पड़ते हैं, पड़े भी हैं, हमारे क्षेत्र में तो बहुत पड़े हैं, उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। किसी के घर में आग लग जाती है तो उसको रिलीफ देने का प्रावधान तो आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन ओले को हमारे यहां ठंडी आग कहते हैं इससे किसान की फसल बिलकुल जल जाती है, खतम हो जाती है। किसान जिसके खेत में ओले पड़कर फसल का सत्यानाश हो गया है, उसके लिये राज्य सरकार के बजट में कोई रिलीफ की बात है या नहीं यह हमें देखना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो नेचरल केलेमिटीज हैं उनके लिये इस बात का प्रावधान होना चाहिए।

कृषि में, श्रीमन्, एक वातावरण था जब यह कहते थे कि लोगों के पास बहुत जमीन है। सीलिंग आपने लगाई उधर तो आपका ध्यान गया लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात है कि जैसा हमारा भरतपुर जिला है वहां डेन्सिटी ऑफ पापुलेशन काफी है। राजस्थान में औसत डेन्सिटी ऑफ पापुलेशन 100 है तो भरतपुर में औसत 250 है। वहां पर इतने फ्रेग्मेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्स हो गए हैं कि किसानों के पास होल्डिंग बहुत कम होती चली जा रही है, अनइकानामिक होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। उन अनइकानामिक होल्डिंग्स से कृषि कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। अब आवश्यकता इस बात की हो गई है कि फ्रेग्मेन्टेशन को भी एक स्टेज पर रोकना चाहिए। आपकी तरफ से अनिवार्य कानून होना चाहिए। फ्रेग्मेन्टेशन का कानून है वह वालियन्ट्री बना हुआ है अब अनिवार्य रूप से कानून होना चाहिए कि इससे छोटी भूमि किसी किसान के पास नहीं होगी। यह वायेबल यूनिट नहीं रहेंगी। किसान उससे चिपका भी रहता है, किसान दूसरा धन्धा नहीं कर पाता है और जब उसके लिए यह बात हो जायेगी कि होल्डिंग

(श्री हरिसिंह)

पर किसी का इनहेरेन्ट राइट होगा ही नहीं तब यह बात हो सकेगी कि दूसरे धंधे की बात सोचेगा।

जहां तक इस बात का सवाल है, तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में और इस साल के बजट में जो प्रावधान किये हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से संतोष व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि वर्ष 1981-82 में जो खाद का प्रावधान किया था 73.50 लाख का वह 1982-83 में आपने बढ़ाकर 76.33 लाख का किया है। पौध संरक्षण में भी आपने 25 पर्सेन्ट की वृद्धि की है। 1981-82 में आपका प्रावधान था 106 लाख का और अबकी से 200 लाख रुपये को किया है। जरूरत थी इस बात की कि निश्चित रूप से पौध संरक्षण के ऊपर और दवाई वितरण के ऊपर ध्यान देते। मुझे खुशी इस बात की है कि 1981-82 में जहां आपने 2773 टन दवा वितरण का प्रावधान किया, और इतना वितरण हुआ भी जैसा कि आपकी रिपोर्ट में है. आने वाले 1982-83 के साल, जिसको आप उत्पादन वर्ष मानना चाहते हैं, में 3500 टन का आपने प्रावधान किया है। वाणिज्यिक फसलों के ऊपर भी आपने 1981-82 में 153 लाख का प्रावधान किया था और आने वाले वर्ष में आपने 173 लाख रुपये का प्रावधान किया है—15 पर्सेन्ट की आपने बढ़ोतरी की है। विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण के ऊपर भी जहां आपका प्रोविजन गये वर्ष में 541 लाख का था आने वाले वर्ष में 649 लाख रुपये का प्रोविजन किया है। इस पर हमें असन्तोष नहीं है लेकिन इस पैसे का दुरुपयोग न हो जैसा मैंने आपको निवेदन किया इसकी क्रियान्विति हो, इसके लिए रिजल्ट आना चाहिये। जितना भी पैसा राज्य सरकार का लगता है, चाहे वह सिचाई के वर्क्स हों चाहे कोई और वर्क्स हों उनमें पैसा तो बहुत ज्यादा नजर आता है लेकिन मौके पर इतने पैसे का काम नहीं है उसका रिटर्न नहीं है। तो, श्रीमन्, देखने की बात है कि जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं हुआ। यह देखने की बात है।

मैंने निवेदन किया कि जो विश्व बैंक का कृषि विस्तार का कार्यक्रम है एक हद तक उसके अच्छे नतीजे आये हैं और उसी का कारण है कि इस वर्ष अभाव का वर्ष होते हुए भी राजस्थान के अन्दर गल्ले की पैदावार पिछली साल से कहीं अधिक है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं एक बात, श्रीमन्, पशुधन के ऊपर और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे एरिया में किसानों का जो दूसरा धंधा, सब्सिडियरी धंधा है वह पशुओं का है और वे उस पर निर्भर हैं। उसको डेयरी कह लीजिए। डेयरी में भी यही हो रहा है। एक डेयरी तो डालमिया चलाता है और दूसरी डेयरी को-ऑपरेटिव के अन्तर्गत चलती है। डालमिया वालों का इतना जाल बिछा हुआ है और इस प्रकार से उन्होंने नेगो ओवर किया हुआ है कि वे जो कोआपरेटिव की डेयरी है उसे फेल करने में लगे हुए हैं। मैं सरकार से यह

(श्री हरिसिंह)

भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें और जिन पशुओं से आपको दूध मिलता है उनके ऊपर भी ध्यान दें। जरूरत इस बात की है कि पशु आहार सब्सिडाइज रेट पर मिलना चाहिए, उनके लिए दवाओं का प्रबन्ध ठीक से होना चाहिए। अस्पतालों की बड़ी भारी कमी जिले के अन्दर है।

श्रीमन्, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करते हुए कि हमारे क्षेत्र में जो पशुओं की संख्या है उसको देखते हुए जो अस्पतालों की बड़ी भारी कमी जिले के अन्दर है उसको दूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए यह अपेक्षा करूंगा कि राज्य सरकार कम से कम आने वाले वर्ष के अन्दर किसान की फसल की नीलामी को बन्द करेगी, उनके गुड़ को सब्सिडाइज करेगी उनको प्रॉपर कीमत मिले और इतनी स्पीडली जो उनकी फसलों के भाव गिर रहे हैं 200 पर्सेन्ट भाव गिरे हैं उनकी रोकथाम के लिये कोई बात करेगी। धन्यवाद!

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जो कटौती प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किये हैं कृपा करके उन कटौती प्रस्तावों पर ही बोलें। आम समस्याओं के ऊपर नहीं बोलें। जो लिमिटेशन आफ टाइम तय किया गया है उसमें माननीय सदस्यों को 7 मिनट से ज्यादा का अवसर नहीं मिलेगा, उसी 7 मिनट में ही बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कैसे होगा? हमारी पार्टी का टाइम है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी की जो लिस्ट है उसमें डिवीजन आफ टाइम के लिहाज से 7-7 मिनट ही आयेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं तो एक ही हूं फिर कैसे करेंगे?

श्री सभापति : इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि मुद्दों पर ही बोलें ताकि सदन को लाभ हो। दूसरी बातें, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स से ताल्लुक रखती हैं को इससे न जोड़ें।

श्री अमीन खां।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, यह व्यवस्था तो उस समय लागू हो सकती है जब हर मैम्बर, जो कटौती प्रस्ताव मूव करता है, को बोलने का अवसर दिया जाय तब तो इस पर बोलना हो सकता है। जब आपने पार्टी के हिसाब से तय कर लिया कि चार लोग ही बोलेंगे तो हमने जो अपने क्षेत्र के कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका क्या होगा? हम अपने मैम्बर्स को इसीलिए देते हैं....

श्री सभापति : आपकी पार्टी की जो लिस्ट आती है उस लिस्ट में हम यही अनुमान लगाते हैं कि जो आपकी पार्टी के सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं आप लोग उन पर ही बोलेंगे और जो कामन कटौती प्रस्ताव आपकी पार्टी के हैं उनको ही लेंगे। हरेक सदस्य, हरेक कटौती प्रस्ताव पर जब बोलेंगे तो समय नष्ट होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हरएक का नहीं, हमारी पार्टी के जो दिये हुए कटौती प्रस्ताव हैं उन पर तो तीनों ही बोलेंगे। वह तो निश्चित रूप से छूएंगे।

श्री सभापति : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव जिन दो मांगों पर दिये हैं आपके आदेशानुसार उन्हीं पर बोलूंगा। मेरे कटौती प्रस्ताव पशुपालन विभाग और सूखा सम्भावित क्षेत्र की मांगों पर हैं। उनकी ओर मैं आपके माध्यम से इस सदन की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है उसी का ही हवाला देते हुए कहूंगा कि सारे आदमी बुद्धिजीवी व बड़े-बड़े अक्लमंद, चाहे किसी भी पार्टी में बैठने वाले हों, वकालत तो सब किसान की करते हैं मगर किसान को कुछ फायदा होता है या नहीं इसके लिये कोई तहेदिल से सोचने के लिये तैयार नहीं है, यह हमने देखा है। आज यह सही बात है कि ओला पड़ने से किसान की फसल खतम हो जाती है। जहां बरसात एक होती है उस रेगिस्तानी इलाके के किसान हैं एक बार कोआपरेटिव बैंक से एस0 टी0 लोन ले करके अपने हल चला कर काश्त कर लेते हैं उस जगह दूसरी बरसात के न होने से फसल कतई खतम हो जाती है जिससे वहां के किसान को एक भी दाना नहीं मिलता है और किसान बैंक का ऋणी हो जाता है और अपने साधनों से बिल्कुल गिर जाता है। ऐसी जो कुदरती आफत अचानक पड़ती है उसके लिये सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिये उसके बिना क्योंकि दिनों-दिन जमीन पर ज्यादा आबादी बढ़ती जा रही है और जिस तरह के हालात देश के है, उससे किसान का ही जीना बड़ा मुश्किल है बाकी किसी के लिये कोई मुश्किल नहीं। एकीकृत ग्रामीण योजना के तहत पशुओं के लिये ऋण वितरण किया जा रहा है। एक कहावत है मारवाड़ी में कि गरीब की जड़ बकरी। लेकिन बकरी की यूनिट के लिये ऋण बैंक से दिलाने के लिये प्रावधान नहीं किया जाता है। ऋण जो दिलाया जाता है वह भेड़ के लिये दिलाया जाता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि चुने हुए नुमाइन्दे, जो इस विभाग के मन्त्री हैं, को यहां तक मालूम नहीं है कि भेड़ एक ऐसा जानवर है जो एक दिन भूखी रह जाती है तो दूसरे दिन भेड़ को बचाने के लिए कोई इलाज नहीं है। ज्यादा घास वैसे गाय खाती है मगर गाय भूखी 15 दिन भी जिन्दा रह जाती है और सोलहवें दिन गाय को पेट भर चारा देंगे तो वह उठ कर चल सकती है, वह बच सकती है मगर भेड़ एक दिन भूखी रह गई तो दूसरे दिन उस भेड़ को बचाने के लिए कोई इलाज नहीं है। यह बात मानी हुई है। हमारे मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, काफी गांव के आदमी हैं, को मैं निवेदन करना चाहता हूं, सोचो, यह बात सच है। दरअसल गरीब आदमी को तो बकरी की यूनिट से फायदा मिल जाता है, क्योंकि बकरी कैर खा लेती है, सूखी लकड़ी खा लेती है। बकरी के लिये कहावत है, एक तो वह काकरा नहीं खाती है और एक रेती नहीं खाती है बाकी जमीन के ऊपर की हर चीज को खा लेती है। बकरी एक ऐसा जानवर है जो अकाल में भी जिन्दा रहने वाला जानवर है उस पर पशुपालक को एक

पैसा भी अकाल में खर्च नहीं करना पड़ता है। सबसे ज्यादा और सबसे बड़े नफे का जानवर आज बकरी है। मैं बकरी को देखता रहा हूं, यह आंखों देखा हाल है और तथ्य है, यह किताबों के आंकड़े पर आधारित नहीं है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और कुछ जोधपुर जिले का रेगिस्तानी इलाका है। सरकार पिछले सालों में जिस तरह मजदूरी देकर जिस प्रकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में काम करवाती है वह नहीं हो रहा है फिर भी वहां के लोग, जो बकरी के पालने वाले लोग हैं, जिन्दा हैं, बकरी के कारण से जिन्दा हैं। जिसके पास 100 बकरी हैं अकाल जिस समय पड़ता है वह बम्बई, दिल्ली या अहमदाबाद के मांस के व्यापारियों को अपनी 25 बकरियां बेच देता है उससे कम से कम ढाई हजार रुपया उसके घर में आ जाता है। ढाई हजार का अनाज ले करके आदमी अपने बच्चों का गुजारा कर सकता है। मगर भेड़ अकाल में जिन्दा नहीं रह सकती है।

अच्छे अच्छे भेड़ पालक हैं, जिनके पास ज्यादा भेड़ हैं वह मालवा, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और यू0पी0 में ले जाकर के बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां भेड़ बच नहीं सकती हैं। इसलिये जो एकीकृत ग्रामीण योजना लागू कर रहे हैं, सीमान्त कृषकों को स्थानीय बैंकों से ऋण दिलाया जाता है उसमें गरीब आदमी को बचाने के लिये इस बकरी की यूनिट के लिए लोन दिलाना जरूरी है। भेड़ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाय। नम्बर दो पर इस भेड़ से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण मैं गाय को मानता हूं जिसके दूध से छाछ बनती है उस छाछ के साथ इन्सान दलिया खा लेता है। अकाल पीड़ित जो किसान व मजदूर हैं वह छाछ की वजह से अनाज में कमी करके भी जिन्दा रह सकता है। तो दूसरे नम्बर में दुधारु गाय के लिये ऋण दिलाना बहुत जरूरी है न कि भेड़ के लिये। रेवेन्यू मंत्री और वन मंत्री से जब सवाल हम यह पूछते हैं तो सवाल के उत्तर में कहते हैं कानून-कायदे में भेड़ों के लिये गोचर की कोई व्यवस्था नहीं है, न हो सकती है। तो फिर आप ये यूनिट्स कितनी ही किताबों में लिख कर रख दीजिये और कितना ही भेड़ों के लिये आप लोन दे दीजिये, अगर उनके चरागाहों का इन्तजाम नहीं होगा तो ये यूनिटें मेरे खयाल से फर्जी होकर रह जायगी, लोग दिवालिया हो जायेंगे और बैंकों को भी डिफाल्टर करेंगे इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कई जगह घूम कर देखा है कि इस योजना में काफी....

सदन की कार्यवाही

विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री यदुनार्थासह : 12–00 बजे तक बढ़ेगा आज।

मांग संख्या 37, 28 व 39 पर विचार

श्री अमीन खां : इसमें काफी गलतियां होती हैं। इन गलतियों पर सरकार को बड़ी निगरानी रखनी चाहिये नही तो सरकार का धन गलत रास्ते पर जा रहा है और उस धन का दुरुपयोग होता है। गांवों

में लघु और सीमांत काश्तकार को भेड़ों के लिए लोन दिया जाता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा यह अनुभव है भेड़-पालन के लिये किताबी ज्ञान और किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जिस आदमी का भेड़ पालने का धन्धा है, वह बिना भेड़ों के धन्धा नहीं कर सकता है। इसी तरह जिस आदमी का खानदानी खेती करने का धन्धा है उसको खेती के अलावा किसी धन्धे के लिये कितना ही लोन दे दें, वह खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। जिस आदमी की नौकरी का पेशा है...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री अमीन खां : वह आदमी दूसरा....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय आज शाम के 7 बजे तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 37,28 व 39 पर विचार

श्री अमीन खां : इसलिए मेरा निवेदन है कि पशु पालन एरिया में भेड़ के स्थान पर बकरी को यूनिट माना जाय। भेड़ और बकरियां, इनके गोचरों के लिए रेवेन्यू कानूनों में आज तक प्रावधान नहीं रखा है। रेगिस्तानी इलकों में इसका नतीजा बड़ा खराब नहीं होगा, भेड़ पालक और बकरी-पालक रह सकेंगे। यह कानून बनाते वक्त हमें तो आशंका है, आपको सलाह देते हैं सेक्रेटरी सवाई माधोपुर के गोचर हैं, भरतपुर के गोचर हैं, अलवर के गोचर हैं, जयपुर के गोचर हैं, वहां सिंचाई की, ट्यूबवैल की जमीन का जायजा लेकर, उसमें घास पैदा करके अन्दाज कर देंगे कि भैंस और गाय के लिए गोचर होता है. उसके लिये आधा बीघा जमीन भी बहुत है। हमारे रेगिस्तनी इलाके में आधा बीघा जमीन ....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस हिसाब से पशु-पालकों के लिए कोई मायने नहीं रखती है। इसीलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप भेड़ के स्थान पर बकरी को यूनिट मानकर इसके अनुसार लोन दिलवायें। अकाल एरिया में भेड़ से बकरी ज्यादा मजबूत होती है और बकरी पर खर्चा भी ज्यादा नहीं होता और बकरी कभी अकाल में मिलती नहीं है, यह मानी हुई चीज है। यह आप काम करें। इन पशुओं के इलाज के लिए डी. पी. ए. पी. के तहत आपने पिछले दो वर्षों में कुछ होस्पीटल बढ़ाये हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि 10–15 किलोमीटर के अन्दर पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करें। बकरी और भेड़ के लिए गोचर का प्रावधान नहीं है, मन्त्रिमण्डल में आप पशु पालन मन्त्री की हैसियत से हो, इसका इन्तजाम करो, नहीं तो पशु बचने वाले नहीं हैं–,यह बात सही है।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, बजट पर बहस के समय कुछ माननीय सदस्यों ने किसान पर, सिंचाई दर में या फ्लैट रेट के हिसाब से जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसको सही बताया है। क्या किसान पर इतना खर्च होता है? अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा किसान पर टैक्स कम है। टैक्स उस व्यक्ति पर लगाना चाहिए जिसकी इनकम हो और यदि इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स लगाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यदि आप किसान की माली हालत का विचार करें, किसान की उपज का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है इस पर विचार करें तो हम यह देखेंगे कि किसान को खेती में लाभ नहीं मिल रहा है। जो किसान खेती के अतिरिक्त कोई और साइड–बिजनेस नहीं कर रहा, वह किसान सम्पन्न नहीं हो सकता। इसी कारण आज यदि कोई किसान अच्छा कुर्ता पहन ले, सफेद धोती पहन ले, तो लोग उसके बारे में सोचते हैं कि यह किसान नहीं है। आज भी किसान के लिए जो कल्पना है, शहर के लोगों की, वह यही है कि जो फटे हाल है, वह किसान है। और वस्तुस्थिति है भी यही, यही किसान की स्थिति है। आज यदि गांव की समस्याओं को देखें तो गांव के किसान की समस्या किसी एक विभाग से सम्बन्धित नहीं है। रेवेन्यू विभाग सिंचाई विभाग और कृषि विभाग, सभी से सम्बन्धित है। वह तो किसान की जितनी उपेक्षा कर सकता है, उतनी करता है। किसान की खेती के लिए सबसे जरूरी चीज है-बीज। तो सीड कॉरपोरेशन कितना अच्छा बीज उपलब्ध करा रहा है, उसकी चर्चा सदन में हो चुकी है। सीड कॉरपोरेशन के अधिकारी केवल एक बात की चिन्ता करते हैं कि सीड की खरीद में पैसा कैसे खाया जाय। सारे सीड कारपोरेशन को वहां के अधिकारी खा गये। हमारे हिस्से की जो पूंजी है, सभापति महोदय, वह पूंजी समाप्त होने जा रही है। जो बचा होगा वह भी एक वर्ष में समाप्त हो जायेगा, दुगुने–तिगुने भाव में बीज देते हैं, आधे भाव में लेते हैं, इसके बावजूद भी मूल पूंजी खतम हो रही है क्योंकि बीज प्रामाणिकता से नहीं खरीद रहे हैं। राज्य बीज निगम को नेशनल सीड कॉरपोरेशन से सीड खरीदना चाहिए, उससे नहीं खरीद हैं। प्राइवेट पार्टियों से, कहीं गुजरात से, कहीं आन्ध्र से खरीद रहे हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान को ठीक बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक बीज उपलब्ध करने का कॉरपोरेशन समाप्त होने जा रहा है और उसे समाप्त करने का एक और रास्ता अपनाया गया है। सीड कॉरपोरेशन एक टैक्निकल विभाग है। माननीय सभापति महोदय, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एक आर. ए. एस. ऑफिसर हैं। डिपार्टमेंट के दो बहुत समझदार लोगों का नाम इस पद के लिए गया था। हमारे एग्रीकल्चर सैक्रेटरी महोदय ने उस पर लिख दिया कि सीड टैक्नोलोजी के बारे में इनको जानकारी नहीं है, इसलिए इनको नहीं लगाया जा सकता, इस आर. ए. एस. को सीड के बारे में टैक्निकल जानकारी है, उसको लगा दिया जाय। इस प्रकार सीड कॉरपोरेशन को समाप्त करने का योजनाबद्ध तरीके से एक षडयन्त्र रचा जा रहा है। इससे थोड़ा बहुत बीज जो मिल रहा है, वह भी समाप्त हो जायगा। यह तो सीड की स्थिति है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इन्सैक्टीसाइड, कीटनाशक औषधियों के बारे में मैंने कल सारा चित्रण किया था। 2000 नमूने लिये, चालान दो का किया। दो हजार में से 2 का ! दवाइयां ऐसी आ रही हैं–इन्सैक्टीसाइड्स कि कपास की फसल जल रही है, फसलों पर काम नहीं कर रही हैं। चालान भी नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाग के अधिकारी मैन्यूफैक्चरर्स से मिले हुए हैं, उनसे पैसा खाते हैं। आश्चर्य होगा आपको सुनकर, सभापति महोदय, 26 जिलों में से केवल दो जिलों में 18 लोगों ने चालान की परमीशन मांगी, चौदह जिले के किसी भी इन्सैक्टीसाइड–इन्सपैक्टर ने चालान करने की अनुमति मांगने का दुस्साहस नहीं किया क्योंकि चालान करने की अनुमति मांगते तो उनका ट्रान्सफर हो जाता। क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर, प्लान्ट प्रोटेक्शन इन्ट्रेस्टेड है। पहले तो लैबोरेट्री में रिपोर्ट ही नही जाती। जब 60 दिन में रिपोर्ट नहीं जायेगी, तो चालान नहीं होगा और फिर डिप्टी डाइरेक्टर, प्लान्ट प्रोटेक्शन परमीशन नहीं देंगे। चालान कैसे होगा ? इसलिये दवाई खराब मिल रही है।

सिंचाई करने की सुविधा समय पर नहीं मिलती है। 15 दिन पहले चम्बल नहर की लाइन काट दी गयी, बिना किसी नोटिस के 17 तारीख को इसलिए दो तारीख से आखरी सिंचाई नहीं हुई। फसल का कितना नुकसान हुआ होगा। जो सिंचाई आवश्यक है वह फसल को नहीं मिली, इस कारण से फसल का कितना नुकसान हुआ होगा, इसका अनुमान लगा लीजिए। फसल को कीड़ा लग गया, विभाग के ढेरों अधिकारी हैं, अनेक जीपें हैं परन्तु रोली लग गयी है, यह भी किसी ने रिपोर्ट नहीं की। यहां विधान सभा में प्रश्न रखा तो मन्त्री जी को भी चिन्ता हुई। अब तो बात केन्द्र तक पहुंच गयी। मुआवजा देने की बात हुई। समय पर ऊपर रिपोर्ट करना, उस पर एक्शन करना, उसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक नहीं समझा। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को फुरसत नहीं थी कि वे यह देख लें कि क्या हो रहा है। कोटा से 3 साल से रिपोर्ट आ रही है। केन्द्रीय सरकार के सर्वेलेन्स आफिसर वहां रहते हैं, वे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस एरिया में रोली लगती है लेकिन 3 साल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि किसान की एक-एक समस्या पर ध्यान दें।

फर्टिलाइजर को ही ले लें। फर्टिलाइजर के भाव की स्थिति यह है, सभापति महोदय, जो यूरिया 10-3-79 को 1335 रुपये टन था वह 11-7-81 को 2850 रुपये टन हो गया था, दुगने से भी ज्यादा भाव। तो एक समस्या नहीं। किसानों के सामने जितनी समस्यायें आ रही हैं वह ऐसी हैं कि जिनके बारे में विभाग चिंतित नहीं है। आज किसान को पिछड़े को पहले योजना के अन्तर्गत भूमि का आवटन किया जा रहा है। पर भूमि है कितनी ? पांच बीघा। असिंचित जमीन पांच बीघा, छः बीघा। इन अनार्थिक जोतों से आप क्या उसको गरीबी की रेखा से ऊपर ले आयेंगे ? दो एकड़ जमीन, किसी-किसी को तो दो बीघा जमीन, एक एकड़ भी नहीं। यह अनार्थिक जोतें आवंटित हो रही हैं जिनसे किसी का पेट नहीं भर सकता। यह गरीबी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मिटाई नहीं जा रही है। गरीब लोगों को अलाटमेंट किए। कीमतें कितनी हैं? चार किश्तों में अपने जेवर बेच कर, मकान बेच कर देता है और एक भी किश्त नहीं दे तो अलॉटमेंट खारिज। एक किश्त का दुबारा इन्तजाम करके लाता भी है तो अब जमा करने का अधिकार कलेक्टर को या ए. डी. एम. को भी नहीं रहा, अब यह अधिकार हो गया गवर्नमेंट को। उसकी एक किश्त के पीछे सारी किश्तें डूबीं, जमीन का अलॉटमेंट खारिज। यह एक समस्या नहीं है। यदि वह एक पेड़ काटना चाहता है तो पहले तहसील से परमिशन ले। उसका हल टूट गया, अपने खेत की जमीन से, जिसका मालिक वह है, यदि एक पेड़ काटता है तो उसको तहसीलदार की परमिशन लेने का मतलब क्या है, सभापति महोदय। आपका भी गांवों से सम्बन्ध रहा होगा ...

श्री सभापति : मेरा सिर्फ शहर से सम्बन्ध रहा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तभी आप मेरी बातों पर गौर कम कर रहे हैं।

माननीय मन्त्री महोदया समझ रही हैं, वे आजकल इस तरफ ध्यान भी देती हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी दे चुका हूं। मन्त्री महोदया, आप इनीशियेटिव लें, इस बात की चिन्ता करें। एक हल टूट गया किसान का और वह मालिक है जिसका, अपने खेत से एक पेड़ काटना चाहता है, उसके लिए तहसीलदार से अनुमति लेने का क्या मतलब होता है। जब आप मन्त्री नहीं थीं तो आपको इसका अनुभव जरूर हुआ होगा। उस पेड़ की पूरी कीमत अनुमति लेने में लग जाती है। तो इतनी समस्यायें हैं। होल्डिंग छोटी-छोटी होती चली जा रही हैं। एक बाप के चार बेटे हों, उसके पास पांच एकड़ जमीन है, तो एक-एक, डेढ़-डेढ़ एकड़ जमीन ही उसके हिस्से में आती है। ...

श्रीमती कमला : डॉमेस्टिक और एग्रीकल्चर परपज के लिए उसको छूट दी हुई है। उसको इसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब इजाजत नहीं लेनी पड़ रही है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसमें अमेंडमेंट हो चुका है और अब उसे परमिशन लेने आवश्यकता है, यह आपकी सूचना के लिए बता देना चाहता हूं।

ये जो समस्यायें हैं इतनी बढ़ती जा रही हैं। होल्डिंग छोटी, उसमें काम आने वाले इम्पुट्स की कीमत ज्यादा, किसान के पास पूंजी की कमी, इससे क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उपज बढ़ेगी। अभी बड़े गर्व से माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले साल 65 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था और इस साल 60 लाख टन तो हो गया, अनुमान है 66 लाख टन का। उसके बाद ओले पड़े, उसके बाद रोली आई है, उसके बाद ठण्ड लगी है फसलों को जिससे यह 66 लाख नहीं, 60 लाख टन ही रहने वाला है। पांच लाख टन कम होगा पिछले साल से। सूखा पिछले साल भी था और इस साल भी है। तो यह जो प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि किसान के पास पूंजी नहीं है। जमीन में लगाने के लिए पैसा चाहिए। सरकारी संस्थाएं कर्जा देती हैं। बैंक कर्जा देते हैं। बैंक कर्जा किसको दे

176

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पाता है? कार्मशियल बैंक जो पैसे खर्च करता है उसको कर्जा देता है और सहकारी संस्थाएं समय पर कर्जा नहीं देतीं। ऐसी स्थिति में जमीन में पूंजी कम लग पा रही है। इसके कारण उत्पादन जिस गति से, बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ा है। यदि सन् दो हजार तक हमारा उत्पादन दुगुना नहीं हुआ तो देश में फिर भुखमरी आएगी, फिर अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि किसान की माली हालत अच्छी हो। किसान की माली हालत अच्छी तभी हो सकती है जब उसके पास पूंजी हो। उसके पास पूंजी कब होगी? जब किसान को उत्पादन का मूल्य ठीक मिले। आज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना हुआ है कि किसानों को फसल का समर्थन मूल्य यह मिले। लेकिन कृषि मूल्य आयोग एक बोगस संस्था है। मेरे पास एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की पिछले चार साल की रिपोर्ट्स हैं, सभापति महोदय, जिसके अनुसार किसानों के जो सुभाव हैं, उनको कभी नहीं माना गया। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जिस मूल्य की रिकमण्डेशन करता है सरकार उससे पांच रुपये ज्यादा तय करती है। इसलिए, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन कितना महत्वपूर्ण है यह इस बात से पता लग जाता है। 78-79 में गेहूं का जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन था वह 135) रुपये क्विन्टल आंका गया था। यह मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। यह सारे आंकड़े आप देख लें। 135) रुपया 78-79 में था। उसके बाद हर चीज के भाव दुगुने हो गए, डीजल तीन गुना महंगा हो गया, पैट्रोल तीन गुना महंगा हो गया, फर्टिलाईजर का भाव दुगुना हो गया। सब चीजों के भाव बढ़े हैं। जो किसानों के काम में आने वाली चीजें हैं सब चीजों के भाव बढ़े हैं और गेहूं का समर्थन मूल्य रखा गया है 142) रुपया प्रति क्विन्टल। यह प्रोत्साहन देने वाला मूल्य नहीं है। आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : ऐसा मैंने आपको चेतावनी देने के लिए किया है। आप जल्दी संक्षिप्त में कहिये।

(व्यवधान)

ऐसा है कि चालीस मिनट का टाइम है, आपकी पार्टी का। सारा समय आप ही ले लेंगे?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने एक एग्रीकल्चर प्राइस बोर्ड बनाया। किसान की भिन्न-भिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्यायें होती हैं। मन्त्री महोदया, मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं यहां पर भी एक एग्रीकल्चर प्राइस बोर्ड बनायें जिसमें एग्रीकल्चर सैक्रेटरी हों, रेवेन्यू सैक्रेटरी हों, इर्रिगेशन सैक्रेटरी हों, फोरेस्ट सैक्रेटरी हों और यदि आप उचित समझें तो उसमें कुछ किसानों को प्रतिनिधित्व दें। यह किसानों की जितनी समस्यायें विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होती हैं उन समस्याओं को समझें, उनको हल करने की कोशिश करें, जो भाव हैं फसल के उनका सही आकलन करें, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोड-

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

क्शन निकाले और उसके आधार पर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को रिकमण्डेशन करे। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाड की सरकारें, जो वहां पैदा होने वाले खाद्यान्न हैं, उनके समर्थन मूल्य के लिए रिकमण्डेशन करती है वह उसी आधार पर करती हैं पर हमारी सरकार नहीं करती। हमारी सरकार तो, बैठ कर एक-दो लोगों ने विचार किया, उसके हिसाब से कर देती है। तो किसानों की खैरख्वाह सरकार वैसी नहीं हो सकती जो अपने अनुमान से काम चलाए। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से उसका समर्थन मूल्य तय नहीं हुआ तो इससे किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और देश को कितना लाभ मिलेगा, उसका आप अन्दाज लगाइये। आज राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत किसान की खेती से आता है, उस हिसाब से भी आपको विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकार का बोर्ड बनायें, किसान के हित में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तय करें और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से उसके समर्थन मूल्य की सिफारिश हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट करे ताकि केन्द्र सरकार में विचार हो। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह भी निवेदन करूंगा कि खेती को उद्योग घोषित किया जावे। टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट जो है, जिसके यह बताया गया है कि उद्योगों में उत्पादन होता है उसकी कीमतें कैसे आंकी जाती है, उसी आधार खाद्यान्न की कीमत आंकी जावे, उस पर लागत कितनी है, उसमें मैनेजमेंट का खर्चा कितना है और उस खर्चे के हिसाब से मार्जिन ऑफ प्रोफिट कितना दिया जाना चाहिए, उसके हिसाब से यदि किसान के उत्पादन का मूल्य लगाया गया तो उससे सही नतीजा निकलेगा और किसान को प्रोत्साहन मूल्य मिलेगा। यह जरूर है कि इससे खाद्यान्न महंगें होंगे। इससे जो गरीब कंजूमर हैं उन पर असर पड़ेगा। आज सीमेंट की दोहरी कीमत है, आज चीनी की दोहरी कीमत है, आप खाद्यान्नों का भी दोहरा मूल्य रखिये। गरीब कंजूमर के लिए अलग रखिये। आखिर आदमी गेहूं और ज्वार खाता कितना है दिन भर में? दिन भर में दो पान खाता है उतना गेहूं खाता है। गेहूं के भाव बढ़ गए तो हाय तोबा मच जाती है जब कि दो पान और दो चाय-केवल इतने पैसे का दिन भर में गेहूं खाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि खेती का खर्चा कितना है, उसमें उत्पादन कितना होता है, इसका हिसाब लगाए बिना किसान का हित नहीं हो सकता। एक नमूना आपको दूं। जो लोग खेती नहीं करते हैं वह और आप भी यह सोचते होंगे, सभापति महोदय, खेती में जो गेहूं का पौधा होता है उसमें नोट ही नोट लगते हैं दाना नहीं लगता। हर आदमी किसान के बारे में यही सोचने लगा है। जब कि सरकारी फार्म जो तीन हजार हैक्टेयर के केन्द्र सरकार के हैं, मैं उनकी हालत बता रहा हूं जो बिल्कुल तकनीकी दृष्टि से खेती करते हैं, उनके पास सारे साधन हैं। उनकी भी हालत यह है कि अभी साढ़े तीन करोड़ का उनमें घाटा हुआ है। जब 70 लाख रुपया प्रति वर्ष घाटा उनमें होता है, जिनमें आधुनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो किसानों की क्या हालत होगी। उसको आठ रुपये रोज की मजदूरी भी नहीं पड़ती। इसलिए किसान के बारे में उसकी माली हालत का अनुमान लगाते समय इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। मैं इसके लिए कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा।

(178)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

फर्टिलाइजर के भाव दुगुने हुए तो सरकार ने अनुमान लगाया था इस वर्ष विगत वर्ष कि उस साल जितना फर्टिलाइजर बिका था उससे 16 पर्सेंट ज्यादा में हमारा फर्टिलाइजर बिकेगा। लेकिन भाव ऊंचे होने से केवल पांच पर्सेंट ज्यादा बिका है, उससे ज्यादा नहीं बिक सका क्योंकि फर्टिलाइजर के भाव दुगुने हो गए और किसान की माली हालत उसको खरीदने की नहीं थी। इसके कारण सारा नुकसान हुआ। मैं, सभापति महोदय, कुछ सुझाव माननीय मन्त्रीजी को देना चाहता हूं। एक तो यह है कि किसान का बेटा यह समझ जाये, एन. पी. के. क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फेट, पोटास क्या होता है। आज यदि इनीसिएटिव लेकर, शिक्षा विभाग से गांवों के स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खुला सकें तो उससे किसानों का बड़ा हित होगा। आपको इनीसिएटिव लेना होगा, तभी यह संभव होगा। कुछ कृषि महाविद्यालय भी खोलते हैं तो किसान का बेटा बी. एस. सी., एग्रीकल्चर होगा। वह खेती के बारे में समझेगा कि उन्नत खेती कैसे होती है, उसमें कौनसी टैक्निक अपनायी जाती है। बाकी आजकल जो छात्र बी. एस सी, एग्रीकल्चर करके निकल रहे हैं वह कैसे हैं, यह सब जानते हैं। सभापति महोदय, एक नये ए. ई. ओ. मेरे यहां चले गये। मैं मिर्च की खेती बहुत अच्छी करता हूं। मेरी मिर्च की खेती देख कर बहुत प्रसन्न हुए। स्वस्थ पौधे हैं और हर पौधे में आठ-आठ इंच की मिर्च लगी है। बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर बोले कि आप मिर्च बहुत अच्छी पैदा करते हो। मगर एक अफसोस है, आप हरी मिर्च क्यों पैदा करते ही, लाल मिर्च क्यों नहीं करते? मैंने कहा, लाल मिर्च का बीज ही नहीं होता है। उनको यही पता नहीं है हरी मिर्च ही लाल मिर्च होती है। बी. एस सी. एग्रीकल्चर में कौन जायेंगे? वहां छात्र जायेंगे, जिनके ज्यादा मार्क्स हैं। गांवों में, यहां रोज विवाद होता है, स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, सैकण्डरी स्कूल में मास्टर नहीं है, हायर सैकण्डरी स्कूल में मास्टर नहीं है। तो उस गांव के लड़के को उस कम्पीटिशन में कैसे स्थान मिलेंगे बी. एस. सी. एग्रीकल्चर कालेज में....

श्री सभापति : समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : सारी पार्टी में इनको ज्यादा अनुभव है कृषि के संबंध में।

श्री सभापति : ऐसा है कि मेरा अनुभव तो यह है कि जो आर्डिनरी बी. ए. होते हैं वह चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट होकर रिटायर होते हैं और जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं वह लॉ की भाषा ही नहीं समझते हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपके अनुभव के लिये धन्यवाद।

(5.21 म. प)

(श्री अहमद बख्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, आज एग्रीकल्चर कॉलेज में किसान के बेटे को प्रवेश नहीं मिलता है। वह शहर में पढ़ने वाले बालकों से, पब्लिक स्कूल में

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पढ़ने वाले बालकों से कम्पीटिशन नहीं कर सकता। नतीजा यह होता है किसान का बेटा एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं जा सकता है, शहर के लड़के जाते हैं, बाबुओं के लड़के जाते हैं, अफसरों के लड़के जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : आप ही के लिये बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने भी भी देना है, दूसरों को।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर पार्टी का टाइम चला जायगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : जाने दें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इनके अलावा कोई किसान नहीं है।

श्री तेजपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी में इनके अलावा कृषि के संबंध में किसी को अधिक जानकारी नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : धन्यवाद। आपके सुझाव के लिये, माननीय×××जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा इतना ही निवेदन है, यह जो कृषि कालेज हैं, उनमें कुछ रिजर्वेशन किसानों के लड़कों के रखें, तो किसानों के लड़कों को भी कृषि-महाविद्यालय में प्रवेश का अवसर मिल सकेगा। अन्यथा आपको रोली की सूचना नहीं मिली, उसका कारण क्या है ? आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, उनका खेती से लगाव नहीं है, कभी उन्होंने बचपन से खेती देखी नहीं। अफसर बनकर तनख्वाह लेने के लिए वह जाकर बैठते हैं। इसलिये खेती से उनका लगाव नहीं है, रोली कैसे लगती है, इसका अनुभव नहीं है। इसी कारण आपके पास रिपोर्ट नहीं आयी। यदि रिपोर्ट पहले आ जाती, तो मुझे विश्वास है किसान को बहुत बड़ा फायदा बहुत पहले हो जाता। इसलिये मेरा निवेदन है, इस सम्बन्ध में कि इस पर विचार करें कि किसान के लड़के को प्रवेश मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप यदि मेहरबानी करके गांवों का इकॉनॉमिक सर्वे करवायें तो आपको पता लगेगा कि राज्य भर में जितना कर्जा किसानों को दिया हुआ है, कितने पर्सेन्ट रिकवरी नहीं हुई, ओवर ड्यू कितना चल रहा है। मेरा अनुभव है कि पचास प्रतिशत से अधिक ओवर ड्यू किसानों पर चल रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि किसान कर्जदार है, उसकी माली हालत कर्ज चुकाने की नहीं है। जैसे ही एक बार ओवर ड्यू हुआ और उन पर पीनल इन्ट्रेस्ट लगाते हैं वह पीनल इन्ट्रेस्ट इतनी हो जाती है कि चुकाने की स्थिति में नहीं है। अन्य राज्यों की भांति जो लघु कृषक हैं, उन पर जो कर्जा है, उसको माफ करने के लिये आप प्रस्ताव लायें ताकि छोटे किसान, जो कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं, का कर्जा माफ किया जावे। महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इस दृष्टि से अनिशिएटिव लेंगी और किसानों के

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बारे में कुछ-न-कुछ निश्चित रूप से करेंगी। यही मेरा निवेदन है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम रूप से यह निवेदन करते हुए मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह जो किसानों की समस्या है, भिन्न-भिन्न विभागों से सम्बन्धित है। उनकी एक समन्वय समिति बनायें, किसानों की समस्याओं का हल करने के लिये आप अपना असर काम में लें। यह जितने भी कॉरपोरेशन हैं किसाकों से सम्बन्धित इनको आप स्वयं देखें। वरना अगर सीड कॉरपोरेशन की तरह अन्य कॉरपोरेशन खतम हो गये, इनकी मूल पूंजी समाप्त हो गयी, तो किसानों को अच्छा बीज नहीं मिल पायेगा। अच्छा बीज नहीं मिलेगा तो पैदावार क्या होगी? पिछले तीन सालों से आपके पास बरावर सूचना है इस बात की, कि बाजरे का बीज, गंवार का बीज खराब आ रहा है, उग नहीं रहा है। अधिकारियों से यह रिपोर्ट करते हैं यहां आकर, तो उनको डांटा जाता है। माननीय मन्त्री महोदय, एग्रीकल्चर सैक्रेटरी कोटा गये थे अभी। सारे डिवीजन की मीटिंग की–कोटा, बूंदी, झालावाड़ के जिला कृषि अधिकारियों की। वहां लोगों ने शिकायत की कि शंकर ज्वार का बीज खराब आ रहा है। तो उनको डांटा और डायरेक्टर ने यह कहा, इस बार पर्चेजिंग करने के लिये आपको भेजेंगे, आप शिकायत करते हैं, ऐसे किसानों को बोना नहीं आता। जिस किसान के बाप-दादा बोते आये, उसको बोना नहीं आता! अब और भी खराब बीज लाया जा रहा है। इसलिये आप इस पर ध्यान दें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री सुन्दरलाल।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रस्ताव दिया था उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक प्रस्ताव तो कृषि के ऊपर दिया था मैंने। काश्तकारों के लिये, मेरे से पहले बोलने वाले श्री हरिसिंह जी ने भी कहा था, काश्तकार दस बजे अनाज मंडी में ले जाये और चार बजे तक वह बैठा रहे, बोली दूसरा लगाये। नाज काश्तकार का, बोली लगाने वाला दूसरा। इसलिये इसमें, मन्त्री महोदय, मैं चाहूंगा, परिवर्तन करें। आज काश्तकार को यह पावर हो कि वह अपने अनाज की बोली लगा सके। दस बजे नाज ले जाकर मण्डी में गेरे और शाम को चार बजे तक उसको पता ही नहीं, कितनी बोली लगी, क्या हुआ। बैठा-बैठा देखता रहे, दूसरा बोले कि तेरे इतने पैसे हो गये और वह लेकर के घर आ जाये। इसलिये इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये। जब काश्तकार नाज ले जाता है मंडी में, तो एक बोरी पर पांच रुपये का हिसाब बैठा देते हैं। ऐसे कहते हैं, यह ब्राह्मण का, यह नाई का, यह फलाने का, यह ढिमके का, ऐसे काश्तकार को एक बोरी पर पांच रुपया देना पड़ता है। उसको कोई पता नहीं है, किसका यह टैक्स लगाते हैं, यह प्याऊ लगाते हैं, यह फलानी चीज का लगाते हैं—ऐसा करके काश्तकार पर पांच रुपये का हिसाब बैठा देते हैं। वापस कभी जब जरूरत पड़ती है तब पांच रुपये उगल जाते हैं उसके। इसलिये मैं आपसेचाहूंगा काश्तकार

(श्री सुन्दरलाल)

के लिये, कि एक तो जो मण्डियां नाज की हैं, उनमें कृषि उपज मण्डी में जो टैक्स लेते हैं, इनमें से कुछ पैसे की सड़कें अकाल राहत के अन्तर्गत गांव के लिये बनवायें। कृषि उपज मण्डी में पैसा है। उसके लिये मेरे क्षेत्र में कहीं भी, सूरगजढ़ मण्डी बहुत अच्छी मण्डी है जिसमें हरियाणा से नाज आता है, हरियाणा राजस्थान से जुड़ा हुआ है। काफी मात्रा में नाज आता है लेकिन वहां कोई साधन नहीं है। इसलिये इस बात पर विचार किया जाये। दूसरी बात यह कि काश्तकार बीज जुलाई में चाहवें, तो आपके अधिकारी सुपुर्द करें अगस्त महीने में। आपके दफ्तर में, जो काश्तकारों के लिये बीज के डिपो हैं बीज के लिये लोन मिलता है, उसको अपने पशु बेचकर के, अपने घर का गहना धर करके उसके बाद कर्जा लेना पड़ता है। जब काश्तकारों को लोन की जरूरत पड़े बीज के लिए तब उसी समय पर बीज और खाद मिलना चाहिये।

कई तरह की बीमारियां अनाज पर लगती हैं लेकिन बीमारियां लगने के बाद में जब वह मिट जाती हैं तो उसके बाद जिलाधीश या एस.डी.एम. आकर कहते हैं कि कोई बीमारी है तो उसका इलाज करने की दवाइयां हमारे पास हैं। तो इससे अब क्या बनेगा? बीमारी लगी एक महीने पहले और इलाज की दवा आती है दो महीने बाद। इसलिये इन बातों को भी ध्यान में रखा जाय। दूसरी बात हमारे पशु-पालन के लिये, आज काश्तकारों को पशु-पालना काफी महंगा हो गया है। उसके लिये मेरे क्षेत्र–पंचायत समिति, भुवाना के 125 गांवों में कोई हॉस्पीटल नहीं है। मैंने कई बार लिखा है। हरियाणा की गाय, भैंस के पांच हजार लगते हैं, अब मर जाय तो काश्तकार को कितना धक्का लगता है। इसलिये काश्तकार के पशुओं के लिये हॉस्पीटल होना चाहिए क्योंकि पशु से ही किसान की कीमत है। काश्तकार, गरीब आदमी जो पशु-धन पर ही निर्भर करता है, उसके लिये पशु बहुत महंगी चीज है। उनके लिये कहीं भी, 20-25-40 गांवों में एक हॉस्पीटल की व्यवस्था हो जाय ताकि काश्तकार पशुओं को दिखा लें, उनकी व्यवस्था कर सकें, पालन-पोषण कर सकें और बीमारियों को दिखा सकें। इसके अलावा, हमारे जो लोग भेड़ पालक हैं, उनकी भेड़ों को जब भी बीमारी आती है तो अचानक 200–300 भेड़ें काश्तकारों की 4–5 दिन में खतम हो जाती हैं। जब भी पशु-पालन अधिकारी के पास जाकर कहते हैं कि आज फलाने भेड़ पालक की भेड़ें बीमार हैं तो कहते हैं कि तड़के आकर या 2–4 दिन में आकर इलाज करेंगे। मेरे इलाके में, मैं बताऊं, पशु-पालन विभाग वाले 10-10 जीप लेकर फिरते हैं और घूमकर दो-सौ रुपये का तेल बाल देते हैं, मगर किसी काश्तकार की भेड़, पशु-पालक की भेड़ को बीमारी हो तो 5–5 दिन तक चैक नहीं करते। इस कारण उसकी 20–30 भेड़ें मर जाती हैं। बीमारी के वक्त इलाज नहीं करते, वैसे गांव में घूमते फिरते हैं लेकिन जब काश्तकार, भेड़ पालक को जरूरत पड़ती है डॉक्टर की, उस वक्त कोई नहीं मिलता है। इसलिये इसमें जो भेड़ों के, पशुओं के डॉक्टर हैं उन्हें ऐसे सुझाव, आदेश होने चाहिए ताकि जब कोई भेड़-पालक आकर सूचना दे कि भेड़ बीमार है तो वहां जाने के लिये तत्काल इन्तजाम किया जाय।

(श्री सुन्दरलाल)

दूसरी बात यह है, पहले भी निवेदन किया था कि कृषि उपज मण्डी, सूरतगढ़ से भुवाना तक सड़कों के लिये कुछ अर्जियां मंजूर हुई पड़ी हैं लेकिन उपज मंडी की तरफ से आप आदेश दें तो सड़क बन सके, पांच किलोमीटर का टुकड़ा बन सके, जिससे मेरे क्षेत्र के काश्तकारों को बहुत फायदा हो सकेगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार किसानों के उत्पादन का उनको समता मूल्य दिलाने में असमर्थ रही है—यह मेरा कटौती प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्वोट करना चाहूंगा, इस पुस्तक, इकॉनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डिया में से—

"Agriculture is not merely a way of making money by raising crops; it is not merely an industry or a business; it is essentially a public function or service performed by private individuals for the care and use of the land in the national interest; and farmers in the course of their pursuit of a living and a private profit are the custodians on the basis of the national life. Agriculture is, therefore, affected with a clear and unquestionable public interest, and its status is a matter of national concern calling for deliberate and far-sighted national policies, not only to conserve the natural and human resources involved in it, but to provide for national security, promote a well-rounded prosperity and secure social and political stability."

यह हिन्दुस्तान के नहीं, अमेरिका के बिजनिस मैन्स कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर में विचार व्यक्त किये गये हैं। यह कमीशन बनाया गया वहां, जहां 3 प्रतिशत–थोड़ा बहुत हिस्सा ही कृषि पर आश्रित है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की स्थिति, जैसे इसमें कहा गया है, उस हिसाब से सोचा जाय तो बहुत भयंकर है। यहां की इकॉनॉमी का खेती मुख्य आधार रही है, आज भी है और आने वाले बहुत समय तक खेती यहां की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार रहने वाली है। यहां की राष्ट्रीय आय में खेती का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा जन समुदाय खेती पर निर्भर है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में, बहुत-बहुत सालों से, हिन्दुस्तान में आजादी आने के पहले भी और बाद में भी, विशेष रूप से, खेती की अवहेलना की गई है। हम इसे प्राइमरी सैक्टर मान कर चलते हैं इकॉनॉमी का बहुत बड़ा सैक्टर मान कर चलते हैं फिर भी इस प्रकार से खेती की अवहेलना करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम ढाई हजार करोड़ का अनाज दूसरे देशों से मंगा चुके हैं। खेती की क्या दुर्दशा है, खेती करने वालों की क्या दुर्दशा है, उसके बारे में जो सैंसस रिपोर्ट आई है 1981 की, उसमें कुछ चौंका देने वाले आंकड़े हैं कि किस प्रकार से खेती करने वालों को मजबूर होना पड़ रहा है अपनी जमीन बेचने के लिये और

(श्री यदुनाथसिंह)

वे मजदूर बनने पर मजबूर हो रहे हैं। जहां 1961 में कल्टीवेटर्स 55·9 प्रतिशत थे—ये रूरल एरिया के हैं—1971 में 51·2 प्रतिशत हो गये और 1982 में 50 प्रतिशत हो गये हैं। इनकी संख्या दिन-पर-दिन घट रही है। दूसरी ओर एग्रीकल्चर लेबर्स की संख्या बढ़ रही है—जो 1961 में 19·4, 1971 में 30·1 और 1981 में 31·4 प्रतिशत हो गये और All agriculture work including cultivators and labours 1961 में 79·30 प्रतिशत, 1971 में 81·1 प्रतिशत और 1981 में 82·6 प्रतिशत हो गये। इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, खेती पर जो खातेदार, कल्टीवेटर्स थे, उनकी संख्या निरन्तर घट रही है और खेती पर काम करने वाली लेबर की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, खेती की जिस प्रकार से अवहेलना हो रही है, खेती लॉस में जाने का धन्धा होती जा रही है इसकी तरफ सैंसस की रिपोर्ट का इशारा है, उपाध्यक्ष महोदय। इसके कारण हैं बहुत से। सारे कारणों को कहां तक गिनाऊं ! फसल के उत्पादन के लिये भूमि के अलावा दो प्रमुख तत्व और आवश्यक हैं-श्रम और श्रम से ज्यादा पूंजी। हमारे यहां जरूरत से ज्यादा श्रम खेती पर पहले से लगा हुआ है इसलिये और श्रम इस पर लगाना आवश्यक नहीं है। लेकिन खेती की पैदावार कैसे बढ़ायें ? इस सम्बन्ध में हमारे देश की ही नहीं दुनियां की भी स्थिति खराब होती चली जा रही है और आने वाले 10-15 सालों में ऐसी स्थिति होने वाली है कि जो अन्न उत्पादक देश हैं—आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि, वे अन्न को फूड-वेतन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो हमारे जैसा देश, जिसके 80 प्रतिशत आदमी खेती पर लगे हुए हैं वह पेट भरने जितना अन्न पैदा न करे तो कल को जैसी हमारी स्थिति होगी उसका सामना करने के लिए या तो हमारी राजनीतिक लॉबी इतनी स्ट्रांग हो या हमारे पास पैसा हो। दोनों में ही हमारी स्थिति ऐसी नहीं है जो हमें अच्छे अन्न उत्पादक देशों में ला सके। इसलिये अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिये और पेट भरने के अलावा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये भी खेती की पैदावार बढ़ानी आवश्यक है क्योंकि पिछले दिनों में खेती की पैदावार बढ़ाने का जो ट्रेण्ड रहा है वह बहुत दुखदायी है। यदि हम आजादी के बाद अब तक की स्थिति का अध्ययन करें, जब से प्लानिंग शुरू हुई, इसको दो हिस्सों में बांटें तो खेती की पैदावार में किस प्रकार का ट्रेण्ड है वह आपको देखने में आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा सा इशारा करना चाहूंगा—1951 से 64 तक पहला पीरियड और दूसरा पीरियड 1964 से 1981। जहां पहले पीरियड में कल्टीवेटेड एरियाज की इन्क्रीज रेट 1.7 प्रतिशत थी वह दूसरे पीरियड में 0.6 प्रतिशत रह गई। इसका मतलब खेती के लिए जमीन हम जितनी ज्यादा उपयोग में ले सकते थे वह अधिक से अधिक उपयोग में ली जा चुकी है और अब बहुत कम जमीन को खेती के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इसलिये उत्पाद बढ़ाने के लिये खेती का जो हिस्सा है वह और बढ़ने की सम्भावना बहुत कम है। दूसरा सवाल है, हमारी पैदावार किस प्रकार से बढ़ रही है। तो जो पहले पीरियड में 1.4 प्रतिशत पैदावार बढ़ी वह दूसरे हिस्से में 1.5 प्रति-

(श्री यदुनाथसिंह)

शत बढ़ी। लेकिन इर्रीगेशन प्रोडक्शन की इन्क्रीज रेट, जो पहले पीरियड में 3.2 पर्सेन्ट थी वहां दूसरे पीरियड में उसकी रेट 2.2 प्र. श. रह गई, जबकि हमारे यहां पर तकनीक की खोज हुई, खाद का प्रयोग बढ़ा, इर्रीगेशन ज्यादा हुआ। नई टैक्नीक अपनाने के बाद, नये बीज का आविष्कार करने के बाद क्या कारण हैं कि खेती की पैदावार-वृद्धि-दर घटी ? यह सरकार के लिए सोचने का विषय है कि खाद का जो आविष्कार हुआ, जो टैक्नीक का उपयोग किया गया, आया वह टैक्नीक हमारे देश के लिये उपयुक्त है या नहीं, हम उसका सही प्रयोग करना जानते हैं या नहीं। क्या कारण है कि इस पीरियड में, जब कि खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये नये साधन, नई टैक्नीक का प्रयोग बढ़ा है, हमारी वृद्धि दर घट रही है।

इसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे राजस्थान को देखिये, प्राइमरी सैक्टर को नहीं घटना चाहिये राष्ट्रीय आय में, पैदावार में हमारी जो हिस्सेदारी रहनी चाहिए, उसका यहां उल्टा हो रहा है। जहां 1970 में 63.52 प्रतिशत खेती का हिस्सा था राज्य का, वहां 1977–78 में 66.04 प्रतिशत, 1978 में 55.81 प्रतिशत और 1980–81 में वह 51.34 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे, राज्य की आय का जो हिस्सा है, राष्ट्रीय आय में उसका डिस्क्रिमिनेशन बना है। मुझे खुशी है कि राज्य में पिछले दिनों में खेती की प्रति हैक्टेयर पैदावार में बोढ़तरी हुई है लेकिन राजस्थान की परिस्थितियों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां की 60 पर्सेन्ट भूमि रेगिस्तानी है, 60 प्रतिशत में रेगिस्तान है। हमारे जो उत्पादन के साधन हैं उसमें दूसरा हिस्सा पूंजी का आता है। पूंजी से इर्रीगेशन के साधन बढ़े हैं, खाद-बीज के साधन बढ़े हैं, बिजली की सुविधा बढ़ी है, उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछले दिनों का स्तर रहा है। इस प्रकार आप राजस्थान की खेती के प्रोडक्शन का इन्डैक्स देखेंगे तो यह नजर आयेगा कि दिन-ब-दिन यह इन्डैक्स घट रहा है। इससे जाहिर होता है कि हमारी खेती की पैदावार सन्तोषजनक नहीं है। हमको इसके कारणों को खोजना पड़ेगा कि खेतीका उत्पादन हमारा क्यों गिर रहा है, खेती में प्रति हैक्टेयर जितनी पैदावार होनी चाहिये उतनी क्यों नहीं हो रही है। देश में एक लम्बे समय तक प्राइमरी सैक्टर खेती की राष्ट्रीय आय में हमारा हिस्सा 50.52 प्रतिशत था वह अब 38 प्रतिशत रह गया है परन्तु मुझे खुशी है कि प्रति हैक्टेयर पैदावार बढ़ी है। दुनियां में कई देशों में 6 टन प्रति हैक्टेयर का रिकार्ड है। इसमें भी कुछ बढ़ाये जाने की सम्भावना है। हमारा खाद का कन्जम्पशन कम है। इर्रीगेशन बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा 35 मिनट का समय है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें इन बातों पर फिर से विचार करना होगा। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर को देख लीजिये। राष्ट्रीय स्तर में, उपाध्यक्ष महोदय, खेती से हमारी पूंजी 31 हजार करोड़ की पैदा होती है

(श्री यदुनाथसिंह)

श्रौर उद्योगों से 12 हजार करोड़ की पूंजी पैदा होती है। यानि, खेती से ढाई गुना पूंजी अधिक पैदा होती है जब कि हम बजट का केवल 16 प्रतिशत इस पर खर्च करते हैं श्रौर उद्योगों में दुगनी तिगुनी पूंजी लगाते हैं। इसलिये जब तक हम खेती के लिये, खेती के विकास के लिये ज्यादा पूंजी लगाने को तैयार नहीं होंगे तब तक निश्चित तौर से खेती का विकास नहीं होगा। खेती में बजट का 16 प्रतिशत लगाते हैं जबकि पूंजी 50 पर्सेन्ट से ऊपर निकली है। जब श्रापकी पूंजी ज्यादा निकल रही है, तो उसी पूंजी का हिस्सा खेती में देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, श्राज गांवों में खेती के प्रति लोगों की रुचि कम होती जा रही है। इसका कारण है कि जो पैदा करने वाले हैं उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी काम के लिये रॉयल कमीशन का गठन हुश्रा था। यह मण्डी कमेटियां इसलिये नहीं बनायी गयी थीं कि एक बाबू को ले जाकर वहां पर बिठा देंगे- रॉयल कमीशन की मंशा यह नहीं थी। उसकी मंशा थी कि कृषि मण्डियां बनाई जायें। परन्तु श्राज मंडियों का स्वरूप एक श्राढ़तिये का सा हो गया है। वहां पर एक बाबू है। श्राढ़तिये के द्वारा ही माल खरीदा जाता है, श्राढ़तियों के द्वारा ही हमारा माल विकता है वरना मंडी हमारा माल नहीं खरीदती है। माल खरीदने श्रौर बिकवाने की मंडी की जिम्मेदारी है। जो भी माल वहां पर श्राये उसको पैरिटी प्राइस पर मंडी खरीदे। परन्तु श्राज वहां पर क्या व्यवस्था है ? मंडी माल खरीदने का काम नहीं करती है। माल की खरीद-बिक्री पर उसका कोई कन्ट्रोल नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये हैं, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : 35 मिनट बोलूंगा। टाइम मेरा निश्चित है।

श्री उपाध्यक्ष : 20 मिनट।

श्री यदुनाथसिंह : ठीक है।

खेती में किस प्रकार ज्यादा पैदावार हो, इसके लिए पहले इर्रीगेशन के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे देश में कितना पानी मौजूद है ? 400 मिलियन हेक्टेयर उसका 10 पर्सेन्ट पानी हम प्रयोग करते हैं। इतना पानी है। इस पानी का प्रयोग करें तो 133 मिलियन हेक्टेयर में खेती हो सकती है सिंचाई के जरिये और उसके बाद में भी हमारे पास पानी बचेगा। खेती की पैदावार 36 गुना ज्यादा हो सकती है। सिर्फ सिंचाई श्रौर खाद से श्रौर पानी पहले श्रावे। हमारे राज्य के बजट पर सामान्य बहस चल रही थी, तब मैंने इसकी एक तस्वीर रखी थी। पास ही में पंजाब राज्य है। श्राज वह हमारे यहां पर स्विटरजलेन्ड बन चुका है। यह सिर्फ खेती की पैदावार की वजह से हुश्रा है, यह खेती की तरक्की से हुश्रा है, उद्योगों की तरक्की से नहीं। हमारे यहां पर बड़े उद्योगों की नीति श्रपनायी गयी है परन्तु जब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, खेती की पैदावार का सरप्लस नहीं करेंगे तब तक उद्योग नहीं बढ़ेंगे और इसके लिये मार्केट नहीं बनेगा। इसलिये श्रौद्योगीकरण खेती के बाद होगा। खेती में भी सबसे पहले तो इर्रीगेशन है। जब हमारे देश में इतना पानी है तो इसका

186

(श्री यदुनाथ सिंह)

उपयोग होना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पंजाब के पास पांच-पांच नदियां हैं और राजस्थान में एक भी नहीं है। हिन्दुस्तान बना था तो यह कल्पना नहीं थी कि पंजाब और राजस्थान अलग-अलग होंगे। पंजाब भी हिन्दुस्तान का टुकड़ा है, राजस्थान भी हिन्दुस्तान का टुकड़ा है। फैडरल सिस्टम की मंशा थी, यह मंशा नहीं थी कि पंजाब का पानी बह कर पाकिस्तान में चला जाये और देश के दूसरे राज्यों में यह पानी नहीं आये। इसके लिये राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। यह सब इन्टर–स्टेट इर्रीगेशन सैण्ट्रल बोर्ड के कन्ट्रोल में होना चाहिये ताकि रोज-रोज के झगड़े मिटें और देश के बहुत बड़े हिस्से को पानी दिया जा सके। मध्य प्रदेश से पानी आ सकता है, गुजरात से पानी आ सकता है। हमारे यहां पर बिजली की कमी है। सिंचाई की नहरें मौजूद हैं। हमको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी तो वह इससे सस्ती मिलेगी।

इसके साथ मैं एक निवेदन और कर दूं। मैं मध्य प्रदेश और बिहार गया था तो मैंने देखा कि बैलों से ट्यूब-वैल द्वारा पानी निकाल कर सिंचाई की जा रही है। वह ट्यूब-वैल बिना बिजली और बिना डीजल के चल रहा था, बैलों के द्वारा। इस टैक्नोलोजी में कुछ गड़बड़ी जरूर थी परन्तु उन खराबियों को, खामियों को रिसर्च कर के दूर किया जा सकता है। यह राजस्थान के लिये उपयुक्त है क्योंकि हमारे राजस्थान में विद्युत संकट है, डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं, इसकी कीमत पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इस सदन का ध्यान इस और दिलाऊंगा, जिससे ऊर्जा खर्च न हो और बिना ऊर्जा के सिंचाई हो पायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मूल्यों की बात करूंगा-पैरिटी प्राइस। 31 हजार करोड़ की पूंजी हमारे देश में खेती से पैदा होती है। दस साल का हिसाब लगायें तो खेती की पैदावार के मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई है और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई है वह क्रमश: 38.6 पर्सेन्ट और 20 पर्सेन्ट है। इसका हिसाब लगा कर देखें तो 6200 करोड़ रुपयों से प्रतिवर्ष किसानों को लूटा जा रहा है। वह जो खरीद कर कीमत लगाता है वह महंगी है। खेती से पैदा कर रहा है, वह खेती के कारण है। इस प्रकार किसानों को लूटा जा रहा है।

मेहता कमीशन के बाद एक कार्यक्रम बनाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, गोदाम योजना बहुत आवश्यक है इसके बिना आप किसानों को उनका हक नहीं दिलवा सकते हैं। पिछले दिनों जब पहाड़िया जी की सरकार थी और कमला जी उसमें मन्त्री थीं तो, क्योंकि वे किसान परिवार से हैं उनके मन में दर्द होगा इसलिये उन्होंने गोदाम योजना शुरू की थी, उपाध्यक्ष महोदय। आज मंडियां भी गोदाम चलाती हैं पर गोदाम योजना की मंशा यह थी कि किसान अपना माल रखें और 70-75 प्रतिशत कीमत ले लें, जितनी कीमत मिल रही है उतना पैसा ले जायें और उस माल को रखें। लेकिन आज इस गोदाम योजना का लाभ किसान को नहीं मिल रहा है। गोदाम योजना में माल व्यापारी का रखा जाता है, उसका लाभ व्यापारी उठा रहे हैं। यह व्यवस्था के ढांचे

(श्री यदुनाथ सिंह)

में गड़बड़ी हो गयी है और किसान की पूंजी गांवों से निकलकर शहरों में चली जा रही है। वह ज्यादा पूंजी लगाकर कम कमा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। औद्योगीकरण से देश का भला नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई एग्रीकल्चर के आपके जितने कार्य-क्रम हैं उनके बारे में किसान जानता नहीं है, कभी उनको काम में लिया नहीं है। जैसा माननीय सदस्य कौशल साहब ने कहा रॉक फास्फेट को काम में लेना है।...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने किसानों के दर्द को समझा नहीं है, मेरे ख्याल से किसान के जीवन को आप सीधे नहीं जी सके हैं। किसान के जीवन को मैंने सीधा जीया है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि दिन-ब-दिन किसान की हालत खराब हो रही है। अगर आप सर्वे करा लें तो 80 प्रतिशत किसान गरीबी के दर्जे में मिलेगा। गांव में 80 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, लेकिन वे रोना नहीं जानते। किसान यों नहीं कहेगा सेठों की तरह से, रास्ते में मिल जाये और कहे कि कैसे हो, तो कहेगा कि गला कट रहा है, मर रहे हैं, इस तरह से वह नहीं करता है। अगर वह रास्ते में कर्जा लेने भी जा रहा है और पूछें कि क्या हाल है तो वह यही कहेगा कि मौज है। वह हर हाल में खुश है, किसी बात की शिकायत नहीं करता है। हर परिस्थिति में काम करता है और शिकायत नहीं करता है इसलिये हम समझते हैं कि खेती में पता नहीं कितना मिल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेती का पूरा मूल्य दिलाया जाये। जैसे हवाई जहाज से टक्कर हो जाये तो उसका और छोटी-छोटी बातों का बीमा करते हैं पर जो पेट पालने वाले काम करते हैं, जो आपके निठल्लों को पालने का काम करते हैं, उनकी फसल नष्ट होती है तो क्यों नहीं उसके लिये मुआवजे की व्यवस्था करते हैं? गोदाम योजना की कल्पना थी उस बारे में मैंने पत्र लिखा था, जवाब नहीं दिया। मन्त्रिमंडल बदल गया, पता नहीं उस पत्र को पहाड़िया जी ले गये क्या। गोदाम योजना को निश्चित रूप से लागू करें। किसानों को कीमत दिलवायें, उसको सही कीमत दिलवायें। यह सही है कि यह आपका काम नहीं है लेकिन जिस तरह से और राज्यों ने प्राईज कमीशन बना रखे हैं वैसे आपको भी बनाने चाहिए। ऐसी स्थिति में, जिस हिसाब से खेती में काम आने वाली चीजों के भाव बढ़े उसी प्रकार से, उतने प्रतिशत के हिसाब से फूड प्रोडक्शन की प्राइज बढ़ायेंगे तो आप खेती की पैदावार को बढ़ावा दे सकेंगे, किसान की माली हालत सुधार सकेंगे। और चीजों के भाव जिस हिसाब से बढ़ेंगे उस हिसाब से आपको कृषि की पैदावार का मूल्य भी बढ़ाना होगा। इसलिये सबसे पहले सिंचाई पर ध्यान दीजिये, जितने भी कार्यक्रम हैं उनको ढंग से लागू करवाइये। ग्राम सेवक के नाम का आदमी लगा रखा है वह कोई काम नहीं करता है। उसको टास्क दीजिये कि इतना काम करना होगा, इतने खेतों में खेती करनी है और अगर रिजल्ट नहीं आये तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कागजों में इन्स्ट्रक्शन्स जाते हैं लेकिन वह कौनसे खेत में काम करा रहा है यह भी पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

(188)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वी सिंह,

समय का ध्यान रखें पांच-पांच मिनट से ज्यादा ठीक नहीं है।

श्री तेजपाल यादव : 80 किसान हैं, कुछ ज्यादा बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वाले भी ज्यादा हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : किसान को ही तो काटा जाता है।

श्री पृथ्वी सिंह : (खानपुर) : हमारे यहां पर कृषि कोई नया व्यवसाय नहीं, आदिकाल से यह धन्धा चलता आ रहा है। लेकिन पुराने जमाने में और आजके जमाने में काश्तकार की आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क है। उसका मेन कारण यह है कि पहले काश्तकारों को इतना पैसा काश्त के ऊपर खर्च नहीं करना पड़ता था, दवाइयों, रासायनिक खादों, टैक्सों आदि पर इतना पैसा नहीं देना पड़ता था। आज के जमाने में तो कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी खरीफ की फसल बिगड़ जाती है तो कभी रबी की फसल बिगड़ जाती है; फिर कभी बिजली के कारण फसल जल जाती है तो कभी पानी नहीं मिलता है; किसी भी प्रकार से फसल को नष्ट कर दिया जाता है, कभी-कभी पकी पकायी फसल पर ओला वृष्टि हो जाती है। काश्तकार जब आयी फसल को बरबाद होते देखता है, जब हरी हरी फसल को उजड़ते हुए देखता है; आप जानते हैं कि गांवों में काश्तकार के पास एक मात्र खेती ही व्यवसाय है, कृषि की सारी पैदावार जब नष्ट हो जाती है तो आप सोचिये कि वह जो ऋण किसी संस्था से लेता है उसको किस प्रकार से अदा कर सकता है। उसको जब कभी खेती में एक बार घाटा लग जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो जाती है और असन्तुलित हो जाने से उसकी कैपेसिटी नहीं रहती है सरकार के कर्ज को चुकाने की। होता यह है कि पांच साल से निरन्तर काश्तकार की एक न एक फसल जरूर बिगड़ जाती है, इसको आप कुदरत का प्रकोप समझें या कुछ भी समझें, ऐसा होता चला आया है। आप जानते हैं कि 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उनमें खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, उनके रोजगार के लिये वहां पर कोई फैक्टरी तो है नहीं, कोई इन्डस्ट्री भी नहीं है, सारे मजदूर किसान उसी खेती पर आधारित हैं। कृषि की पैदावार नष्ट हो जाती हैतो उनको मिलने वाली जो मजदूरी है वह मजदूरी भी नहीं आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि गांवों में बसने वाले 80 प्रतिशत जो लोग हैं, उनकी खेती निरन्तर खराब होती जाती है। इस प्रकार दोनों की स्थिति काफी डांवाडोल हो जाती है। कुदरत के अलावा भी कई फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे पानी नहीं मिलना, बिजली की कटौती, जिनसे उसकी पकी पकाई फसल को नुकसान हो जाता है। काश्तकारों को कुओं से पानी नहीं मिलता है, इस तरह से तीन चार साल से काश्तकार की स्थिति निरन्तर दयनीय हो रही है। उसकी फसल को बचाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। इसके ऊपर अगर कीड़ा लग जाता है, बीमारी का अटैक होता है तो देखने में यह आया है कि सरकार की उपचार की प्रक्रिया, कागजी

(श्री पृथ्वी सिंह)

कार्यवाही लम्बी हो गई है, वह ठीक होते होते 15–20 दिन लग जाते हैं और 15–20 दिन लग जाते हैं तो कीड़ा विस्तृत रूप लेकर फैल जाता है। हमारे कृषि विभाग के जो लोग हैं वे न तो कोई इन्तजाम करते हैं और न खबर ही करते हैं। ऐसी स्थिति में यह होता है, जैसे चने पर रोली का अटैक होता है उसका शुरूआत में ही पता नहीं कर पाते है और जब वह बीमारी बढ़ जाती है तो उसकी रिपोर्ट जिला हैडक्वार्टर पर होती है, पंचायत समितियों में होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। जब तक उपाय करेंगे वह बीमारी फसल को नष्ट कर देगी क्योंकि काफी समय, लम्बा चौड़ा समय निकल जाता है। इसके लिये यह कहें कि यह भी कुदरत का प्रकोप है। आज इन्सान कुदरत से लड़ रहा है, लड़ाई की स्थिति में वह कितनी एफीशियेन्सी से लड़ाई लड़ सकता है यह उसकी एफीशियेन्सी पर डिपेंड करता है। यह मानकर नहीं चल सकते हैं कि उनकी फसल को इस देश के अन्दर कोई कुदरत नष्ट नहीं करे, इसकी कोई सम्भावना हो सकती हैं फिर सारे ड़िपार्टमेंट्स के अफसर हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के वर्कर्स हैं–कोई ही क्यों न हो, जन प्रतिनिधि हैं, उन सबका दायित्व हो जाता है कि हमारी होने वाली क्षति को पहले से ही रोकने की कार्यवाही करें लेकिन आजकल जितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है उससे उल्टा, फसल में नुकसान हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है।

इसके अलावा, मान्यवर, ऐसा है, जैसे कि बिजली है, उसमें काश्तकार के लिए बिजली की कटौती नहीं करनी चाहिए। इसका कुप्रभाव खेती पर पड़ता है, उसकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। इसके अलावा न्याय प्रक्रिया है, किसान की केवल खेती से ही आर्थिक हालत खराब नहीं होती है, काश्तकारों को आज हर चीज के दाम ज्यादा देने पड़ रहे हैं, वह सफर करता है तो उसको किराया ज्यादा देना पड़ता है, अदालतों में वकीलों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, पटवारी के पास जाता है, किसी का इन्तकाल हो जाता है और काम पड़ता है तो इसकी सारी प्रक्रिया मंहगी हो गयी है। काश्तकार अपने आपको सीमित पैदावार से आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारे यहां एक कहावत है–धन खेत, धन चाकरी, धन-धन व्यौपार।" अब यह सारी कहावत बदल चुकी है। आज काश्तकार सबसे निकृष्ट व्यवसाय खेती करना मान रहा है। अगर आप उनका सर्वे कराकर देखें तो आपको पता लगेगा, विशेष तौर से झालावाड़ जिले के लिये निवेदन करूं कि झालावाड़ में 90 प्रतिशत काश्तकार अपेक्स बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक और जो संस्थाएं हैं कर्ज की, उनके कर्ज में डूबा हुआ है, और वह इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर करके अपना काम चला रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक-न-एक दिन विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायगी तो काश्तकार को दिवालिया घोषित करने में कसर नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि काश्तकार अपनी मांग को रख नहीं सकता है। वह अपने माल को कुछ समय के लिये सुरक्षित रख नहीं सकता है। आप जानते हैं

(श्री पृथ्वीसिंह)

कि साल भर में एक फसल आती है। मार्च के महीने में इधर फसल तैयार होती है, कटती है, उधर आपके अपेक्स बैंक से लोन लिए होने की वजह से मार्च के महीने में सारे डिपार्टमेंट, पैसे वाले लोग काश्तकार के ऊपर टूटकर पड़ते हैं। होता क्या है ? व्यापारी जानता है कि इसको तो मजबूरन फसल बेचनी पड़ेगी, क्योंकि रखने की कैपेसिटी नहीं है। कोई कुर्की की धौंस दे रहा है, कोई उसके बैल को पकड़ रहा है, तो काश्तकार जो है, उसकी उनको रोकने की क्षमता नहीं है। नहीं रोक पाने से जब एकदम मण्डी के अन्दर अनाप-शनाप मात्रा में माल जाता है तो व्यापारी की भी कैपेसिटी नहीं रहती है, उसके पास भी इतना पैसा नहीं रहता कि इस सारे माल को खरीद कर वाजिब दाम दे सके। कई मण्डियों में तो ऐसा है कि छोटे-छोटे व्यापारी रोटेशन चलाते हैं, रोटेशन से बड़ी मण्डियों में बेच कर आते हैं। आपन इसके बीच में से दलाल को हटाना चाहते हैं परन्तु दलाल किसी भी रूप में हट नहीं पाता; व्यापारी के साथ मनमानी करके अपने प्रोफिट को लेता ही है। इसलिए....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मान्यवर, थोड़ा सा और है। इसके लिए हमें को–आपरेटिव बैंक्स के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने भी हमारे गोडाउन्स हैं, उनमें काश्तकार के माल को रखा जाय और बैंक उनको 70–75 प्रतिशत पैसा दे दे ताकि काश्तकार अपने माल को उनमें रखकर ठीक भाव आने पर बेचे और उस 70 प्रतिशत पैसे में से सारा पैसा वसूल करने वालों को चुका दे। इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि बहुत सी फसलें ऐसी हैं, जैसे आलू, प्याज, उनके लिए हमारे यहां पर कोई कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने की वजह से, उधर बारिश आ गयी, बारिश आती है तो प्याज सड़ेगा, आलू को भी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख नहीं सकता है जिससे सैकड़ों मन आलू को बाजार में मिट्टी के भाव बेचना पड़ता है। मान्यवर, कृषि उपज मण्डी से ऐसी व्यवस्था की जाय, जहां पर मण्डियां हैं, उनके हैड–क्वार्टर पर कोल्ड स्टोरेज बनाकर आलू और प्याज, काश्तकार वहां रखे, रख कर उसको, उसकी फसल को बचाने में मदद फरमावें। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रोब्लम यह है कि पोपुलेशन बढ़ती जा रही है। पोपुलेशन के अन्दर अगर हमने यह खयाल नहीं रखा और राजस्थान की धरती को तरसता हुआ और प्यासा रखा तो हम आगे आने वाली पोपुलेशन के भार को एडजस्ट नहीं कर पायेंगे। उसके लिए जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे यहां अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का सर्वे हो रहा है, ट्यूब वैल्स का स्कोप भी है, कई नदियों का डिस्चार्ज हो रहा है, आगे कोटा, बूंदी, झालावाड़ से पानी होकर निकल रहा है अगर उस पानी का उपयोग किया जाय, हमारा थिकली पोपुलेटेड एरिया है, उस आगे आने वाले प्रेसर को बीयर किया जा सकता है। आज हमारे यहां क्या है ? एक बाप के पास 30 बीघा धरती है, उसके 4 लड़के हैं तब तो ठीक है, लेकिन किसी के पास 3 बीघा, किसी के पास 4 बीघा, किसी के पास पांच बीघा

(श्री पृथ्वीसिंह)

जमीन है तो आगे जाकर स्थिति विस्फोटक हो जायेगी, और लोग भूखे मरने लगेंगे, आज तो नहीं, 5–7–8 साल के बाद। आज जिस तरह कर्मचारी आन्दोलन पर खड़े हुए हैं, उसी तरह काश्तकार को भी मजबूर होकर खड़ा होना पड़ेगा. जब भूखे मरने लगेंगे, और भूखे मरकर इस सरकार के लिए बहुत भारी प्रोब्लम बन जायेंगे। मान्यवर, जहां पर ट्यूब वैल्स का स्कोप है, जहां पर स्रोत हैं सैकड़ों कई ऐसे नाले हैं, कोटा, बूंदी, भालावाड़ में जिनमें मार्च तक पानी भरा रहता है। उनमें प्रायोरिटी से बिजली नहीं पहुंचायेंगे, बिजली की पूरी सप्लाई नहीं देंगे तो देश के लिए बड़ी घातक स्थिति पैदा हो जायेगी। तो, मान्यवर, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रायोरिटी के साथ काश्तकार को यह सुविधा नहीं पहुंचायी गये तो हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री पृथ्वीसिंह : योजनाओं के लिए भी आप से निवेदन करूं। भीम सागर डेम चल रहा है, 5 साल की योजना थी, लेकिन आज 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। अगर वह योजना समय पर पूरी हो जाती तो 15 साल पहले से 40–50 हजार एकड़ जमीन सिंचित करती, देश के प्रोडक्शन को बढ़ाती। उसी तरह हरिशचन्द्र सागर, वह डेम भी ऐसे ही पड़ा है, उसमें भी बहुत पैसा लगा है, उसका इन्ट्रेस्ट भी नहीं निकल रहा है, चार साल से इसी तरह से है, 25 प्रतिशत भी उसमें तरक्की नहीं हुई है, बड़े शर्म की बात है। भालावाड़ में तीन नदियां–पार्वती, काली सिंध, पर्वत, जिनमें चम्बल के बराबर पानी है। मान लिया कि मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल के पानी को जगह-जगह ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये ऐसी नदियां हैं, जिनको ब्लॉक नहीं किया गया है। उस पर छोटे-छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट्स लगाये जायें। वहां पानी डिस्चार्ज होकर यहां से बह कर यू.पी. जाता है, आगे जाकर फ्लडेड होता है, उससे उनको भी बचाया जाये। इसके अलावा हमारे एरिया में संतरा काफी पैदा होता है लेकिन संतरे की दुर्व्यवस्था ऐसी हुई है कि काश्तकार अपने टोटे में चला गया। इसके लिए उसके ज्यूस को प्रिजर्व करके ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि वह काश्तकार ज्यादा लोस में नहीं जाये। भालावाड़ एक ऐसा जिला है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में कम ध्यान दिया गया है, ध्यान कम जाने से नेचरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हों, उनका पर्सेन्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल न्यून है। दो स्कीमें अन्डर प्रोसेस हैं, कृपया उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करने का कष्ट फरमायें। डेयरी स्कीम के लिए पिछले सत्र में भी निवेदन कर चुका हूं। भालावाड़ में 6 लाख मवेशी हैं और उन 6 लाख मवेशियों की, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, वहां के काश्तकार की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, मैंने मन्त्री महोदय से भी अर्ज किया था कि इसको डेयरी से जोड़ा जाये, जिससे वे वहां पर उन्नत किस्म के प्रजाति और दूध का उत्पादन बढ़ाने में सहयोग दें। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

(192)

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजपाल ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद । आज कृषि और पशु पालन की अनुदान मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं । यह बिल्कुल स्पष्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर अपनी जीविका उपार्जन करती है । कृषि ऐसा व्यवसाय है, जो खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, सारा सामान मुहैया कराती है, और अधिकांश उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है । लेकिन इस कृषि व्यवसाय और किसान के साथ में जितना मखौल हो रहा है उतना किसी उद्योग या व्यवसाय के साथ नहीं हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि विभाग । मेरी नजर में, कृषि को ज्यादा नहीं मानता । जिस प्रकार एक पुजारी मूर्ति के नाम से चढ़ावा लेकर अपनी रोजी पालता है, उसी प्रकार किसान के नाम से यह कृषि विभाग अपना पेट पालता है, रोजगार चलाता है । कृषि, विभाग से किसानों के नाम से, बेरोजगारी की स्थिति तो जरूर सुधरती है कि हमारे आदमियों को रोजगार मिल गया, बाकी, किसानों को इस से कोई फायदा नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, कृषि का धन्धा घाटे और मजबूरी का धन्धा है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिले, धन्धा नहीं मिले तो वह खेती करता है । कृषि का धन्धा केवल भूखे पेट को रोटी और नंगे शरीर को फटे चीथड़े, कपड़े दे सकता है इसके अलावा कृषि व्यवसाय और कुछ नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बहुत क्रान्तिकारी विचार हैं ।

श्री तेजपाल यादव : आपका कृषि विभाग खाद के, बीज के, दवाइयों को–सहकारी समितियों के माध्यम से या प्राइवेट दूकानदारों के माध्यम से जो होता है, उसको इकट्ठा करने के अलावा और कोई काम नहीं करता । वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम है उसमें अधिकारी अपना टी. ए. डी. ए. बनाते हैं और सैर-सपाटे के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है । इनका जो एक प्रोग्राम बनता है कि सम्पर्क करेंगे, सात दिन में फलां काश्तकार से मिलेंगे लेकिन कोई नहीं जाता । न कोई अधिकारी जाता है, न कोई ग्राम-सेवक जाता है । केवल मात्र योजनाओं के नाम से टी. ए. डी. ए. उठाने और अपने घरों पर गोत मनाना जाकर के कि चलो ट्यूर बना दिया, और अपने घर पर जायेंगे, बाजार में घूमने जायेंगे या और कहीं सैर-सपाटा करेंगे यह काम है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : चौमूं वाले सब जयपुर आ जाते हैं ।

श्री तेजपाल यादव : आज सबसे ज्यादा किसानों की, जिस प्रकार पुराने जमाने में व्यापारी, जब उस बेचारे किसान के पास पैसा नहीं होता था, उसे उधार लेना पड़ता था, और बोहरा अपनी मनमर्जी से जैसा जचे, जैसा मिले, उसके गले में घाल दे, कम तोल दे, घटिया दे दे, चाहे जैसे दिया करता था वही सलूक आज भी किसानों के साथ में हो रहा है । आज बीज निगम आपके विभाग द्वारा किसानों को सबसे ज्यादा ठगने वाली और उसके साथ में धोखा करने वाली

(श्री तेजपाल यादव)

संस्था है। आज किसान को मजबूरी से, जब खाद या बीज की आवश्यकता पड़ती है तो सहकारी समितियों के अन्दर कर्ज लेने जाना पड़ता है तो वहां यह पाबन्दी है कि किसान बाजार से माल नहीं खरीद सकता, केवल सहकारी समिति से, बीज निगम का जो बीज है वही मिलेगा, सहकारी समितियों से पैसा लेकर बी-कम्पोनेन्ट का बाजार से बीज नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके लिए पाबन्दी है। और उस मजबूरी का फायदा उठा करके आपके बीज निगम ने इस साल सबसे ज्यादा धोखा, किसानों के साथ में किया है, अन्याय किया है, किसानों को ठगा है जिसका मैंने, माननीय कृषि मन्त्री महोदय, आपको निवेदन किया। मेरे क्षेत्र के अन्दर बीदा हुआ गेहूं का बीज दिया, पहले तो खरीद मूल्य से ढाई गुना ज्यादा पैसा लेना और फिर भी सड़ा हुआ, बीधा हुआ बीज देना, इसी प्रकार से बाजरे का खराब बीज, इसी प्रकार जवार का बीज, इसी प्रकार से आपके चने के लिए डेढ़ सौ रुपए सब्सिडी लेना, इसलिए मैं तो इसको किसान को सबसे ज्यादा ठगने वाला निगम कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास जमीन है कि नहीं ?

श्री तेजपाल यादव : डेढ़ सौ रुपया सब्सिडी बाद देकर के बाकी रुपया किसानों को दिया। कई जगह तो सहकारी समितियों में किसानों ने पांच रुपया सैंकड़े का ब्याज देकर प्राइवेट बनिये से बीज लेना अच्छा समझा। आपने तो समितियों का खराब बीज उनके गले में घाल दिया। समिति में जो काश्तकार हैं उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनके गले में घाल दिया कि इनको तो आपको लेना पड़ेगा। बीज निगम का कमीशन पक गया और इनका काम बन गया, वह माल किसानों के खाते में नहीं गया। तो सहकारी समितियों में जो किसान मैम्बर होते हैं उनके गले में घाल दिया, उनका ही गला कटेगा, यानि, बेचारे उन्हीं को लेना पड़ेगा क्योंकि सहकारी समितियों में जो उनकी हिस्सा राशि है, उससे पांच गुना ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है वरना सोसायटी घाटे में जायगी क्योंकि बीज पड़ा रह गया-यह सारी इस तरह की स्थिति है। इस मामले में, कृषि मन्त्री जी, अगर आप में किसानों के प्रति दया है, आप किसानों की समस्याओं को भली प्रकार जानती हैं ही, इस बीज घोटाला काण्ड में आपके बीज निगम ने जो अन्याय किया है उसके बदले में मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि किसानों को मुआवजा दिलवाइये और निगम के अधिकारियों को फांसी पर लटकाइये, किसानों के साथ धोखा किया है उन्होंने, किसानों को ठगा है उन्होंने, किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया है।

एक माननीय सदस्य : इनके हाथ में क्या है ?

श्री तेजपाल यादव ; इनके हाथ में नहीं है तो किसान अभी तो बेजुबान है लेकिन जब किसान अपनी जुबान खोलेगा तो उनको बख्शेगा नहीं जिसने किसानों को ठगा। जिस की आज यह हालत है, बीज निगम की कि जिस प्रकार से हत्यारा हत्या करके मौज मस्ती करे और उसको कोई पूछे नहीं, उसी प्रकार से आपका बीज निगम है जिसने किसानों को सारा-का-सारा ठग करके उसकी फसल नष्ट

(श्री तेजपाल यादव)

करदी, इन्होंने माल नहीं दिया, ऐसा रद्दी माल दिया कि वह फसल ही नहीं पनपी–इस तरह से, आपका बीज निगम आज पनप रहा है और आराम से मन मस्ती से आपके बीज निगम के चेयरमैन, अध्यक्ष क्या-क्या हैं, वहां फिर रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर कोई कार्यवाही भी करते हैं, बीज के नाम से, खाद के नाम से, तो कम से कम इस बीज निगम को समाप्त तो कर दीजिये ताकि किसानों का शोषण बन्द हो, किसानों की खेती नष्ट नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रामसिंह विश्नोई : बोलने दो।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : हमारा समय भी इनको दे दो।

श्री तेजपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक, यह कृषि विभाग है, उसने किसानों के लिये कोई काम नहीं किया। आज, उद्योग विभाग का कोई भी लिटरेचर उठा लीजिये, उसमें किसी भी धन्धे को इतना कच्चा माल मिल सकेगा, इतनी मजदूरी लगेगी, पूंजी का इतना ब्याज लगेगा, हमने पूंजी लगाई है तो उसका इतना ब्याज होगा, और इतनी आपकी चीज बनकर बाजार में इस भाव से बिकेगी, विक्रय कमीशन यह होगा और उद्योग चलाने वाले को इतना फायदा होगा-यह सब है। लेकिन आज तक हमारा कृषि विभाग कृषि के मामले में एक भी लिटरेचर नहीं निकाल सका कि गेहूं की खेती करने में फलां तहसील में, फलां गांव में इतना क्विन्टल गेहूं पैदा होना चाहिये, इतना बीज, इतनी खाद, इतनी मजदूरी इसमें लगेगी, इतनी पैदावार होगी और इतना बाजार में उसका मूल्य मिलाकर इतना उसको नफा होगा। और उस विभाग के लिये यहां विधान सभा में यह कहा जाता है, किसानों के लिये बहुत पैसा खर्च कर दिया। बाहर यह कह देते हैं, किसानों के लिये कर दाता का पैसा लगा है उनको देना चाहिये। जिस प्रकार से वह पुजारी अपना पेट पालता है मूर्ति के नाम से, मूर्ति क्या खा रही है मूर्ति का तो केवल नाम है, उसी प्रकार किसान बेचारा क्या खा रहा है? किसानों के नाम से योजना चलाने वाला यह कृषि विभाग आज तक किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसको कौनसी फसल बोने में कितना फायदा होगा और कितना पैसा मिलेगा–आज तक नहीं बता पाया।

दूसरा, आपने अभी कृषि विभाग के एक्सपर्ट्स की बात की। मैं भी निवेदन करूं, जसा कि माननीय सदस्यों ने बताया, वैसे ही एक कृषि प्रसार अधिकारी मेरे साथ भी हो गये, खेत में गये, जौ और गेहूं दोनों की फसलें खड़ी थीं, डांगी आई नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि ए.ई.ओ. साहब, यह फसल काय की है, उन्होंने कहा, आप ही बताइये, हमको तो पता नहीं है। जो विभाग फसल को नहीं बता सकता वह किसानों को क्या तो बता सकता है, और क्या उनको बीज दे सकता है, और क्या कर सकता है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आपस में बात नहीं करें।

(श्री उपाध्यक्ष)

(6.18 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री तेजपाल यादव : दूसरी बात निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, इन कृषि उपज मण्डियों में, आज लगता तो यह है कि खर्चा कम हुआ है लेकिन व्यापारी को पड़ता लगाकर खरीदते हैं। आज आपके कृषि उपज मण्डियों के अधिकारी वहां खड़े नहीं रह सकते और व्यापारी कृषि उपज मण्डी के नाम से उस बेचारे की गरीबी, उसकी मुफलिसी, उसकी परेशानी का मखौल उड़ाते हैं और आज भी चबूतरे पर उसकी नीलामी लगाई जाती है। आज नीलामी चबूतरा उसका नाम है, फसल नीलामी का नाम लिया जाता है। वहां जाकर के डिपार्टमैन्ट के अधिकारी खड़े हो जाते हैं नीलामी बोली में, जिस तरह से उसका कोई लेने वाला नहीं, कोई-धनी-धोरी नहीं, उसकी चीज नीलाम होती है उसी प्रकार आज सारे ऑफिसर किसानों की फसल की बाजार में बोली लगाते हैं। कम से कम यह शब्द तो हटा दीजिये, नीलामी शब्द हटा दीजिये कि कृषि उपज मण्डियों में किसानों की फसल नीलाम नहीं होगी। दूसरे, आपने किसानों की बात की। कृषि उपज मण्डियों की मार्फत किसान सम्पर्क सड़क बनाते हैं, बेचारे किसान छकड़ों से, ट्रैक्टर से माल लाते हैं ट्रैक्टर कर्ज लेकर, बैंक से अगर लिया है, तो उसको सड़क की जरूरत ही नहीं है। अकाल पड़ जाय, डावा लग जाय फिर भी बिजली कम देते हैं ये बोर्ड वाले अधिकारी मिलकर इण्डस्ट्रीज को दे देते हैं और लोड शेडिंग के नाम से, उनकी लाइक काट देते हैं। उस चक्कर में किसानों की फसल बरबाद होती है, नष्ट होती है, उसमें आप उसे ग्राण्ट-इन-एड दीजिए तब तो हम मानेंगे कि वास्तव में किसानों के काम में पैसा आ रहा है। सड़कें तो जयपुर में बना दें उसका पैसा भी लिख दें किसानों के नाम, नेशनल हाइवे बन रहे है, उनका भी सारा पैसा लिख दें किसानों के नाम। सारे पैसे से आपके आई.ए.एस. अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, इनको तनख्वाह दे रहे हैं, इनके लिए बंगले बना रखे हैं, ये खर्चा भी किसानों के नाम लिख दीजिये। लिखने को तो आप लिख दीजिये, कहने को तो आप कह दीजिये, लेकिन किसानों को, आप मुझे बताइये, क्या फायदा है? आज किसानों को कृषि उपज मण्डी की आय से जो खाद, बीज और सब्सिडी देते हैं, डावा लग जाय, फसल के रोग, जैसे रोली लग जाय उसको दवाइयां दीजिये, इस तरह से क्षति-पूर्ति कीजिये उस पैसे से। आप पी. डब्ल्यू. डी. से सड़कें बनवायें, उसके पैसे से सड़कें बनाकर आप और लोगों को तो सुविधा देते हैं लेकिन आप किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप वहां अधिकारी भेज देते हैं जिनका आराम से गुजर-बसर होता है। आप किसानों के नाम पर ही सब कुछ करते हैं। आज आई. ए. एस. अफसर को सीड के बारे में क्या मालूम है? आप इन कामों पर उन्हें लगा देते हैं, इनके बारे में उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, इससे घाटा उठाना पड़ता है विभाग को।

(व्यवधान)

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम कृषि

(श्री तेजपाल यादव)

उपज मण्डियों वाले मामले में, कि जितना पैसा है किसान का है, वह किसान को दिया जाये, सड़क वाला मामला हटाया जाय। दूसरी बात, कृषि उपज मण्डियों में नीलामी की पद्धति है उसे आप खत्म कर दीजिये। नीलामी कहकर किसान का कम से कम मजाक तो न उड़ायें, उसकी मजबूरी से लाभ न उठायें। तीसरी बात, कृषि उपज मण्डियों की मार्फत आपके गोदाम की योजना स्वागत योग्य है। जैसा कि मुझे मालूम है, आपने काफी प्रयत्न किया इसके लिये, लेकिन यह सफल नहीं होगी। आपने केन्द्रीय सरकार से बात की थी उस काम के लिये कि हमारे पास काबिल अफसर नहीं हैं, इसलिये पैसों के होते हुए भी आज तक यह योजना लागू नहीं हो पाई है। किसान का माल आज भी बनियों के पास जाता है, वहीं नीलामी हो रही है, व्यापारी माल उठा रहे हैं, आप वह हक किसान को दिलायें। हम किसान आपके साथ हैं। कांग्रेस को राज करने के लिए बिठाया है। क्या यह विरोधी दल वाले आपको यहां बिठाते हैं? हमें यह तो लगे कि हमारे नेता, जिन्हें हमने चुनकर भेजा है वह कुछ किसानों के लिये राहत दिला रहे हैं। दूसरा, पशुपालन की बात है। किसान का फसल और पशु ही जीवन है। आज किसान कहता है कि जीवन जाय पर जवारी न जाय। इस सम्बन्ध में गत वर्ष आपने पशु औषधालय खोले, इस साल नहीं खोले। अगर सरकार के पास बजट में पैसा नहीं तो वह कृषि विभाग के बजट से पैसा लेकर पशु औषधालय खोल सकती है, और कुछ नहीं तो कृषि उपज मण्डियों के बजट से पैसा लेकर औषधालय खोले जिससे किसान का जो जवारी है वह बच सके। आज अगर उसकी गाय या बैल मर जाता है तो उसकी सारी पूंजी चली जाती है। दूसरी बात, डेयरी की योजना है। मुझे यह उम्मीद थी कि वह कुछ फायदा पहुंचायेंगे। मैंने एक बार कहा था कि चेयरमैन साहब ठीक हैं, वह बोले, एम. डी. बढ़िया है, लेकिन इन अधिकारियों से किसान का भला नहीं होने वाला है। आज एक बैल की कितनी कीमत है? चारे का क्या भाव है? गाय या भैंस की कितनी कीमत है? यह देखकर आप हमारे साथ कम से कम न्याय तो करें। या यह कह दीजिए कि ऐसे तो जागीरदारों के समय से, अंग्रेजों के समय से किसानों का काम होता आ रहा है। किसान के परिवार में जन्म लेकर वह मेहनत करता रहेगा, पिटता रहेगा। पहले के जागीरदार लोग ही ठीक थे, वह कम से कम किसान का भला तो सोचते थे, यह अधिकारी लोग तो कभी भी किसान का भला नहीं सोचते। आप कम से कम यह तो तय करें कि इनकी जागीरदारी हटाई जाये। इनकी जागीरदारी पर आज कितना इन्वैस्ट होता है? इन पर पैसा मत बरबाद करो, हमारे पशुओं को नष्ट न कराओ, हमारे जानवरों के दूध का सही उपयोग कराओ।

श्री अध्यक्ष : उनका स्तर इतना ऊंचा था कि उन पर वह भार कम पड़ता था।

श्री तेजपाल यादव : जागीरदारों का स्तर तो फिर भी ठीक था, वह कम से कम दया तो कर देते थे, लेकिन यह तो दया भी नहीं करते। तो जो किसानों की समस्या है, चाहे डेयरी के संबंध में हो, चाहे बीज

(श्री तेजपाल यादव)

निगम के संबंध में हो, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप उसको ठीक कीजिये । अगर आपका यह डिपार्टमेंट ठीक नहीं हुआ तो ईश्वर भी किसान की हालत ठीक नहीं कर सकता, लोग हताश हो जायेंगे । आपसे ठीक नहीं होता तो इस डिपार्टमेंट को खतम कर दें, मुख्यमन्त्री जी से कह दें कि खेती के नाम से नहीं पशु पालन के नाम से ही, दूसरे नाम से विभाग खोलकर इन अधिकारियों को तनख्वाह देते रहिये । मेरा तो यही अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपाल सिंह ।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज जो कृषि के ऊपर चर्चा हो रही है उसमें मेरा निवेदन है कि भारत के अन्दर 80 पर्सेंट लोग खेती करते हैं जबकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां 13 या 15 पर्सेंट लोग खेती करते हैं । 80 प्रतिशत जहां खेती होती हो और जिस देश में 35 वर्ष की आजादी हो वह देश अगर कृषि उपज की चीजें विदेशों से ले, तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : वह कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, वह देखते हैं कि कृषकों को बहुत फायदा है ।

श्री भूपाल सिंह : इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि कृषकों को आवाज निकालने का मौका नहीं दिया जाता । हमारे साथियों ने क्या कहा ? हमारे भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के कृषक और मजदूर से जेल का कैदी अच्छा है । इससे बुरा और क्या हो सकता है ? राष्ट्रपति भी चिन्तित हैं, सदस्यों को भी चिन्ता है लेकिन उनको उस दरवाजे में घुसना पड़ता है । इसलिये यह कितनी भी मांग रखें, कितना ही विरोध करें सुनेगा कोई नहीं । जब तक कृषक को उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तब तक वह खुशहाल नहीं हो सकता; जब तक कृषक खुशहाल नहीं होगा तब तक भारत खुशहाल नहीं है, राजस्थान खुशहाल नहीं है और यह आजादी अधूरी है । आजादी के दीवाने जिस बात के लिए लड़े और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने जैसा सोचा था, उसका उल्टा हो रहा है । भारत के अन्दर इतना अन्तर है कि एक आदमी को हवाई जहाज–मिलता है और एक पैदल चलता है, पांव में जूता तक नहीं है ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, यह ठण्डी हवा तो बन्द करायें ।

श्री अध्यक्ष : एयरकण्डीशन कोई मेरे कहने से थोड़े ही चलता है ?

(व्यवधान)

श्री भूपाल सिंह : एक आदमी हवाई जहाज में चलता है और एक पैदल. उसके पास जूता भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कोई एयरकण्डीशन में काम करता है, कोई धूप में करता है ।

श्री भूपाल सिंह : किसान तो धूप में काम करता है ।

श्री अध्यक्ष : हम एयरकण्डीशन में काम करते हैं ।

श्री भूपाल सिंह : तभी तो यहां बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से मौका दिया मुझे कहने का और बैठने का, नहीं तो, आने ही कहां देते हैं। यहां मैं अर्ज करने जा रहा था, मेरा कहना यह है कि उस खाई को पाटने के लिये कृषि के साधनों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये तभी वह खाई पट सकती है। लेकिन आज 35 वर्ष के बाद भी किसान इतना कर्जदार है, जितना आजादी से पहले नहीं था। वह चाहे सरकार का कर्जदार हो, चाहे साहूकार का, उसकी हालत नहीं सुधरी। उसका कारण यह है कि उसको मेहनत का फल नहीं मिलता, वह इसलिये नहीं मिलता कि भारत के अन्दर पैदा करने वाले किसान को 142 रुपये गेहूं की कीमत दी जाती है और विदेशों से जो गेहूं आता है वह 70-90 रुपये क्विंटल पड़ता है। घरवालों को तो कम पैसा देंगे और अधिक पैदावार बढ़ायेंगे नहीं लेकिन दूसरे देशों से आया हुआ अनाज भले ही महंगा पड़े वह बर्दाश्त है। उसका ऋण, उसका ब्याज दर ब्याज होकर वह इतना महंगा पड़ेगा कि भारत कर्जदार हो जायगा। इसलिये किसान को गन्ने की कीमत उसके अंदर जो शक्कर बैठती है उसके हिसाब से दी जाय. मैं यह कहूंगा तो यह नाराज हो जायेंगे। बाकी, जनता पार्टी के राज में 15 रुपये क्विटंल, 12 रुपये क्विटंल गन्ना लिया और अब 20 रुपये में ले रहे हैं यह घपला कहां है? कहीं न कहीं तो है। और घपले की बात छोड़िये तो भी भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने गन्ने की फसल की कीमत जो 30 रुपये, 32 रुपये क्विटल बांधी वह हमारे प्रोविंस में 30 रुपये क्विंटल ली गई। उसके लिये यह कह दिया गया होगा कि गन्ने की शक्कर कम बैठती है। इसकी जांच कहां, पड़ताल कहां. जैसी जांच हमारी कृषि की होती है और जैसा मुझ से पूर्व लोगों ने कहा। तो भारत सरकार ने जो रेट मुकर्रर की उससे भी कम रेट दी गयी। बहुत से प्रोविंसेज ने उसमें मिलाया है, जैसे गेहूं में मिलाया है। 10-15 दिन पहले सेंटर ने मना कर दिया कि कोई प्रोविंस सहायता नहीं कर सकता, मतलब भाव अधिक नहीं दे सकते। लेकिन उस समय भाव देना तो दूर रहा सही भाव भी नहीं मिला।

आज, जैसे अफीम है उसमें काश्तकार कमाता है, 125 रुपये से 200 रुपए की कीमत उसे मिलती है। सरकार की ड्यूटी 800 रुपये किलो है। फिर भी यह कहा जाता है कि किसान टैक्स नहीं देता। हिंदुस्तान में 90 प्रतिशत टैक्स किसान देता है, एक इनकम टैक्स ही ऐसा है जो डायरेक्ट उसकी कमाई से नहीं जाता है बाकी सब टैक्स किसान पर लगते हैं। इस खेती को उद्योग के रूप में लिया जाय। आज एक कारखाने का मालिक कहता है कि मजदूर को 100 रु. दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन उसके बाद, मेरा मुनाफा कितना है वह निकाल कर दो। जो 4 रुपए मिनिमम वेजेज थी उसको 10 रुपए कर दिया, खाद के डबल भाव कर दिये, बीज का डबल भाव हो गया, कपड़ा उससे डबल हो गया, हर चीज, जो किसान पैदा करता है, वह भी सस्ते मोल पर वापस नहीं मिलती है, वह 4 गुनी कीमत पर मिलती है, 8 गुनी कीमत में। तो जब तक इसका नफा—नुकसान देख कर कीमत न दी जाय, किसान तरक्की नहीं कर सकता।

(श्री भूपाल सिंह)

उपज किसान की घटी है, पहले खाद का उपयोग शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त ज्यादा थी लेकिन आज देशी खाद का उपयोग नहीं होता है तो उपज काफी घट गई। मैं खेती करता हूं इसलिये मुझे मालूम है–पहले जहां 10 बोरियां गेहूं की होती थीं आज वहां 3 बोरियां होती हैं, मेहनत उतनी है। जब हर प्रकार का खर्चा बढ़ गया, पैदावार कम हो गई, कीमत आप उसको कम दें, तो मेरे खयाल से, दूसरी खेती नहीं कर सकते क्योंकि उधर तो मिनिमम वेजेज 4 से 10 रुपए हो गई, और चार्जेज डबल हो गए, खाद की कीमत डबल हो गई, बीज मिले नहीं और मिले तो डबल रेट हो जाय या कुछ बढ़ाई जाय। फिर वह किसान कैसे पनपेगा? फिर तो वही रह जाएगा। गरीब को मत मारो, गरीब रो देगा, आपको गरीब की हाय लग जाएगी, वह मर जाएगा। वही समस्या है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं क्या होता है और कहीं क्या होता है। राज भवनों में बैठने वाले इस बात को नहीं सोचेंगे। किसान के घर कभी जायें नहीं और वहां ऑफिसर और दूसरी जनता माला पहनाने के जोश में फसल नहीं देखती, न गरीब के फटे कपड़े क्योंकि मीटिंग में वह आएगा तो अच्छे कपड़े पहनकर आएगा। बेचारा गरीब है इसलिये अपनी इज्जत छिपाता है। किसान के लिये मण्डी बनी और कहा गया कि उस मण्डी से किसान को फायदा होगा लेकिन लूट तो वह–की–वह रही क्योंकि वहां दो किलो बोरी का काटा काटा जाता था। गत वर्ष मैंने प्रस्ताव दिया था उसके बाद कृषि मन्त्री जी ने ऑर्डर देकर उसके बराबर वजन के लिए लिखा है। नहीं तो देख लिया जाय; एक किलो दाना 10 रुपये का होता है और 10 रुपये वह वजन में निकालता है।

इसके अलावा दूसरा रहा हम्माल का सवाल। वहां जब तोलने वाले, आढ़तिया, खरीददार रहते हैं तो उनको भी आप मण्डी में क्यों नहीं रखते हैं? और रखते हैं तो रोटेशन से क्यों नहीं रखते हैं? ताकि रामचन्द्र हम्माल, प्रेमचन्द हम्माल, नाम कुछ भी हो वहीं सेट माल तुलवाले। रोटेशन से क्यों नहीं तुलवाया जाता है कि अमुक माल इस जगह पर तुलेगा, अमुक यहां तुलेगा? रोटेशन में जिनका नम्बर आये वही तुलाये, उनके साथ गड़बड़ न हो, यह मेरे सुझाव हैं।

इसी तरह से पेमेंट के बारे में भी। मंडी के अन्दर हालांकि लिखा हुआ है कि एक हजार रुपये से नीचे वाले पेमेंट उसी दिन हो जायं, बाकी तीन दिन के अन्दर हो जायं, लेकिन प्रैक्टिकल में यह नहीं होता है। उसका कारण यह है कि आपके मंडी के कानून में लिखा हुआ है कि किसान की फसल को बचाने के लिये दलाल अपने पास पेमेंट रोक सकेगा। तो वह दलाल किसान को पेमेंट देर में करता है। इसलिये महीने-महीने, दो-दो महीने, 10–10 दिन, 20–20 दिन उनको घूमना पड़ता है तब पेमेन्ट मिलता है। इसलिये दलाल शब्द को हटाया जाय। किसान अपनी फसल लाये, वहीं मंडी में रखे, मंडी का आदमी उसकी बोली लगाये या उसको बेचे और उसी समय मंडी के अ. उस आदमी को वक्त पर चैक मिल जाय तो, न वह सेठ के द्वार पर जायगा, न

(श्री भूपाल सिंह)

खरीददार के द्वार पर जाएगा, बैंक से पैसा ले लेगा। जितनी जगह मंडियां हैं, करीब-करीब सभी जगह आपकी को-ऑपरेटिव बैंक्स हैं उन बैंक्स को मंडी में रखा जाना चाहिये। उसका किसान से ताल्लुक है, उसे उधार लेना है, किसान के लिये ही वह बैंक है, लेन-देन सब वहां होता है। तो किसान को उपज का चैक मिलते ही अपने खाते में जमा करा दे, कैश ले ले जैसी भी विधि हो, कैश से चुकारा न हो तो बैंक से हो, होना चाहिये ताकि कम ज्यादा हो तो ठीक हो जाय। हमारा किसान भोला है, यहां तक कि, मैंने देखा है, एक सौ रुपये, एक हजार रुपये कम दे दिया और दूसरे दिन जाकर उसने लिया।

श्री अध्यक्ष : इतना भोला नहीं है।

श्री भूपाल सिंह : इतना भोला है, हुकुम, सही अर्ज कर रहा हूं। किसान को सामने लाकर आपसे बात करवा सकता हूं और 4 शहादत पेश कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने देखा है, पैसे के मामले में, लेन देन में तो वह बहुत होशियार है।

श्री भूपाल सिंह : हिसाब में तो वह हिसाब की गड़बड़ सब साफ हो जायगी। बाई चैक दो। क्यों कैश से दिलवाते हो? क्यों उसके दावे भेजते हो? जहां किसान के डवलपमेंट की और मंडी को सड़कों की बत आई तो मैं जानता हूं, मंडी की तरफ से एक भी सड़क नहीं बनी। वैसे डवलपमेंट का जो यहां बजट प्रस्तुत किया गया, वित्त मन्त्री ने उसमें बताया, बड़ी बहादुरी के साथ, कि हम किसानों और पंचायतों का डवलपमेंट कर रहे हैं और इस साल के प्रोग्राम में 88 सड़कों, 88 ग्राम पंचायतों को सड़कों से मिलायेंगे। तो मेरी अर्ज है कि राजस्थान में लगभग 7–8 हजार पंचायतें हैं, अगर 88 पंचायतों को एक साल भर में मिलायेंगे तो 70 वर्ष में पूरे राजस्थान को मिला सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इतनी बची हुई हैं। बाकी हैडक्वार्टर्स से जुड़ी हुई हैं।

श्री भूपाल सिंह : अभी 88 बची हुई हैं। इस साल 88 पंचायतों को मिलायेंगे। और 7 हजार से ऊपर पंचायतें हैं तो 70 वर्ष में उनका प्रोग्राम पूरा होगा। वाह रे वाह, डवलपमेंट हो गया हमारे राजस्थान का!

(व्यवधान)

श्री भूपाल सिंह : उन्होंने कहा, 88 पंचायतें इस साल मिलायेंगे। यह है मेरे पास कागज मौजूद।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, बातें न करें।

श्री भूपाल सिंह : जैसे, किसान के लिये गोदाम का प्रोविजन है, मैं ऐसा मानता हूं कि, है। लेकिन गोदाम किसी काश्तकार

(श्री भूपाल सिंह)

के काम में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें उसकी उपज को रखकर जो पैसा देना चाहिये वह दे नहीं रहे हैं। सवाल आता है, वह सिचुएशन मंत्री महोदय भी ठीक कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो करोड़ों रुपये किसान को उधार दिया जाता है, वह किसी भी तरह कोआॅपरेटिव बैंक ही उसको दे सकती हैं किसान को कीमत ठीक मिलने का यही एक रास्ता है।

इसके अलावा आगे अर्ज करूं, किसान जो है उसकी फसल किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अभी यहां पर मेरे पूर्व जितने भी वक्ता थे, उन्होंने बताया कि आफिसर क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हर ग्राम पंचायत के अन्दर एक ग्राम सेवक बैठा रखा है, वह वहां पर 24 घण्टे रहता है, कभी-कभी छुट्टियों में जाता है, बाकी वहां पर ही रहता है। उसको सब कुछ मालूम है। क्या उसको मालूम नहीं है कि रोली कब आई या अमुक बीमारी कब आई या आने वाली है। एक जगह वह बीमारी देखता है और अगर उसको रोकने के लिये वहीं पर व्यवस्था कर दे तो इतनी बीमारी फैल नहीं सकती। एक दिन में तो नहीं क्योंकि कीटाणू ओस फैलती है। आज तक इतनी बीमारियां फैलीं लेकिन किसी अफसर से यह नहीं पूछा गया कि यह बीमारी क्यों फैली और न ही किसी आफिसर ने उस ग्राम सेवक को पूछा कि यह बीमारी क्यों फैली। आफिसर ने इसलिये नहीं पूछा कि अगर वह ग्राम सेवक पूछता तो वह सोचता है कि खुद फंसेंगे कि तुमने यह क्यों नहीं किया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप किसी की जिम्मेदारी मुकर्रर कीजिए। कहीं भी अगर कोई बीमारी फैलती है तो वहां जो आदमी है, जो आॅफिसर है उसकी जिम्मेदारी होगी उस बीमारी के बारे में। आज, अध्यक्ष महोदय, कहीं पर हैजा फैल जाय, उसमें हजारों आदमी मर जायं और उसके बाद में, अगर आप हैजे के टीके लगाते हैं तो फिर क्या फायदा? अगर एक ही आदमी है जो हैजे से मर जाये और उसी वक्त उसका इलाज हो जाये तो हमारे यहां पर हजारों लोग बच सकते हैं। इसी तरह अगर फसल की बीमारी को रोक दिया जाता है तो लाखों करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। आज हमारे यहां पर घाटा हो रहा है। आज जानवर हमारी फसल को खा जाते हैं या बीमारी से फसल खराब हो जाती है, दूसरे प्रकोप होते हैं तो यह सब प्रकृति पर डिपेन्ड करता है। हमारे यहां का किसान कहता है कि भगवान ने दिया है। वास्तव में भगवान ही देता है। कई बार पकी-पकाई फसल ओला-वृष्टि से नष्ट हो जाती है, बीमारी से नष्ट हो जाती है। इसलिये हमारे यहां पर मैथिली शरण गुप्त ने भी भारतीय किसान के लिये कहा है कि क्षुब्ध है पर दयाद्र है। प्रकृति और साधनों के हिसाब अगर उसकी मेहनत को देखें तो एक रुपये रोज या डेढ़ रुपये रोज की मजदूरी उसके हिस्से में पड़ती है। वह मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी एक सब्जी और नमक मिर्च या छाछ से रोटी खाता है। आज खेती में काम करने वाले 99 प्रतिशत लोगों की, आप देखें.

(२०२)

(श्री भूपाल सिंह)

हालत ऐसी ही है। लेकिन आप अमीर काश्तकारों का दण्ड इन गरीब काश्तकारों को दें तो यह आपका अन्याय है। ज्यादा प्रतिशत गरीब काश्तकारों का है और उनका एक रुपये या डेढ़ रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं है। वह जाड़ा पहनता है, और मोटा खाता है, फिर भी उसके ऊपर कर्ज है। इसका मतलब यह है कि उसको एक दो रुपये से ज्यादा मेहनत नहीं मिलती है। चाहे आप कानून बनाकर यह कह दें कि दस रुपये रोज उसको मिलेगा लेकिन दस रुपये रोज उसको मिलता नहीं है, वास्तव में उसको कुछ नहीं मिलता है।

श्री रामसिंह : हो गया सा""।

श्री भूपाल सिंह : खाद, बीज और दूसरी औषधियों के बारे में, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब चीजें सरकार के माध्यम से ही दी जायं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो, होता यह है कि आज 80 प्रतिशत दवाइयां फर्जी मिलती हैं। इन फर्जी दवाइयों से जहां आज हजारों लोग मर रहे हैं और फसल बर्बाद होती है लेकिन उसकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तकनीकी सहायता की बात यहां पर कही जाती है, मैं समझता हूं, पैदावार की जांच के लिये खेतों की मिट्टी का नमूना लेकर जिस प्रकार की कमी हो उसको अगर पूरा किया जाय तो अपने यहां की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। वैसे जो कमी है वह क्या है? वह तो खाद की कमी है। हमने ऐसा सुना है कि जोधपुर या उदयपुर में यूनिवर्सिटी है या कालेज है वहां इसकी जांच होती है। लेकिन हमने तो आज तक किसी प्रकार के नमूने की जांच होकर जवाब आते नहीं देखा। पंचायत समिति के थ्रू देकर देख लिया और खुद ने भी नमूने लेकर उदयपुर में घूम-घूम कर पूछ लिया कि कहां जायं पर कुछ नहीं हुआ। थैले में लेकर जो मिट्टी गये थे वह वहीं पर खाली करके आये। आज हमारे यहां पैदावार गिरती जा रही है, जमीन की उपज कम हो रही है क्योंकि उसमें जिस खाद की जरूरत है वह खाद नहीं दी जा रही है और जिसकी जरूरत नहीं है वह खाद उसमें दी जा रही है। इसका नतीजा यह है कि पैदावार समाप्त हो रही है। अगर सही खाद दी जाय तो अच्छी उपज हो सकती है। अगर खराब खाद दी गई तो हमारे यहां पर उपज खतम हो जायेगी। इसलिये खेत की मिट्टी की उपज की जांच करके ही उसमें व्यवस्था की जाय। आज होस्पिटल्स में, जहां पर टट्टी और पेशाब तथा हृदय तक की जांच हो सकती है, तो क्या मिट्टी की जांच नहीं हो सकती है? इसमें कोई स्पेशल इन्जेक्शन की जरूरत नहीं है। कोई भी मामूली बाबू यह जांच कर सकता है, कोई कम्पाउन्डर ही कर सकता है, वैसे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर लम्बा कर दिया जाय तो बात अलग है बाकी कोई भी जांच कर सकता है। इसके लिये आप जगह-जगह साधन सुलभ करायें ताकि खेती की मिट्टी की जांच हो और उस कमी को पूरा करके ज्यादा फसल हो सके। यह सुझाव जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक जमीन बिगड़ती जायेगी। आपने कहा कि चुड्डा बन्दी करके जमीन को भोगेंगे, वह भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा, किसानों का क्या, छोटे-मोटे सभी बराबर हैं, इनकम टैक्स देने वाले नहीं हैं और अब तो इनकम टैक्स कोई किसान नहीं

(श्री भूपाल सिंह)

देता। खेती के यन्त्र, आधुनिक साधन आप जब तक पूरे उपयोग में नहीं लायेंगे तब तक इस युग में आप टिक नहीं सकेंगे। हल वगैरह से खेती करना अब प्रोफिटेबल नहीं है और इसके द्वारा खेती करने से कभी भी जमीन व किसान पनप नहीं सकता है। किसान को रोटी, कपड़ा भी मिल जाय तो गनीमत है बाकी तो वहीं एक-दो रुपये की मजदूरी का मजदूर है। वैसी मजदूरी तो वह कहीं पर जाकर करेगा तो उसको दस रुपये की मजदूरी मिल सकती है। लेकिन वह वहां से निकल नहीं सकता है क्योंकि वह उलझा हुआ है, किसान को बुरी तरह से उलझा रखा है। उसको मुक्ति मिल जाय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

पानी के बारे में यह निवेदन है कि असली व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। बड़े-बड़े बांध सरकार बनाने की बातें करती है और छोटे बांधों के कामों को हाथ में नहीं लेती है। अगर छोटे-छोटे बांध बन जायं तो कम खर्चे में अधिक पैदावार हो सकती है। वह समय पर खाली भी हो सकते हैं और उनके अन्दर सिंचाई भी हो सकती हैं। लेकिन छोटे बांधों के बारे में नहीं सोचा गया, यह खेद की बात है। ट्यूब-वेल्स खुदवाने के लिए अनुदान राशि में करोड़ों रुपये का खर्चा किया जा रहा है उसके बजाय सरकार खुद ही ट्यूब-वेल्स खुदवा करके वहां पर सिंचाई करावे तो बहुत फायदा हो सकता है। कुओं को खुदवाने में दस हजार रुपये लगते हैं इतने पैसे उनके पास नहीं हैं अतः अगर आप अपनी तरफ से ही ट्यूब-वेल्स खुदवा कर वहां पर ट्यूब-वेल्स से सामूहिक सिंचाई करावें तो बहुत अधिक फायदा जनता को हो सकता है। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र निम्बाहेड़ा में एक बाड़ी बांध है, वह पुराने समय का बांध है, उसको मानसरोवर के नाम से जाना जाता है उसको अगर ठीक करा दिया जाय तो उससे कई गुना अधिक जमीन में खेती सिंचाई के माध्यम से हो सकती है। वह बांध जगह-जगह से टूट गया है उसको बांधने की सख्त जरूरत है। इस सम्बन्ध में पहले भी मैंने निवेदन किया था, पर वहां पर कोई कुछ काम नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि इनको यह शिकायत है कि मैं वहां से चुनकर क्यों आया। अगर आप उस बांध का काम 8 दिन में चालू कर दें तो मैं आज ही इस्तीफा देने की घोषणा करने को तैयार हूं। इसका कारण यह है कि उससे 200 गांवों में सिंचाई हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसी कोई घोषणा मत कर देना क्योंकि यहां पर मन्त्री जी घोषणा तो कर देंगे।

श्री भूपाल सिंह : क्यों ? हुकुम, तो मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : घोषणायें तो यहां पर रोजाना होती हैं।

श्री भूपाल सिंह : बांध का काम अगर चालू हो जाय तो ?

श्री अध्यक्ष : चालू भी हो जाय तो भी नहीं, पूरा हो जाने के बाद।

श्री भूपाल सिंह : पूरा नहीं, हुकुम, सिर्फ चालू कर दें। इससे दो सौ गांवों को पानी मिलेगा और फसलें होंगी। मैं तो, साहब, भावुक हूं और मेरे हृदय की पुकार है कि अगर बांध का काम शुरू हो जाये त

(२०५)

(श्री भूपालसिंह)

इस्तीफा दे दूं, तो मुझे कोई दुःख नहीं। क्योंकि, हुकुम, उसके बन जाने से हजारों कुओं में पानी हो जायेगा और बहुत सारी फसल पैदा होगी। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, कहते हैं बिजली आ गई लेकिन बिजली आवे तो पानी नहीं है और पानी है तो बिजली नहीं है, इस प्रकार लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बांध बनाया जावे। मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हुकुम, न मुझे पेन्शन चाहिए, न मुझे तनख्वाह चाहिए, मैं काश्तकार का भला चाहता हूं। उनके सहारे जिन्दा रह जाऊंगा। बस इतनी बात कह कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने मन्त्रीजी को दिये हैं उन पर मन्त्रीजी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन दोनों ही भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत ही आवश्यक हैं. जहां पर 80 प्रतिशत जनता कृषि और पशु पालन पर निर्भर करती है। अपनी पुरानी यहां पर एक कहावत है, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का किसान ऋण में ही जनमता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मरता है। इस देश के किसान की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई तरीका निकालें जिससे किसान आत्म निर्भर हो सके। जो सरकार के प्लान हैं उसके मुताबिक तो देश में खुशहाली हो जायेगी लेकिन मौजूदा हालात के अन्दर जो तरीके हैं, उनके आधार पर तो किसान की खुशहाली की कोई सम्भावना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सुनाऊं, अपने यहां पर जो अंग्रेजी में कहावत है--India is a rich country, inhabited by poor people.

गरीब किसान है, वह जब तक संगठित नहीं होगा, लेकिन जैसी कि सरकार की भावना है कि सरकार ही किसान की फसल के भाव तय करे कि इस भाव से फसल बेची जायेगी, अगर यह स्थिति रही तो किसान, जो कि सदियों-सदियों से गुलाम रह चुका है वह कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए आप लाख कोशिश कर लें, चाहे कमला जी कोशिश कर लें, चाहे राजस्थान की सरकार कोशिश कर ले, चाहे हिन्दुस्तान की सरकार कोशिश कर ले। माननीय सदस्यों ने और मैंने पिछले तीस सालों में पूरे हिन्दुस्तान में कई तरह के सुझाव दिये पर किसी सुझाव पर आज तक अमल नहीं हुआ है। कुछ तो बातें ऐसी हैं जो हमारे मन्त्री महोदय के हाथ में नहीं हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कि सरकार नहीं करना चाहती है और जो सरकार करना चाहती है उसको इम्पलीमेंट करके हमारे जो माननीय सत्ताधारी हैं, असली सत्ताधारी हैं वह हैं आई. ए. एस. अधिकारी, वह कभी गरीब को खुशहाल नहीं होने देंगे, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इससे उनको प्राप्ति होती है। बाकी, तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा किसान अच्छी तरह से पनप सके या हमारा किसान खुशहाल हो और वह हिन्दुस्तान ही नही दुनिया में चोटी पर पहुंच जाय, तो उसका तरीका है भारत सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठित हों। संगठित होने का, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरीका है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात, बीज की बात, खाद की बात है कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने जोधपुर में सुना होगा, आप जोधपुर में पधारते हैं, वहां ग्वार गम की फैक्ट्री लगी हुई है, अपने मारवाड़ में कहावत है—गेहूं सूं महंगी गवार, मिनखां सूं महंगी। इसके बाद बुरी बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। गेहूं के भाव तो हिन्दुस्तान के अन्दर 100 रुपया क्विन्टल और ग्वार के भाव हिन्दुस्तान के अन्दर, राजस्थान के अन्दर और जोधपुर के अन्दर 300 रुपया क्विंटल। हमारी कृषि के जो पण्डित हैं, जिनके ऊपर 2000–2500 रुपये खर्च होते हैं प्रति महीने के दस-दस और पचास-पचास हजार रुपये के बाजरी के, कपास के, मिर्च के, बीसियों तरह के अच्छे, उन्नत किस्म के बीज निकालते हैं लेकिन ग्वार के अन्दर उनको मालूम है कि जब हम ग्वार बोयेंगे, पकेगा तो 300 रुपया क्विन्टल में कोई भी व्यापारी ले लेगा। बाजरे की फसल नहीं बोई, मूंग और मोठ नहीं बोई, बस ग्वार बोई। आज हमारे राजस्थान के किसान को मालूम है कि हमारे रायड़े का, सरसों का भाव 300–400 और 500 रुपये क्विन्टल है। जिस खेत में गेहूं, जौ, मिर्च सब कुछ होता था वहां सबको बन्द करके ग्वार बोना शुरू कर दिया। इसलिए इसमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, कोई अच्छे बीज की जरूरत नहीं है, इसमें अधिकारियों को रखने की जरूरत नहीं है। आज करोड़ों रुपये इनके ऊपर खर्च करते हैं। मैं अगर कृषि मन्त्री होता, मैं राजस्थान का मुख्य मन्त्री होता तो सब आदमियों को खेती में एजेन्ट बना देता, वह खाद बेचते या और कुछ करते। आप सिर्फ एक काम करें कि हम राजस्थान के किसान को, जो गेहूं बोयेगा उसको 250 रुपये या 300 रुपये क्विंटल से खरीदेंगे। आज किसी तरह के अधिकारियों की जरूरत नहीं है, किसी बात की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो लाख कोशिश कर लें अन्य तरीके से कभी भी किसान आत्म निर्भर नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पांच-छः महीने के अन्दर दूध के भाव, जो 1 रुपया और 1 रुपया 25 पैसे थे, आज हिन्दुस्तान की सरकार ने, राजस्थान की सरकार और डेयरी फैडरेशन ने बढ़ाकर उसको 2 रुपया 5 पैसा और 2 रुपया 25 पैसा कर दिया। आज राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल है, पशुओं के लिए चारे और पानी की तंगी है, उसके बावजूद राजस्थान के अन्दर पिछले तीन महीने के अन्दर साढ़े तीन लाख लीटर पर-डे दूध पैदा हुआ है, फैडरेशन के माध्यम से हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गाय और भैंस के दूध के बदले में, किसान को मालूम है कि मुझे एक रुपये की प्राप्ति भी नहीं है, तो लाख कोशिश करें चाहे इन्दिरा गांधी देश की प्रधान मन्त्री कोशिश कर लें, राजस्थान की सरकार कोशिश कर ले, दूध की पैदावार नहीं बढ़ सकती। घर में घाटा उठा करके कोई भी उस पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। जब किसान को मालूम होगा कि मेरी गाय और भैंस से मुझे 20 रुपये की प्राप्ति प्रति दिन हो सकती है तो पूरी शक्ति से, अपने बच्चे से लेकर मां बाप तक उसकी सेवा करेंगे और उससे प्राप्ति होगी। प्राप्ति

(श्री रामसिंह विश्नोई)

का एक और तरीका है, राजस्थान सरकार, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, भारत सरकार के हाथ में है, वहां जाकर दूध की कीमत अच्छी बढ़वाये। दूध की कीमत अच्छी बढ़ायेंगे तो हास्पिटल की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ठीक कहूंगा कि हास्पिटल में तो तब जाने की जरूरत पड़ती है जब राजस्थान का पशु-धन बीमार होता है। चारे और पानी के अभाव में हास्पिटल में जाते हैं। बाकी तगड़ी गाय होती है, तगड़ी भैंस होती है, और लाख कोशिश करने के बाद भी यह रोक नहीं सकते हैं, हार्ट फेल होकर यों ही मर जाती है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान को अच्छे भाव मिलने चाहिए। दूध के भाव अच्छे हों, फसल के भाव अच्छे हों, गेहूं के अच्छे भाव हों। जब अच्छे भाव होंगे तो अपने आप ही अच्छे-से-अच्छे बीज, अच्छे से-अच्छा सब कुछ लेकर किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा। बाकी हजार बातें करने की कोशिश करें कभी किसान आत्म-निर्भर नहीं हो सकता क्योंकि परिस्थितियां हैं, उसके अन्दर किसान खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं है और जो मौजूदा प्रक्रिया है, मौजूदा प्रशासन है वह भी कतई किसान को ऊपर उठाने के पक्ष में नहीं है। अगर आप यह चाहते है तो आप भारत सरकार से मिलकर किसान को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छी-से-अच्छी फसल की कीमत उसे दें ताकि किसान ज्यादा-से-ज्यादा मात्रा में खेती करे। उसको मालूम पड़ने के बाद वे तीन चार महीने के अन्दर घी और दूध की नदियां बहा देंगे और देश के अन्दर इतना उत्पादन कर देंगे कि उसको भारत के अन्दर ही नहीं दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : घी दूध की नदियों में तो साल भर लगेगा क्योंकि इस साल पशु ग्याबन नहीं हो रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बोलूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा था इसलिए मैंने समाप्त कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा समय लूं इस मामले में। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर अकाल की भयंकर स्थिति है। एक छोटी सी बात है, जिसे मंत्री महोदय भूल जाते हैं कि आज राजस्थान के अन्दर पशु चारे और पानी की भयंकर स्थिति है, आज गांवों के अन्दर किसानों की माली हालत खराब है। आप और हम चाहते हैं कि यहां का किसान, यहां का पशु-पालक बचे लेकिन बचने के आसार नहीं हैं। और आने वाले महीनों में जेठ, बैशाख, असाढ़ और सावन तक, यह चार-पांच महीने हैं जो कि पशुओं के मरने का समय है। किसान अपनी पूरी शक्ति और पैसा खर्च करने के बाद भी जानते हैं कि गाय और भैंसों का जेठ, असाढ़ में जब तक उनका अंत होगा तब तक हमको उनको फीड-अप करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, घर की पूरी सम्पत्ति खर्च करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि पशुपालक बचें, अगर आप चाहते हैं कि किसान अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जायें तो मेरा निवेदन है कि जो पशु चारा है जिसको डेयरी फैडरेशन 500 टन डेली बनाने की स्थिति में है उसको आप सब्सिडाइज्ड रेट पर किसान को वितरित करा सकें तो बहुत बड़ा कल्याण राज्य का होगा और किसान सदा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आपका ऋणी रहेगा।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

साढ़े सात बजे सरकार की ओर से उत्तर देना प्रारम्भ होगा। उससे पहले एक दो माननीय सदस्य और बोल सकते हैं लेकिन, माननीय सदस्य, का समय का ध्यान रखें।

श्री देवीसिंह भाटी।

मांग संख्या 37, 28 व 39 पर विचार

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोगों का पेट पालने का और परिवार का पालन पोषण करने का अगर कोई साधन है तो एक मात्र पशुपालन है। आज कृषि को ले लें, या किसी दूसरे धन्धे को ले लें, हर एक में यह चीज देखी जाती है कि इसमें रिकवरी कितनी है, खर्चा कितना है, इनवेस्टमेन्ट कितना है और रिटर्न कितना है। अध्यक्ष महोदय, पशुपालन एक ऐसा धंधा है जिसके अन्दर जो हमारा इनवेस्टमेन्ट है, अगर हम उसकी सही देख रेख करें तो कम-से-कम डबल नहीं तो आधा तो निश्चित रूप से उसमें फायदा होगा। उदाहरण स्वरूप, आज हमारे पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर क्षेत्र में भेड़ धन सबसे ज्यादा है। परन्तु भेड़ों की किस प्रकार से आज सरकारी व्यवस्था के द्वारा नस्ल सुधारी जाये, उनके चरागाह का क्षेत्र बढ़ाया जाये, उनके अन्दर जो भी रोग फैलें, उनको रोकने की कोशिश करें—इसकी व्यवस्था ठीक नही है हालांकि व्यवस्था सरकार की ओर से की गयी है। अध्यक्ष महोदय यह एक ऐसा धन है। अध्यक्ष महोदय, आज अगर इसके अन्दर 10 हजार रुपया लगाओ तो साल भर के अन्दर 10 हजार का रिटर्न दे देगा क्योंकि इसके अन्दर खर्चा ही नहीं है। उसके लिए चरागाह हों और अगर अकाल नहीं पड़े तो इतने-का-इतना उसमें पशुपालक को रिटर्न मिल जाता है। लेकिन दुःख इस बात का है कि योजना केवल कागजों में बनती है और उस क्षेत्र में साल-दर-साल निरन्तर अकाल-पर-अकाल पड़ता जाता है।

श्री अध्यक्ष : भेड़ अकालग्रस्त क्षेत्रों में ही आम तौर पर होती हैं दुनियां भर में।

श्री देवीसिंह भाटी : अकालग्रस्त क्षेत्र में तो खैर ज्यादा होती हैं। पूर्वी राजस्थान में भी हैं। अध्यक्ष महोदय, भेड़ों के चरागाह हैं, भेड़ व ऊन विभाग के द्वारा 1–2 चरागाह बढ़ाये जा रहे हैं। उसमें होता क्या है यह तो आप भी जानते हैं और दूसरे माननीय सदस्य भी जानते हैं। अकाल की हालत के अन्दर पशुपालक अपनी जगह छोड़कर कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई गुजरात में और कोई मध्य प्रदेश में जाते हैं। रास्ते में कितनी ही दिक्कतें होती हैं। जगह-जगह झगड़े होते हैं। इन सबका कारण यह है कि इतना खर्चा होते हुए सरकार का चरागाहों की ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। पश्चिमी क्षेत्र का पूरा इलाका, जो मेरे क्षेत्र में है, अनकमान्ड है या दूसरा क्षेत्र है जिसमें सिंचाई के साधन नहीं हैं। खुली

(श्री देवीसिंह भाटी)

जमीन राज्य की है और पड़त भूमि पड़ी है। उसमें चरागाह जमाने की ओर अगर विशेष ध्यान दें तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि राज्य की आय का स्रोत भी बढ़ेगा। अगर पशुपालकों को पालन-पोषण का फायदा होता है तो पांच साल में उसके रिजल्ट्स देखिये। चरागाह बनायेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आयेंगे और यह हरएक के फायदे की बात है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हालांकि डी. पी. ए. पी. की ओर से भेड़ों के चरागाह के सुझाव भी आये हैं, जालौर, नागौर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर में 125 भू खण्डों पर चरागाह के विकास के लिये सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आयोग ने अलग-अलग जगह चरागाह करने की सिफारिश की है परन्तु सरकार की योजना कार्यान्वित नहीं होती है, इस बात का दुःख होता है। फिर ग्रामीण लोग आलोचना करते हैं कि यूं ही पैसा लुटाते हैं। चाहे हमारा पैसा हजारों लगता है, लाखों लगता है लेकिन सही रूप में लगे, इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। आज उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, इसको भी देखें।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों के अन्दर पश्चिमी राजस्थान में बोर्डर क्षेत्र में जितना ऊन हुआ है उतना कभी भी नहीं हुआ। हालांकि इसके लिये अलग-अलग यूनिट कायम कर रखे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से राजस्थान कैनाल में ऊंटों के लिये....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में एक ऊंट पालक के पास 50–50 100–100, 200–200 ऊंट और सांड थे। टोले के टोले थे। अध्यक्ष महोदय, आज किसी के पास में दो साण्ड रह गये, किसी के पास तीन साण्ड रह गये। इसमें लापरवाही किस की हुई है? हालांकि उसने देशी इलाज करवाया लेकिन देशी इलाज लगा नहीं। उसकी पूंजी बरबाद हो गई। ऊंटों के इलाज की किसी की ड्यूटी थी तो वह थी सरकार की। उसको यह सूचना भी मिली कि इस प्रकार ऊंट मर रहे हैं और यह रोग चारों तरफ फैल रहा है मगर, अध्यक्ष महोदय, दूर दराज में जाये कौन? बस लाग बुक भर देंगे, उसकी रजिस्ट्री की कार्यवाही जो करनी होगी, जो लिखा-पढ़ी करनी होगी वह कर देंगे। अगर, अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता तो साल में नहीं दो साल में उसकी बीमारी की रोकथाम के अन्दर जरूर सफल हो जाते। परन्तु यह किया नहीं, घोषणा खूब हुई। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जनता के पैसों का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं होगा तो पशुपालकों को फायदा होगा। राजस्थान के पशुपालक यदि अपना पेट भरते हैं तो देश भी सम्पन्न होगा, प्रदेश भी खुशहाल होगा और राज्य सरकार को भी इन-डाइरेक्ट फायदा होगा।

(श्री देवी सिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में भेड़ के बारे में एक बात कहना भूल गया । मैं निवेदन कर दूं कि पिछले 3 नवम्बर को शीत लहर आई थी, वर्षा हुई जिन भेड़ों की शीयरिंग हुई वह हजारों की तादात में मर गयीं ।

श्री अध्यक्ष : शीयरिंग इतनी जल्दी क्यों करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : चैत में करते हैं हमेशा । लूनकरणसर और बीकानेर क्षेत्र में कर दी । तो, अध्यक्ष महोदय, उन दिनों में शीत लहर आई । शीत लहर के बाद में भेड़ विभाग की ओर से न तो कोई इन्तजाम किया गया, न मौके पर गये और न इलाज किया गया । एक-एक दो-दो दिन गांवों में भेड़ें पड़ी रहीं परन्तु उनके बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया । कहा गया भेड़ें मर गयीं क्योंकि एक प्राकृतिक प्रकोप था । इस प्रकार भेड़ों की मोर्टलिटी इन्क्रीज हुई । अध्यक्ष महोदय, होना यह चाहिये था, जिस प्रकार से पंजाब के अन्दर, हरियाणा के अन्दर अगर फसल के अन्दर ओलों से या अन्य प्रकार से नुकसान हो जाता है तो सरकार तुरन्त उसकी मदद करती है । उसी प्रकार हमारी राजस्थान को भी ऐसी स्थितियों में मदद करनी चाहिये थी ताकि किसान और भेड़-पालक अपने पैरों पर खड़ा हो सके । अध्यक्ष महोदय, एक-एक पशुपालक की सौ,-सौ, दो-दो सौ भेड़ें एक रात में खतम हो गईं । कल्पना कीजिये, उसका क्या हाल हुआ होगा जिसकी 200 भेड़ें एक रात में खतम हो गई हो ।

श्री खेत सिंह राठौड़ : माननीय सदस्य की कितनी हुई हैं, यह पूछ लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि उसमें इन्श्योर्ड भेड़ें भी थीं, उनको तो फायदा होगा लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया । जिसने अपने खून और कड़ी मेहनत से 100-200 भेड़ों का पालन किया उसकी भेड़ें मर गईं तो न तो आपने उसको किसी तरह का अनुदान दिया, न किसी और तरह की सहायता दी । पंजाब और हरियाणा सरकार इस ओर ध्यान रखती है । कहीं फसलों में नुकसान हो जाय तो मदद आप भी कर सकते हैं लेकिन न यहां भेड़ विभाग ने मदद की, न किसी और ने की । मैं चाहूंगा, राज्य सरकार उस रिपोर्ट को देखे जिसमें यह है कि लहर के कारण केवल एक लूणकरणसर तहसील में एक रात में एक लाख भेड़ें मरीं और ढाई हजार गायें मरीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा आज राठी नस्ल है वह सबसे मसहूर नस्ल है इस देश की, प्रदेश की । उस राठी नस्ल सुधार के लिये हालांकि पी. ए. सी. की सिफारिशें आयी हैं । उस सिफारिश में आया है कि साण्ड खरीदें । पता नहीं कितने फन्ड लगाये गये लेकिन न आज साण्ड है, न बिल्डिंग है । कोई रिटायर हो गया, कोई मर गया । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राठी नस्ल बहुत मशहूर नस्ल है, जो थोड़ा खा कर बहुत दूध देती है । उसके रख-रखाव के अन्दर भी कोई

(२१०)

(श्री देवी सिंह भाटी)

दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा निवेदन है कि अच्छे सांण्ड गांवों में दीजिये। विभाग से मदद मिलेगी तो नस्ल में भी सुधार होगा और दूध के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा निवेदन नहीं करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञान सिंह।

श्री ज्ञान सिंह चौधरी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से राजस्थान में और विशेषकर हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी से एक अकाल पड़ा उसकी वजह से फसल में भी कमी आई, बहुत ज्यादा पशुओं का नुकसान हुआ और दूसरी तरफ वर्षा की कमी से किसानों को पानी, बिजली नहीं मिली और गंगानगर में जो नहरें चलती हैं उनसे सिंचाई का पानी नहीं मिल सका, कुओं से पानी नहीं मिल सका इस वजह से किसानों की फसल में पिछले तीन साल में काफी गिरावट आई है और कृषि पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। राजस्थान के अन्दर सिंचाई का मामला, कुओं को बिजली देने का मामला हो या बांधों का मसला हो पिछले 35 सालों में हमारी पिछली सरकारों के द्वारा प्रयास किये गये लेकिन आज भी हम महसूस करते हैं कि राजस्थान के अन्दर किसानों में खुशहाली आनी चाहिये. 35 साल के बाद भी हम किसानों को वह खुशहाली नहीं दे पाये। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारी नीति में और हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ है जिससे हम किसान को खुशहाली नहीं दे पाये। दूसरे– – –

श्री अध्यक्ष : आपके गंगानगर में ही जब यह हालत है तो दूसरे तो....।

श्री ज्ञान सिंह : काफी समय तक गंगानगर जिले के अन्दर पानी की व्यवस्था होते हुए भी किसान खुशहाल नहीं हो पाया। खुशहाल किसान है वह भी बहुत कम हिस्से में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 30 साल, 25 साल बाद हमारे कुछ काश्तकारों की अर्थ-व्यवस्था सही हुई थी लेकिन आज सिंचाई की दरें बढ़ रही हैं और बिजली का खर्चा बढ़ रहा है इस कारण किसी प्रकार का उसको फायदा नहीं हो रहा है। किसान की शान-शौकत तो निश्चित रूप से बढ़ी है लेकिन जिसको हम खुशहाली मानकर चलते हैं वह आज भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि खुशहाली हो तो राजस्थान के किसान की खुशहाली कृषि पर डिपेण्ड करती है, पशु पर डिपेण्ड करती है। कृषि के मामले में मेरे पहले कुछ साथियों ने सुझाव दिये। मैंने भी प्रगति रिपोर्ट पढ़ी है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन कृषि विभाग का प्रोग्राम क्या हो, उसका उद्देश्य क्या हो, शायद हमारी सरकार में इस बात के सम्बन्ध में कन्फ्यूजन है। कृषि का एक बहुत बड़ा निदेशालय बनाकर उसका बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया, उसको जो स्वरूप हमारी सरकार द्वारा दिया गया मैं तो मानता हूं कि बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा है जिस पर खर्च कर रहे हैं, यह बेकार है। पहले हमारी पंचायतों और पंचायत समितियों को एक्सटेंशन का काम दिया हुआ था लेकिन आज एक्सटेंशन का काम उनके पास नहीं है। गांवों के अन्दर पंचायत समितियों के जरिये कुछ काम हुए, पंचायत और पंचायत समिति के द्वारा किये गये काम देख रहे हैं लेकिन जब विभाग द्वारा उस काम को लिया गया तब से काम निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता

(श्री ज्ञानसिंह)

हूं हमने 20 संकल्प की मीटिंग में यह बात रखी थी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं उनको एक महीने की तनख्वाह देने के सिवाय कोई प्रोग्राम नहीं है। यदि उन्हें न भी रखा जाय तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के कृषि विभाग के अन्दर एक तरह से मूलभूत परिवर्तन करना होगा। आज जोइन्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की आखिर आवश्यकता क्या है? हमारी सरकार ने फैसला किया है कि एक्सटेंशन का काम हम पंचायत समिति को देना चाहते हैं। तो एक्सटेंशन का काम वह करे। दूसरी तरफ जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी उसका कोआर्डिनेशन करें। फिर न जोइंट डायरेक्टर की आवश्यकता है, न डिप्टी डायरेक्टर की आवश्यकता है और न निदेशालय की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ एक्सटेंशन का कार्य होना चाहिये था। पड़ोस में हिसार के अन्दर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा छोटा प्रदेश है लेकिन वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तरह तरह के प्रसार के कार्य किये जाते हैं, अनुसंधान के जरिये अच्छे बीज मिलें, किसान को अनुसंधान के जरिये अच्छी खाद मिले, औषधियां मिलें इस काम को हरियाणा सरकार कर रही है और किसानों की खुशहाली बढ़ाने में मदद कर रही है। हमारे यहां इतना बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है इसमें अनुसंधान के इस प्रकार के काम करने चाहिए जिससे किसान को सही औषधि दे सकें, किसान को सही खाद दे सकें, किसान को सही बीज का वितरण कर सकें जहां तक अनुसंधान की बात है, किसान को सही मायने में अनुसंधान की सही जानकारी नहीं मिल पाती। जरूरत इस बात की है कि हमारी इस व्यवस्था को हम ठीक कर सकें। साथ ही वितरण की व्यवस्था ठीक करनी होगी भले ही कोआपरेटिव के जरिये, मार्केटिंग सोसायटी के जरिये, जो हमारी एक वितरण एजेन्सी है, जो वितरण का आधार है, खाद बीज का वितरण हो और जो हमारा अनुसंधान है इसकी जानकारी और सही औषधि समय पर मिल सके। यह काम अच्छी तरह से कर पाये, एक्सटेंशन का काम अच्छी तरह चल पाये, इसको हमको देखना पड़ेगा। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पहले उदयपुर में स्थापित किया गया, उसके बाद उदयपुर विश्वविद्यालय बना कर उसमें जोबनेर का एग्रीकल्चर कालेज और बीकानेर का वेटरनिटी कालेज जोड़ दिया गया। राजस्थान में निश्चित रूप से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जिसके जरिये राजस्थान में कृषि के विकास के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस पर अनुसंधान होना चाहिये कि किस प्रकार के बीज से रेगिस्तान में उत्पादन हो सकता है गुजरात के बाजरी के बीज, और तरह के बीज से हमारे रेगिस्तान में उत्पादन नहीं हो सकता। खुद इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अन्दर अनुसंधान के काम को बढ़ायें ताकि सही मायने में सही बीज मिल सके। मेरा, अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बीकानेर संभाग में, जहां 3-3 प्रोजेक्ट्स हैं और 3-3 बहुत बड़ी सिंचाई की योजनायें हैं, बहुत अधिक कृषि योग्य धरती है, वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की जाय। सरकार

(श्री ज्ञानसिंह)

ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रशासन में लगा रही है उसके बजाय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कालर वहां से निकल सके और राजस्थान में कृषि में बहुत बड़ा योगदान कर सके। दूसरी तरफ जो हमारे कृषि के स्नातक ए. ई. ओज. बन कर, एक्शटेंशन आफिसर बन कर जाते हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन कर जाते हैं अध्यक्ष महोदय, वह एक ऐसे बैकग्राउण्ड से जाते हैं, जैसा हमारे भाई तेज पाल जी कह रहे थे, ए. ई. ओ. को ले जाया गया उसको मालूम नहीं पड़ा कि जौ है या गेहूं है, किस तरह से—

श्री अध्यक्ष : कच्चे जौ में और गेहूं के पौधे में आप फर्क निकाल सकते हो ?

श्री ज्ञानसिंह : हां, निकाल सकता हूं।

तो दूसरी तरफ यह प्रक्रिया है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर कालेजेज में, यूनिवर्सिटीज में सारी की सारी सीट किसान के, काश्तकारों के लड़कों के लिए रिजर्व हों, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कालेज में नहीं, कहीं और नहीं तो किसान का क्योंकि कृषि से सम्बन्ध है इसलिये उसमें तो कम से कम ज्यादा काश्तकार के लड़के हों। जिनका पैत्रक धन्धा कृषि है, कम से कम उनको ज्यादा स्थान दें ताकि उनको ज्ञान भी हो और सर्विसेज कर सकें। उनको नौकरी नहीं मिले तो घर की खेती में कम से कम व्यवहारिक ज्ञान को काम में ला सकें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि की और सुविधाओं का प्रश्न है, राजस्थान के अन्दर इस मामले में काफी प्रयोग भी हुए हैं, राजस्थान में कृषि का उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन राजस्थान में सिचाई की सबसे कम सुविधायें हैं और सबसे ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ बड़ी बड़ी हमारी नयी नहर की योजना हैं दूसरी तरफ सरकार को ऐसे सिचाई साधन एक्सप्लोइट करने चाहिए जो कम पैसे में ...

श्री अध्यक्ष : जो खालों की योजना है वह छोटे काश्तकारों के लिये....

श्री ज्ञानसिंह : अपनी सरकार मुहैय्या कर सके। जहां से पानी की नदियां निकलती हैं वहां ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल बनें, सहकारिता के जरिये सरकार कायम करे ताकि किसानों को कम-से-कम सिचाई के साधन हो सकें। छोटे-छोटे बांध का प्रसार करें जिससे उत्पादन बढ़े। आज सही मायने में जो प्रशासनिक ढांचा है उसके कारण कर्मचारियों के भरोसे पर पड़े हैं। हमारा किसान, राजस्थान का किसान बहुत प्रगतिशील किसान है। वह खुद इस बात को समझता हूं कि क्या बीमारी है, किस मौसम में क्या करना चाहिए, इसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है कि टाइम पर ऋण मिल जाय ताकि ऋण के जरिये अपना हल खरीद सके, बैल खरीद सके, उसको अच्छा बीज मिल सके, उसको औषधि मिल सकें। सिखाने की उसको आवश्यकता नहीं, देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय राजस्थान नहर के अन्दर हमने जमीन अलाट की गरीबों के नाम पर, भूमिहीनों के नाम पर और हरिजनों के नाम पर

(श्री ज्ञानसिंह)

लेकिन उन्हें हमारी सरकार कुछ साधन नहीं दे सकी, इसलिये वह धरती या तो बेकार पड़ी है या ऐसे लोगों के पास पड़ी है जो बड़े-बड़े लोग हैं। साहूकार के कब्जे में जमीन है। किसान को कर्ज वे लोग देंगे नहीं इसलिये धरती का विकास करने की समस्या हमारे सामने आती है। किसान की धरती का सही उपयोग हो, किसान की माली हालत सुधर सके, उसमें खुशहाली आ सके, इसके लिए सहकारिता के जरिये हम किसानों को ऋण देने जा रहे हैं लेकिन वह ऋण भी आज व्यावहारिक नहीं है। कभी फसल के टाइम पर नहीं मिलता, कभी दूसरे समय नहीं मिलता इससे किसान को इतना फायदा नहीं मिलता।

कृषि उपज मण्डी किसानों के फायदे के लिए बनाई गई थी लेकिन हम अगर इसको व्यावहारिक रूप में देखें तो जिस तरह से हम चाहते थे कि किसानों को अच्छे भाव मिलें वह नहीं मिल सके हैं, वह व्यावहारिक नहीं रही है। इसलिए भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह देखें कि किस प्रकार से व्यावहारिक बना कर व्यापारियों के चंगुल से किसानों को बचा सकते हैं और किसानों को ज्यादा उपज के भाव दिला सकते हैं। वैसे तो किसानों को उपज के भाव अच्छे मिल रहे हैं उनको और बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों से किसानों की उपज कम हो रही है। उपज में कमी होने से उतनी ही उसकी आमदनी में कमी हुई है और दूसरी तरफ किसानों को मिलने वाली चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ा है। उसका भी असर किसान की हालत पर पड़ा है। किसान को अच्छे भाव मिलें, किसान का शोषण नहीं हो।

कृषि उपज मण्डी के जरिये, हमारी कोआपरेटिव बैंकों के जरिये, हमारे सहकारी विभाग के जरिये कुछ गोदामों की योजना सरकार ने चालू की थी लेकिन उस योजना से भी जिस तेजी से किसानों को राहत मिलनी चाहिए थी वह गोदामों के न होने से नहीं मिल सकी। हमारे यहां चार सौ गोदाम कोआपरेटिव बैंक के नीचे बनने वाले थे लेकिन तीन साल का समय हो गया अभी तक नहीं बन पाये हैं। कृषि उपज मण्डी ने गोदामों को नहीं बनाया। जो 1700 किलोमीटर तक की सड़कें कृषि उपज मण्डी में स्वीकृत कर दी थीं वह सड़कें बनें। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को कृषि उपज मण्डी से गोदामों में सुविधा मिलनी चाहिए जिससे किसान टाइम बेटाइम उसकी फसल को गोदाम में रख सके। इसी प्रकार से आज आधुनिक प्रकार की जो उपज है, फल हैं, सब्जियां हैं और वस्तुएं हैं, उनको समय पर गोदामों में रख सके और जब जरूरत हो उसको बाजार में बेच कर वाजिब भाव प्राप्त कर सके। इसलिए गोदाम सबसे जरूरी किसानों के लिए हैं ताकि अपने सामान को समय बेसमय गोदाम में रख सके और उसके बदले में सरकार के जरिये से उसको ऋण मिल सके, और ऋण के जरिये से रख सके ताकि समय पर अच्छे भाव मिल सकें और किसानों को यह महसूस हो सके कि हमारी सरकार ने हमारी चीजों के भाव ठीक दिलाये हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे

(214)

(श्री ज्ञानसिंह)

यही कहना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी के द्वारा किसानों के हितों की देख-रेख हो, खर्चा ज्यादा नहीं हो और किसानों को सही फायदा हो ताकि किसानों की माली हालत ठीक हो सके, खुशहाली हो सके। इसमें ज्यादा से ज्यादा सरकार के जरिये से और लोगों के जरिये से योगदान किया जाय क्योंकि 35 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश और प्रदेश का आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है और हमारे हिन्दुस्तान की, राजस्थान की आर्थिक नीति और ढांचे का आधार भी किसान ही है।

जहां तक पशुधन का मामला है, राजस्थान का बहुत बड़ा पशुधन पश्चिमी राजस्थान में है। पशुधन एक नेचरल प्रोसेस में राजस्थान में आगे बढ़ रहा है। जहां पशुधन है वहां चिकित्सा की सुविधा नहीं दे पाये हैं, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं दे पाये हैं लेकिन कुदरत ने पशुधन का संरक्षण करने के लिए साधन दे रखा है। एक प्रकार से इसलिए पशुधन बढ़ रहा है। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं, वैसे करीब तीस हजार की पोपुलेशन पर एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है लेकिन मेरा निवेदन है, पन्द्रह हजार, दस हजार की जनसंख्या पर डिस्पेन्सरी हो और उसका रेडियस दस किलोमीटर, 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि दूर-दराज से पशुओं को लेकर जा नहीं सकते हैं। समय पर मेडिकल सुविधायें जो देना चाहते हैं वह दे नहीं पाते हैं। इसलिये अगर सबसे पशुधन का ध्यान रखना चाहते हैं तो पशुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा औषधालय खोलें जिससे कई तरह की बीमारियों में सहायता मिल सके।

वैसे कृषि को ओलों से काफी नुकसान हुआ है। इसमें रोली से नुकसान का कई साथियों ने जिक्र किया है। गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान रोली लगने से हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे क्षेत्र में जो चने की खेती है, इस बरसात से अस्सी पर्सेन्ट चने में नुकसान हुआ है। इसके बारे में कलेक्टर महोदय ने भी रिपोर्ट दी है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि शीत लहर ओलावृष्टि का जो प्रकोप हुआ है उसके बारे में भारत सरकार से निवेदन करके किसानों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखना चाहिए। हमारे पड़ोस के अन्दर जहां पंजाब और हरियाणा में नुकसान हुआ है वहां के किसानों को मुआवजा दिया गया है और ओलों की वजह से हुए नुकसान का भी मुआवजा दिया गया है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा में किसानों को सब्सिडी दी गई है वह दी जानी चाहिए। किसानों की फसलों को हुए नुकसान का बीमा होना भी बहुत आवश्यक है। हमारे कृषि क्षेत्र में फसलों का बीमा होना चाहिए ताकि जो इस तरह से फसलों की बर्बादी होती है, फसल पकने के बाद में किसान की फसल चौपट हो जाती है और उसके बाद उसको मजदूरी भी नहीं मिलती है तो आप अन्दाज लगा सकते हैं उस किसान की क्या हालत होगी। मैं समझता हूं कि अपने किसानों को, गरीब आदमियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार को मुआवजे के जरिये, या कैसे भी हो किसान को कम्पन्सेट करना होगा जिससे किसान की खुशहाली में फर्क नहीं

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

पड़े। किसानों की खुशहाली से हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आय पर असर पड़ेगा। इससे हिन्दुस्तान की खुशहाली बढ़ने वाली है। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : मास्टर श्री दीपचन्दजी।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि सम्बन्धी मामले पर पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, वह सभी मैंने सुने हैं। मैं ज्यादा बात तो कहना नहीं चाहता लेकिन सदस्यों की जो भावना है और देश में जो हालत हो रहे हैं, देश में जो हालात हो रहे हैं, जन संख्या बढ़ती जा रही है, किसानों की जमीन के टुकड़े हो रहे हैं, जमीन पर दबाव ज्यादा पड़ रहा है और किसान के पढ़े-लिखे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है। उसको पैसा नहीं मिलता है। ज्यादा बात तो मैं करणी नहीं चाहूं लेकिन मैं एक बात कहूं अगर किसान की बात को नहीं समझा गया तो किसानों के बच्चे देश में बेकार मारे-मारे फिर रहे हैं उससे ऐसा समय आ सकता है जब यह प्रजातन्त्र टूट-टूट कर चूर-चूर हो जायगा और देश के अन्दर हालात खराब हो जायेंगे। यह नौकरशाही के लोग अपनी मांगों के लिए चिल्ला रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं यह तो मामूली चीज है। इसकी तुलना में किसानों के अन्दर ज्यादा असंतोष हो रहा है, पढ़े-लिखे लड़के बेरोजगार और भूखे हैं वह जगह-जगह घूमते रहते हैं उनको पचास रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। बी. ए., एम. ए. पास लड़के बम्बई-कलकत्ता के अन्दर सेठ साहूकारों के बासन मांजते फिरते हैं, दुकानों के अन्दर नौकरी करते फिरते हैं। यदि 33 साल की आजादी के बाद भी किसानों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो देश की हालत बदतर हो जायगी, प्रजातन्त्र टूट कर चूर-चूर हो जायेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदया को हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि किसानों के घर में आप पैदा हुई हैं, मेरे से ज्यादा आपकी उम्र नहीं है, मुझ से छोटी हैं लेकिन मेरे से ज्यादा आपका अनुभव है। अगर श्रीमती कमला जी के नेतृत्व में भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं सरकार को समय आने से पहले चेतावनी देता हूं और अपनी भावनाओं के मुताबिक आगाह करना चाहता हूं कि किसानों के बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके बाबत सोचा जाय।

किसान को, जमीन आपने दी, लेकिन जमीन पर दबाव पड़ने की वजह से जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए हैं। एक किसान के घर में दस-दस आदमी हैं तो छोटे-छोटे टुकड़े होने की वजह से कितनी जमीन पांती आती है, कहीं पांच बीघा, कहीं दो बीघा, कहीं तीन बीघा आती है। आज देहातों के किसानों की, माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि दूसरों से ब्याज पर पैसा लेकर काम चलाते हैं, जेवरात बेच कर भी अपने दिन निकाल रहे हैं। किसानों की हालत इतनी खराब है कि वह किसी को कह नहीं सकते। हिन्दुस्तान के आदमी में एक आदत है कि वह भूखों मर जायगा लेकिन अपनी लज्जा दूसरे के सामने नहीं कहेगा। इस तरह के देश के अन्दर विचार हैं, मैं कांई बोलूं, सुबह है तो शाम कोनी

216

(श्री दीपचन्द)

और शाम है तो सुबह कोनी। रोटी मिलना दुर्लभ हो रहा है। पांच-पांच साल से अकाल चल रहा है और हमारे क्षेत्र के लिए सिर्फ पचास हजार रुपये दिये गये हैं अकाल राहत के अन्दर। मैंने कलेक्टर साहब को कहा, जिलाधीश महोदय काम चालू करो। बोले मैंने टेस्ट वर्क के लिए पैसा दे दिया। चार साल से अकाल है। पचास हजार रुपया सिर्फ दो चार जगह लगाया गया है। मैं दुर्भाग्य से वहां का विधायक बन गया लेकिन लोगों ने मेरे जूते मारे कि राहत वर्क तो वहां पहले भी थे, दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये खर्च होते थे, सात-सात रुपये मिलते थे और अब पांच रुपये मिल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि राजगढ़ तहसील में पिछली दफा फैमिन में पांच पैसे, दस पैसे और कहीं पर 35 पैसे मजदूरी के मिले हैं। ऐसी बुरी हालत है। मेरे खुद का गांव पालडी है। मैं दुर्भाग्य से एम. एल. ए. बन गया और मेरा लड़का सरपंच बन गया। पहले वह 450 वोट से जीता था और इस बार 65 वोट से जीता था। वहां के लोग कहते हैं, इस मास्टर के एम. एल. ए. बनने के बाद हमको पांच पैसे दिलवाये। इसलिए एम. एल. ए. बनाया था? मैंने कहा कि मैं कांग्रेस का मैम्बर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि तुम कांग्रेस के राज में तो शामिल हुए हो। तेरी जिम्मेदारी है। कम से कम हमारी मेहनत का पैसा दिलाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि जो होशियार और कारीगर लोग थे उन्होंने तो एक्स. इएन. से मिल कर ओवरसियर से पैसा ज्यादा ले लिया लेकिन और आदमियों को पांच पैसे, दस पैसे, पचास पैसे दिये गये हैं। ऐसी गांव में दशा हो रही है। हालत बड़ी खराब हो रही है। किसानों की समस्यायें हैं, उनके सामने बड़ी कठिनाई है। अगर सरकार ने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो मोरवी बांध की तरह से यह प्रजातन्त्र टूट कर चूर-चूर हो जायगा। इसलिए माननीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि समय पर ध्यान दे। इस देश की आजादी के लिये लाखों लोग शहीद हो गये, लाखों लोगों ने जेल काटी थी, हमारे जैसे लोगों ने, स्वतन्त्रता सेनानियों ने, कांग्रेसियों ने एक आंदोलन छेड़ दिया था, बड़ी मुश्किल से आजादी आयी थी। इस आजादी को इन नौकरों के भरोसे पर, कर्मचारियों के भरोसे पर छोड़ दिया तो इनका तो कुछ होना जाना नहीं है, प्रजातन्त्र का मामला साफ हो जायगा। सब विधायकों को मौका मिल जायगा घर बैठने का।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

खेती का अनुभव जरूरी है यहां।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना प्रान्त कृषि प्रधान प्रांत है और अधिकांस लोग खेती पर निर्भर करते हैं। अपने प्रान्त के 80 प्रतिशत लोग किसान हैं, खेती करते हैं, गांव में रहते हैं। खेतों का जिस तरह से विकास हो रहा है वह जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो नहीं रहा है। कारण यह है कि कृषि विभाग को जो अपने काम करने चाहिये थे, वह कार्य करने

(श्री हीरालाल आर्य)

में असफल रहा है। उसका कारण यह है कि कृषि विभाग में जो डायरेक्टर बैठाये जाते हैं, वह कृषि के बारे में तो जानते नहीं हैं। वह तकनीकी व्यक्ति नहीं होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग में डायरेक्टर बैठाये जायें वह कम से कम ऐसे व्यक्ति हों जो कृषि के बारे में समझें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि का जो अनुसंधान चल रहा है इस पर 1981-82 में 1 करोड़ 38 लाख और 12 हजार रुपये खर्च किये।

श्री अध्यक्ष : आंकड़ों में नहीं।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन इस वर्ष 82–83 में 1 करोड़ 28 लाख 23 हजार रुपये मात्र खर्च किये जा रहे हैं जब कि हमारा प्रान्त कृषि पर निर्भर है। कृषि के अनुसंधान पर अधिक पैसा खर्च न किया जाकर कम पैसा खर्च किया जा रहा है। एक तरफ कृषि अनुसंधान की हालत यह है, दूसरी तरफ जो किसान है, उसकी हालत बड़ी खराब होती जा रही है। खाद की कीमत बढ़ रही है, बीज की कीमत बढ़ रही है, कीटनाशक दवाओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही किसान इतनी मेहनत करता है, उसको मजदूर रखना पड़ता है, सारा दिन, सवेरे से शाम तक किसान अपने खेतों में लगा रहता है, लेकिन उसकी हालत आज क्या है? उस किसान को अपनी मेहनत के बदले में क्या मिलता है? जितना वह खर्च करता है उससे बहुत कम उसे मिलता है। यही कारण है कि किसान की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। किसान गांव में बसता है। एक तरफ अपने यहां शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है, दूसरी तरफ किसान जो गांव में बसते हैं, उनके बच्चे इतने शिक्षित नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष : मास्टर साहब ने बताया उनके क्षेत्र में शिक्षित हैं बच्चे।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन मेरे क्षेत्र में किसान इतना शिक्षित नहीं है। एक तरफ किसान सीलिंग से मारा जा रहा है दूसरी तरफ उनके बच्चे हैं, जो खेतों पर निर्भर हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे मजदूर किसान हैं, जो खेती पर आधारित है। दूसरों की खेती करते हैं, उनके पास न कोई जमीन है, न उनका कोई व्यवसाय है। ऐसे कृषि मजदूरों के लिए भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, कृषि पर किसान के पैसे खर्च होते हैं उस हिसाब से उसको उसकी फसल की सही कीमत देनी चाहिये। मेरा कोटा जिला गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। गेहूं का जो आरक्षित मूल्य है, वह बहुत कम है। मैं चाहूंगा, खेती की दृष्टि से गेहूं का कम से कम दो सौ रुपया क्विन्टल आरक्षित मूल्य रखा जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, अपना प्रान्त कृषि प्रधान है लेकिन अपने प्रान्त में कोई कृषि का विश्वविद्यालय नहीं है।

(श्री हीरालाल आर्य)

कृषि विश्वविद्यालय अपने यहां पर होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस बात की इच्छा जाहिर की है कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय होना अति आवश्यक है। कोटा जिला जो खेती प्रधान जिला है, वहां विद्यार्थी हाड़ोती विश्वविद्यालय की मांग हमेशा करते आये हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, कोटा जिला खेती की दृष्टि से बड़ा प्रमुख जिला है, वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा, हमारे कोटा जिले में सोयाबीन की खेती होती है। राजस्थान में सोयाबीन की खेती करीब 13 हजार हैक्टेयर में होती है जिसमें से केवल 10 हजार हैक्टेयर भूमि कोटा में है, जहां सोयाबीन की खेती की जाती है। सोयाबीन की खेती हमारे यहां अच्छी होती है, लेकिन उनको आरक्षित मूल्य नहीं मिल पाता। जो सोयाबीन की खेती करते हैं, उनको अनुदान देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको उन्नत बीज देते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई न कोई व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। समय का ध्यान रखें।

श्री हीरालाल आर्य : खेती–उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त कृषि उपज मंडी होना आवश्यक है। कृषि उपज मण्डी में जो किसान आता है, वहां पर भी उसको उसके अनाज की सही कीमत नहीं मिलती है। कृषि उपज मण्डी में भी बहुत लूट हो रही है। कृषि उपज मण्डी को किसानों के हित की दृष्टि से काम करना चाहिए। कृषि उपज मण्डी केवल अपने यार्ड को सजाने में लगी हुई है। लाखों करोड़ों रुपया कृषि उपज मण्डी समितियां अपने गेस्ट रूम, अपने दफ्तर, दूसरी फैसिलिटी के ऊपर खर्च करती है। मैं चाहूंगा, कृषि उपज मण्डी पैसे इस पर खर्च न करके सड़कें, पुलियाएं, जिनके अभाव में किसानों को मंडी तक अपना अनाज लाने में असुविधा रहती है, बनाने पर खर्च करें तो किसानों को अधिक सुविधा हो सकती है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हमारे कोटा जिले में कैचमेण्ट का काम चल रहा है। इसमें कई तरह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने समय निर्धारित किया है।

श्री हीरालाल आर्य : एक मिनट बोलूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

इस कैचमेन्ट की अनियमितताओं के बारे में हम बार बार विधान सभा में बोलते हैं। कभी लेवलिंग ठीक नहीं होता है, कभी किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचता है, कभी डीजल बेचा जा रहा है उसकी कीमत अधिक ली जाती है। इन सब के कारण किसान दिवालिया हो जायगा, और कैचमेंट के खर्चे चुका नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, जो कैचमेन्ट हो रहा है, इसमें

(श्री हीरालाल आर्य)

ड्रेनेज का काम भी होता है। हमारे कोटा जिले में चम्बल परियोजना के अन्तर्गत ड्रेनेज बनाने का एक विभाग है। वह किसान से पैसा नहीं लेता है। लेकिन कैच-मेन्ट के अन्दर जो ड्रेनेज बनायी जाती है, उसका पैसा किसानों के माथे मढ़ा जाता है। आप यह तो कम से कम व्यवस्था कर सकते हैं, ड्रेनेज का पैसा, सुपरविजन चार्जेज न लें और भ्रष्टाचार डीजल वगैरह बेचने का हो रहा है, वह न हो। इनके कारण किसानों पर अधिक भार बढ़ रहा है। जो कीमतें बढ़ रही हैं इसको आप कम कर सकते हैं।

पशुपालन के बारे में दो मिनट बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पशुपालक अधिक हैं। उनको दिक्कत यह है कि उनको चारा उप-लब्ध नहीं होता है, उनको पानी उपलब्ध नहीं होता है। हमारे कोटा जिले में खूब चारा है खूब पानी है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन पशु अच्छे नहीं हैं।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन पशु अच्छे नहीं हैं। वहां के लोगों में पशुपालन की आदत ही नहीं है। इसका अर्थ यह है विभाग की यह असफलता है। जहां पानी है, चारा है, आपका विभाग वहां क्या कर रहा है? यदि आपका विभाग गांवों में जाकर डेरियां स्थापित करे, लोगों को सिखाये कि पशु का कैसे पालन किया जाता है, उनको चारा किस तरह से खिलाया जाता है तो दुग्ध उत्पादन अच्छा हो सकता है और पशुपालन में लोगों की रुचि बढ़ सकती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पशुपालन विभाग हमारे कोटा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में जाये, वहां डेरियां स्थापित करे ताकि वहां किसान को, सिखा सके। इतना ही कह कर आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : बिलकुल संक्षेप में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक ग्रामीण और दूरदराज इलाके से आता हूं। अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में अफीम और संतरे की खेती बहुत होती है।

श्री अध्यक्ष : सन्तरे इस बार बहुत खट्टे आये हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, वहां आलू के भाव बिक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से नागपुर की जगह झालावाड़ के आने लग गये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सन्तरे की खेती होती है। यदि सरकार ध्यान देवे तो वहां पर जूस का कारखाना खुल सकता है। इससे मजदूरों को काम मिल सकता है और किसानों को भी उनका उचित मूल्य मिल

(श्री बालचन्द्र आर्य वीर)

सकता है। 80 रुपये क्विंटल उनकी फसल है। अध्यक्ष महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, इसी प्रकार किसान अपनी फसल बोता है, सिंचित करता है, बच्चे की तरह उसका पालन–पोषण करके बड़ी करता है लेकिन उसे उपज का, फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, उसे बड़ा दुःख होता है।

इसी प्रकार अफीम की खेती झालावाड़, चित्तौड़ और कोटा में होती है। उसका जो डोडा होता है उसमें से दाना निकलता है और उसके बाद छिलका रहता है उसकी बहुत अच्छी खाद बनती है। यदि उस पर ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : डोडे की खाद बनती है?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हां, बहुत ही अच्छी खाद बनती है और फसल के लिये भी बहुत ही उपजाऊ होती है। किसानों को अंग्रेजी खाद फर्टिलाइजर, यूरिया दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उससे लगातार जमीन बिगड़ती जा रही है। आखिर में जाकर नतीजा यह होता है कि सारी जमीन बेकार, बंजर हो जाती है और उससे फसल उपजाऊ नहीं हो पाती।

इसी प्रकार किसानों की बड़ी उपेक्षा की जा रही है। वर्तमान में डीजल, बिजली की दर बढ़ चुकी है और खाद की कीमत बढ़ चुकी है। बस का बीमा होता है अन्य भी कई तरह के बीमे होते हैं लेकिन किसान की फसल का कोई बीमा नहीं। किसान फसल खराब होने पर, ओला पड़ने पर, रोली व इल्ली लगने पर नष्ट हो जाती है किन्तु किसान को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रस्ताव करता हूं, मांग करता हूं कि किसान की फसल का बीमा होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बीमा हो जाय तो ठीक है। फसल बोकर सोते रहें, पानी देने की भी जरूरत नहीं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, फसल का बीमा होता है तो प्राकृतिक आपदा आने से जो फसल नष्ट हो जाती है उसका पैसा मिल सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा आती रहती है किसानों की फसल पर, 80 प्रतिशत देश में किसान रहते हैं। अपन किसानों के बड़े हिमायती बनते हैं सरकार भी बनती है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल बढ़िया, अगर बीमा हो जाय।

श्री तेजपाल यादव : खेती का विकास हो जायेगा तो बीमा हो जाने से उत्पादन हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इन परिस्थितियों के अन्तर्गत जैसे बस का बीमा होता है वैसे फसलों का बीमा थोड़े ही हो जायेगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार वहां पशु चिकित्सालयों की हालत खराब है, डग और गंगधार में ही

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

पशु चिकित्सालय हैं और दूर–दूर ग्रामीण क्षेत्र में पशु पालक बसे हुए हैं। दुघालिया ग्राम का मैंने एक प्रश्न भी उठाया था कि क्या वहां एक पशु चिकित्सालय कायम करेंगे ? जब पशुओं को बीमारी हो जाती है उनको पशु चिकित्सालयों में लाते हैं तो वे बीच में ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा झालावाड़ जिले के पशु चिकित्सालयों में दवाइयों का भी अभाव है, दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगधार में औषधालय है वहां दवाइयां मिल नहीं पाती। पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिलता तो वे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार मैं आपके माध्यम से पुनः मांग करता हूं सरकार से कि किसानों की फसलों का बीमा हो ताकि उनको राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में इस प्रकार कई छोटे–छोटे नाले हैं यदि उन पर बांध बांध कर सिंचाई–

श्री अध्यक्ष : यह सिंचाई विभाग का है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : खेती से किसानों से सम्बन्धित है इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : परसों बोल देना।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इसी प्रकार किसानों को बन्धे बांध कर पानी रोक कर सिंचाई के लिये पानी दिया जाय तो काफी लाभ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जो मांगें मैंने रखी हैं जैसे बीमा की, मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो इसका भी उत्तर दें। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया। श्री अमराराम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : इनके हाथ से शुरुआत की हुई है इसलिए मैंने इनको....

श्री अमराराम चौधरी : काफी माननीय सदस्यों ने कृषि के काफी विषयों पर प्रकाश डाला है। मैं तो बहुत संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा। किसानों के अनाज की जो कीमत है, उसके भाव हैं वह कभी बढ़ जाते है, कभी डाउन हो जाते हैं जिससे किसान अपने आप में चिंतित हो जाता है। जब फसल बोता है उस समय भाव बहुत बढ़ जाते हैं और खलिहान से निकाल कर बाजार में फसल लाता है तो भाव डाउन हो जाते हैं। इस प्रकार भावों में अस्थिरता रहती है। इस प्रकार की स्थिति का कन्ट्रोल नहीं होगा तब तक कितनी ही कोशिश कीजिये, किसान खुशहाल नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : इस साल जब जीरा बोया तो उस वक्त भाव 7-8 रुपये था।

श्री अमराराम चौधरी : फिर बोने के समय में 20 रुपये हो गया। इस साल जो जीरे की फसल हुई है, वैसे गुजरात और

(श्री अमराराम चौधरी)

राजस्थान में भारत में सबसे ज्यादा जीरा होता है किन्तु इस साल राजस्थान में जो जीरा बोया गया वह अभी जो शीत लहर चली उसमें करीब-करीब नष्ट हो गया। जिस समय बीज लाकर बोया था उस समय कम से कम 18 रुपये का भाव था। तो जैसी मारवाड़ी कहावत है, जीरो जीव रो बेरी रे, मत बाइजे प्राणी जीरो। इस प्रकार जीरे की फसल है उसका जब तक बीमा नहीं होगा तब तक किसानों का जीवन स्तर सुधर नहीं सकता। गेहूं की फसल का भी बीमा होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी शीत लहर चली, ठण्ड हुई तो जीरा खराब हो जाता है। जीरा कामर्शियल क्राप है उसका तो कम से कम....

श्री अध्यक्ष : काजल निकाल कर जीरे के खेत में जाओ तो काला हो जाय।

श्री अमराराम चौधरी : हां। कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे जीरे की फसल नष्ट हो जाती है। जो डबल क्रोप करने वाले हैं उनको तो लगता है कि इससे इतनी पैदावार नहीं होती।

आज मैसी फरगुशन ट्रैक्टर के भाव 80 हजार हो गये, डीजल का भाव दुगुना हो गया लेकिन काश्तकारों की फसल का भाव–गेहूं, बाजरा, मूंग का भाव बहुत डाउन रहता है। किसान की उपज को, अभी माननीय सदस्य ने कहा, मण्डी में नीलामी होती है। 2–3 प्रतिशत आढ़तिये, जो वहां रहते हैं, ले लेते हैं। वह अपने आप भाव से....

श्री अध्यक्ष : खड़े-खड़े ही माल नीलाम हो जाता है।

श्री अमराराम चौधरी : किसान अपना माल खुद तोल कर देवे। किसी दूसरे आढ़तिये के जरिये माल तुलायेंगे, नीलामी होगी तो बोली बोलेंगे लेकिन तोलने वाला पहले वाला आढ़तिया है, बिचोलिया वही होगा। सारे कृषि मण्डी वाले उसमें मिले रहते हैं। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक किसान को पूरे दाम नहीं मिल सकेंगे।

कृषि उपज मण्डी बनी, उनका विकास हुआ, जगह-जगह भवन बना दिये गये लेकिन कृषि उपज मण्डी के सेक्रेटरी मालामाल हो रहे हैं। सुपरवाइजर मालामाल हो रहे हैं। यह पैसा कहां से आता है? इसकी जांच करानी चाहिये। वह व्यापारियों से मिले हुए होते हैं। व्यापारियों से मिले हुए होने कारण किसानों को जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। मेरे क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी की तीन रोड मन्जूर हुई थीं। पचपदरा शहर के अन्दर, मार्केट के अन्दर 100 मीटर रोड बनाने के लिये कंकरी लगाई है। अब कहते हैं बजट नहीं है। लोग चल नहीं सकते हैं। उल्टे गाली दे रहे हैं। यह क्या कृषि उपज मण्डी है। पत्थर बिछा दिये। न डामर किया न कुछ किया। लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया है। एक सड़क मूंदड़ा से बालोतरा कृषि उपज मण्डी को जोड़ती है। दो-चार किलोमीटर की दूरी है। कृषि उपज मण्डी की तरफ से कोई रोड नहीं बनाई गई है। इतने किलोमीटर रोड बतायी है इसमें से हमने इतने किलोमीटर रोड बना दी है, यह आपने प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है। लेकिन कोई सड़क नहीं बनी है।

(श्री अमराराम चौधरी)

डेयरी का मेरे क्षेत्र में काफी विकास हुआ है लेकिन दाना नहीं मिल रहा है। इस साल भयंकर अकाल है। सस्ते दाने की दुकानें जब तक गांव-गांव में नहीं होंगी तब तक जो डेयरी हैं, जिनका दूध जयपुर में आ रहा है, जोधपुर में आ रहा है, यह अध्यक्ष जी बैठे हैं डेयरी फेडरेशन के, उनसे भी कहा है, दाने की दुकानें नहीं होंगी तो मवेशी जिन्दा नहीं रहेंगे और डेयरी का जो प्रोजेक्ट है वह बन्द हो जायेगा। लाखों रुपया लगा कर आपने डेयरी प्लान्ट लगा रखे हैं किन्तु वहां के अधिकारी ऐसे हैं, दूध डेयरी में जब आता है, उसको ठण्डा करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वे क्या करते हैं, बर्फ लाते हैं, उसमें 100 किलो बर्फ रख देते हैं। इससे दूध अपने आप बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ दूध रातों रात बालोतरा के मार्केट में स्कूटर में ले जाकर बेचते हैं। वहां के एक कर्मचारी के पास स्कूटर है। किसी के पास छोटी जीप हो गई हैं। ऐसी बहुत-सी जगह गड़बड़ियां हो रही है। दूसरे दूध के पूरे भाव किसानों को नहीं मिलते हैं, सोसाइटी के अन्दर जो लोग हैं, उन लोगों को पेमेन्ट टाइम पर नहीं हो रहा है। कह देते हैं फेट कम आ रहा है, साहब। यह सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं। इनको आप सख्ती से यदि सही नहीं करेंगे तो यह डेयरियां आपको एक बार उठानी पड़ेगी और डेयरी में जो पैसा लगा रहे हो यह फालतू जायेगा। सब्सिडी आप दे रहे हैं, पिछले साल 18,000 रुपया बालोतरा, बाड़मेर जिले में, रायला में सब्सिडी दी, 18,000 रुपया इस साल सब्सिडी दे रहे हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इतने सारे किसान हैं एक जिले में और 18 हजार की सब्सिडी दे रहे हैं। एक किसान के हिस्से में 10–15 रुपये आते हैं। यह भी क्यों दे रहे हैं। यह मत दें।

श्री अध्यक्ष : जो आदमी जायेगा जीप लेकर उसमें पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होगा।

श्री अमराराम चौधरी : ....लेने के लिए आदमी जायेगा।

श्री अमराराम चौधरी : इसके बाद मार्केटिंग सोसाइटी से ऋण लेने पर उस भूमि का सर्टिफिकेट या पटवारी से तस्दीक लेने जायेगा। कई इसकी फार्मेलिटीज-पूरी करेगा तब जाकर उसको 5-10 रुपये मिलेंगे। जो पैसा सब्सिडी के रूप में दे रहे हो, उससे कोई अच्छी योजना किसानों के लिए बनाइये, कोई परमानेन्ट स्ट्रक्चर बनाइये, परमानेन्ट योजना बनाइये ताकि किसानों को फायदा हो सके। आज किसानों के जो लड़के हैं, पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उनको जो शिक्षा मिली हैं, वह आर्ट्स, कला की शिक्षा मिली है। मेरा निवेदन है गांव-गांव में, सैकण्डरी स्कूल्स में, अनिवार्य विषय का कृषि खोला जाये। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन बाड़मेर जिले के अन्दर, कई साल के प्रयास करने के बाद पिछली बार कृषि का सब्जेक्ट खुला है। वहां 15–20 सैकण्डरी स्कूल्स हैं उनमें अगर एक-एक विषय होता तो यह जो बेकारी है यह नहीं रहती। वे अपने आप सोचते, मटर है, मूंग है, इनके बोने से इतनी पैदा कर सकते हैं। क्यों तीन सौ, चार सौ की नौकरी के लिये बाजार में घूमें। एक कारण यह है। पहले कहावत थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीची नौकरी, भीख बेकार। जो उत्तम खेती थी वह आज नीची नौकरी के बराबर हो गई है। कारण यह है कि

२२५

(श्री अमराराम चौधरी)

हमारी कृषि नीति ठीक नहीं है। 35 साल के बाद, हमारे बड़ेरे जो तरीके छोड़ कर गये थे, वहीं के वहीं वापिस आ रहे हैं। पुराने तरीके से ही कुए से पानी निकालना पड़ेगा। इसी तरह के साधन को वापस काम में लेना होगा। कारण, पुराना तरीका ठीक है। यह नया ताम-झाम उठा कर फेंक देंगे क्योंकि यह भावना हो गई है लोगों में। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। 35 साल से हम यहां पर बैठे हैं। जो जिम्मेदारी हम पर डाली गई थी, वह जिम्मेदारी हमने नहीं निभायी है। इस कारण से हम फेल हो रहे हैं।

मैं चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अन्दर जो आपने योजनाएं रखी हैं उनको आप पूरा करेंगे। सीमेन्ट महंगी हो गई है। काश्तकार अपने वैरे नहीं बना पायेगा। यह दोहरी नीति सीमेन्ट की घातक है। 41 रुपये कट्टा सीमेन्ट मिलेगी। काश्तकार क्या करेगा। गवर्नमेन्ट की रेट 41 रुपया है तो बाजार में 85 रुपये में मिलेगी। काश्तकार अपना मकान, बैरा नहीं बना सकेगा। काश्तकार जो खेती करता है उसके लिये सीमेन्ट जरूरी है। सिंचाई के लिये नालियां बनाने के लिये सीमेन्ट चाहिये। इसके लिये सब्सिडी दें। इसका ब्लेक न हो। काश्तकार की सीमेन्ट के लिये कृषि विभाग की तरफ से अलग से व्यवस्था करें जैसी आपने पाइप लाइन के लिये सिवाणा के अन्दर स्कीम खोली है। अब सीमेन्ट खुली हो गई है, तो सीमेन्ट कैसे देंगे? अभी जो व्यवस्था है वह तो आप कायम रखिये ताकि काश्तकार को सीमेन्ट उपलब्ध हो जाये और जो कर्मचारी लगे हुए हैं वे भी बेकार नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश तिवाड़ी : दो मिनट बोलेंगे।

श्री जगदीश तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कई माननीय सदस्यों ने दूध के भाव बढ़ाने की मांग की है। मैं दूध के भाव बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन दुग्ध उत्पादकों से जितना दूध लिया जाता है उसकी कीमत दिलाने की बात कर रहा हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम ने डेयरी फेडरेशन और दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया था, उस समय हमारे पशुपालकों ने....

श्री अध्यक्ष : इसमें चौमूं वाले आगे रहे। उन्होंने कोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन नहीं किया। सीधा ही बेचते हैं।

श्री जगदीश तिवाड़ी : उस समय हमारे पशुपालकों ने यह उम्मीद की थी कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी और दूध की कीमत सही ढंग से प्राप्त हो सकेगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा की मेरे क्षेत्र में जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है, उसके चार-पांच महीने के मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में पशुपालन मंत्री महोदया ने यह स्वीकारा है कि पांच महीने के अन्दर 25 क्विन्टल दूध का अन्तर रहा है। दुग्ध उत्पादकों ने जो दूध दिया, और सहकारी समिति ने जो दूध प्राप्त किया और दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने जो दूध प्राप्त किया उसमें 25 क्विन्टल का यदि पांच महीने में अन्तर आता है तो इस प्रकार आप अन्दाज लगा सकते हैं कि सहकारी समिति में प्रति माह पांच क्विन्टल दूध का अन्तर रहा। जो दूध का

(श्री अमराराम चौधरी)

अन्तर रहा है, उसका भुगतान हमारे दुग्ध उत्पादकों को नहीं किया गया। 12 महीने तक वे लोग चिल्लाते रहे। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति शिकायत करती है तो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति शिकायत करती है तो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर दिया जाता है, या उनके खिलाफ अनावश्यक परेशान करने की कार्यवाही की जाती है। मैं कृषि मंत्री महोदया से विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जितना दूध भेजती है, उस तौल के हिसाब से अगर संघ को दूध प्राप्त नहीं होता है तो जो अन्तर आता है, उससे उसी दिन समिति को अवगत करना चाहिये ताकि किसानों में इससे असन्तोष पैदा न हो और उनको जो कीमत मिलनी चाहिए वह मिल सके। जिन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की इस प्रकार की शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निराकरण करने के लिये आप सक्षम अधिकारी से जांच करावें। इसमें आप ट्रक वालों को दोषी ठहराते हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, संघ को जितना दूध समिति ने भेजा है, उसकी मात्रा लिखी हुई है और यदि संघ को उतना दूध नहीं मिला है तो दूसरे दिन जब दूध के लिये आपका वाहन गया उस समय आपको समिति को अवगत करा देना चाहिए था कि आपकी समिति से केवल मात्र हमको इतना दूध प्राप्त हुआ है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, लघु कृषक और सीमांत कृषक की क्या स्थिति है। आज सीमेंट की जो स्थिति है उसके कारण कुएं नहीं बन सकते हैं। लघु कृषक हैं और सीमांत कृषकों हैं आप सिंचाई सुविधाओं के लिये जो अनुदान देते हैं मेरा इस संदर्भ में सुझाव है कि इस सारी स्थिति को देखते हुए यदि आप 15–20 लघु कृषकों को मिलाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायें, ट्यूब वैल की योजना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। आज कुआं बनाने के लिये कम से कम 20 हजार रुपया किसान को खर्च करना पड़ता है। सीमेंट के अभाव में उसको परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ जब वह कुएं पर सिंचाई के लिये पम्पिंग सेट लगाता है तो उसको 5–10 हजार रुपया और खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार एक काश्तकार को कुआं बनाने के लिये करीब 25 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है इसलिये यह हर किसान के बस में नहीं है कि वह कुआं बनाकर सिंचाई कर सके। वह 25–30 हजार रुपया खर्च करने की स्थिति से नहीं है। इसलिये आप यदि 20 कृषकों को मिला कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेंगे तो उचित रहेगा, उनको काफी सुविधा मिलेगी और अभी जो आप सब्सिडी दे रहे हैं उसका आधा भाग ऋण के रूप में देकर आप इस प्रकार से ट्यूब वैल की योजना चला सकते हैं जिससे कि लघु कृषक और सीमांत कृषक लाभान्वित....

(8.01 रात्रि)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हो सकें। मैं कृषि उपज मंडी के संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि कृषि उपज का किसान को तभी मूल्य मिल सकता है जब कि वह अपनी उपज को रोक ले। उपज को रोकने के लिये गोदाम का निर्माण आवश्यक है। यदि आप पंचायत

(226)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

समिति के स्तर पर काश्तकारों की उपज रोकने के लिये साधन उपलब्ध करायें तो जो काश्तकार अपने अनाज को गोदामों में रखता है उसको कुछ धन ऋण के रूप में देने की व्यवस्था करें तो काश्तकार को वाजिब कीमत मिल सकती है और जब भाव बढ़े हुए हों तो वह उनको बेच सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि एवं न्याय मंत्री) : सदन का समय मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सहमति से सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37, 28, व 39 पर विचार

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस संदर्भ में यह अनुरोध है, पंचायत समिति के लेवल पर काश्तकार की उपज रखने के लिये गोदामों का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि सम्पर्क सड़कें गांवों में बनायी जानी चाहिए। कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कृषि उपज मंडी की जो सड़कें बननी चाहिए थीं उनमें से आपने कुछ सड़कों को मंजूर किया है लेकिन पंचायत समितियों के जिस अनुपात में सड़कें बननी चाहिए थीं, उस अनुपात से कम हैं। इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैंने एक विशेषाधिकार हनन का मामला लिखित में दिया था उस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देने के लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बाद में आयेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उस पर व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज देंगे ना ?

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि पशु पालन एवं चिकित्सा, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम सम्बन्धी मांगों के सन्दर्भ में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, बहुत से उपयोगी सुझाव दिये तथा विभाग की कार्य प्रणाली में जो दोष और कमियां उनको नजर आयीं उनके बारे में आलोचना भी की और रोष भी प्रकट किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का उनके सुझावों और उन्होंने जो कमी खामियों की तरफ ध्यान दिलाया है उसके लिये बहुत आभार मानती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदया जी, यह किसानों का मामला है। आप खुद किसान हैं उनकी मुश्किलें तो हल होनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं तो बर्खास्त।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के विचारों के साथ आपने अपने जो बहुत ही श्रेयस्कर विचार जोड़े हैं, मैं उन सबका ध्यान रखते हुए ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने व्यवस्था दी, है इसका पालन करना पड़ेगा।

श्रीमती कमला : मेरे लिए सुझाव भी हैं, व्यवस्था भी है और आदेश भी है, तीनों हैं, आप थोड़ी शांति से सुनें ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : टाइम आता रहेगा।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं अपने विभागों के कार्य-कलापों को बढ़ाने में, उनकी कार्यवाही अच्छी तरह से, उपयोगी ढंग से हो सके इस काम को करने में और कुछ नई योजनाओं को काश्तकार के हित के लिये जोड़ा जा सके इस दिशा में काफी प्रयत्नशील रहती हूं। माननीय सदस्यों के सुझाव भी काफी मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिन बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, जिनमें से हो सकता है कि कुछ नहीं बोल पाये हों लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और जिन्होंने रोष प्रकट किया है, उनके एक-एक पाइन्ट पर अलग-अलग कार्यवाही करके विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दूंगी। लेकिन कुछ मुख्य-मुख्य बातें जो कई माननीय सदस्यों ने कहीं उनके बारे में कुछ बातें अपनी ओर से कहना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रदेश है उसकी अर्थ व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशु-पालन और उनसे सम्बन्धित जितने भी उद्योग धन्धे हैं, उन पर आधारित है। मुख्यतः हमारे यहां औद्योगीकरण होगा तो उसके अन्दर भी बहुत अधिक एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग होंगे। कुछ ऐसे उद्योग कार्य कर रहे हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं इसलिये इस विभाग के कार्य-कलापों इसकी उपलब्धियों, और इसकी कमी खामियों की ओर ध्यान देते हैं। कृषि और पशुपालन का प्रभाव हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ता है उसे आगे बढ़ाता है। यही सही बात है कि कृषि विभाग और पशुपालन विभाग में कार्य करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी या हम लोग, जो इसके लिये जिम्मेदार हैं, की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत गहन जिम्मेदारी है क्योंकि कृषि विभाग अगर अपने मूल अधिकारों को व्यवस्थित ढंग से, ईमानदारी से, समयबद्ध तरीके से क्रिया-न्वित नहीं करता है तो न सिर्फ उस काश्त-कार को काफी नुकसान होता है जो परिवार के रख रखाव का काम करता है बल्कि सारे प्रदेश और देश की अर्थ व्यवस्था और खास तौर से आवश्यक खाद्यान्न के उत्पादन

(228)

(श्रीमती कमला)

में बहुत बड़ी कमी आती है। इसीलिये इस दृष्टि से हम सबको बहुत की गहनता से, बहुत ही लगन से, बहुत ही ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। माननीय सदस्यों के इस विचार से मैं कतई इन्कार नहीं करती क्योंकि मैं स्वयं भी इस विचार की हूं।

बहुत सारी कमी है फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा आपकी योजनायें बड़ी अच्छी हैं, आपने उनके लिए वित्तीय प्रावधान बड़ा अच्छा कर रखा है और कोई प्रशासनिक ढांचे के लिये प्रावधान करने में भी कमी नहीं है बल्कि 10 प्रतिशत 5 प्रतिशत अधिक प्रावधान ही होता है लेकिन जितना वित्तीय प्रावधान है, जितनी योजनायें हैं, उनकी क्रियान्विति के लिये जितना प्रशासनिक ढांचा है और इसकी व्यवस्थायें हैं अगर उस अनुपात में उतनी ही लगन से और परिश्रम करें तो आज जितना काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि कम से कम सवाया काम तो ज्यादा कर सकते हैं। हम इसकी चेष्टा करना चाहते हैं और बराबर करते रहते हैं। फिर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सजेशन दिये हैं उनको देखते हुए, उनके सुझावों का स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कृषि विभाग और पशुपालन विभाग की तरफ से काफी कुछ प्रगति, विशेष रूप से कई मामलों में की गई है। आम तौर पर प्रगति की तरफ ही बढ़ते जाने की कोशिश भी की गयी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं और आप सब भी इस बात से अवगत हैं कि चालू वर्ष से पिछले वर्ष काफी अकाल की स्थिति रही है। इस साल काफी देर से वर्षा शुरू हुई, उसके बाद कई क्षेत्रों में बहुत जोर से बरसात हो गयी और बाकी क्षेत्र में एक बार बरसात आने के बाद में आयी नहीं। फिर भगवान की कृपा से अच्छी रबी की फसल के वक्त में बरसात होने के बाद रोली, ओले और शीत लहर के कारण नुकसान हुआ। इसके बावजूद भी मैं यह समझती हूं कि कृषि विभाग ने पिछले कुछ समय में कृषि पद्धति को काश्तकारों तक पहुंचाने का प्रयास किया है या विभाग की तरफ से उन्नत बीज, खाद वगैरह बांटने की कोशिश की गयी है। पौध संरक्षण के सम्बन्ध में बहुत उत्तेजित माननीय सदस्य कल के दिन थे, उसके बावजूद भी मैं मानती हूं कमियां रहते हुए भी काफी आगे बढ़ने की कोशिश की गयी है। उनका उपयोग भी होगा। नयी टेक्निक, नयी क्राप्स, नये मैथड्स एडाप्ट किये गये और उन्नत किस्म के बीज, खाद दिया गया। पिछली बार जो बुवाई का खाद्यान्न का क्षेत्रफल था वह 122.46 लाख हैक्टेयर था उसके मुकाबले में इस बार 108 लाख हैक्टेयर ही था। फिर भी पिछले साल जो प्रोडक्शन हुआ उसके मुकाबले में प्रोडक्शन करने की हमने काफी कोशिश की। जहां फ्लड आया वहां बहुत कुछ तारामीरा, सरसों वगैरह बोने की कोशिश की। कुछ जगह नयी टेक्निक से, ए. सी. आर. से परामर्श लेकर, खाद्यान्न पैदा करने की कोशिश की। तो जहां एरिया कम हुआ वहां पर हैक्टेयर ईल्ड

(श्रीमती कमला)

ज्यादा बढ़ी। इस टेक्निक को ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को दिया गया, खास तौर से यह सलाह दी गयी कि कम पानी से जो खाद्यान्न हो सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बोने की कोशिश करें। हालांकि रोली, ओले से हमारा अनुमान कम आयेगा यह मैं मानती हूं। लेकिन फिर भी जो अब तक के अनुमान थे, वह यह थे कि पिछले साल के मुकाबले जहां 65 लाख टन उत्पादन माना था, उसके मुकाबले 66 लाख टन उत्पादन मानते हैं। जो खाद्यान्न का क्षेत्रफल है उसमें कितना ही कम सिंचित है, इसको मानते हुए भी मैं समझती हूं कि 122.46 लाख हैक्टेयर के मुकाबले में जब एरिया सिर्फ 108 लाख हैक्टेयर रहे तो उसके मुकाबले में उत्पादन भी कम होगा। किन्तु हमने काफी कोशिश की है, पर एकड़ अधिक ईल्ड लेने का प्रयत्न किया और उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। हालांकि खाद्यान्न का एरिया कम रहा हमने कोशिश की कि उत्पादन उतना ही हो लेकिन बाकी आयल सीड्स तिलहन का एरिया भी बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है। यह इसलिए बढ़ा कि बहुत से आयल सीड्स ऐसे थे जिनको पानी कम चाहिए था और बारानी जमीन पर होने की स्थिति में थे। काश्तकार ने पानी मांगने वाली फसलें कम करी, पानी कम मांगने वाली फसल थी, वह ज्यादा की। आयल सीड्स का क्षेत्र पिछले साल 10.56 लाख हैक्टेयर था लेकिन इस साल 13.84 लाख हैक्टेयर में आयल सीड्स की खेती की है। इसी तरह उत्पादन पिछले साल में हुआ 3.90 लाख टन लेकिन इस बार हम सोचते हैं कि 5.50 लाख टन होगा। यह बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। इसी प्रकार से दलहन में 30.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था, उसके मुकाबले 36.36 लाख हैक्टेयर दलहन का क्षेत्र हुआ है। उत्पादन हमारा 11.33 लाख टन के मुकाबले 16.76 लाख टन होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। शुगर केन का एरिया भी बढ़ा है और 29 हजार हैक्टेयर के बजाय 50 हजार हैक्टेयर बढ़ा है। 11.6 लाख टन के बजाय 19 लाख टन हमारा उत्पादन होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। काटन का भी 3.57 लाख हैक्टेयर का एरिया था, उसको 4 लाख हैक्टेयर तक बढ़ाया है और उसका उत्पादन 3.88 लाख गांठ था पिछली बार, हमारी यह उम्मीद है उसका उत्पादन 5 लाख गांठ हो सकेगा। ग्वार का एरिया भी 19 हजार हैक्टेयर के बजाय 20 हजार हैक्टेयर हुआ है उसका उत्पादन भी 3 लाख टन के बजाय 6 लाख टन होगा, ऐसी उम्मीद है। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, कोशिश हम अपने विभाग की तरफ से यह करते हैं कि हम अपनी स्टेट के कृषि उत्पादन को बढ़ाकर काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को सुधारें और साथ साथ राष्ट्रीय खाद्यान्न समस्या को हल करने में भी अपना योगदान करें। इसी प्रकार से जो उन्नत बीज वितरण करते हैं, उसमें भी हमारी तरक्की हुई है, 1.29 हजार टन के मुकाबले इस बार 1.43 लाख टन उन्नत बीज बांटे। खाद भी पिछले साल 1 लाख 35 हजार टन बांटी थी, उसके मुकाबले 1 लाख 64 हजार टन बांटी है। पौध संरक्षण के इलाके के सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने

(श्रीमती कमला)

शिकायतें की हैं, और वास्तविकता भी है कि पौध संरक्षण का काम नहीं हो पा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हम यह समझते हैं कि 31 प्रतिशत अधिक उपयोग दवाइयों का हमने इस बार किया है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसी प्रकार खास तौर से इस साल जौ, चना, सरसों के क्षेत्र में, इनके उत्पादन में आशातीत प्रगति हुई है उपलब्धियां हुई हैं। इसी प्रकार मूंगफली, सोयाबीन में भी हमारे व्यापक पैमाने पर प्रयोग सफल हुए। इसी प्रकार उन्नत फसलों का क्षेत्रफल जो पिछले साल था उसके मुकाबले काफी एरिया बढ़ा है। पिछले साल 19 लाख हैक्टेयर में उन्नत बीज, शंकर-बीज बोया गया था। इस बार 24 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाया है। इस कारण से मैं यह मानती हूं कि हमारा पर एकड़ ईल्ड ज्यादा आया और हमारे उत्पादन के लक्ष्य की भी पूर्ति की। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विशिष्ट योजनायें हम 82-83 के अन्दर लेना चाहते हैं, आम तौर पर जो हमारी 81-82 की उपलब्धियां थीं, जो खर्चा हुआ, कार्यक्रम रहे, वह इस बुकलेट में है। माननीय सदस्यों ने देखा है, इसलिए मैं उनको बता कर सदन का समय खराब नहीं करना चाहती। 82-83 का वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमने यह वर्ष उत्पादकता वर्ष देश में घोषित किया है इस दृष्टिकोण से हमने हमारे राज्य में कृषि उत्पादन का, उसके इनपुट्स का और तमाम स्कीम्स का फैलाव किया है। उदाहरण के तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे 81-82 में हमारा 66 लाख टन उत्पादन था, उसको 87 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। खाद्यान्न विशेषकर दलहन इसमें 87 लाख जो बताया है, उसके अतिरिक्त दलहन का 5.30 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य बनाया है। इसी तरह से तिलहन का इस वर्ष में 5.60 लाख टन उत्पादन था उसको 7.15 लाख टन पहुंचाना चाहते हैं। कपास का उत्पादन 5 लाख गांठों के बजाय 5.65 लाख गांठें करना चाहते हैं। गन्ना हमारा काफी अच्छे एरिया में बढ़ रहा है। उसको हम 19 लाख टन के बजाय साढ़े 24 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। इसी प्रकार जो हमारा उन्नत बीज का क्षेत्रफल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया इस साल 24 लाख हैक्टेयर किया है उसको हम अगले साल में 29 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि हम पर एकड़ ईल्ड ज्यादा ले सकें और हमारा उत्पादन का लक्ष्य भी इसी के मुताबिक बढ़ सके। बीज वितरण जो इस साल 1 लाख 43 हजार टन किया उसके मुकाबले 2 लाख 37 हजार टन तक का लक्ष्य करना चाहते हैं। काश्तकार इस दिशा में सहायता ले सकेंगे। उर्वरक हम 3 लाख टन वितरित करेंगे, जो कि पिछले साल के मुकाबले 84 प्रतिशत अधिक होगा। हम यह सोच रहे हैं कि चाहे एरिया कम हो लेकिन पर एकड़ ईल्ड ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा अच्छे इनपुट्स दे सकें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तीन लाख टन खाद देने का लक्ष्य है, इसके अलावा जैविक खाद देंगे 33 लाख अतिरिक्त, वह भी इस बार काश्तकार

(श्रीमती कमला)

तक पहुंचायेंगे । इसी प्रकार औषधियां, पौध संरक्षण का कार्यक्रम भी बनाया है, वह हमें इस बार बहुत छोटा लग रहा था, क्रियान्विति ठीक नहीं हो रही थी लेकिन अब की बार पिछली साल के मुकाबले 35 हजार का 65 लाख हैक्टेयर के अन्दर प्रयोग किये जाने का प्रावधान रख रहे हैं। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वर्ल्ड बैंक की स्कीमें चम्बल क्षेत्र की हैं, 17 विलेजेज ऐसे हैं, जिनमें हमारा टी एण्ड वी प्रोग्राम, प्रशिक्षण, कण्डक्ट करने का प्रोग्राम है । काश्तकारों को भी हम यह कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा ईल्ड ज्यादा हो, काश्तकार अब पहले मुकाबले ज्यादा से ज्यादा टेक्निक अपनाये । पिछला जो समय निकला, उसमें जो अनुभव हुआ, इस एरिया में 17 विलेजेज इस योजना, वर्ल्ड बैंक योजना में कोटा बून्दी वगैरह में है । उनकी जानकारी मिली है कि जब से यह स्कीम लागू हुई उसके बाद में काश्तकार ने बीज उपचार में 40 पर्सेन्ट से 67 पर्सेन्ट इस टेक्निक को अपनाया । इसी तरह से उन्नत बीज में 51 पर्सेन्ट तक इस टेक्निक को अपनाया और 47 से 67 पर्सेन्ट जिन एरिया में काश्तकारों ने उपयोग में लिया, इसका यूज किया, इसका परिणाम यह है कि खेतों की पर एकड़ ईल्ड बढ़ी है, 15 पर्सेन्ट से किसी, किसी क्षेत्र में 40 पर्सेन्ट तक फसलों की ईल्ड बढ़ी है। यह प्रोग्राम हमने लिया,इसका उत्साहवर्द्धक परिणाम आ रहा है, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं । आम तौर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम ये सारे इनपुट्स वगैरह पाते हैं और उनको नई टेक्निक भी सिद्धांत के तौर पर सिखा देते हैं उसके बावजूद जब तक फील्ड डिमान्स्ट्रेशन नहीं होता है तब तक काश्तकार उसको सही ढंग से पकड़ नहीं पाते । इसलिए आने वाले सालों में, इस उत्पादन वर्ष में हमने खास तौर से इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि हम फील्ड डिमान्स्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करें और काश्तकारों को नई क्रॉप और नई टेक्निक उसके फील्ड पर ले जाकर बतावें। तो इसके लिए हमने आने वाले साल में 11200 डिमान्स्ट्रेशन का प्रावधान रखा है। हमको उम्मीद है कि इसके सम्बन्ध में हम काफी अच्छा काम कर सकेंगे । इसके बाद में एक विशेष योजना 82-83 में हम लेने जा रहे हैं आयल सीड्स के प्रोडक्शन की । इसके माध्यम से हम आने वाले समय में जितने भी हमारे आयल सीड्स हैं, मेरा विचार है और मैंने विभाग के साथ में बातचीत भी की थी कि इसको हम सफल भी करना चाहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आयल सीड्स डवलप करने के लिए कार्पोरेशन बनाया हुआ है उसके तहत आयल सीड्स को तो वह डवलप कर ही रहे हैं लेकिन सोयाबीन का भी बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर डवलपमेंट हुआ है हम भी अपने स्टेट में इस दिशा में विचार कर रहे हैं कि हम उसी प्रकार का अगर एक कार्पोरेशन बनायें स्टेट में तो आयल सीड्स के प्रोडक्शन को और डवलप करने का काफी अच्छे तरीके से काम हो सकेगा । स्टार्ट विथ करने के लिए,

(8.22 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

हमने तिलहन विकास का आने वाले

(श्रीमती कमला)

समय में 1.55 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य बनाया है जो कि आगे प्रगति देने वाला होगा। इसी प्रकार से एक विशिष्ट प्रोग्राम जो बनाया गया है सीड के लिए, सीड की प्रगति करने के लिए मूंगफली, जो काफी अच्छी एक डवलपिंग चीज है को यह सफेद लट बहुत बरबाद करती है। इसके लिए हम पिछले काफी वक्त से भारत सरकार को लिखते रहे। आने वाले सालों के लिए हमको भारत सरकार ने 50 पर्सेन्ट केन्द्रीय अनुदान मूंगफली की फसल सुरक्षा के लिए, सफेद लट को मारने के लिए देने की हां की है। इससे, मैं समझती हूं, हमारा जो मूंगफली का प्रोडक्शन है उसको काफी हद तक ऊंचा उठा सकेंगे। इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोयाबीन हमने हमारी स्टेट में पिछले साल 13 हजार हैक्टेयर में किया। यह एक शुरूआत की स्थिति थी, इसके काफी उत्साहवर्द्धक परिणाम मिले हैं। यह सच है 10 हजार हैक्टेयर जो हमने कोटा में किया उसके बाद तीन हजार हैक्टेयर में उसको किया उसके बजाय उन परिणामों के कारण आने वाले साल में 50 हजार हैक्टेयर में हम सोयाबीन की खेती करने का अपना लक्ष्य रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कपास हमारे स्टेट में एक बढ़ती हुई फसल है उसको बचाने के लिए, पर एकड़ उसकी ईल्ड ज्यादा लेने के लिए एक विशिष्ट योजना आने वाले साल के लिए बनाई जा रही है। आने वाले समय में 1.87 लाख गांठ के मुकाबले 5.25 लाख गांठ का हमने मौखिक प्रावधान रखा है यानी 1 लाख 87 हजार के मुकाबले 5 लाख 25 हजार का लक्ष्य जो है वह काफी बढ़ा हुआ लक्ष्य है। जो कपास के लिए भारत सरकार की एक केन्द्रीय परिवर्तित योजना है उसके तहत 50 पर्सेन्ट अनुदान इसकी सुरक्षा के लिए मिलता है पौध सरक्षण के लिए। पौध संरक्षण के लिए जो हमको ग्रान्ट मिलती है उसका काश्तकारों ने अच्छा उपयोग किया। नयी टेक्निक उनकी अपनाई तो गंगानगर के इलाके में जो राशि मिली उसके मुताबिक 300 के. जी. पर हैक्टयर ईल्ड वहां के काश्तकारों ने ली है जो कि उत्साहवर्द्धक हमारे लिए है। इसी प्रकार से आने वाले समय में टुवन्टी पाइन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत भी और वैसे उत्पादक वर्ग को देखते हुए भी दलहन विकास का विशेष कार्यक्रम लिया जा रहा है। उस दलहन विकास का एक ओर प्रति एकड़ ईल्ड बढ़ाने का कार्यक्रम हम ले रहे हैं और दूसरी तरफ उसके एरिया को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, जैसे 1981-82 में जो हमारा उत्पादन 16.20 लाख टन था अब हम उसको 22.20 लाख टन तक बढ़ाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जौ, चना, अरहर, मोठ, उड़द, मूंग वगैरह की पर एकड़ ईल्ड को बढ़ाना चाहते हैं जिससे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार देश के अन्दर जो पल्सेज की कमी है, आयल सीड्स की कमी है उनको दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट योजनाओं को लिया गया है।

एक और अलग विशेष कार्यक्रम जो अगले वर्ष लिया जाना है वह है चुकन्दर का। चुकन्दर का उपयोग आप जानते हैं अनेक कामों में होता है और चीनी का

(श्रीमती कमला)

उत्पादन भी हमने उससे शुरू किया था। 81-82 में इसका जो हमने एरिया लिया था वह सिर्फ 750 हैक्टेयर था अब हम इसको 82-83 में 2 लाख 82 हजार हैक्टेयर करके इस प्रोग्राम को काफी बड़े पैमाने पर एकदम लेने का सोचते हैं जिससे कि इसकी खेती के क्षेत्र को बढ़ाने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकें।

इसके अलावा पिछले साल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कृषि विभाग में एक मास्टर प्लान, जो फलोद्यान का था, की शुरूआत की। अभी तक कृषि विभाग खास तौर से जो खाद्यान्न हैं उनके उत्पादन की ओर ही अपना ज्यादा ध्यान देता था। फलोद्यान काश्तकार का सब्सिडियरी धन्धा है जो बहुत हद तक सप्लीमेंट कर सकता है इन्कम को, उसकी ओर थोड़ा कम ध्यान हम दे रहे थे। पिछले साल हमने शुरूआत की कि हम अपने प्रदेश के अन्दर इनको भी करें पिछले साल हमने 13 लाख फलदार पौधे हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर बांटे। उसके बहुत अच्छे संकेत मिले हैं जो सूचना मिली है, उसकी जो सर्वाइबल रेट है वह 70 पर्सेन्ट तक और 65 पर्सेन्ट तक सर्वाइवल रेट हमारे प्रदेश में आई है, तो हमको उम्मीद है कि इसको हम अच्छा कर सकेंगे। झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने सन्तरे की फसल की चिन्ता व्यक्त की। वहां हमने पिछले साल काफी अच्छा फैलाव इसका किया, इसको प्रोत्साहित भी किया लेकिन समस्या यह हो गई उनको अभी अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। अच्छी कीमत इसलिए नहीं मिल रही है कि एक तो स्टोरेज की कैपेसिटी कम है दूसरा प्रोसेसिंग प्लान्ट लगना चाहिये उसकी कमी है। मैं जब पिछली बार झालावाड़ गई थी तो वहां लोगों ने बताया। मैं प्रयत्न करवा रही हूं, और काश्तकारों को उत्पादन का पूरा लाभ मिले, उनको पूरी कीमत मिले इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष हालांकि यह अपने आप में बहुत उत्साही प्रयत्न है लेकिन सब्जियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है सब्जी की कमी के कारण से सब्जियां महंगी भी मिलती हैं और सब्जी कम मिलने से विटामिन वगैरह की कमी होने से शारीरिक पौष्टिकता कम होती है।

श्री अध्यक्ष : सब्जियों की कीमत बहुत कम आती है।

श्रीमती कमला : बहुत ज्यादा आती है।

श्री अध्यक्ष : बहुत कम आती है काश्तकारों को।

श्रीमती कमला : नहीं बाजार में बहुत ज्यादा है, यह कह रही हूं। काश्तकारों को तो बहुत कम मिलती है लेकिन बाजार में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। यह जो सिस्टम है उसकी खराबी है लेकिन मैं मानती हूं कि जब काश्तकार खेतों पर फसल पैदा करते हैं कोई फल पैदा करते हैं, अगर एक छोटा सा प्लाट सब्जी के लिए भी रखें तो अपनी जरूरत है उसको भी पूरा करेंगे और....

श्री अध्यक्ष : उससे और ज्यादा सस्ती हो जायेगी ।

श्रीमती कमला : और बाजार भाव देखते हुए उनको भी लाभ मिल सकेगा । आज के दिन तो बाजार भाव काफी अच्छे हैं मुझे पता नहीं आगे कम हो जाय तो । हम इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी बढ़ायें । पिछले साल हमने एक विशिष्ट योजना ली थी, अगली बार हम सात जिलों में योजना को लेने की सोच रहे हैं । यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खेती से सम्बन्धित योजना है, प्रमुख हमारे कार्यकलाप हैं उनके बारे में आपसे निवेदन किया है । खेती से ही सम्बन्धित जो हमारा विपणन बोर्ड है वह इस काम में लगा हुआ है । बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि काश्तकार जब पैदा करता है तब उस को कितना उसमें खर्च करना पड़ता है, कास्ट आफ प्रोडक्शन जो होती है वह कास्ट आफ प्रोडक्शन उसको बाजार में जाने पर इसलिये नहीं मिल पाती कि कृषि उपज मण्डी है वह अपने आप में एक शोषण का स्थान है उसमें नीलामी लगती है और कई बातें होती हैं, जो माननीय सदस्यों ने कही और हम भी जानते हैं कि फसल की जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है इसको देखते हुए उसको फेयर प्राइस नहीं मिलती । इसलिए सरकार ने पिछले वर्ष से नियमित मण्डियों का कार्यक्रम चलाया है । आज राजस्थान में 130 प्रमुख मण्डियां और 192 गौण मण्डियां हैं, नियमित रूप से घोषित की हुई हैं । इन मण्डियों में अच्छे ढंग से और सभी सुविधाओं के साथ में व्यापार चले इसके लिये राज्य सरकार ने समय समय पर अपनी योजना ए. आर. डी. सी. को बनाकर भेजी हैं उनके तहत हमारी कुल 65 मण्डियां या तो बन चुकी हैं या बनने के करीब हैं । वह हम तैयार कर रहे हैं, बाकी नई मण्डियों के लिये भी योजना कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं । उनको भी हम तैयार कर रहे हैं । हमारी इन मण्डियों की आमदनी पिछले साल थी वह 9 करोड़ 33 लाख थी इस साल हमारी आमदनी 9 करोड़ 25 लाख रुपये के करीब रही । यह घटी इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जो सूखा पड़ा और बाढ़ आई तो फसलें कम हुई और समय पर नहीं पहुंची । कम पहुंचने का भी कारण बना । इसलिये इसकी आमदनी हम कम आंक रहे हैं । हालांकि मार्च के अन्त तक कितनी आमदनी होगी इसका ब्यौरा नहीं है, फिर भी हमारा अन्दाज है । इसी प्रकार से जो पिछली बार हमारी आवक थी कुछ मण्डियों में घटी है, लेकिन फिर भी हमने समय समय पर मण्डी समितियों के सचिवों को तकाजा कराकर कोशिश यह की है मण्डी समितियां ज्यादा से ज्यादा काम करें । कुछ मण्डियां ऐसी थीं जो 25 प्रतिशत से नीचे लास में जा रही थीं । कुछ मण्डियों पिछले साल के मुकाबले 25 से 61 पर्सेंट से कम में जा रही थीं उनको हमने बढ़ाया है । काफी मण्डियां सुधारने की हमने कोशिश की है । उसके अलावा जो मुख्य काम हमारा कृषि विपणन बोर्ड कर रहा है वह सड़कें बनाने का कार्य कर रहा है । मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि यह ठीक है कि कई जगह पर यह शिकायत है कि सड़क अधूरी रह गयी है क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब से

(श्रीमती कमला)

बोर्ड ने सड़कें बनाने का काम अपने हाथ में लिया चाहे वह मण्डी के माध्यम से हो चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से, लेकिन जितना लिया है वह 12 करोड़ 86 लाख रुपये का काम लिया है। इतनी राशि पिछले 5–6 वर्ष में ली। उसके पेटे हमने 857 किलोमीटर सड़क बनाई। जब कि इस वर्ष अकेले हमने उसके मुकाबले में 16 करोड़ 50 लाख रुपये की सड़कें स्वीकृत की हैं, उसके पेटे 700 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। हो सकता है कि बहुत सी जगह पर कुछ टेण्डर के अभाव में न बनी हों, हमारे एस. ई. बीमार हो गये थे, लड़के की मृत्यु हो गयी तो वह काम नहीं कर सके, कुछ जगह हमारी खाली रहीं। हमने यह काम किया यह अकेले 8 महीने का प्रयास था, हो सकता है रुपया उपलब्ध इतना न हो, जितना हमने आंका है, लेकिन हम इतना अचीव कर सकेंगे जितना पिछले पांच–छः साल में नहीं हो सकी। इस सड़कों के बनने के जरिये से मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि 220 पंचायत मुख्यालय इन सम्पर्क सड़कों के माध्यम से जुड़ गये हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो कि हमारे राज्य की प्रगति में आने वाले समय में अच्छा सहयोग देने वाली होगी। इसके बाद जो बड़ी स्कीम, बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण स्कीम कृषि विपणन बोर्ड ने ली है जिसका माननीय सदस्यों ने कई बार तकाजा किया है कि हम काश्तकारों की उपज है उसको कुछ समय के लिये रख सकें और नीलामी में न जाना पड़े इसके लिये यह व्यवस्था करी है कि जब काश्तकार अपनी फसल लाकर गोदाम में रख दें और उसके पेटे बैंकों से 80 पर्सेन्ट मार्केट रेट का उसको मिल जाये बाकी का बाद में एडजस्ट हो। इस योजना को हमने इस साल शुरू किया है और भारत सरकार से 77 गोदामों की योजनायें स्वीकृत कराई हैं। जिसमें से हमारे 46 गोदाम निर्माणाधीन हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2–3 महीनों में कई गोदाम बनकर तैयार हो जायेंगे। इसके अलावा 54 गोदामों की और हमने भारत सरकार को स्वीकृति के लिये भेजी है। उसके अलावा हमारे यहां पर काफी तादाद में कार्पोरेशन हाउसिंग के भी हैं, सहकारिता डिपार्टमेंट के भी हैं इन सबका उपयोग करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि इस वर्ष हमने यह व्यवस्था की है कि आप भी अपना सहयोग दें यह वांछित भी है। हम हर एक जिले में एक दो कृषि उपज मण्डियों के अन्दर यह प्रयोग करना चाहते हैं कि काश्तकार अपनी उपज को नीलामी के अन्दर न ले जाये वह गोदाम में लाकर अपनी फसल को रखे। मार्केट रेट का 80 प्रतिशत हम बैंकों से उनको दिलायेंगे। इसके लिये हमने बैंकों से बात कर ली है, हमारी योजना पुख्ता रूप से तय हो चुकी। हम यही चाहते हैं कि हम काश्तकारों को मोटीवेड करें कि वह सीधे नीलामी के जरिये....

श्री अध्यक्ष : कुछ भेड़ ऊन वर्गीकरण के लिये बनाये थे, उनको भी इसमें ले लें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती कमला : मैंने आपसे कहा कि जितनी भी संस्थायें हैं और विभागों के

(236)

(श्रीमती कमला)

गोदाम में हम उनका सहयोग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि काश्तकार ट्रेडिशन में पड़ा हुआ है। वह सीधे का सीधा उस नीलामी में जाता है। हम तो प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रतिनिधि जो हमारे हैं उनका सबसे पहला काम होगा कि कम से कम जिलेवार एक मण्डी चुने अगर आप उसमें सहयोग दें तो मैं समझती हूं कि यह कार्यक्रम सफल हो जायेगा। हम सभी जानते हैं कि सहकारिता विभाग का बड़ा कार्यक्रम यह है कि वह गोदामों में काश्तकारों की फसलों को रखे और उसके पेटे उनको एडवांस दें जिससे वह शोषण से मुक्त हों। लेकिन वह नहीं कर पाये और योजना फेल हो गयी....

श्री अध्यक्ष : यह भेड़ों वाला कार्यक्रम, जिसके लिये मैंने कहा था, मेरे खयाल से इसी तरह फेल हो गया ...

श्रीमती कमला : इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य इस योजना को सफल करने में मेहनत से, परिश्रम से, लगन से सरकार की मदद करें। खास तौर से मैं अपनी इस विशिष्ट योजना को सफल कराना चाहती हूं जिससे काश्तकारों का आगे का रास्ता खुल जाये। अगर यह योजना भी फेल हो गयी तो इसकी ओर कोई भी नहीं झांकेगा। यह योजना खतम हो जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि मैंने जो काम हाथ में लिया है, इसको मन से, भावना के मुताबिक सफल बनाना हमारा सबका काम है।

इसके अलावा इस विपणन की शृंखला को ऊपर से नीचे तक जोड़ने के लिये हम गांवों में जमीन पर साग-सब्जी लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे गन्दे वातावरण में जहां पानी का इन्तजाम नहीं, छाया का इन्तजाम नहीं तो उसके लिये हमने भारत सरकार से 140 ग्रामीण हाट बाजार की योजना के लिये कहा है कि इसके पेटे हमको भारत सरकार 2 करोड़ 10 लाख रुपये का अनुदान दे, उसके पेटे हमको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा जो हम लगा रहे हैं। आने वाले समय में 140 स्थानों पर ग्रामीण हाट बाजार खुल जायेंगे जो कृषि विपणन क्षेत्र में अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को एक जानकारी देना चाहती हूं, हालांकि इसमें अभी निर्देश हुए या नहीं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी आकांक्षा है उसके लिये हम बहुत तेजी से प्रयत्नशील हैं। हमने समय-समय पर केन्द्रीय कृषि मन्त्रीजी से लिखा-पढ़ी की और मुख्य मन्त्रीजी के साथ भी हमने कोशिश की कि वह योजना हमको मिले, नेशनल सेण्टर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की 20 करोड़ की एक योजना है, उसको भारत सरकार से जयपुर के लिये मन्जूर कराने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। हमको यह उम्मीद है कि यह योजना है इसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है, जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक स्कीम है, यह योजना लेने में हम प्रयत्नशील हैं। मुझे उम्मीद है कि हम 20 करोड़ रुपये की योजना को जयपुर में स्थापित करने के लिये सफल हो सकेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

(श्रीमती कमला)

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि से सम्बद्ध जो विशिष्ट योजनायें हैं और बहुत ही संक्षेप में थोड़े से में जो खास खास कार्यक्रम हैं उनका और ध्यान दिलाऊंगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और सदस्यगण शायद थक रहे होंगे। सबसे बड़ी उपयोगी स्कीम जो हमारे राज्य में चल रही है वह समग्र ग्रामीण विकास की योजना है। इस योजना में पिछले वर्षों में हमने राष्ट्र के जितने भी प्रदेश हैं उनमें अग्रणीय काम किया है। न सिर्फ केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय ने बल्कि माननीय प्रधान मंत्री ने भी सराहा है। हमने 1980–81 में इन स्कीम्स के तहत में 11.5 करोड़ की सब्सिडी दी थी उन लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे होने के कारण से आत्म स्वावलम्बन के धंधों के लिये चयनित किये गये थे, उसके मुकाबले हमने 20 करोड़ का बैंक से लोन उनको दिया था। उसके अगेन्स्ट जो फेमिलीज बेनीफिटेड हुईं, जिन परिवारों को इससे लाभ मिला वह 82 हजार थी। इस चालू वर्ष में हमने अभी बड़े पैमाने पर इस काम को लिया है। 1981–82 में 17 करोड़ का हमने अनुदान रखा और उसके पेटे 25 करोड़ की ऋण व्यवस्था बैंक के माध्यम से की है। इसके माध्यम से हम 1.41 लाख फेमिलीज की इस साल स्वावलंबन के धंधों के लिये और स्व उद्योग के लिये मदद करने जा रहे हैं। पिछले साल और इस साल भी जिनकी मदद की उनमें 52 प्रतिशत वे लोग हैं जो कास्ट और ट्राइब के हैं।

इसी कार्यक्रम के तहत पिछली बार हमने 10 हजार व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी, जिस ट्रेनिंग के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा यह वास्तविकता है कि कई बार ट्रेनिंग के लिये जो धंधा हम चुनते हैं तो एक जगह पर एक एक दो दो धंधे चुन लेते हैं, बाकी धंधों को हम माइनस कर लेते हैं, यह कमी है। दूसरी कमी यह है कि जिनको ट्रेनिंग देते रहे, उनमें से कई वहां से निकलते ही अपने धंधे पर नहीं लग पाये तो कई ऐसे हैं जिनको एम्पलाइमेंट अभी नहीं मिल पाया हालांकि हमने ट्रेनण्ड तो कर दिया। पिछली बार जब ट्रेनिंग लेकर निकलते थे तब हम उनके कागज, पत्र तैयार करते थे और व्यवस्था करते थे सेल्फ–एम्पलायमेंट की लेकिन इस बार हमने पहले से ही निर्देश दे दिये हैं कि जब से वह ट्रेनिंग में जायेगा, उसी दिन उसके लोन की तमाम फार्मेलिटीज पूरी कर तमाम व्यवस्था हो जाये और जब वह ट्रेनिंग लेकर निकले उस समय उसके हाथ में तमाम कागज, लोन, जमीन वगैरह जो कुछ है उनके हों ताकि ट्रेनिंग लेकर निकलते ही अपने धंधे पर लग जाये और किसी तरह बेरोजगार न घूमे। इस साल हमने 10 हजार के मुकाबले 14 हजार को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा था जो पूरा होगा। 1982–83 में और बढ़ाना चाहते हैं, 17 करोड़ रुपये के मुकाबले 18.80 करोड़ तो हम सब्सिडी रखने जा रहे हैं और 25 करोड़ के मुकाबले हम 27 करोड़ के ऋण की व्यवस्था करना चाहते हैं। इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में बहुत उपयोगी योजना है और राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान करने जा रही है।

इसके बाद जो विशिष्ट योजनायें हैं डी. पी. ए. पी. और डी. डी. पी., सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना और रेगिस्तानी

(श्रीमती कमला)

विकास परियोजना उनमें जो सामान्य तौर पर कार्यक्रम चलते हैं उनको मैं आपके सामने नहीं लाऊंगी लेकिन उनमें खास तौर से तीन चीजें जो हमने इस बार की हैं उनकी ओर मैं जरूर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एक तो यह कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक मनुष्य के पीने के पानी का ...

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैंने आपको इजाजत नहीं दी थी बोलने की।

श्री कमला : अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों, सूखा संभावित और रेगिस्तानी इलाकों में में मनुष्यों के पीने के पानी की व्यवस्था तो डी. पी. ए. पी. और डी. डी. पी. में थी लेकिन पशुओं के पानी की व्यवस्था का किसी क्षेत्र में प्रावधान नहीं था। हमारे राज्य में चूंकि यह बहुत बड़ी आवश्यकता रही है और बराबर हम इसका तकाजा करते रहे हैं। इस बार हमें भारत सरकार ने इजाजत दी कि आप इसके तहत अपनी पशु पेयजल योजना है उसको लागू करें और जहां जहां भी आपको इस प्रकार की समस्या नजर आती है उसकी आप पूर्ति करें। उसके तहत हमने 84 लाख रुपया स्वीकृत किया है जिसमे हम टांका भी बनाते हैं, कुंड भी बनाते हैं और जो पुराने तालाब हैं उनको गहरा भी करवाते हैं, मरम्मत भी करवाते हैं पेड़ियां भी बनवाते हैं। इसके लिये 84 हजार का प्रावधान पहली बार मिला।

इसी के साथ में जो नया कार्यक्रम हमने भारत सरकार को दिया, जो हमारे यहां विशेष उपयोगिता की चीज है वह यह है कि जो हमारे यहां खड़ीन बनती है उससे एक तरफ हम लैंड ड्यूण्स को स्टेबिलाइज करने का काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कई तरह से उसका उपयोग होता है। लगातार हमने कोशिश करके भारत सरकार से इसे हमने मंजूर करवाया है। उनके पेटे हमने 9.74 करोड़ का 101 खड़ीनों को बनाने का प्रोग्राम लिया है। इन खड़ीनों को बनाने के लिये जो पैसा आज डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट अथारिटीज के पास में है उसको लगाने के लिये उन्होंने हमको इजाजत दी है उसके तहत वह काम कर रहे।

इसके अलावा जो दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम, अध्यक्ष महोदय, लिया वह यह कि डी. पी. ए. पी. और डी. डी. पी. के अन्दर आने वाला जो क्षेत्र है उनका जो क्राइटेरिया भारत सरकार ने निर्धारित किया था, हमारे प्रदेश के कई ऐसे जिले और ब्लाक्स थे जो उस क्राइटेरिया में आते हैं लेकिन वह अभी तक नहीं लिये गये। अब की बार हमने भारत सरकार से यह लिखा है कि आपके क्राइटेरिया के तहत हमारे जो क्षेत्र आते हैं उनको भी शामिल करिए। क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो मत करिए लेकिन क्राइटेरिया में आते हैं फिर भी हमारे प्रदेश के ऐसे जिले और ब्लाक्स को इससे महरूम कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। हमने बार-बार तकाजा किया तो हमारे यहां 5 जिले और 27 ब्लाक्स इस क्षेत्र के अन्दर आये, इस बात की हमने लिखा-पढ़ी की है और आपको ध्यान है सूरतगढ़ में कृषि मन्त्री आये राव वीरेन्द्रसिंह जी तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अगर क्राइटेरिया में आते हैं तो आपके क्षेत्र को भी शामिल करेंगे।

इसके अलावा चौथा कार्यक्रम विशेष

(श्रीमती कमला)

चल रहा है जिसकी आपको जानकारी है मरु उद्यान, नेशनल डेजर्ट पार्क बना है उसके लिये 43 लाख रुपये की जो राशि मन्जूर करवाई है उसके तहत में कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार से डी. पी. ए. पी. व डी. डी. पी. का हमारा कार्यक्रम है इसमें 3-4 योजनायें हमने विशेष तौर से जोड़ी हैं जो हमको आगे ले जाने में कारगर सिद्ध होंगी।

कृषि के अलावा पशुपालन और भेड़ ऊन योजनायें हैं। सारे में तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि सारा प्रगति विवरण में दिया हुआ है लेकिन पशुपालन क्षेत्र में एक विशिष्ट कार्य जो इस बार हमने किया वह यह है कि जो इकाइयां थीं उनको हमने ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचाने की कोशिश की। यह 20 संकल्प के अन्तर्गत है। हमने 168 कुक्कुट इकाइयां, एक में 200 के करीब बर्ड्स होते हैं, स्थापित करने का कार्य किया है, उसके तहत में अनुदान दिया है, चारे आदि के रख रखाव का इन्तजाम भी किया है। बाकी सबसे बड़ी कमी जो इस विभाग में रही है वह यह है, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, जितनी हमारी पशु संख्या है उसके मुकाबले में रफ्तार से हम पशु चिकित्सालय नहीं खोल पाये हैं। इस साल 30 पशु चिकित्सालय मरु क्षेत्र में खोले क्योंकि भारत सरकार उसके लिये 50 प्रतिशत अनुदान देती है। बाकी जितने इलाके हैं वहां एक भी चिकित्सालय नहीं खोल सके, अगले साल खोल सकेंगे या नहीं वह भी संदेहास्पद है। इस मामले में हमारी काफी कमजोरी है। हम चाहते हैं कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें तो पशु धन का संरक्षण करने में संवर्द्धन में काफी काम कर सकते हैं।

इसी प्रकार भेड़ व ऊन महकमे में आम तौर पर जो सामान्य कार्यक्रम है वह तो हो रहा है लेकिन दो तीन कार्यक्रम विशेष तौर से हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान में लगभग एक करोड़ भेड़ें हैं। एक करोड़ भेड़ों पर आश्रित परिवारों की संख्या 2 लाख के करीब है। उन दो लाख परिवारों के एक करोड़ भेड़ों के संसर्ग में 15 लाख लोग रोजगार अपना ले रहे हैं। इस भेड़ व ऊन का संवर्द्धन-इसका विकास अपने आप में राजस्थान को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस दृष्टि से एक विशेष कार्यक्रम लिया गया है वह यह है कि जनवरी, 1982 में 5521 इकाइयां भेड़ों की काश्तकारों को दी थी। उसके तहत मैंने बताया आई. आर. डी. की स्कीम्स, जिसमें कास्ट व ट्राइब और स्माल फार्मर्स वगैरह को सब्सिडी मिलती है, मैं उनको सब्सिडी भी दी है बहुत सारे जो एलीजबल थे उनको लेकिन 5521 इकाइयों का मतलब यह है, 30 भेड़ों और 1 मेंडे की इकाई को हम एक इकाई मानते हैं तो इस प्रकार 5521....

श्री अध्यक्ष : संकरण से प्रजनन हुई भेड़ें।

श्रीमती कमला : काश्तकार अगर अच्छे उन्नत किस्म की भेड़ ला सकता है तो उसके लिए भी देते हैं। अगर उन्नत किस्म की भेड़ न मिले तो हम देते हैं क्योंकि हमारे यहां की भेड़ तो कई जगह से अच्छी है सभी प्रकार की भेड़ों के लिये लेकिन जोर इस बात पर दिया जाता है कि उन्नत किस्म भेड़ों की यूनिट वह बनाये जिससे उनको आर्थिक लाभ मिल सके।

(२५०)

(श्रीमती कमला)

तो इस प्रकार यहां पर बनाई गई है। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि 107 लाख रुपये इसके पेटे अनुदान राशि दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : यह जो सीकर में है वही है ना।

श्रीमती कमला : वह फतेहपुर के पास है।

श्री अध्यक्ष : इसके कुछ रिजल्ट्स आये आये हैं क्या ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसके कुछ रिजल्ट्स उत्साहजनक नहीं आये। क्योंकि काश्तकारों ने मेंढें मांगे पर उनकी मांग के मुताबिक नहीं दिये। मैं सीकर दौरे पर कुछ दिनों पहले गयी तो मुझे वहां शिकायत मिली। काश्तकारों ने कहा कि इसका इतना उपयोग नहीं हो रहा है जितनी कि काश्तकारों को उम्मीद थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : वहां पर मरनी बहुत है।

श्री अध्यक्ष : यही मुझे आशंका थी।

श्रीमती कमला : इसके अलावा इन भेड़ों के लिये सौ सौ एकड़ भूमि चरने के लिये तैयार करते है। हालांकि आपकी जानकारी में यह है कि यह जिस तरह से डवलप किये जाने चाहिये उस तरह से डवलप नहीं हो पाये हैं। इसके लिये डी. पी. ए. पी. और डी. डी. पी. मे भी स्कीम्स हैं दूसरे वहां पर इस तरह से विकसित हो रहे है। पिछली बार हमने इसके लिये 134 भूखण्ड रखे थे और चालू वर्ष में इसके लिये काम किया गया है जो करीब 13 या 14 हजार भेड़ों के लिये होगा। मगर, अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ उसका अन्दाज कम ही लगता है।

इसके अलावा झुन्झुनू जिले में और सीकर जिले में भेड़ के प्रजनन के लिये पांच केन्द्र चालू किये गये हैं उनसे भी लाभ मिल सकता है।

इसके अलावा जिन कृषकों के पास भेड़ें रहती हैं उन भेड़ पालकों को ट्रेनिंग देने के लिये विशेष तौर से इन तमाम दस जिलों में जो डेजर्ट एरिया हैं उनमें पांच दिन का प्रशिक्षण केन्द्र रखा है। पिछले साल 66 प्रशिक्षण शिविर लगाये गये जिसमें 2396 भेड़ पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वह किसी प्रकार अपने पशुधन को सुरक्षित रख सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो एक विशेष काम हुआ है, वह है राज्य में भेड़ ऊन सहकारी विपणन फैडरेशन बना है। उसने इस साल में मांस का व्यापार किया और ऊन बेचने और खरीदने का काम भी किया। चालू साल में 175 टन ऊन क्रय की गयी और 255 टन ऊन विक्रय की गयी।

श्री अध्यक्ष : जो अलवर में है उसके लिये कह रही हैं।

श्रीमती कमला : मीट प्लान्ट अलवर में है।

श्री अध्यक्ष : वह फ्रिज के लिए था। दिल्ली वाला तो फेल हो गया।

श्रीमती कमला : इस प्लान्ट के लेने के बाद जनवरी, 82 तक 250 टन मटन डिब्बा बन्द एक्सपोर्ट किया गया और 77.5 टन मीट एक्सपोर्ट किया गया । इसमें पिग्स को संरक्षण देने का और उसको पालने का एक थोड़ा सा उत्साहवर्द्धक रास्ता निकला है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मालपुरा में बहुत सारे मारे गये ।

श्री अध्यक्ष : वहां तो अनुसंधान केन्द्र है, बहुत मरते हैं ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग और फिशरीज विभाग पहलेएक ही विभाग था । इस साल से हमने फिशरीज का निदेशालय अलग से कायम कर दिया है । उसका डाइरेक्टोरेट अलग से कायम कर दिया है । हम यह चाहते हैं क्योंकि फिशरीज के क्षेत्र में हमारे यहां प्रगतिशील और अच्छा काम करने वाले हैं उनके हिसाब में हमारे स्टेट में इसके विकास की सम्भावनायें हो सकती हैं । हम चाहते है कि फिशरीज को जल्दी से जल्दी विकसित करें और उस हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करें । इस मामले में भारत सरकार ने हमारी बहुत अच्छी मदद की है । इस साल हमको 18 लाख 60 हजार रुपये का बजट दिया है । इसको एग्जामिन करवा के इनको मेन्टेन करने और बढ़ाने का जो कार्यक्रम है उसको टेक अप करेंगे । अभी दो महीने पहले भी ही हमने इसका डाइरेक्टोरेट कायम किया है । आगे आने वाले समय में उसका अच्छा प्रचार और प्रसार करेंगे और इसके काम को भी आगे बढ़ायेंगे ।

जहां तक, अध्यक्ष महोदय, डेयरी का सवाल है इसमें जो समस्या रही है वह यह रही है कि एक तो दुग्ध उत्पादकों को उनका पैसा सही नहीं मिलता है, दूसरे उनके दूध की जांच की जाती है तब कहा जाता है कि इसमें फेट इतना है और इतना नहीं है, इसके अन्दर काफी गड़बड़ियां हैं । इस कारण पैसे काफी समय तक नहीं मिल पाते हैं । दूसरी जो स्थिति है वह यह है कि डेयरी में बाई-प्रोडक्ट कम तैयार करते हैं इसलिए कोरे दूध का कम पैसा मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : तो फिर इतने बड़े सयंत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है ।

श्रीमती कमला : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, पिछली बार कोशिश करके इस डेयरी ने सरस नाम से मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन किया है, सरस नाम के घी का प्रोडक्शन किया है, सरस बटर भी तैयार किया है । यह तीन चीज अच्छी हैं, मैंने देखी हैं । उनके भाव जो अमूल डेयरी प्रोडक्ट के भाव हैं उनसे 25 पैसे, 20 पैसे और 15 पैसे कम हैं । अभी इसको बाजार में रखा है इसके सम्बन्ध में क्या सूचना आती है, क्या कमियां बताई जाती हैं, उसके मुताबिक इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे । भरतपुर में डालमिया डेयरी और जालोर में उडम डेयरी की जो प्राब्लम चल रही है, उसको भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो हम अपने कार्य क्षेत्र को फैला लें या अपने हिसाब से कार्य क्षेत्र को बांटे दें ताकि सघन रूप से दोनों अपने क्षेत्र में काम करें । नहीं तो दोनों ही उपेक्षित हैं । इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को काफी दिक्कत हो रही है । यह सारी बातें, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कीं । इसके साथ साथ

(श्रीमती कमला)

कुछ सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये, उसमें से दो चार बहुत उपयोगी सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष : एक दो मेरे भी सुझाव हैं।

श्रीमती कमला : आपके सुझाव हैं। इनके सुझाव के बारे में पहले बता दूं फिर आपके सुझाव के लिए निवेदन करूंगी।

अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि जल्दी से जल्दी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय को लागू किया जाय जिससे काश्तकारों की नयी पीढ़ी कृषि को समझे, हिम्मत नहीं हारे और समझ बूझ करके खेती के काम को अपनावे। साथ ही मुझे विचार आया कि अगर नीचे की कक्षाओं में भी हम एक सबजेक्ट कृषि का रखे....

श्री अध्यक्ष : ताकि बच्चों को नौकरी अच्छी मिल सके।

श्रीमती कमला : वह तो ठीक है। अभी भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए काफी एवेन्यूज हैं नौकरी के। बहुत ही कम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको कि नौकरी नहीं मिलती है। फिर सामान्य तौर पर जो काश्तकार का बच्चा है वह छुटपन में ही काश्त की जानकारी प्राप्त कर लेता है उसको नया ज्ञान हो जायगा। मेरा विचार है कि कृषि सब्जेक्ट को सिलेबस के अन्दर डाल दें और वह सबजेक्ट उनको पढ़ायें। यह एक अच्छा सुझाव है, हम लोग इसकी कोशिश करेंगे।

इसके साथ ही यह भी कहा कि एक नयी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कुछ एग्रीकल्चर कालेजेज खोले जाने चाहिए। इस दिशा में आप स्वयं ही प्रयत्नशील हैं। मैंने पिछली बार नीति के तौर पर घोषणा की थी, अलग यूनिवर्सिटी कृषि की कायम करने के लिये। वैसे डिफैक्टो तौर पर देखा जाय तो फॉर आल प्रैक्टिकल पर्पज, उदयपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही काम कर रही है। केवल घोषणा ही करना बाकी है, बाकी हमारे साधन एलाऊ करेंगे तो हम एक यूनिवर्सिटी और दो तीन कालेज कृषि के और खोल सकते हैं, और मौजूदा जो हैं उनको भी एक्सपेन्ड कर सकते हैं।

लेकिन यह पैसे के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा, जो ओला वृष्टि और शीत लहर से काफी हिस्से में फसलें नष्ट हो जाती हैं उसके मुआवजे का इन्तजाम किया जाय। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ओला वृष्टि से जो नुकसान होता है या देवी प्रकोप से जो नुकसान होता है उसके लिए प्रावधान किया हुआ है। जब गिरदावरी हो करके खरावा दर्ज होकर आ जाती है उसके पेटे भारत सरकार ने हमको कहा कि 75 प्रतिशत खर्च वह देगी और 25 प्रतिशत राज्य सरकार करेगी। जो खर्चा हो रहा है उसके लिये प्रावधान है, हालांकि इसको तुरन्त काम में लें, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आगे से हम इस प्रकार की कोई राशि अपने डिस्पोजल पर रखें, हम भी अपने बजट में इस प्रकार की व्यवस्था रखें ताकि महामारी और प्रकोपों से फसल को नुकसान हो तो हम उनको तुरन्त लाभ दे सकें।

(श्रीमती कमला)

माननीय अध्यक्ष, मैं सभी माननीय सदस्यों और विशेष तौर से आपका आभार मानती हूं कि मैंने जो अपनी बात कही उसके अन्दर आपका भी पूरा सहयोग रहा, धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों को इजाजत दे दूंगा। पहले उपाध्यक्ष महोदय कुछ पूछना चाहते हैं उनको मौका दूंगा क्योंकि उनको वाद विवाद में हिस्सा लेने का बहुत कम समय मिलता है। श्री उपाध्यक्ष।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (उपाध्यक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं Sorry, अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री महोदया का दो चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह कि गांवों के लड़के और गांवों के आदमी आज शहर की तरफ दौड़ते हैं। अगर उसको बन्द कर दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। वह शहर की तरफ नहीं आयें, इसका इलाज यही है कि गांव के हर किसान के परिवार की कम से कम, मैंने कम से कम कहा, अगर 6 हजार रुपए सालाना आमदनी हो जाय या इसका इन्तजाम हो जाय, तो देश के लिये बड़ी उपयोगी होगी।

आपने जो सुझाव दिये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। आपने कहा कि थोड़े पानी से पैदा होने वाली कुछ फसलों, जिसमें सब्जियां हैं, की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वह ठीक है। आप इसके लिए कोई प्लान बनावें जिसके जरिये प्रति किसान को कम से कम 6 हजार रुपये सालाना की आमदनी हो जाय तो देश का बहुत बड़ा हित होगा।

दूसरे यह है कि आम तौर पर किसान सारा कार्य करते हैं। किसान बेचारे बीज लाते हैं खरीद कर और हल बैल वगैरह से जोतते हैं जमीन को, फिर बरसात के इन्तजार में ताकते रहते हैं। बरसात नहीं होती है तो उसकी मेहनत अकारथ जाती है, उसका पैसा अकारण जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फसलों के बीमारी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिये बीमे का इन्तजाम होना चाहिये। यह आपकी स्कीम है। फसलों का बीमा हो तो उससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यह बहुत जरूरी चीज है।

तीसरी मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। किसानों को पूरा दाम नहीं मिलता अपनी फसलों का। आपने सुझाव दिया कि गोदाम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। मण्डियों में तो खाली गोदाम बनाने से काम नहीं चलता है। गोदाम वाले खा जायेंगे उनकी फसल को। इसलिये जरूरी है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाये जो गोदामों पर नियन्त्रण रखे। वह कमेटी किसानों की होनी चाहिये।

साथ में झालावाड़ जिले के फल, जैसे नारंगियों का आपने जिक्र किया। नारंगियों के दाम घट रहे हैं बल्कि बिलकुल सस्ती मिल रही हैं। इस कारण फल उगाने वालों को दाम पूरे नहीं मिल रहे हैं। इसके लिये जरूरी है कि गोदामों में कोल्ड स्टोरेज भी लगवायें ताकि वह प्रिजर्व हो सकें। दूसरे आपके जो फल हैं, सब्जियां हैं वह प्रिजर्व

(श्री अहमद बक्स सिन्धी)

की जाये। प्याज और आलू आदि हैं, यह प्रिजर्व किये जा सकें उसके लिए व्यवस्था आप कर रहे हैं मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और सही मायने में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं।

चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बीज निगम के घोटाले का जिक्र किया था। अब और ऐसे घोटाले हों तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। बीज निगम में कोई आफिसर, कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर नहीं बताया जा रहा है, वहां और कोई अधिकारी नहीं है। सिर्फ एक सेक्रेटरी काम करता है। वह सेक्रेटरी जैसा है हम जानते हैं उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। हमारे जोधपुर में सत्यानाश करके आया था। तो आप कम से कम उसकी निगरानी सख्ती के साथ रखें ताकि सही ढंग से काम हो।

श्री अध्यक्ष : श्री कौशल।

श्री तेजपाल यादव : जो बीज निगम में घोटाले हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य, इतना समय लगा दिया तो दो चार मिनट के लिए माननीय सदस्यों को नाराज थोड़े ही करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑइल सीड कार्पोरेशन आप बना रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। मेरा एक कटौती प्रस्ताव था कि सोयाबीन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जैसे मध्य प्रदेश में 650-700 रुपया प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है, उन्नत बीज दिया जा रहा है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्या यह योजना राजस्थान में लागू होगी या नहीं? हमारे यहां, आपने बताया था, हमने सोयाबीन का बीज दिया था वह इन्दौर की मण्डियों से खरीदा हुआ था वह उचित नहीं। वह उन्नत बीज पंतनगर का या और कहीं का होना चाहिए। 50 हजार हैक्टेयर का आपने लक्ष्य रखा है तो आप कितने उन्नत बीज को वितरित करेंगे और क्या अनुदान के लिए केन्द्र में परामर्श किया जायेगा।

दूसरे मैं निवेदन कर रहा था इस डिपार्टमेण्ट में एफीशियेन्सी लाने के लिए डाइरेक्टर की पोस्ट प्रमोशन से नहीं भरी जानी चाहिए। यह नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि टेक्निकल आदमी होना चाहिए। यह बात भी सच है कि टेक्निकल भी होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए। तो प्रमोशन से इसे नहीं भर करके इस पोस्ट को एडवरटाइज करके हिन्दुस्तान में बेस्ट पासीबल आदमी को लाने का आप विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि कृषि और पशुपालन दोनों घाटे के धन्धे हैं? और नहीं तो क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में जो राजस्थान सरकार के पास, कृषि विभाग के पास, पशुपालन विभाग के पास अपने

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कृषि फार्म्स थे और आपके पास सुपर स्केल के और सुपर टाइम के आफिसर्स थे, अच्छी से अच्छी खाद आपके पास उपलब्ध थी, अच्छे से अच्छा बीज आपके पास उपलब्ध था और बैस्ट गायें और भैंस उपलब्ध थीं, उसके बावजूद क्या वह घाटे में रहे ? और घाटे में रहे तो क्या कारण रहा ? और घाटे में रहने के कोई कारण थे तो वह क्या थे ? और यह बात सही है तो राजस्थान का किसान मौजूदा परिस्थितियों में किस प्रकार सम्पन्न हो सकता है, यह आप बता दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल ।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तो, बीज निगम की मार्फत रद्दी, सड़ा हुआ और खराब बीज आपने किसानों को दिया उससे काश्तकारों को भारी हानि उठानी पड़ी, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

दूसरा प्रश्न यह है, जो बीज, कमीशन के चक्कर में या व्यापारियों को फायदा देने के चक्कर में खरीदा गया वह मार्केटिंग सोसाइटीज और ग्राम सेवा सहकारी समितियों की शोभा बढ़ा रहा है; आप तो कह रहे हैं कि इतना बांट दिया; वह ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों की शोभा बढ़ा रहा है; क्या उस बीज को आप वापस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जी के जो तीन-चार सुझाव थे सबसे पहले मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहती हूं । वैसे फसल बीमे के लिए मैंने भी नोट कर रखा था कि मैं इसके बारे में कहूंगी । पिछले साल मैंने यहां असेम्बली में ही घोषणा की थी कि राजस्थान में फसल बीमा हम लागू करेंगे । उसके तहत मैंने बीमा कम्पनी के दो-तीन अधिकारियों को बुलाकर, कोआपरेटिव सैक्टर वालों को, प्राइवेट सैक्टर वालों को और एक जो नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी है उसको भी बुलाकर बात की । कई राज्यों में फसल बीमा हुआ है उसके सारे जितने प्रावधान थे उनको देखकर हमने घोषणा की थी । पिछले साल से वह लागू करना था और 21 तहसीलों में हम इसको लागू करेंगे । लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, उसकी जब डिटेल में हमने जांच की तो पता यह लगा कि उस इन्श्योरेन्स का काश्तकारों को कहीं कोई फायदा नहीं होता....

श्री अध्यक्ष : किश्तों में फायदा देना हो तो इस कम्पनी को नोट छापने की मशीन आप दिला दो ना ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जो उन्होंने प्रावधान बनाये हैं वह ऐसे हैं कि उनसे तो नहीं लागू करें तो अच्छा है । पूरे एरिया में इतना पर्सेन्ट घाटा हो और इस तरह के लोग हों तो उसमें इतना प्रतिशत हम देंगे, इतना प्रतिशत यह होगा । कुल मिलाकर पूरे इलाके में कहीं तो एक दो आदमी को कहीं सौ-पचास रुपये की व्यवस्था भी नहीं बनती थी । इसलिए हमको लागू करना उपयोगी नजर नहीं आया इसलिए हमने अभी तक रोक रखी है ।

(श्रीमती कमला)

हमने सारे राज्यों से सूचना मंगाई कि आपने जो लागू कर रखी है हमें बताओ तो वह हम लागू करें। उनकी मगाई तो वह भी इसी तरह की थी। मैं यह समझती हूं कि मेरी निगाह में किसी राज्य की ऐसी फसल योजना नहीं आई जिसको लगाकर आपके और हमारे सबके दिल खुश हों और सब्स-टैन्शल लाभ काश्तकारों को मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मेरा भी यही अनुमान था।

श्रीमती कमला : दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष जी ने कही कि ग्रामीणों को शहर की तरफ नहीं भागना पड़े, गन्दी बस्तियों में रहकर गन्दा काम न करना पड़े इसके लिए हमारे शहरों में रहने का और गांव छोड़ने का ट्रेडीशन बना हुआ है उसको बन्द करें। उसी के तहत, माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से की गयी है, जो समग्र ग्रामीण विकास की योजना है। इसमें दिक्कत इतनी आ रही है कि जो काम उनको देना चाहिए और जो काम देकर जो आप कल्पना करते हैं कि इतनी आमदनी तो उसको हो जानी चाहिए, उसमें हो सकती है; लेकिन उसको हम पूरी तरह से लागू करते हैं तो उसमें हमारी मदद लेने वालों को भी पूरी मदद नहीं होती। जैसे डेयरी के लिए किसी को भैंस खरीदवा दी, उसमें अनुदान भी दिला दिया और उसको तीन चार भैंसें दिला दीं। वह क्या करता है कि दो भैंस बेच आता है, और दो भैंस रखता है, कहीं कर्जा उतारता है और कहीं कुछ करता है। इस तरह भेड़, बकरियां या ऊंट लड्ढें की दुकान, साइकिल की दुकान, परचूनी, रिपेयर की दुकान, सैंकड़ों धन्धे तय कर रखे हैं। मर्जी आये जैसा धन्धा करें। उसको अपना रोजगार चलाने के लिये हम देते भी हैं, उसी के तहत हम सब्सिडी और लोन देते हैं। इस साल हमने 1 लाख 41 हजार लोगों को रिहेबिलिटेट करने का और अपाइन्टमेंन्ट देने का काम किया है। हमारे राज्य में 50 प्रतिशत आदमी गरीबी रेखा से नीचे हैं और 16 पर्सेन्ट लोग सब स्तर से भी नीचे हैं। कोशिश तो यह है कि हम उनको किसी स्तर तक ला सकें। हमारा काम भी व्यवस्थित है, जैसा मैंने बताया बाकायदा जो किया है ब्लाक वाइज नहीं किया है, बल्कि विलेज वाइज किया है आबादी के अनुसार किया है और उन्होंने एप्रीशियेट भी किया है। अब हम 6 लाख प्रति ब्लाक के बजाय 8 लाख प्रति ब्लाक देंगे। अभी आया नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे काम को सराहा है। हम चाहते हैं, गांव के आदमी रोजगार के लिये शहर में मारे मारे न फिरे और गांव को गांव में रोजगार मिल जाय।

तीसरी, फसल को गोदामों में रखने की जो बात कर रहे हैं वह गोदामों में रखने का सवाल नहीं है। गोदाम में जब ले जा करके रखेगा तो मार्केट रेट से उसको 80 पर्सेन्ट पैसा उसी वक्त मिल जायगा। इसलिये उसमें शंका करने की बात नहीं है। शंका यही है कि फसल को वह गोदाम में ला कर रख दे।

चौथी बात चौमूं से आने वाले माननीय विधायक ने जो कही और आपने भी रैफरेन्स दिया है वह यह है कि हमारे बीज निगम का जो सवाल है वह काफी आलोचना का विषय रहा है, कि उसमें काफी कमियां हैं,

(श्रीमती कमला)

खामियां हैं, गलतियां हैं। पिछले साल के मुकाबले मैंने सुधार किया है। वह बीज खरीद का मामला लोएस्ट टेण्डर वाले को देंगे। जितना ले सकेंगे उतना लेंगे। पिछले साल का कोई व्यापारी इस साल उपयोग न करें ले इसलिये हमने हर साल थैले का रंग अलग अलग किया है। इस साल केसरिया रखा है तो उससे पिछले साल हरा रंग था ताकि कोई उसको मिला न दे। उसकी 10-12 शर्तें जो होती हैं, वह मैंने स्वयं ने देखकर किया है। कुछ और व्यवस्था भी चेन्ज कर रहे हैं उसके बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं ह्यूमन फैक्टर आता है, उसमें अगर कोई ऐसी बातें होती रहती हैं तो आप लोग निगाह में लायेंगे तो उसके मुताबिक उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे दिल में यह दर्द है क्योंकि खास बीज ही एक ऐसी चीज है जिस पर खेती निर्भर करती है, बीज सही नहीं दिया तो उसकी सारी जिन्दगी ही चौपट हो जायगी यह कमी सामने आई है कि जिनका बीज खराब था, जर्मीनेशन पर्सेन्टेज कम था, टेस्टिंग के बाद उसका पर्सेन्टेज कम पाया गया उसके बावजूद बीज निगम ने उन काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया। तो उनके खिलाफ मैंने कार्यवाही करने का फैसला किया है। मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल किये हैं। इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, जिसके दिल में इस बात की लगन हो और तकलीफ हो तो वह ज्यादा सही ढंग से करेगा और जिसको इस काम का अनुभव नहीं होगा वह उतना नहीं कर सकता है। वैसे कोशिश हमारी यही है कि इस काम को सुधारें।

चौथी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, इन्होंने पहले भी सुझाव दिया है यह बहुत उपयोगी सुझाव है। सोयाबीन की खेती जो हम बड़े पैमाने पर लेने जा रहे हैं, उस सिलसिले में दोनों स्टेजेज पर अभी बहस कर रहे हैं और वह व्यवस्था हमें जरूर करनी है। पहली तो यह है कि हम उनको उन्नत बीज देवें हालांकि हमने इसके लिये प्रावधान रखा है। दो हजार किलोग्राम उन्नत बीज देंगे लेकिन सही बीज आवे ऐसी कोशिश करेंगे। जैसा आपने कहा....

श्री अध्यक्ष : सोयाबीन तो नया ही बीज है इसलिए उन्नत बीज ही आया होगा बाहर से। अभी दो-तीन से ...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : उनके हिसाब से उन्नत बीज कौन से हैं? जिसे सर्टिफाइड बीज कहते हैं वह जहां से मिलता है वहां से लेने की बात है। दूसरी बात, इसके लिये हम काश्तकारों को ट्रेनिंग देवें। दूसरी बात आप अभी कहना भूल गये लेकिन वह आपने कही थी, मुझे ध्यान है, कि अभी तक हम सोयाबीन के बीज का काश्तकारों को देने के लिये सपोर्ट प्राइस भारत सरकार से स्वीकृत नहीं करा पाये। जो सपोर्ट प्राइस हम काश्तकारों के लिए भारत सरकार से स्वीकृत करायेंगे उससे काश्तकारों को काफी फायदा मिलेगा, इस बारे में विचार कर रही हूं....

(व्यवधान)

यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं। सब्सिडी का प्रावधान वहां पर अगर भारत सरकार में है तो वह हम भी देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपने

(श्रीमती कमला)

जो प्रशासनिक सुधार के लिये कहा है, यह हमारे ध्यान में है कि हम किस प्रकार से प्रशासन को एक्टिवाइज करें ताकि उनकी जो जिम्मेदारी है वह समझें और उसी नीयत से काम करें, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे लेकिन फिर भी आप जानते हैं जिस। प्रकार की स्थितियां हैं उनमें जितने पर्सेन्ट तक हम ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना ठीक करने की कोशिश की है और भी करेंगे।

इसके अलावा अभी तो नहीं कहा लेकिन चर्चा के दौरान सुझाव दिया था, जिसको मैं एग्जामिन करवाना चाहती हूं कि कृषि को उद्योग घोषित किया जाय। यह बहुत बड़ी चीज कई दिनों से चली आती है। मैं इसको एग्जामिन करवाना चाहती हूं कि कृषि को उद्योग घोषित करवाने के लिये क्या-क्या प्रायर कन्डीशन हो, क्या-क्या शर्तें हों, उससे क्या-क्या लाभ होगा और क्या नहीं होगा। इसको मैं एग्जामिन करवाने की बात कह सकती हूं बाकी, घोषित कराने का उसके बाद नम्बर आता है।

श्री अध्यक्ष : घोषित करने से रेट बढ़ जायगी बिजली की।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्जामिन करवाने में तो कोई नुकसान नहीं है।

एक बहुत व्यावहारिक सुझाव है! फार्म वास्तव में बहुत नेगलेक्ट चले आ रहे हैं। श्रीरामसिंह जी विश्नोई ने ध्यान दिलाया है- कृषि फार्म्स के बारे में। पहले कृषि फार्म कृषि विभाग के पास था, फिर एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को दिया कि आप इसके अन्दर सीड मल्टीप्लिकेशन का काम करिये, जो चीज तैयार हो उसको काश्तकारों को दीजिये। यह एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को दिया तो बिलकुल खाली पड़ा रहा और कोई पैदा नहीं किया। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये सारे फार्म कृषि विभाग में ले लिये हैं। मैंने सीड कार्पोरेशन को यह कहा है कि आप कृषि के साथ ताल मेल बैठा करके, चर्चा करके एक प्लान करिये, राजस्थान बाजरा ग्रोइंग स्टेट रहा है और आप बाजरे का सीड लाते हैं आन्ध्र प्रदेश से, कर्नाटक से इसलिये यह हमारे लिये कोई अच्छी चीज नहीं है। हमें बाजरे का सीड कितना चाहिये और कहां कहां बाजरे के खेत तैयार कर सकते है और बाकी की फसलों का भी कौन कौन सा बीज तैयार कर सकते हैं। सीड कार्पोरेशन ने हमको यह कहा है जो एडवान्स पैसा आपको सीड ग्रो करने के चाहिये, खेत को तैयार करने के लिये चाहिये, वह हम देने को तैयार हैं। आपको यह प्लान देंगे कि हमको इतने और इस तरह के बीज चाहिये। तो कृषि विभाग का और सीड कार्पोरेशन का ताल मेल बिठाया है लेकिन उसमें जो एक छोटा पुर्जा है वह मिसिंग है वह यह है कि जो इन सीड फार्म पर कर्मचारी थे उनके वित्तीय प्रावधानों का एडजस्टमेंट अभी तक वित्तीय विभाग में नहीं हुआ है, ट्रान्सफर तो हो गये है लेकिन अभी एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन में है। उसको मैं जल्दी सुलझाने के बाद में इन कृषि फार्मों का सही उपयोग हो सके,

(श्रीमती कमला)

इसके बारे में भी सोच रही हूं। मैंने यह भी आदेश दिया है विभाग को, अगर आप सीड का काम न कर सकें तो आप उसमें फल ही उगाइये। किसान जैसे पार्टनरशिप में खेती करता है वैसे ही करिये लेकिन इसको कम से कम खाली मत पटके रहिये, इसमें कुछ न कुछ करिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सबसे बढ़िया तो यह होगा, अपने यहां बहुत अच्छी सुविधा है कि आप काश्तकार को दे दीजिये और कुछ पर्सेन्टेज ले लीजिये उनसे, यह होगा, और कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह दीवान (सोजत) : एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन और सीड कार्पोरेशन में तो कोई फर्क नहीं है। एक-दूसरे के भाई हैं।

श्रीमती कमला : क्या करें, भाई भाई हैं तो सुधारें या निकालें।

श्री तेजपाल यादव : इनकी बिदाई कर दीजिये, ये किसानों को क्या सलाह देंगे? इन सबको बिदाई कर दीजिये।

एक माननीय सदस्य : एक तो सोयाबीन के लिये....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, कोई पक्ष छूट गया हो तो सम्पूर्ण रूप से विचार कर लेंगी।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि बराबर प्रयास किये जा रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जो बात है और जो कठिनाई है किसानों की है, वह यह है कि उसको ठीक भाव नहीं मिलते हैं। ठीक भाव जब तक मिलेंगे जब सम्पूर्ण रूप से पूरे देश में इसके ऊपर विचार होगा। वह आपके हाथ में है नहीं। तो दूसरा तरीका यह है कि ऐसे साधन उपलब्ध कराये जायं कि उनकी मांग बढ़े और एग्रो इण्डस्ट्रीज जैसे हाल में है, एग्रीकल्चर आधारित इण्डस्ट्री हैं, उनको बड़े-बड़े शहरों में नहीं करेंगे और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर उसकी योजना बनायेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उनकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उनको अच्छा दाम मिलेगा। आपकी ऐसी योजना है क्या जिससे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री अपने सैक्टर में....

श्री अध्यक्ष : आपका यह सुझाव बहुत अच्छा है। इन्होंने नोट कर लिया है क्योंकि चर्चा में नहीं था विषय। अपन यह आशा लेकर नहीं चल सकते कि सब बातों की उनकी तैयारी है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ के बारे में मैंने पूछा था।

श्रीमती कमला : मैं कह चुकी हूं उसके बारे में, शायद आप थे नहीं उस वक्त। झालावाड़ के सम्बन्ध में कहा था मैंने।

250

मांगों पर मतदान

मांग संख्या 37–कृषि

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,18,01,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11, 10,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,60,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 19 मार्च, 1982 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.22 बजे शुक्रवार, दिनांक 19-3-82 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट 1

सारांकित प्रश्न संख्या 527 का विवरण

पंचायत समितियों के कृषि फार्म्स से हुयें हानि लाभ की तालिका

क्र0स0	वर्ष	हानि	लाभ
1	2	3	4
1.	नाम पंचायत समिति झोटवाड़ा		
	1971–72	2.671.48	–
	72–73	6,886.38	–
	73–74	14,093.75	–
	75–77	–	7501.00
	77–78	–	73550.00
	78–79	–	7,500.00
	79–80	–	9,051.00
	80–81	–	6,105.00
	18–82	–	6,101.00
2.	पंचायत समिति शाहपुरा		
	1969–70	3,162.78	–
	70–71	4,542.85	–
	71–72	3,590.00	–
	72–73	817.41	–
	73–74	2,429.81	–
	74–75	–	2,500.00
	75–76	–	3,100.00
	76–77	–	5,750.00
	77–78		
	78–79	–	6,525.00
	79–80		

1	2	3	4
	80-81	-	7,150.00
	81-82		
3. पंचायत समिति बस्सी			
	66-67	4,811.95	-
	67-78	12,684.87	-
	68-69	-	1,134.04
	69-70	-	26,412.58
	70-71	13,382.74	-
	71-72	9,656.43	-
	72-73	-	33,047.62
	73-74	-	15,275.52
	74-75	-	13,221.28
	75-76	-	2,571.58
4. पंचायत समिति चाकसू			
	71-72	-	1,493.70
	72-73	-	1,118.00
	73-74	2,385.56	-
	74-75	-	4,137.23
	75-76	-	5,541.21
	76-77	-	1,438.90
	77-78	-	2,090.57
	78-79	-	7,000.00
	79-80	-	1,209.00
	80-81	-	6,061.00
	81-82	-	9,251.00

(253) ~1

1	2	3	4
5.	पंचायत समिति कोटपूतली		
	71–72	–	857.36
	72–73	–	1,241.16
	73–74	–	2,511·12
	75–75	–	4,203.14
	75–76	4,372.88	–
	76–77	4,522.22	–
	77–78	2,149.50	–
	78–79	–	2,233.30
	79–80	–	4,132.12
	80–81	–	8,468.91
	81–82	–	15,047.14
6.	विराट नगर		
	72–73	527.27	–
	73–74	406.88	–
	74–75	414.62	–
	75–76	–	5,351.00
	76–77	–	8,500.00
	77–78	–	8,250.00
	78–79	–	6,800.00
	79–80	–	6,000.00
	80–81	–	7,100.00
	81–82	–	5,000.00

——

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 530 की सूची

राजपत्रित स्वीकृत पदों का विवरण

क्रम सं०	नाम पद	स्थाई	अस्थाई	योग
1.	रजिस्ट्रार	1	–	1
2.	अतिरिक्त रजिस्ट्रार	1	1	2
3.	संयुक्त रजि·ट्रार	7	5	12
4.	परियोजना निदेशक (पी)	–	1	1
5.	उप रजिस्ट्रार	17	8	25
6.	चीफ आडिटर	1	–	1
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	–	1
8.	सहायक संचालक (सांख्यिकी)	1	–	1
9.	सहायक रजिस्ट्रार	51	58	109
10.	सहायक लेखाधिकारी	1	2	3
11.	सांख्यिकी अधिकारी	1	–	1
12.	प्रचार अधिकारी	1	–	1

———

स्वीकृत पदों का विवरण

क्रमांक	नाम पद	अस्थाई	स्थाई	योग
1.	कार्यालय अधीक्षक (प्रथम ग्रेड)	–	2	2
2.	कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-2)	1	1	2
3.	लेखाकार	2	5	7
4.	योजना सहायक	–	1	1
5.	कार्यालय सहायक	1	14	15
6.	निजी सहायक	–	1	1
7.	शीघ्रलिपिक प्रथम ग्रेड	1	1	2
8.	शीघ्रलिपिक द्वितीय ग्रेड	12	23	35
9.	स्टेनो टाइपिस्ट	–	2	2
10.	कनिष्ठ लेखाकार	18	52	70
11.	विधि सहायक	–	1	1
12.	वरिष्ठ लिपिक	60	166	226
13.	कनिष्ठ लिपिक	57	229	286
14.	ड्राइवर	36	17	53
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	64	216	282
16.	मशीन मैन	–	1	1
17.	कम्प्यूटर	9	1	10
18.	प्रूफ रीडर	–	1	1
19.	ड्रामा मैनेजर	–	1	1
20.	अभिनेता	–	7	7
21.	आर्टिस्ट	–	1	1
22.	वाद्य वादक	–	4	4
23.	स्टेज सेटर	–	2	2
24.	टेलीफोन आपरेटर	–	1	1
25.	क्लीनर	–	1	1
26.	सांख्यिकी सहायक	2	–	2
27.	निरीक्षक (कार्यकारी)	332	599	931
28.	सहायक निरीक्षक	20	579	599
29.	निरीक्षक (आडिट) ग्रेड प्रथम	92	130	222
30.	निरीक्षक (आडिट) ग्रेड द्वितीय	132	441	573

256

तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक रजिस्ट्रारों की सूची

वर्ष 1979

1– श्री एम. आई. खान
2– श्री पी. एन शुक्ला
3– श्री जी. एन. माथुर
4– श्री जी. सी. मेहता
5– श्री पी. एन. श्रीवास्तव
6– श्री आर. सी. शर्मा
7– श्री शिवकुमार शर्मा
8– श्री रामलाल शर्मा
9– श्री जे. एल. मुदगल
10– श्री एस. के पारासर
11– श्री आर. एल जैन
12– श्री के. सी शृंगी
13– श्री एन. एम. नेहता
14– श्री सुमेरचन्द माथुर
15– श्री मोहन लाल जैन
16– श्री नाथूसिह मारी
17– श्री बी. एस. सोभाग
18– श्री के. डी. शर्मा
19– श्री एम. सी. जैन (द्वितीय)
20– श्री उमेशकुमार शर्मा
21– श्री श्यामनारायण मिश्रा
22– श्री आर. एल. मामोडिया
23– श्री ओ. पी. शर्मा
24– श्री एस. एल. लड्
25– श्री दीपचन्द जैन
26– श्री आर. सी. रैणवा
27– श्री के. एल. माथुर
28– श्री आर. एस. खण्डेलवाल
29– श्री रामनिवास शर्मा
30– श्री लामदत्त मिश्रा
31– श्री आर. एस. गुप्ता
32– श्री अटलबिहारी माथुर
33– श्री दिलीपसिंह मेहरा

34– श्री रामेश्वर दयालसिंह मेहरा
35– ,, सुरेन्द्रपालसिंह राठौड़
36– ,, नवलसिंह वर्मा
37– ,, रतनलाल सैनिक
38– ,, प्रसन्नराज भण्डारी
39– ,, मानसिंह वर्मा
40– ,, रामेश्वरलाल
41– ,, इन्द्रसिंह वेनीवाल
42– ,, मदनलाल चौधरी
43– ,, सूरजसिंह वर्मा
44– ,, गिरवानी लाजपत
45– ,, के. के. दुवे
46– ,, रामेन्द्रसिंह
47– ,, बनवारीलाल गोयल
48– ,, जगनसिंह कानावत
49– ,, विरदीचन्द्र जैन
50– ,, लक्ष्मणसिंह यादव
51– ,, नेकरामसिंह
52– ,, गिर्राज प्रसाद जाटव
53– ,, प्रभुदयाल शर्मा
54– ,, लक्ष्मीनारायण
55– ,, मदनमोहन विजय
56– ,, किशनलाल गुप्ता
57– ,, गोविन्द नारायण शर्मा
58– ,, कन्हैयालाल गुप्ता

258

अस्थाई निरीक्षकों की सूची

1– श्री अनिलकुमार रावत
2– श्रीमती भंवरकुमारी मीणा
3– ,, भगवानसहाय बुनकर
4– ,, मीसाराम
5– ,, नरसिंह अग्निहोत्री
6– ,, चन्द्रप्रकाश जैन
7– ,, छविप्रकाश मिश्रा
8– ,, छविप्रकाश मिश्रा
9– ,, डिप्टीसिंह ठिल्लो
10– ,, घुलीराम मीणा
11– ,, मूलचन्द मीणा
12– ,, गंगाराम मीणा
13– ,, हरीशचन्द्र व्यास
14– ,, हरफुलसिंह गवढ़ाल
15– कुमारी इन्द्रा तिवाड़ी
16– ,, जयदेवसिंह
17– ,, जगदीशप्रसाद शर्मा
18– ,, जफरसिंह राजपुरोहित
19 ,, जितेन्द्रसिंह
20– ,, कालूराम सियारिया
21– ,, कृपालसिंह
22– ,, किशनलाल पंजाबी
23– ,, किशनलाल प्रभाकर
24– ,, लक्ष्मीचन्द रंगवाल
25– ,, मुरारीलाल महेश्वरी
26– ,, मोतीलाल
27– ,, महेशचन्द्र शर्मा
28– ,, मोहम्मद अयुब कुरेस
29– ,, मौसरिचालाल मीना
30– ,, मोहनसिंह
31– ,, महावीरप्रसाद वर्मा
32– ,, मुरारीलाल वर्मा
33– ,, नवलचन्द कावड़िया
34– ,, नन्दकिशोर
35– ,, नवलकिशोर अग्रवाल
36– ,, नाथूलाल रैगर
37– ,, प्रेमचन्द पाटनी
38– ,, रामप्रहलाद मीना
39– ,, रामेश्वर प्रसाद मोहरी
40– ,, रतनलाल अग्रवाल
41– ,, रतनलाल जाट
42– ,, रामकिशन जाट
43– ,, रामरतनलाल मीना
44– ,, रामलाल गुलाटी
45– ,, रामगोपाल शर्मा
46– ,, रामेश्वरलाल
47– ,, राजेन्द्र देव शर्मा
48– ,, रघुनाथसिंह
49– ,, रमेशचन्द्र गुप्ता
50– ,, रामप्रसाद शर्मा
51– ,, रामअवतार डुमरिया
52– ,, रामअवतार शर्मा
53– ,, रूपनारायण शर्मा
54– ,, राजेन्द्रकुमार जोशी
55– ,, अड़ाराम
56– ,, रामचन्द्र मीना
57– ,, राजपालसिंह
58– ,, राधेश्याम गुप्ता
59– ,, श्रवणराम
60– ,, श्यामलाल
61– ,, सतीशकुमार तलवार
62– ,, सतेन्द्र कुमार शर्मा
63– ,, श्यामलाल धर्माधिकारी
64– ,, उदयराम कोहिया
65– ,, नरेन्द्रकुमार जैन
66– ,, विजयशंकर मार
67– ,, वासुदेव चण्डक
68– ,, जयसिंह

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 531 की सूची

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	नाम विषय
1	2	3
1–	राजा रामदेव पोदार उमावि, गांधी-नगर, जयपुर	लकड़ी का काम, धातु का काम, अभियांत्रिकी, सिलाई, चित्रकला
2–	दरबार उमावि, तोपखाना, जयपुर	सिलाई कला
3–	राउमावि, आदर्श नगर, जयपुर	सिलाई कला
4–	राउमावि, माणकचौक, जयपुर	लकड़ी का काम, धातु का काम, सिलाई कला, कताई एवं बुनाई, फसल उत्पादन।
5–	राउमावि, मोतीकटला, जयपुर	सिलाई कला
6–	राबामावि, वनीपार्क, जयपुर	सिलाई, घरेलु विज्ञान
7–	रा0आदर्श बालिका मा. वि., गणगौरी बाजार, जयपुर	सिलाई, घरेलु विज्ञान, चित्रकला सिलाई कला
8–	राबामावि, गांधीनगर, जयपुर	सिलाई कला, घरेलु विज्ञान
9–	राबाउमावि, आदर्शनगर, जयपुर	सिलाई कला, कताई व बुनाई
10–	राउमावि, अमरसर	सिलाई कला
11–	रामावि,सोउमावि, किसनगढ रेनवाल	कताई व बुनाई
12–	राउमावि, खेजरोली	सिलाई कला, कताई व बुनाई
13–	राउमावि, गोविन्दगढ़	सिलाई कला
14–	राउमावि, चौमूं	सिलाई कला
15–	राउमावि, जमवारामगढ़	सिलाई कला
16–	रा0 श्रीकर्ण नरेन्द्र उमावि, जोबनेर	लकड़ी का काम, सिलाई कला, फसल उत्पादन, पशुपालन
17–	राउमावि, तूंगा	सिलाई कला
18–	राउमावि, धौली	कताई व बुनाई
19–	राउमावि, पावटा	सिलाई कला
20–	राउमावि, फागी	सिलाई कला

1	2	3
21–	राउमावि, बगरू	सिलाई कला
21–	राउमावि, बनेठी	लकड़ी की काम
23–	राउमावि, बस्सी	सिलाई कला
24–	राउमावि, बान्दीकुई	सिलाई कला, फल एवं शाक उत्पादन
25–	राउमावि, बिचून	कताई व बुनाई
26–	राउमावि, भाण्डारेज	सिलाई कला
27–	राउमावि, भैसलाना	सिलाई कला
28–	राउमावि, राडावास	सिलाई कला, फसल उत्पादन
29–	राउमावि, मनोहरपुर	सिलाई कला
30–	राउमावि, सांगानेर	सिलाई कला
31–	रा0उ0मा0वि0, सांभरलेक	सिलाई कला
32–	राउबामावि, सिकराय	सिलाई कला
33–	राउमावि, शाहपुरा	कताई बुनाई
34–	महाराजा बालिका उमावि, जयपुर	सिलाई कला, घरेलू विज्ञान, कसीदा तथा सूती शिल्प

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 516 की सूची

जालौर जिले में अवसायानाधीन सहकारी समितियाँ कब से अवसायन में आई और उनकी क्या प्रगति है, की सूचना

क्रमांक	नाम अवसायानाधीन सहकारी समितियां	दिनांक अवसायन में आई	अवसायन की प्रगति
1	2	3	4
1.	रानीवाड़ा सामूहिक कृषि स० स० लि०	16-11-61	10138-32 रु: की लेनदारियों का निपटारा किया।
2.	किसान बहुधंधी सहकारी समिति लि० सांचौर	24-4-63	3021-30 रुपये का निपटारा किया गया है।
3.	क्षत्रियान इन्ड्० को० सो० लि:	11-11-67	23072-07 का निपटारा किया गया है।
4.	कारोला बहुधंधी सह० समिति लि०	6-1-69	4247:16 पैसे का निपटारा किया गया है।
5.	डावला बहु० सह० समिति लि०	18-8-69	कोई प्रगति नहीं हुई है।
6.	खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति लि०, आहोर	20-10-70	जमीन के सम्बन्ध में विवाद न्यायालय के विचाराधीन है।
7.	रायथल वचत व सहकारी समिति लि० पुर	23-3-71	877-38 पैसे की लेनदारियों का निपटारा किया।
8.	रामदेव बहु०सहकारी समिति लि० पुर	13-4-71	प्रगति में शून्य।
9.	उत्तम कृषि सह० समिति लि० चान्दराई	9-9-71	शून्य।
10.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०, कावंला	23-11-71	7413-75 पैसे का भुगतान किया गया।
11.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०, भूति	2-12-71	7880-62 पैसे का निपटारा किया गया।

1	2	3	4
12.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० भादराजुन	4–8–72	7522–37 पैसे का निपटारा किया।
13.	जालौर सहकारी विभाग कर्मचारी सह० स० लि०	14–11–72	शून्य।
14.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०, वलधरा	2–8–75	6733–98 पैसे का भुगतान किया।
15.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०, मालगढ़	20–10–75	1725–45 पैसे की लेनदारी चुकाई।
16.	मील फार्मीको० सो० लि०, सुरा की ढाणी	23–10–75	प्रगति शून्य रही।
17.	दासपा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	2–2–76	,, ,,
18.	भाखड़ारोड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	3–9–76	प्रगति शून्य रही।
19.	बिमल्स ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	30–9–76	37868–82 पैसे का निपटारा किया गया।
20.	नई बाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	30–9–76	प्रगति शून्य रही।
21.	निम्बावास ग्राम सेवा सहकारी समिमि लि०	30–9–76	,, ,,
22.	सरबला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	30–9–76	,, ,,
23.	बोल्टा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	30–9–76	16473–96 पैसे के बकाया का निपटारा किया।
24.	कोटकाश्ता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	30–9–76	43300–66 पैसे के देनदारी का निपटारा किया।
25	कूका ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	30–9–76	1897–65 पैसे की देनदारी का निपटारा किया।

1	2	3	4
26.	छाजाला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	30-9-76	प्रगति शून्य रही
27.	चाटवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	30-9-76	,, ,,
28.	रतनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	21-10-76	20117-34 पैसे की लेनदारी का निपटारा किया।
29.	बडगांव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	30-9-76	प्रगति शून्य रही है।
30.	डूंगरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	30-9-76	,, ,,
31.	कोडका ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	12-10-76	,, ,,
32.	डावल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	20-10-76	2052-87 पैसे की देनदारी का निपटारा किया।
33.	इटादा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	21-10-76	प्रगति शुन्य रही।
34.	साब ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	30-9-76	प्रगति शुन्य रही।
35.	बिच्छावाड़ी ग्राम सहकारी समिति लि०,	21-10-76	,, ,,
36.	बावरला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	30-9-76	,, ,,
37.	आखा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	30-9-76	1159-74 पैसे की देनदारियों का निपटारा किया गया।
38.	सांचोर को० मा० सो० लि०	20-10-76	3664-52 पैसे देनदारियों का पिनटारा किया गया।
39.	कालेज शिक्षा कर्मचारी सह० स० लि० जालोर	2-1-71	1075-62 पैसे देनदारों का निपटारा

(264)

1	2	3	5
40.	आलासन बुनकर सह० स० लि०	5–2–72	प्रगति शून्य रही है।
41.	मिट्टी उद्योग सह० स० लि०	3–3–79	" "
42.	पालचरम उत्पादक सह० स० लि०	3–2–79	" "
43.	श्रमिक ठेका सह० स० लि०, भीनमाल	3–3–79	" "
44.	आदर्श तेल उत्पादक सह० स० लि० जालौर	3–3–79	" "
45.	मिट्टी वस्तु उत्पादक सह० स० लि०, जालौर	3–3–79	" "
46.	बाथी बाग वस्तु उत्पाक सह० स० लि०	3–3–79	" "
47.	कुम्हाड़ा उत्पादक सह० समिति लि०	3–3–79	" "
48.	लोहा एवं कास्ट वस्तु उत्पादक सह. स. लि० आहोर	3–3–79	" "
49.	अगवरी उत्पादक सह० स० लि०	3–3–79	" "
50.	चर्म उत्पादक सह० स० लि. चुण्डा	3–3–79	400/- के देनदारियों का निपटारा
51.	भेलवाड़ा को. उ. स. स. लि:	3-3-79	प्रगति शून्य रही।
52:	सुराना बुनकर उत्पादक सह. स. लि:	3-3-79	" "
53.	सापाड़ा बुनकर उ. सह. स. लि.	3-3-69	" "
54.	सुराना चर्म उ: सह. स. लि.	3-3-79	" "
55.	सायला चर्म उ. सह. स. लि.	3-3-79	" "
56:	रामदेव चर्म उ. सह. स. लि. अलाना	3-3-79	" "
57:	मीलप्रमार ईंट उत्पादक सह. स. लि. भीनमाल	3-3-79	" "
58.	बागाड़ा कुमारी स. स. लि:	3-3-79	5000/– के बकाया का निपटारा किया गया।
59.	दासपा घाणी ते उ. सह. स. लि.	3-3-79	प्रगति शून्य रही है।
60.	जरसाना रंगाई चर्म उ. सह. स. लि.	"	" "
61.	रामदेव चर्म उ. सह. स. लि. रानीवाड़ा	"	" "

1	2	3	4
62.	मोडर्न श्रमिक ठेका सह. स. लि.	3-3-79	प्रगति शून्य रही है।
63.	सांचौर ईंट उत्पादक सह. स. लि.	,,	,, ,,
64.	सांचौर सह. श्रमिक ठेका सह. स. लि.	,,	,, ,,
65.	जाखल बुनकर सह. स. लि.	,,	,, ,,
66.	पंचायती राज सह. स. लि.	24-8-79	,, ,,
67.	राज. स्टेट गवर्नमेंट सर्वेन्ट सह. स. लि. जालोर	,,	,, ,,
68.	शिक्षा विभाग कर्मचारी सह. स. लि. जालोर	,,	,, ,,
69.	स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी सह. स. लि.	,,	,, ,,
70.	देवड़ा घाणी तेल उ. सह. स. लि.	21-8-79	,, ,,
71.	आहोर उत्पादक सहकारी समिति लि.	31-8-79	,, ,,
72.	एम्पलाइज को. सो. लि. जालोर	15-12-80	,, ,,
73.	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि. आहोर	7-1-81	,, ,,
74.	उम्मेदाबाद घाणी तेल उत्पादक सह. स. लि.	28-7-81	,, ,,
75.	आहोर घाणी तेल उ. सह. स. लि.	25-8-81	,, ,,
76.	रानीवाड़ा पद पादुका उत्पादक सह. स. लि.	25-8-81	,, ,,
77.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि. मेड़ानिचला	25-8-81	,, ,,
78.	आदर्श निर्माण सह. स. लि. जालोर	25-8-81	,, ,,
79.	जालोर भवन निर्माण सह. स. लि.	25-8-81	,, ,,
80.	रानीवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	25-8-81	,, ,,
81.	करड़ा दुग्ध उत्पादक सह. स. लि.	25-8-81	,, ,,
82.	मालवाड़ा सह. कृषि समिति लि.	27-8-81	,, ,,
83.	रेवतड़ा चर्म उत्पादक सह. स. लि.	1-9-81	,, ,,
84.	माण्डवला उ. सह. स. लि.	1-9-81	,, ,,
85.	सायला मिट्टी उद्योग सह. समिति लि,	1-9-81	,, ,,
86.	बालवाड़ा चर्म उ. सह. स. लि.	1-9-81	,, ,,
87.	लक्ष्मी चर्म उ. सह. स. लि.	24-9-81	,, ,,
88.	गुढ़ाबालोतान सेल्स एण्ड सप्लाई सह. स. लि.	26-9-81	,, ,,
89.	नगरपालिका सहा. कर्मचारी सह. स. लि.	19-10-81	,, ,,
90.	सांचौर भेड़ पालक सह. स. लि.	19-10-81	,, ,,

परिशिष्ट-5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

नागौर के विभिन्न ग्रामों की पशु पेयजल योजना

532. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर)- क्या ग्रामीण विकास अभिकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जिला विकास अभिकरण, नागौर द्वारा पशु पेयजल व्यवस्था हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो किन-किन गांवों के लिए क्या-क्या योजना बनाई है ? इस योजना में कितना व्यय होगा?

उत्तर

जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा 47 स्थानों पर पशु पेयजल हेतु कुण्डों के निर्माण एवं 31 स्थानों पर खेलियों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। ये कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की मदद से जिले में लागू करने के लिये जिलाधीश, नागौर द्वारा स्वीकृति भी जारी कर दी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पशु पेयजल योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कुल 27 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 532 की सूची

पशु पेयजल सार्वजनिक कुण्ड निर्माण

क्र सं. 1	नाम पं. स. 2	ग्राम पंचायत का नाम 3	स्थान का नाम 4	ग्राम का नाम 5	स्वी. राशि रारायो 6	अभि.को 7	वि. वि. 8
1.	नागौर	चुटिसारा	भांबियों का बास	चुटिसार	15000/-	15000/-	
2.	,,	ऊंटवालिया	भांबियों की ढाणी के पास	ऊंटवालिया	,,	,,	
3.	,,	गठिलासर	नायकों की ढाणी व स्कूल के पास	ढाकोरिया	,,	,,	
4.	,,	सींगड	भांबियों की ढाणी नं. 3 के पास	सींगड	,,	,,	
5.	,,	श्री बालाजी	नायकों की ढाणी के पास	श्री बालाजी	,,	,,	
6.	मुंण्डवा	गटोड़ा		खटोड़ा	,,	,,	
7.	,,	बैराथल	ब्राह्मणों की ढाणी	टांकला	,,	,,	
8.	,,	माडपुरा	आथुणी ढाणी	आचीणा	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	,,	भवण्डा	आथुणी ढ़ाणी	चरड़ा	15000/-	15000/-	
10.	,,	बिरलोका	चोताणा कुंए के पास स्कूल	बिरलोका	,,	,,	
11.	रियाबड़ी	भंवाल	,,	डुकिया	,,	,,	
12.	,,	मोडिकलाँ	,,	मोरियाना	,,	,,	
13.	,,	पादखुर्द	,,	पादखुर्द	,,	,,	
14.	,,	धांधलास	,,	लाटीलाई	,,	,,	
15.	,,	डोडियाना	,,	रोहिसड़ा	,,	,,	
16.	लाडनूं	सीलनवाद	,,	रोजा	,,	,,	
17.	,,	ढीगसरी	,,	तिपना	,,	,,	
18.	,,	,,	,,	सांडास	,,	,,	
19.	,,	मालगांव	,,	मालगांव	,,	,,	
20.	,,	सारडी	,,	अनेसरिया	,,	,,	
21.	डेगाना	पालिथास	,,	बोरियाराब	,,	,,	
22.	,,	मांझी	रेंगरों का बास	मांझी	,,	,,	
23.	डेगाना	खुडिकलाँ	रेंगरों का बास	जोधंडास	,,	,,	
24.	,,	पुन्दलोता	,,	गोरनड़ा	,,	,,	
25.	,,	लंगोड़	,,	बुन्दीसर	,,	,,	
26.	परबतसर	धोकलिया	,,	धोकलिया	,,	,,	
27.	,,	खोखर	,,	रुनिजापूर्वी	,,	,,	
28.	,,	बाजवास	,,	पालड़ीकड़वा	,,	,,	
29.	,,	पीपलाद	,,	मेहगांव	,,	,,	
30.	,,	किनसरिया	,,	किनसरिया	,,	,,	
31.	कुचामनसिटी	खाखडदी	,,	खाखडदी की ढाणी	,,	,,	
32.	,,	गोविन्दी	सार्व. टांका नि.	नानणा	,,	,,	
33.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	
34.	,,	चौसला	,,	,,	,,	,,	
35.	,,	गुढ़ासाल्ट	,,	गुढ़साल्ट	,,	,,	
36.	मकराना	रानीगांव	,,	सीणीया	,,	,,	
37.	,,	सारडिया	जैसमाल की ढाणी	मडाडी	,,	,,	
38.	,,	चाण्डी	,,	संधीली	,,	,,	
39.	,,	,,	,,	देवला	,,	,,	
40.	,,	भिचावा	,,	लारोली	,,	,,	

हौज एवं खेलियों के निर्माण की सूची

क्र. सं.	पं0 स0	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	राशि रा. रा. यो.	अभि. को.
1.	जायल	पानी का हौज	जायल	जायल	10000/-	10000/-
2,	डेगाना	,,	पांचढालिया	पांच ढालिया	,,	,,
3.	डेगाना	,,	बुटाटी	बुटाटी	,,	,,
4.	डिया	,,	रियावडी	रियावडी	,,	,,
5.	लाडनूं	,,	दुजार	दुजार	,,	,,
6.	मकराना	,,	गच्छीपुरा	गच्छीपुरा	,,	,,
7.	कुचामन	,,	पांचवा	पांचवा	,,	,,
8.	जायल	खेली निर्माण	जायल	जायल	750/-	750/-
9.	,,	,,	खियाला	खियाला	,,	,,
10.	,,	,,	ग्रडबड	ग्रडबड	,,	,,
11.	,,	,,	तरनाऊ	तरनाऊ	,,	,,
12.	मेड़ता	,,	पंचडौलिया	पंचडौलिया	,,	,,
13.	,,	,,	मोकाला	मोकाला	,,	,,
14.	,,	,,	लाम्बाजाटा	लम्बाजाटा	,,	,,
15.	,,	,,	धनापा	धनापा	,,	,,
16.	,,	,,	पुन्दलु	पुन्दलु	,,	,,
17.	डेगाना	,,	बुटाटी	बुटाटी	,,	,,
18.	,,	,,	सांजू	सांजू	,,	,,
19.	,,	,,	कितलसा	कितलसा	,,	,,
20.	,,	,,	बरणा	बरणा	,,	,,
21.	,,	,,	पुनास	पुनास	,,	,,
22.	,,	,,	चुई	चुई	,,	,,
23,	,,	,,	चांदारुण	चांदारुण	,,	,,
24.	रिया	,,	रियावडी	रियाबडी	,,	,,
25.	,,	,,	पादुकला	पादुकला	,,	,,
26.	लाडनूं	,,	दुजार	दुजार	,,	,,
27.	,,	,,	बाकलिया	बाकलिया	,,	,,
28.	,,	,,	झरडिया	झरडिया	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
29.	लांडनू	खेली निर्माण	चन्द्राई	चन्द्राई	750/-	750/-
30.	,,	,,	रताऊ	रताऊ	,,	,,
31.	,,	,,	सीलनवाद	सीलनवाद	,,	,,
32.	मकराना	,,	गच्छीपुरा	गच्छीपुरा	,,	,,
33.	,,	,,	पौटिडोवरिया	पौटिडोवरिया	,,	,,
34.	,,	,,	रामपुरागांव	रामपुरागांव	,,	,,
35.	,,	,,	वुडसु	वुडसु	,,	,,
36.	कुचामन	,,	पांचवा	पांचवा	,,	,,
37.	,,	,,	खारडिया	खारडिया	,,	,,
38.	,,	,,	भावता	भावता	,,	,,

विधायकों की स्वेच्छा पर किये गये स्थानान्तरण

534. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य के शिक्षा मन्त्री ने कांग्रेस आई विधायकों को अपनी मर्जी से 4 अध्यापकों के कहीं भी ट्रान्सफर कराने की छूट दी है ? यदि हां, तो इस आधार पर कितने स्थानान्तरण किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान के 27 शैक्षिक जिलों के 32 जिला अधिकारी (महिला व पुरुष) 8 पुरुष व महिला, मंडल अधिकारी तथा 27 उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं आयुक्त प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के स्थानान्तरण करने को सक्षम अधिकारी हैं। पूरे सत्र 1981-82 में किये गये समस्त स्तर के स्थानान्तरणों की प्रदेश की सूची प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत किया जाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

पंचायत समिति सराड़ा (उदयपुर) द्वारा कराये गये कार्य

535. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा):– पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, सराड़ा, जिला उदयपुर ने वर्ष 1980-81 में कितने काम कराये ?

(2) पंचायत समिति, सराड़ा में कितने ऐनीकट व माध्यमिक स्कूलों के भवन पूर्ण एवं अपूर्ण हैं प्रत्येक कार्य पर कितना-खर्च किया गया ?

(3) क्या अधूरे कार्यों का मेजरमेन्ट हो चुका है ? यदि हां, तो कितने कार्यों का ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सराड़ा जिला–उदयपुर में वर्ष 1980-81 में विभिन्न पंचायतों के माध्यम से 235 निर्माण कार्य करवाये गये।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) केवल माध्यमिक विद्यालय टोकर का कार्य ही अपूर्ण हैं जिसका मेजरमेन्ट हो चुका है।

271

माध्यमिक विद्यालय व एनीकट निर्माण की सूचना

(1) माध्यमिक विद्यालय

क्र. सं.	नाम कार्य	कार्य पर व्यय	
		पूर्ण	अपूर्ण
1–	मा0 वि0 भवन केजड़	12,106-00	—
2–	.. देवपुरा	25.054-00	—
3–	.. झाड़ोल	56.384-00	—
4–	.. टोकर	—	34.410-00
5–	.. मोराई	43.452-00	
		1,36,996-00	34.410-00

(2) एनीकट निर्माण कार्य

1–	खेरकी	44.775-00	—
2–	छाणी	40.940-00	—
3–	दाद	55.698-00	—
4–	बुझा	1.813-83	—
5–	रामुआ	18.640-00	—
		1,62,166-83	

(272)

भीलवाड़ा जिले में आवश्यक वस्तुओं की अनियमितताओं एवं कालाबाजारी के मामलों में कार्यवाही

536. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) :–क्या रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 1980-81 व 1981-82 में सीमेंट, चीनी व अनाज वितरण में अनियमितताओं, कालाबाजारी के कितने मामले किन-किन स्थानों के पकड़े गये ?

(2) उस वक्त पकड़े गये मामलों में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(3) अब ये मामले किस स्टेज पर हैं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 80-81 व 81-82 में सीमेंट, चीनी एवं अनाज वितरण में की गई अनियमितताओं के फलस्वरूप बनाये गये मामलों की सूची वर्षवार व वस्तुवार सदन के पटल पर रख दी गई है। कालाबाजारी का कोई मामला नहीं पाया गया।

(2) उक्त बनाये गये मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची के कालम सं० 5 में अंकित है।

(3) उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रखी गई सूची के कालम सं० 6 में अंकित है।

—o—

लेवी चीनी

वर्ष 1980-81

क. सं.	नाम डीलर	स्थान	अनियमितताओं का विवरण	कार्यवाही की गई	मामला किसस्टेजपर है
1.	उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 11,12	भीलवाड़ा	विवरण रजिस्टर में राशनकार्डों को डबल इन्द्राज करना।	विभागीय कार्यवाही कर 50/—प्रतिभूति जप्त की गई।	निर्णित 17-11-80
2.	जनता सहकारी समिति वार्डनं. 9	भीलवाडा	—"—	"	"
3.	भीलवाडा उपभोक्ता भण्डार	सागानेर	—"—	"	"
4.	देवी लाल नाई	उदलियास	भौतिक सत्यापन कर लेवी शंकर स्टाक में कम पाई गई	विभागीय कार्यवाही कर 250/ रुपये प्रतिभूति जप्त की गई	28-8-80
6.	बनेडा सहकारी समिति	बांच रायला	—"—	विभागीय कार्यवाही कर 30/- रुपये प्रतिभूति जप्त की गई।	18-9-80
6.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	बोरखोडा	—"—	विभागीय कार्यवाही कर 150/- रुपया प्रतिभूति जप्त की गई।	" 24-9-80
7.	उदयराम पिता जयराम गूजर	सांगणो	वितरण रजिस्टर में राशन कार्ड के यूनिट गलत दर्ज करना	विभागीय कार्यवाही कर 500 रुपये प्रतिभूति जप्त की गई तथा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।	" 30-8-80
8.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	नांदसा	भौतिक सत्यापन कर लेवी शंकर स्टाक में कम पाई गई।	विभागीय कार्यवाही कर 25/- रुपये प्रतिभूति जप्त की गई।	" 15-10-80
9.	ग्राम सेवा सहकारी सगिति	नाहरी	लेवी शकर समय पर विवरण न करना।	विभागीय कार्यवाही कर 125 प्रतिभूति जप्त की गई।	" 15-10-80

1	2	3	4	5	6
10.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	सेमाणा	भौतिक सत्यापन कर लेवी चीनी स्टाक से कम मिलना।	विभागीय कार्यवाही कर 25- रुपये प्रतिभूति जप्त की गई। ”	15-10-80
11.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	देवरिया	—”—	विभागीय कार्यवाही कर 70 रुपये प्रतिभूति जप्त की गई। ”	15-10-80
12.	कोटडी कृषक सहकारी संस्था	सवाईपुर	—”—	विभागीय कार्यवाही कर 25/- रुपये प्रतिभूति जप्त की गई। ”	17-12-80
13.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	सातोली का खेडा	—”—	विभागीय कार्यवाही कर 187/- प्रतिभूति जप्त की गई। ”	23.12.80
14.	रतनगिरि पिता खानगिरी गोस्वामी	रसाडिया	भौतिक सत्यापन कर लेवी चीनी स्टाक से कम पाइ गई	विभागीय कार्यवाही कर 265-/ रु. प्रतिभूति जप्त की गई। निर्णित	13-1-81
15.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	ज्ञानगढ़	—”—	विभागीय कार्यवाही कर 130/-रु. प्रतिभूति जप्त को गई। ”	20-1-81
16.	घन्ना लाल	गन्धेर	—”—	विभागीय कार्यवाही कर 410/- रु. प्रतिभूति जप्त की गई। ”	20-1-81
17.	मांगीलाल	ईरास	—”—	विभागीय कार्यवाही कर 200/- रु. प्रतिभूति जप्त की गई। ”	31-1-81
18.	किसान वृहद सहकारी	बिगोद	भौतिक सत्यापन पर लेवी चीनी स्टाक में पाई गई अधिक।	चेतावनी दी गई। ”	31-3-81
19.	शंकर लाल पिता भूरालाल	सुराज	भौतिक सत्यापन कर लेवी चीनी स्टाक में कम पाई गई।	विभागीय कार्यवाही कर 85/-रु प्रतिभूति जप्त की गई। ”	5-5-81

1	2	3	4	5	6
20.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	पोट	भौतिक सत्यापन कर लेवी चीनी स्टाक में कम पाई गई।	विभागीय कार्यवाही कर 406/- प्रतिभूति जप्त की गई। ,,	12-12-81
21.	छीतर मल सोनी	जीवाखेडा	राशन कार्डो का विवरण रजिस्ट में डबल इन्द्राज करना।	विभागीय कार्यवाही कर 500/- रु. प्रतिभूति जप्त की गई तथा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। ,,	12-5-81
22.	हरिसिंह सूवालाल वम्ब	दांतडा	—"—	—"— ,,	12-5-81
23.	वंशीलाल	चमनपुरा	—"—	विभागीय कार्यवाही कर 50/-रु. प्रतिभूति जप्त की गई। ,,	12-5-81
24.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	शिवरती	—"—	विभागीय कार्यवाही कर 15/-रु. प्रतिभूति राशि जप्त की गई। ,,	30-5:81
25.	भीलवाडा उपभोक्ता भण्डार	आंचपुर	—"—	विभागीय कार्यवाही कर 50/- रु. प्रतिभूति जप्त की गई। ,,	28-7-81
26.	श्री रामकुमार उपाध्याय	महुआ खुर्द	अन्य व्यक्तियों के राशन कार्ड अपने पास रखना	विभागीय कार्यवाही कर 75/- रु. प्रतिभूति जप्त की गई। ,,	4-8-81
27.	बाबूखां वशीर खां पठान	निमाहेडा बनेडा	वितरण रजिस्टर में राशन कार्डो का डबल इन्द्राज करना।	विभागीय कार्यवाही कर 100/- रु. प्रतिभूति जप्त की गई। ,,	5-8-81
28.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	पाटन	राशन कार्डो पर चीनी कम देकर वितरण रजिस्टर में अधिक मात्रा दर्ज करना।	विभागीय कार्यवाही कर 25/- रु. प्रतिभूति जप्त की गई। ,,	15-9-81

1	2	3	4	5	6
29.	धन्नासिह पन्नासिह	माया का तालाब	राशन कार्डों को वितरण रजिस्टर में डबल दर्ज कर निर्धारित रेट से ज्यादा पैसा लेना।	विभागीय कार्यवाही कर 100/- प्रतिभूति जप्त की गई तथा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।	निर्णित 15.9.81
30.	,, ,,	,,	–,,–	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत प्रकरण सं० 74/81 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट से दायर किया गया।	विचाराधीन वास्ते शहादत पैरवी
31.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	मंडपिया	भौतिक सत्यापन पर लेवी चीनी स्टाक में कम मिली।	विभागीय कार्यवाही कर 40/-रु० प्रतिभूति जप्त की गई।	निर्णित 28.9.81
32.	आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति	पुर	–,,–	विभागीय कार्यवाही कर 50/- प्रतिभूति जप्त की गई।	,, 28.9.81

1	2	3	4	5	6
33-	रामेश्वर लाल कन्हैयालाल पारीक	अरनिया रासा	राशन कार्डों का वितरण रजिस्टर में डबल इन्द्राज करना।	विभागीय कार्यवाही कर 200/- प्रतिभूति जप्त की गई व प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।	निर्णित 2-11.81
34.	" "	"	भौतिक सत्यापन पर 2 क्वि.14 किलो लेवी चीनी अधिक मिली जो सील की गई।	जिलाधीश द्वारा कन्फिसकेट की गई।	" 22.9.81
35.	सोहनसिंह पिता गोविन्दसिंह	थला	भौतिक सत्यापन पर लेवी चीनी स्टाक में कम मिली।	विभागीय कार्यवाही कर 245/-रु०प्रतिभूति जप्त की गई।	" 17.11.81
36.	शंकरलाल पिता रामनारायण महाजन	जिलिन्द्री	वितरण रजिस्टर में राशन कार्डों के यूनिट गलत इन्द्राज करना।	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत मुख्य दण्ड-न्यायक के न्यायालय में प्रकरण सं. 39/81 दायर किया गया।	विचाराधीन वास्ते शहादत पैरवी।

1	2	3	4	5	6
37.	शंकर लाल पिता रामनारायण महाजन	जिलिन्द्री	स्टाक में 2 क्वि. चीनी अधिक मिली सीज की गई।	जिलाधीश कन्फिसकेट की गई।	निर्णित 6.11.80
38.	बालूदास (सरपंच)	शिवरती	अवैध रूप से अन्य व्यक्तियों के राशन कार्ड रख कर लेवी चीनी प्राप्त करना।	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत मुख्य दण्ड न्यायक के कोर्ट में प्रकरण स०40/81 दायर किया गया।	विचाराधीन वास्ते शहादत पैरवी।
39.	" "	"	अनाधिकृत रूप से लेवी चीनी 1 क्वि० रखी हुई मिली जो सीज की गई।	जिलाधीश न्यायालय में 6-ए ई. सी. एक्ट से इस्तगासा 47/81 में दायर किया गया।	विचाराधीन वास्ते शहादत पैरवी।
40.	चर्म उत्पादक सहकारी समिति	मोमुंदा	भौतिक सत्यापन पर लेवी चीनी स्टाक में कम मिली।	विभागीय कार्यवाही कर 68/-रु० प्रतिभूति जप्त की गई।	निर्णित 25.1.81

1	2	3	4	5	6
14.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	मंडपिया	वितरण राजिस्टर में राशन कार्डों का डबल इन्द्राज करना।	विभागीय कार्यवाही कर 68/-रु. प्रतिभूति जप्त की गई।	विभागीय कार्यवाही हेतु कार्यालय में विचाराधीन वास्ते सबूत।
42.	,, ,,	स्वरूपगंज	–,,–	–,,–	–,,–
43.	,, ,,	रायपुर	–,,–	–,,–	–,,–
44.	,, ,,	खातरमाला	–,,–	–,,–	–,,–
45.	,, ,,	सुरास	–,,–	–,,–	–,,–
46.	,, ,,	सरदार नगर	–,,–	–,,–	–,,–
47.	,, ,,	सरदार नगर	भौतिक सत्यापन पर 102 किलोग्राम लेवी चीनी स्टाक में अधिक मिली जो सीज की गई।	जिलाधीश द्वारा कन्फिसेन्ट की गई।	निर्णित 2.11.81
48.	बालचन्द पिता मांगीलाल	उपरेडा	भौतिक सत्यापन पर लेवी चीनी स्टाक में कम मिली।	—	विभागीय कार्यवाही हेतु कार्यालय में विचाराधीन।
49.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	डाबला	–,,–	—	–,,–

1	2	3	4	5	6
50.	जीवराज	कागनी	भौतिक सत्यापन पर लेवी चीनी स्टाक में कम मिली।	विभागीय कार्यवाही कर 90/-रु० प्रतिभूति जप्त की गई।	निर्णित 3.3.82
51.	दामोदर भैरूलाल मूंदड़ा	विकरण	वितरण रजिस्टर में राशन कार्डों का डबल इन्द्राज किया गया।	विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत प्रतिभूति राशि 500/– रुपये जप्त किये गये एवं प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।	,, 2-6-81
52.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	बिलिया (शाहपुरा)	–,,–	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत मुख्य दण्ड न्यायक के न्यायालय में प्रकरण सं० 102/81 दायर किया गया।	विचाराधीन वास्ते शहादत पैरवी।
53.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	छापडेव	–,,–	विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत 50/- प्रतिभूति जप्त की गई।	निर्णित 15-7-81

1	2	3	4	5	6
54.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	जसवंतपुर	यूनिट रजिस्टर में राशन कार्य डबल इन्द्राज करना।	विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत 40/-रु. प्रतिभूति जप्त की गई।	निर्णित 4-8-81

सूची सन् 1981–82

1	2	3	4	5	6
1.	रतनलाल पिता बालचन्द सेवालाल	लाबियाकला	वितरण रजिस्टर में राशन कार्डों का डबल इन्द्राज करना।	विभागीय कार्यवाही कर 500/-रु०प्रतिभूति जप्त व प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।	निर्णित 5-8-81
2.	" "	"	–"–	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत सी० जे० एम० कोर्ट में प्रकरण संख्या 131/81 दर्ज कराया गया।	विचाराधीन शहादत पैरवी।
3।	ग्राम सेवा सहकारी समिति	रोपा	–"–	विभागीय कार्यवाही कर 10/-रुपये प्रतिभूति राशि जब्त की गई।	निर्णित 1-9-81

1	2	3	4	5	6
4.	नारायणसिंह पिता सरदार सिंह	बावलास	,,	पुलिस द्वारा एफ. आर. अदम सबूत कोर्ट में पेश की गई।	,, 13-3-81
5.	केसरीमल रिखबचन्द खारीवाल	बड़ा महुआ	फ्री सेल व लेवी चीनी भौतिक सत्यापन पर स्टाक में कम मिली	प्रतिभूति 500/-रुपये जब्त व प्राधिकार निरस्त किया गया।	,, 13-5-81
6.	,, ,,	,,	,,	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत सी. जे. एम. कोर्ट में प्रकरण सं. 32/81 दायर किया गया।	विचाराधीन सहादत पैरवी।
7.	त्रिलोकचन्द जैन	गाडोली	वितरण रजिस्टर में राशन कार्ड का डबल इन्द्राज करना।	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत सी. जे. एम. कोर्ट में प्रकरण सं. 3/82 दायर किया गया।	,,
8.	रामपाल व्यवस्थापक ग्राम डाबला सेवा सहकारी समिति		व्यवस्थापक का वक्त चैकिंग नहीं मिलना न रिकार्ड आदि दिखाना।	पुलिस द्वारा एफ. आर. अदम सबूत व पते पर कोर्ट में दी गई।	निर्णित 27-6-81

1	2	3	4	5	6
9.	रामपाल व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति डाबला	व्यवस्थापक का वक्त चैकिंग नहीं मिलना न रेकार्ड आदि दिखाना ।	प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया ।	निर्णित	10-5-81
10.	,, ,,	11 क्विटल चीनी अवितरित विभिन्न स्थानों पर मिली जो सीज की गई ।	जिलाधीश द्वारा चीनी कन्फिसेक्ट की गई ।	,,	23-11-81
11.	कृष्ण गोपाल शर्मा भरनीकला	लेवी शक्कर चोरी में जाने की रिपोर्ट ।	डीलर द्वारा भारतीय दण्ड स. की दफा 457/380 में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई ।	विचाराधीन पुलिस के अन्दर	
12.	रतनलाल लावियाकला	भौतिक सत्यापन कर चीनी स्टाक में 45:200 किलोग्राम अधिक मिली जो सीज की गई ।	जिलाधीश द्वारा कन्फिसेक्ट	निर्णित	22-9-81
13.	व्यवस्थापक उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 11-12 भीलवाडा	वितरण रजिस्टर में राशन कार्डों का डबल इन्द्राज करना ।	विभागीय कार्यवाही हेतु कार्यालय में विचाराधीन ।	विचाराधीन वास्ते सबूत विपक्षी ।	
14.	,, ,,	,, ,,	,,	,,	
15.	ग्राम सेवा सहकारी समिति छोटी बिजोलिया	सत्यापन पर लेवी शक्कर (चीनी), स्टाक में कम मिली ।	,,	,,	

सीमेण्ट

वर्ष 1980–81

क्रमांक	नाम डीलर	स्थान	अनियमितताओं का विवरण	कार्यवाही की गई	मामला किस स्टेज पर है	
1	2	3	4	5	6	
1	किसान बहुधन्धी सहकारी समिति	बीगोद	अनुज्ञापन समय पर रिन्यू नहीं कराया।	विभागीय कार्यवाही कर 100/- रु० प्रतिभूति जब्त की गई	निर्णित	6.3.80
2	क्रय विक्रय सहकारी समिति	गंगापुर	रेट समय पर नहीं निकलवाई	विभागीय कार्यवाही कर 51 रुपये प्रतिभूति जब्त की गई	निर्णित	29.9.80
3	ग्राम सेवा सहकारी समिति बनेडा	ब्रांच रायला	अनुज्ञापन समय पर रिन्यू नहीं कराया	विभागीय कार्यवाही कर लाइसेन्स निरस्त किया गया	,,	10.9.80
4	मण्डल क्रय विक्रय सहकारी समिति	ब्रांच बनेडा	अनुज्ञापन समय पर रिन्यू नहीं कराया	विभागीय कार्यवाही कर लाइसेन्स निरस्त किया गया	,,	10.9.80
5	ग्राम सेवा सहकारी समिति	भाडोल	रेट समय पर नहीं निकलवाई	विभागीय कार्यवाही कर 100/- रुपये प्रतिभूति जब्त की गई	,,	20.8.80

1	2	3	4	5	6
6	शांतिलाल सुरेन्द्र कुमार	आसींद	बिल काटने के बाद माल गोदाम में रखना	विभागीय कार्यवाह् कर 100/- प्रतिभूति जब्त की गई	निर्णित 15.9.80
7	मोहनसिंह ठेकेदार	भीलवाड़ा	अवैध रूप से सीमेंट रखना	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत सी० जे० एम० कोर्ट में मुकदमा नं. 89/80 से दायर किया गया	विचाराधीन सहादत पैरवी
8	क्रय विक्रय सहकारी समिति गंगापुर	ब्रांच रायपुर	रेकार्ड मौके पर उपलब्ध नहीं कराना	विभागीय कार्यवाही कर चेतावनी दी गई	निर्णित 17.12.80
9	शांतिलाल गोधा	भीलवाड़ा	स्टाक के मुकाबले सत्यापन पर कम मिलना	विभागीय कार्यवाही कर लाइसेन्स निरस्त किया गया	,, 4.8.81
10	परसराम चतरभुज खाटोड	रायपुर	सीमेंट समय पर नहीं लाना	विभागीय कार्यवाही कर 300 रुपये प्रतिभूति जब्त की गई	,, 17.12.80
11	कोटडी सहकारी संस्था	सवाईपुर	समय पर रेट नहीं निकलवाना	विभागीय कार्यवाही कर 200 रुपये प्रतिभूति जब्त की गई	,, 12.1.81
12	लक्ष्मीलाल राकेशकुमार	माण्डल	लाइसेन्स का प्रार्थना पत्र समय पर नहीं देना	विभागीय कार्यवाही कर दोषयुक्त किया गया	,, 13.5.81

वर्ष 1981–82

1	2	3	4	5	6
1–	राज्य कर्मचारी सहकारी समिति	भीलवाड़ा	विक्रय रजिस्टर गलत भरना	विभागीय कार्यवाही कर 100 रु० प्रतिभूति जब्त की गई	निर्णित 19.1.81
2–	कोटडी कृषक सेवा सहकारी संस्था	सवाईपुर	अनुज्ञापन समय पर रिन्यू नहीं कराना	विभागीय कार्यवाही कर 100 रु० प्रतिभूति जब्त की गई	" 9.2.82
3–	कोटडी कृषक सेवा सहकारी संस्था	सवाईपुर	सीमेंट बदलने की शिकायत	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत सी० जे० एम० कोर्ट में मुकदमा नं. 10/82 से दायर किया गया	वास्ते सहादत पैरवी बहस चार्ज
4–	किसान बहुधंधी सहकारी समिति	बीगोद	वक्त निरीक्षण सीमेंट ज्यादा मिलना	विभागीय कार्यवाही कर दोष मुक्त किया गया	निर्णित 2.2.82
5–	अशोक कुमार जगदीश प्रसाद	भीलवाड़ा	अवैध गोदाम में सीमेंट रखना	विभागीय कार्यवाही कर 200/- रुपये प्रतिभूति जब्त की गई	" 25.1.82

1	2	3	4	5	6
6–	भंवर लाल जैन	बिजोलिया	भाव सूची व स्टाक प्रदर्शन न करना व समय पर रेट न लिखना	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत सी. जे. एम. कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया 110/81	वास्ते शहादत पैरवी
7–	भोपालसिंह सीमेन्ट डीलर	भीलवाड़ा	भाव सूची व स्टाक प्रदर्शन न करना व समय पर रेट न लिखना	विचाराधीन कार्यालय	

—0—

गेहूं

वर्ष 1980–81

क्र. सं.	नाम डीलर	स्थान	अनियमितताओं का विवरण	कार्यवाहक का गेहूं	मामला किस स्टेज पर है
1	क्रय विक्रय सहकारी समिति गंगापुर	ब्रांच रायपुर	बिक्री रजिस्टर में राशन कार्ड के नम्बर नहीं लिखे	विभागीय कार्यवाही कर 25 रुपये प्रतिभूति जब्त की गई	निर्णित 20.11.80
2–	ग्राम सेवा सहकारी समिति	खांखर माला	एक क्विंटल गेहूं सत्यापन पर स्टाक में कम मिला।	विभागीय कार्यवाही कर 15 रुपये प्रतिभूति जब्त की गई	,, 12.5.81
3–	क्रय विक्रय सहकारी समिति	शाहपुरा	वितरण रजिस्टर में राशन कार्ड के यूनिट बढ़ाकर लिखना पाया गया।	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक दण्ड नायक के न्यायालय में मुकदमा नं० 90/81 से दायर किया गया।	वास्ते शहादत पैरवी

—0—

वर्ष 1981–82

1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1981—82		
1	ग्राम सेवा सहकारी समिति	डीडवानिया का खेड़ा	वितरण रजिस्टर में राशन कार्ड का डबल इन्द्राज करना	न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक दण्ड नायक न्यायालय में मुकदमा नं. 11/81 दायर किया गया।	वास्ते शहादत पैरवी
2	भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता भण्डार	ब्रांच सांगानेर	भौतिक सत्यापन पर गेहूं स्टाक में कम मिला	कार्यालय में विभागीय कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।	विचाराधीन
3	ग्राम सेवा सहकारी समिति	छोटी बिचौलिया	" "	"	"

—0—

२९०

स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम

537. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन): क्या कृषि (योजना संगठन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो अब तक जिले में कुल कितने ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित कर दिया गया है ?

(3) उक्त प्रशिक्षित युवकों में से कितने युवक स्वयं का धन्धा खोलकर स्वावलम्बी हो गये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि समुचित मात्रा में उक्त युवक स्वावलम्बी नहीं हो पाये हैं ?

(5) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा राज्य सरकार व्यवस्था में क्या सुधार करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बाड़मेर जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 781 ग्रामीण युवकों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है व 284 इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(3) उक्त प्रशिक्षित युवकों में से 42 युवकों को 50,000/– ऋण व 8,000/- अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष को खादी ग्रामोद्योग, व्यवसायिक सहकारी बैंक एवं उद्योग विभाग के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

(4) यह सही है कि समुचित मात्रा में उक्त युवक स्वावलम्बी नहीं हो पाये हैं।

(5) पूर्व में मुख्यतः जब प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते थे उसके पश्चात् उनको ऋण दिलवाकर स्वयं का रोजगार दिलाने के लिये अथवा अन्य नियमित रोजगार दिलाने की प्रक्रिया चालू की जाती थी जिससे काफी समय लगता था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् इस प्रकार की व्यवस्था कराने में कठिनाई को दूर करने हेतु अब सभी ग्रामीण विकास अभिकरणों को आदेश दे दिये हैं कि वे ट्रेनिंग के दौरान ही कर्जा दिलाने की अर्जियां व नियमित रोजगार दिलाने की कार्यवाही चालू कर दें ताकि प्रशिक्षित युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।

राज्य में प्रारम्भ की गई नैतिक शिक्षा

539. **श्री महावीरप्रसाद** (टौंक) :
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14 नवम्बर, 1981 से राजस्थान के सभी विद्यालयों के छात्रों का नैतिक विकास करने हेतु नैतिक शिक्षा देना प्रारम्भ किया जा चुका है ?

(2) यदि हां, तो इस नैतिक शिक्षा हेतु विद्यालयों के विभिन्न स्तरों पर क्या पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं और उस हेतु किस योग्यता वाले अध्यापक पदस्थापित/नियुक्त किये गये या प्रभारी बनाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कक्षा 1 से कक्षा 8 तक नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों को प्रेषित कर दी गई है। नैतिक शिक्षा के लिये अलग से अध्यापकों से ही अपेक्षा है कि वे विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

पंचायत समिति जहाजपुर में अध्यापकों की नियुक्ति

540. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जहाजपुर पंचायत समिति में 1981-82 में अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की ? कृपया नामावली सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जहाजपुर पंचायत समिति में नियुक्त अध्यापकों में अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रत्याशियों की नामावली रोजगार कार्यालय से आई थी ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसी आयु पार प्रत्याशी को भी नियम विरूद्ध नियुक्ति दी गई ? यदि हां, तो उसका विवरण एवं नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी से भी सूची मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या सूची में से अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981–82 में पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा 9 अध्यापकों को नियुक्ति की गई थी। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रोजगार नियोजन कार्यालय, भीलवाड़ा से प्राप्त अनुसूचित जाति/जन जाति प्रत्याशियों के नामावली की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा से 9 उम्मीदवारों की सूची प्राप्त हुई थी। उन्हें पंचायत समिति द्वारा नियुक्ति पत्र देने हेतु बुलाया गया, जिसमें से केवल श्रीमती दीप्ति गुप्ता ही उपस्थित हुई जिन्हें नियमानुसार नियुक्ति दे दी गई।

पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा वर्ष 1981–82 में नियुक्त अध्यापकों की सूची

क्र0 सं०	नाम अध्यापक
1.	श्रीमती दीप्ति गुप्ता
2.	श्री रामगोपाल
3.	श्री श्यामसुन्दर
4.	श्री चन्द्रशेखर
5.	श्री निर्वाणकुमार
6.	श्री दुर्गालाल पुरी
7.	श्री अमरसिंह चौहान
8.	श्री कैलाशचन्द रैगर
9.	श्री रामलाल मीणा

रोजगार नियोजन कार्यालय से प्राप्त अनु० जाति/जन जाति वाले
प्रत्याशियों की सूची

S: No:	Regn. No:	NCO No:	Date of birth	Name of applicant	Qualification	Cast
1—P & E	1476/79	151-10	12-7-54	Mr. Ranjeet Singh Meena	M.Com. B. Ed.	
2— ,,	3002/80	,,	23-3-57	Mr. Bherulal Meena	,,	
3— ,,	6000/79	153.10	7-2-57	Mr. Bansi Lal Meena	Sec:	OSTC
4— ,,	3428/81	,,	5-7-60	Mr. Ram Lal Meena	Hr: Sec.	OSTC

Note :—1. Please verify educational qualifications, age etc. of the candidates before appointment.

2. For addresses of application, please collect call letters from applications issued by this office at the time of interview.

२९४

रोजगार नियोजन कार्यालय से प्राप्त अनु० जाति/जन जाति वाले प्रत्याशीयों की सूची।

Teacher (Reserved for Sch. Caste)

S. No.	Regn. No.	NCO No.	Date of birth	Name of applicant	Qualifica-tion	Cast
1.	1295/78	153.10	15-5-56	Mr Om Prakash Jingar	Hr.Sec. S. T. C.	S. C.
2.	3012/79	"	6-1-56	" Ramdeo Regar	"	"
3.	3993/79	"	1-3-56	" Rodmal Regar	"	"
4.	4598/79	"	1-10-58	" Mohan Lal Khatik	"	"
5.	A/375/80	"	1-7-56	" Babu Lal Regar	"	"
6.	A/508/80	"	3-2-56	" Gopal Lal Chamar	"	"
7.	2418/80	"	1-1-58	" Bhanwar Lal Regar	"	"
8.	A/2519/80	"	1-11-57	" Ram Pd. Maroo	"	"
9.	A/2934/80	"	1-6-52	" Babu Ram Kharwal	"	"
10.	3581/80	"	10-10-60	" Madan Lal Dhali	"	"
11.	3640/80	"	20-10-57	" Mohan Lal Regar	"	"
12.	3648/80	"	13-8-56	" Kanhai Lal Koli	"	"
13.	A/3755/80	"	1-1-59	" Tarachand Vjirpuria (Rajgarh)	"	"
14.	4410/80	"	2466-58	" Kailash Chandra Regar	"	"
15.	A/394/80	"	1-1-56	" Nauratmal Berwa	"	"

———

नाथद्वारा में कृषि उपज मण्डी का निर्माण

541. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा में कृषि उपज मण्डी निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्त की जाने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) कृषि उपज मण्डी के निर्माण में कितनी लागत आयेगी एवं निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही भूमि अवाप्ति-उपखण्ड अधिकारी उदयपुर, [भूमि अवाप्ति अधिकारी] द्वारा की जा रही है। अवाप्ति सम्बन्धी राजकीय विज्ञप्ति प्रसारित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में अगली पेशी 23-3-82 को निर्धारित की गई है।

(2) मण्डी निर्माण में लगभग 7.35 लाख रुपये की लागत आयेगी तथा भूमि उपलब्ध हो जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

सहकारी बाजार, जयपुर

542. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के सहकारी बाजार के लिये अवसायक किनको व कब से नियुक्त किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है प्रारम्भ में अवसायक के कार्य हेतु लगाये गये कर्मचारी की पदोन्नति के बाद भी वहां कर्मचारी अवसायक के पद पर निरन्तर कार्यरत है ? यदि, हां, तो क्यों ?

(3) सहकारी बाजार के अवसायक के अतिरिक्त वहां पर कौन-कौन से किस श्रेणी के कर्मचारी कब कब से नियुक्त हैं तथा उनकी नियुक्ति किनके आदेश से हुई तथा उन्हें प्रति माह कितना-कितना वेतन दिया जाता है ?

(4) अवसायक द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1982 तक कुल कितने ऋणों की वसूली की गई तथा कुल वसूल शुदा रकम का किस प्रकार से उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) जयपुर बाजार के लिये अवसायक पद पर श्री रामबल्लभ शर्मा को आदेश क्रमांक फा 03/10/अवसायन/सोसा/उप/68/नं० 5729-35 दि० 17-10-74 से नियुक्त किया गया।

(2) जी हां, उन्हें सम्पूर्ण जानकारी थी तथा नये व्यक्ति को लगाने से पूर्व पुराने मामलों की जानकारी होने में काफी समय ही नहीं लगता अपितु धनराशि भी खर्च होती।

(3) अवसायक के अतिरिक्त कोई भी अन्य कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

(4) अवसायक द्वारा 15-2-82 तक 10 लाख रुपये में से 1.90 लाख रुपये की वसूली की जिसमें से 1.13 लाख रुपये राज कोष में जमा कराया गया, 26 हजार रु.

(सहकारिता मंत्री)

की राशि भूतपूर्व कर्मचारियों को वेतन पी. एफ. का भुगतान न्यायालय के आदेश से किया, 17 हजार रू. आवशन, बिक्री खर्चा, 6 हजार रुपये सैल्स टैक्स का भुगतान किया 28 हजार रुपये भंडार का पुराने रिकार्ड पूर्ण कराकर आडिट कराने एवं अवसायन कार्य तथा मुकदमों की पैरवी आदि पर व्यय किया गया।

पंचायत समिति डीडवाना की जीपों पर खर्च राशि

543. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 से लेकर जिला प्रमुखों के चुनाव की तिथि 10 जनवरी, 1982 व 25 जनवरी, 1982 के बीच पंचायत समिति डीडवाना की दोनों जीपों द्वारा कुल कितने किलोमीटर की यात्राएं की गई थी? कुल कितना पैट्रोल जला तथा गाड़ियां किस प्रयोजन से चलीं? पिछले चार माह की तुलना में यह खर्च गुणात्मक संख्या में बताने की कृपा करें।

उत्तर

पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव दिनांक 28-12-81 से लेकर जिला प्रमुख के चुनाव दिनांक 25-1-82 के बीच पंचायत समिति डीडवाना की दोनों जीपें 3043 किलोमीटर चलीं तथा 509 लीटर पैट्रोल का उपभोग किया गया। गाड़ियों का उपयोग पंचायत समिति के ही विभिन्न कार्यों हेतु किया गया था। पिछले चार माह में जीपों द्वारा की गयी यात्रायें उनका प्रयोजन एवं उपभोग किये गये पैट्रोल का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(297)

पंचायत समिति डीडवाना (जीपों के सम्बन्ध में जानकारी)

क्र. सं.	अवधि	जीप संख्या	कुल कितने किलोमीटर यात्रा	कुल कितना पैट्रोल जला	यात्रा का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1–	अगस्त, 81	आर. जे. एस. 799	2,001 कि. मी.	361 लीटर	नागौर बैठकें निर्माण कार्यों का निरीक्षण, अन्त्योदय कार्य, शाला निरीक्षण वेतन वितरण आदि गाड़ी मरम्मत हेतु
		आर. जे. एस. 1619	निल	निल	स्टेट मोटर गैरेज जयपुर में रही
		आर. जे. एस. 799	1932 कि. मी.	372 लीटर	निर्माण कार्यों का निरीक्षण, जयपुर सर्विसिंग, पशु मेला तहसीलदार द्वारा गिरदावरी निरीक्षण आदि के लिए गाड़ी का प्रयोग
2–	सितम्बर, 81				
		आर. जे. एस. 1619	1810 कि. मी.	421 लीटर	पशु मेला, जीप सर्विसिंग से वापस, निर्माण एवं विकास कार्यों, शाला आदि निरीक्षण, पोषाहार कार्य, वेतन वितरण

2	2	3	4	5	6
3–	अक्टूबर, 81	आर. जे. एस. 799	856 कि. मी.	154 लीटर	निर्माण कार्यों का निरीक्षण बैंक से, ऋण दिलाना आदि शाला निरीक्षण गरीब परिवारों का चयन, पोषाहार कार्य
		आर. जे. एस. 1619	119 "	20 "	
4–	नवम्बर, 81	आर. जे. एस. 799	1382 ,,	226 लीटर	निर्माण कार्य की जांच, नागौर बैठक के मामले में बैंक से ऋण पत्र तैयार कराने. गरीब परिवारों का चयन, पंचायत चुनाव हेतु तहसीलदार द्वारा गाड़ी का प्रयोग अन्त्योदय परिवारों को
		आर. जे. एस. 1619	29 कि. मी.	10 लीटर	ऋण, पोषाहार कार्य आदि
5–	26-12-81 से 25-1-82	आर. जे. एस. 790	2247 कि. मी.	365 लीटर	फसलों का अवलोकन, वेतन वितरण, निर्माण कार्यों का निरीक्षण, गाड़ी की सर्विसिंग, बैंकों से ऋण वितरण आदि।
		आर. जे. एस. 1619	796 कि. मी.	144 लीटर	निर्माण कार्य, पोषाहार कार्य, कृषि कार्य बैंकों से ऋण वितरण एव विकास कार्यों का निरीक्षण।
	योग पिछले चार माह का		8129 कि. मी.	1564 लीटर	
	योग 28-12-81 से 25-1-82 तक का		3043 कि. मी.	509 लीटर	

जयपुर दुग्ध-वितरण योजना की परिवहन व्यवस्था का अनुबंध

544. श्री. हरिसिंह (फुलेरा) : क्या डयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना में दूध व दूध से बने पदार्थों का परिवहन का कार्य किस व्यक्ति द्वारा, कितने समय से, किस दर पर किया जा रहा है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में जिन गाड़ियों द्वारा उपरोक्त कार्य करवाया जा रहा है, उन गाड़ियों की हालत काफी खराब है ? यदि हां, तो फिर इनको चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर दुग्ध वितरण योजना के अनुबन्ध की एक शर्त यह है कि गाड़ियां 1975 मॉडल से नीची नहीं होंगी ? यदि हां, तो वर्तमान में जो गाड़ियां चल रही हैं वे कौन—कौनसे मॉडल की हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर दुग्ध वितरण योजना में दूध एवं दूध से बने पदार्थों के परिवहन का कार्य श्रीमति मानकंवर द्वारा जुलाई 1980 से बड़ी गाड़ियों के लिए 375.00 रु० व छोटी गाड़ियों के लिए 275.00 रु० प्रतिगाड़ी प्रतिदिन की दर पर किया जा रहा है ।

(2) वर्तमान में चल रही गाड़ियां चालू हालत में हैं । नवीन अनुबन्ध हो चुका है । उसके प्रभाव में आते ही मौजूदा गाड़ियों का चलना बन्द हो जायेगा ।

(3) गत वर्ष के अनुबन्ध में ऐसी शर्त नहीं थी । इस वर्ष किये गये अनुबन्ध में यह शर्त रखी गई है । वर्तमान में चल रही सभी छः गाड़ियां अभी डिस्पोजल की हैं ।

क्रय विक्रय संघ द्वारा चने की दाल का क्रय-विक्रय

545. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा सन् 1981 व 1982 में चने की दाल खरीदी गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि में, कितनी दाल किस के आदेश से खरीदी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि संघ द्वारा खरीदी गई चने की दाल को राज्य के बहार बेच दिया गया ? यदि हां, तो किसके आदेश से, किस व्यापारी को, हां पर बेची गई ? इस सौदे में कुल कितना नुकसान हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि जो दाल खरीदी गई वह खराब तथा गीली थी ? यदि नहीं, तो उसकी जांच किसके द्वारा की गई थी ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	तादाद	मूल्य	किसके आदेश से
1981	11941-13 क्वि०	52-54 लाख	प्रबंध निर्देशक
1982	शून्य	शून्य	शून्य

300

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। संघ के प्रबंध निर्देशक के आदेशानुसार राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ दिल्ली व केरला स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को विक्रय की गई। संघ को इस सौदे में अनुमानित दस हजार छः सौ तैंयालीस रुपये चालीस पैसे अंके-10643-40 का लाभ रहा है।

(3) जी हां। चने की दाल का निरीक्षण एन० सी० सी० एफ द्वारा लोडिंग स्टेशन पर एग्रीमेंट के अनुसार किया गया। एग्रीमेंट की प्रति संलग्न हैं।

SUPPLY OF 2000 M.T. TONS OF GRAMS

With reference to the discussions and further negotiations on the above subject, we here by confirm to have reached the following agreement.

(1) Rajfed will supply 2000 Mts. of gram dal.

(2) The rate will be Rs. 442.20 per quintel gross builty cut ex-Sriganganagar, Hanumangarh, Sangaria and Suratgarh.

(3) Gram Dal should be 'Agmark Good Grade'.

(4) Moisture contents 12% to 13%.

(5) It should be packed in new gunnies.

(6) Inspection would be at site.

(7) Payment would be against builty at Jaipur.

(8) Broken would not be more than 2%.

(9) Supplies would be made by RAJFED between 1st of May 1981 to 15th July, 1982. The period can be extend by mutual negotiations.

(10) Wagons would be arranged on 'C' priority within 7 days failing which interest on stock @ 15% per annum would be payable to RAJFED.

Sd/—
(D. Kumar)
Managing Director,
RAJFED.

Sd/—
(A. K. Mukerjee)
Addl. Managing Director,
N. C. C. F. Ltd., New Delhi.

302

ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल्स में कार्यरत अध्यापक

546. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सदैव अध्यापकों की कमी रहती है व अध्यापक नियुक्ति व स्थानान्तरण आदेश के बाद भी उनमें नहीं जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक विद्यालय में सम्पूर्ण विषयों के अध्यापक 15 जुलाई तक नियुक्त करने एवं अध्यापकों के लाजिमी तौर से उनमें उपस्थित होने की व्यवस्था करना चाहेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापक अक्सर स्कूल समय समाप्ति के पश्चात् शहर चले जाते हैं व सुबह स्कूल समय प्रारम्भ होने के बाद पहुंचते हैं जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों का लाजिमी तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने हेतु राज्य सरकार आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ विद्यालयों, जो नगरों के निकट हैं वहां कार्यरत कुछ अध्यापक कभी कभी शाला समय के पश्चात् नगर चले जाते हैं, विशेषकर महिला अध्यापिकाऐं ऐसा करती हैं, विभाग द्वारा समय समय पर, अध्यापकों को अपने पदस्थापन स्थान पर ही निवास करने के आदेश जारी किये गये हैं।

ग्राम पंचायत को प्रति व्यक्ति प्रदत्त अनुदान राशि

547. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को कितने रुपया प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाता है ?

(2) क्या यह अनुदान नगरपालिकाओं को दिये जा रहे अनुदान के बराबर है ? यदि नहीं, तो क्या इसको नगरपालिकाओं को दिये जा रहे अनुदान के बराबर ही किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को रुपये 2.25 पैसे प्रति व्यक्ति सहायता अनुदान दिया जाता है।

(2) जी नहीं। पंचायतों को दिया जा रहा सहायक अनुदान नगरपालिकाओं को दिये जा रहे सामान्य अनुदान से अधिक हैं।

कृषकों को एक ही एजेन्सीज द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने की योजना

548. **श्री भैरूलाल भारद्वाज** (जमवा-रामगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार गांवों के किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक औषधियां, कृषि यन्त्र आदि एक ही स्थान पंचायत मुख्यालय पर किसी एक ही एजेन्सी के माध्यम से

श्री भैंरूलाल भारद्वाज

दिलाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक औषधियां वर्तमान में सहकारी संस्थाओं कृषि विभाग द्वारा अधिकृत विक्रेताओं तथा कृषि सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषि यन्त्र राजस्थान कृषि उद्योग निगम के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। पंचायत समिति मुख्यालय पर किसी एक ही एजेन्सी के माध्यम से उपरोक्त वस्तुएं दिलाये जाने की अभी कोई योजना नहीं है।

निजी शिक्षण संस्थाओं के अनुदान नियमों में परिवर्तन

549. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछली सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं के अनुदान नियमों में परिवर्तन के लिए एक समिति का गठन किया गया था ? क्या उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब तथा सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में कितनी धनराशि देती है ? निम्नानुसार विवरण दें :—

(क) कॉलेज शिक्षा

(ख) माध्यमिक शिक्षा–लड़के एवं लड़कियों की।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1976 में एक समिति गठित की गयी थी समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य की वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष में सरकार इस पर निर्णय लेगी।

(2) राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं को निम्न प्रकार से आवर्तक अनुदान स्वीकार करती है।

[1] कालेज शिक्षा–1900000

[2] माध्यमिक शिक्षा लड़के लड़कियों के लिए 303.49 लाख रुपया।

तिजारा (अलवर) में महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य

550. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर में तिजारा रोड पर कॉलिज भवन का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ था ?

(2) ठेकेदार को किन शर्तों पर भवन निर्माण का कार्य दिया गया था ? कृपया शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

304

उत्तर

अलवर में तिजारा रोड पर कालेज की बिल्डिंग का निर्माण कार्य दिनांक 20-8-79 में प्रारम्भ किया गया था। आवासन मंडल की सूचना के अनुसार ठेकेदार को निम्न–लिखित शर्तों पर भवन निर्माण का कार्य आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा दिया गया :-

(क) सीमेन्ट आवासन मण्डल द्वारा 25 रुपया प्रति बैग के हिसाब से अलवर में दी जावेगी।

(ख) लोहा आवासन मण्डल द्वारा अलवर स्टोर से दिया और फेब्रीकेशन ऑफ स्टील (Fabrication of steel) लोहा बंधाई आदि की मजदूरी बी. एस.आर. 1976 के हिसाब से होगा।

नागौर जिले की स्कूल्स में अध्यापकों की पूर्ति

551. **श्री रामधन** (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले की बहुत सी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की कमी है तथा इनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि नागौर जिले की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिले की नयी क्रमोन्नत पाठशालाओं में अभी तक अध्यापक नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नागौर जिले के कुछ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी हैं, जिसे शीघ्र पूरा किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। नागौर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की कमी नहीं हैं।

(3) जी नहीं। नव क्रमोन्नत सभी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है।

बांसवाड़ा जिले में सैकन्डरी स्कूल खोलना

552. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में 2500 की आबादी वाले ऐसे कितने गांव हैं जहां सैकण्डरी स्कूल नहीं खोली गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1981 की जनगणना के आधार पर गांव करजी, नवागांव, छोटी सरवन की जनसंख्या ढाई हजार से ऊपर है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने यहां सैकण्डरी स्कूल क्यों नहीं खोली ?

(श्री बहादुरसिंह)

(3) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के जिला अभिकरण की मीटिंग में उक्त गांवों में प्रथम प्राथमिकता के आधार पर सैकण्डरी स्कूल खुलवाने का प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में ढाई हजार की आबादी वाले निम्नलिखित गांव हैं जहां सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं:—

(1) डूगलावानी
(2) करजी
(3) जगपुरा

(2) सन् 1981 की जनगणना की गांववार जनगणना के आंकड़े विभाग को उपलब्ध नहीं हुए हैं। वर्ष 1981–82 में राज्य सरकार ने कोई भी नया सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला है।

(3) जी हां। वर्ष 1981–82 में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में एक भी नया सैकण्डरी विद्यालय नहीं खोला गया।

राजकीय महाविद्यालय देवली

553. **श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवली के राजकीय महाविद्यालय में कौन कौनसे विषयों का अध्यापन कराया जाता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए भवन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था अब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास इस महाविद्यालय के भवन के निर्माण कराने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, देवली में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन कराया जाता है:—

कला संकाय

1-अंग्रेजी
2-राजनीति शास्त्र
3-भूगोल
4-अर्थशास्त्र
5-इतिहास
6-हिन्दी

वाणिज्य संकाय

1-लेखा एवं सांख्यिकी
2-व्यावसायिक प्रशासन
3-आर्थिक प्रशासन
4-कोस्टिंग एण्ड क्वान्टीटी मैथड्स
5-लेबर एण्ड इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स

2-राजकीय महाविद्यालय, देवली में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान भवन व्यवस्था सन्तोषजनक है।

(3) राजकीय महाविद्यालय देवली हेतु भवन निर्माण हेतु कोई योजना राज्य सरकार

306

(शिक्षा मंत्री)

के विचाराधीन नहीं है। यदि कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता हुई तो जन सहयोग उपलब्ध वित्तीय साधनों से उनका निर्माण कराने पर विचार किया जावेगा।

प्रशासनिक अधिकारियों एवं संस्थापन अधिकारियों का पृथक से संवर्ग बनाना

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या कृषि (विशिष्ट योजना) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मन्त्रालयिक सेवा नियम, 1957 के अन्तर्गत कुछ विभागों में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर अधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को पात्र माना गया है?

(2) किस किस विभाग में प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के के कई ऐसे बड़े विभाग भी हैं जिनमें प्रश्न के भाग (दो) में वर्णित पद सृजित नहीं किये गये हैं और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ऐसे पदों के सृजन हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजते रहे हैं. परन्तु उक्त पद अभी तक सृजित नहीं हुये? यदि हां, तो क्यों? कृपया ऐसे विभागों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या सरकार के पास प्रशासनिक अधिकारियों एवं संस्थापन अधिकारियों का अलग से संवर्ग बनाने का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और इस मामले में अब तक निर्णय न लेने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक वर्ग नियम, 1957 के अन्तर्गत निर्धारित अधीनस्थ कार्यालय के ग्रुपों में सृजित प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर अधीक्षक प्रथम श्रेणी एवं अधीक्षक द्वितीय श्रेणी पदोन्नति हेतु पात्र माने गये हैं।

(2) सूची संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां।

जिन विभागाध्यक्षों ने ऐसे पद सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है उनका ब्यौरा सूची "ख" में अंकित है। इन पदों के सृजन के औचित्य / अनौचित्य सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ही जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

(4) अधीनस्थ कार्यालयों में सृजित प्रशासनिक अधिकारियों का अलग से पृथक संवर्ग बनाये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष वर्ष 1979 से विचाराधीन है। विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किये जाने के कारण इस प्रकरण पर अब तक निर्णय नहीं लिया जा सका है।

अधीनस्थ कार्यालयों के नाम जहां प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक सहायक एवं संस्थापन अधिकारी के पद सृजित हैं।

1-	मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर	1
2-	निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	1
3-	मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर	1
4-	मुख्य नगर नियोजन एवं वास्तु विधि-सलाहकार, राजस्थान, जयपुर	1
5-	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान, जयपुर	1
6-	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर	1
7-	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	1
8-	पुलिस उपमहानिरीक्षक, सी. आई. डी., अपराध एवं रेल्वेज, राजस्थान, जयपुर	1
9-	निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर	1
10-	कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर	1
11-	कार्यालय प्रधानाचार्य, डा. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जोधपुर	1
12-	कार्यालय प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	1
13-	प्रधानाचार्य, रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर	1
14-	प्रधानाचार्य, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर	1
15-	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई	1
16-	समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण)	26
17-	निदेशक, कृषि विभाग	1

—0—

308

विभागों के नाम जहां प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित नहीं है तथा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज रखे हैं।

1– निदेशक,
पर्यटन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

2– निदेशक,
सुरक्षा एवं गृह रक्षा,
राजस्थान जयपुर।

3– पंजीयक,
सहकारी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

4– आयुक्त,
परिवहन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

5– आयुक्त,
आबकारी विभाग,
उदयपुर।

6– महानिरीक्षक,
कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 6

'तारांकित प्रश्न' 526 की सूची
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा–संस्थाएं) जयपुर

क. सं.	नाम अध्यापक एवं कार्यरत स्थान	स्थानान्तरित स्थान	पति का नाम एवं पति का कार्यरत स्थान	स्थानान्तरण करने का कारण	स्थानान्तरण निरस्त हुआ तो आदेश क्रमांक
1	2	3	4	5	6
1–	श्रीमती रमा सिसोदिया स. अ. राबाउप्रावि, आमेर।	राबाउप्रावि. आंतेला	श्री हरिसिंह सेवानिवृत्त	राज्यादेश क्रमांक एफ.8(2) शिक्षा-2/81 दि.:-30-7-81 की अनुपालना में अधिक अध्यापिका होने के कारण।	—
2–	श्रीमती कमला माथुर स. अ. आमेर	राबाउप्रावि, आंतेला	श्री कृष्णप्रसाद माथुर डी. एस. रेलवे, जयपुर।	"	—
3–	श्रीमती शकुन्तला सक्सैना स. अ.	राबाउप्रावि, कुण्डल	श्री अनुरूदसहाय सक्सैना सेवानिवृत्त	"	—
4–	श्रीमती उर्मिला माथुर	राबाउप्रावि, 5ांघी	श्री मोहनलाल माथुर राज. वि. विद्यालय जयपुर।	"	—

1	2	3	4	5	6
5—	श्रीमती पुष्पा जैन स. अ.	राबाउप्रावि, मनोहरपुर	श्री निर्मलकुमार जैन एग्रो इण्डस्ट्रीज जयपुर।	राज्यदेश क्रमांक एफ.8(2) शिक्षा– 2/81 दिनांक :– 30-7-81की अनुपालना में अधिक अध्यापिका होने के कारण।	—
6—	श्रीमती प्रेम भार्गव, स. अ.	राबाउप्रावि, बिचून	श्री नारायण भार्गव एस. ओ. महालेखाकार, जयपुर।	"	—
7—	श्रीमती अनुपकुमारी स. अ.	राबाउप्रावि, मण्डा-भीमसिंह	श्री अर्जुनसिंह खाद्य–विभाग, कोटा।	"	संयुक्त निदेशक (म) शिक्षा, जयपुर के द्वारा स्थानान्तरण निरस्त किया गया।
8—	श्रीमती गोविन्द कंवर स. अ.	राबाउप्रावि, करणसर	श्री गंगासिंह	"	—
9—	श्रीमती राजकुमारी शर्मा स. अ.	राबाउप्रावि, आंधी	श्री राधेश्याम शर्मा ओ. एस. आयुर्वेदिक संस्थान।	"	संयुक्त निदेशक (म) शिक्षा, जयपुर द्वारा स्थानान्तरण निरस्त किया।

1	2	3	4	5	6
10–	श्रीमती विमला शेखावत, स. अ.	राबाउप्रावि, गोनेर	श्री विजयसिंह नरूका प्र. अ., ढाबला (सीकर)।	राज्यादेश क्रमांक एफ 8(2) शिक्षा– 2/81 दिनांक :– 30–7–81 की अनुपालना में अधिक अध्यापिका होने के कारण।	—

ह०/—

जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्रायें) जयपुर

परिशिष्ट 7

वर्ष 1981–82 में शराबबन्दी समाप्ति के पश्चात् जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई जा रही देशी विदेशी मदिरा की दुकानों की जिलेवार सूची

देशी मदिरा 1	विदेशी मदिरा 2
जिला डूंगरपुर	जिला बांसवाड़ा
1– डूंगरपुर	1– बांसवाड़ा
2– आसपुर	जिला सिरोही
3– गलियाकोट	2– आबूरोड़
4– सागवाड़ा	जिला चितौड़गढ़
5– चिच्छीबाड़ा	3– प्रतापगढ़ नं0 1
6– सीमलवाड़ा	4– प्रतापगढ़ नं0 2
7– ओवरी	
जिला बांसवाड़ा	
8– बांसवाड़ा	
9– सज्जनगढ़	
10– कुशलगढ़	
11– बागीडोरा	
12– गढ़ी	
13– घाटोल	
जिला उदयपुर	
14– सलूम्बर	
15– धरियावद	
16– झाड़ोल	
17– कोटड़ा	

1	2
18– सैरवाड़ा	
19– सराड़ा (नेवातलाई)	
जिला चितौड़गढ़	
20– प्रतापगढ़	
जिला कोटा	
21– किशनगढ़	
22– शाहबाद	

नोटः–माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार निजी अनुज्ञाधारियों द्वारा माउण्ट आबू व आबूरोड में एक दुकान चलाई जा रही है।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 458 की सूची

वर्ष 1981–82 में शराब बन्दी समाप्ति के पूर्व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जहां जहां देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें थीं उसकी जिले वार सूची।

देशी मदिरा	विदेशी मदिरा
जिला डूंगरपुर	**जिला उदयपुर**
1. सिमलवाड़ा	1. सलूम्बर
2. ग्रोवरी	2. खेरवाड़ा
3. गलियाकोट	**जिला बांसवाड़ा**
4. सागवाड़ा	3. बांसवाड़ा
5. आसपुर	4. गढ़ी (परतापुर)
जिला बांसवाड़ा	**जिला डूंगरपुर**
6. बांसवाड़ा	5. डूंगरपुर
7. घाटोला	6. सागवाड़ा
8. गढ़ी	**जिला चित्तौड़गढ़**
9. कुशलगढ़	7. प्रतापगढ़
10. सज्जनगढ़	**जिला सिरोही**
11. बागीडोर	8. ग्राबूरोड़
जिला उदयपुर	
12. सलूम्बर	
13. सराड़ा (नेवातलाई)	
जिला सिरोही	
14. ग्राबूरोड	
15. माउन्ट ग्राबू	
जिला चित्तौड़गढ़	
16. प्रतापगढ़	

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 460 की सूची

सभागार निर्माण हेतु श्री स्वरूपचन्द जैन, अध्यापक द्वारा की गई यात्रा सम्बन्धी विवरण

क्र. सं	यात्रा सम्बन्धी विवरण	यात्रा भत्ता व्यय	भुगतान का स्थान
1.	दि. 15-3-79 को किशनगढ़ एवं दि. 17-3-79 को केकड़ी जाकर जनसहयोग की राशि प्राप्त करने हेतु	59.60	राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक वि० अजमेर।
2.	दि. 11-9-79 को चित्तौड़ परमिट का सीमेन्ट लाने	57.60	"
3.	दि. 25-11-79 व 3-12-79 निम्बाहेड़ा परमिट का सीमेन्ट लाने	128.50	"
4.	दि. 26-3-80 को जयपुर लोहे के परिमिट लाने	50.28	"
5.	दि. 1-10-80 को जयपुर परमिट के लोहे का डिलीवरी आर्डर लाने	62.68	"
6.	दि. 2-5-82 को चित्तौड़ सीमेन्ट लाने हेतु	66.88	"
7.	दि. 21-5-81 को चित्तौड़ सीमेण्ट लाने हेतु	77.88	"
8.	दि. 18-6-81 को जयपुर स्टील आथोरिटी जयपुर से लोहे का सामान प्राप्त करने हेतु	62.68	"
9.	दि. 3-7-81 को जयपुर स्टील आथोरिटी जयपुर से लोहे का सामान प्राप्त करने हेतु	67.08	"
10.	दि. 7-8-81 को जयपुर स्टील आथोरिटी जयपुर से लोहे का सामान प्राप्त करने हेतु।	67.08	"
	योग:—	700.06	

सभागार निर्माण हेतु श्रीमती सरोज मित्तल, सहायक प्रधानाध्यापिका रा. के. बा. उ. मा. वि., अजमेर द्वारा की गई यात्रा एवं यात्रा भत्ता सम्बन्धी विवरण:—

1.	दि. 20-8-80 से 21-8-80 को जयपुर	73.92	"
	योग:—	73.92	
	कुल योग:—	774.18	

316

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 की सूची

आदेश की प्रति

राजस्थान–सरकार

शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

प्र. सं. एफ–7 (171) शिक्षा–6/74 जयपुर, दिनांक 19 अप्रेल, 1977

प्रेषिती:—

निदेशक

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राज. बीकानेर

विषय:— श्री बजरंगलाल धाभाई वरिष्ठ अध्यापक श्री सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. मण्डावा जिला झुंझुनू की सेवा निवृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:— आपका पत्र संख्या ईडीबी/एड/ए/17320/वी–2/72-73/ दिनांक 18-2-76

× × × × ×

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार ने श्री बजरंगलाल धाभाई वरिष्ठ अध्यापक श्री सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में पूर्ण विचार करने के पश्चात पुन: आदेश देती है:—

1– कि व्यवस्थापिका श्री सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. मण्डावा की श्री बजरंगलाल धाभाई की सेवा निवृति की आज्ञा दिनांक 12-8-74 को निरस्त किया जाता है,

2–कि श्री धाभाई को दिनांक 29-11-73 (निलम्बन तिथि) से पूर्व पद पर पुन: सेवा में लिया जाता है,

3– कि संस्था श्री धाभाई को इस पत्र के प्राप्त करने के एक माह के अन्दर अन्दर उनको तुरन्त सेवा में लेकर एवं बकाया का भुगतान करके राज्य सरकार को एवं निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को सूचित करें।

4– कि आदेश की अवेहलना एवं श्री धाभाई को बकाया का भुगतान न करने पर अनुदान नियम 1963 के एपेण्डिक्स–191 के खण्ड 17 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय

ह/—

(जगन्नाथ सिंह मेहता)

शिक्षा आयुक्त

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर

कार्यालय—आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा सनातन धर्म पंचायत उच्च मा0 वि0 मण्डावा (झुंझनू) द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 160/77 में दिये गये निर्णय दिनांक 24–7–79 की पालना में इस प्रकरण की पुनः सुनवाई प्रारम्भ की गई, इससे पूर्व दिनांक 20–8–79, 8–11–79, 24–12–79 एवं 8–1–80 की तिथियां निर्धारित की गई थीं परन्तु निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों में से किसी किसी एक पक्ष के किसी न किसी कारणवंश उपस्थित नहीं हो पाने के कारण साहिमूक सुनवाई संभव नहीं हो सकी। पांचवीं पेशी दिनांक 4–2–80 के बजाय 7–2–80 निर्धारित की गई थी परन्तु दोनों पक्षों के दिनांक 5–2–80 को ही उपस्थिति हो जाने के कारण दिनांक 5–2–80 को दोनो पक्षों को सुना गया। सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रबन्ध समिति द्वारा अनुदान नियमों की निम्नांकित प्रकार से अवेहलना की गई:—

(अ) अनुदान नियम 4 (ई) में आवश्यक कारण बताओ नोटिस सेवा समाप्ति से पूर्व नहीं दिया गया है,

(ब) अनुदान नियमों के परिशिष्ट–111 की आइटम संख्या–10 के अन्तर्गत सेवा समाप्ति पर विचार के लिए आयोजित बैठक द्वारा पारित प्रस्तावों में पर्याप्त कारण नहीं दिये गये हैं–जैसे कि प्रबन्ध समिति के सचिव के द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत बैठक की कार्यवाही विवरण पंजिका से स्पष्ट होता है,

(स) इसी परिशिष्ट 111 की आइटम –10 के अन्तर्गत श्री धाभाई को 3 महीने का नोटिस अथवा इस अवधि के समतुल्य वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया।

सचिव, प्रबन्ध समिति का यह कथन तथ्यहीन सिद्ध होता है कि श्री धाभाई की अपील निदेशालय में अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुई थी। अभिलेखों से प्रमाणित है कि वह अपील निदेशालय में दिनांक 10–9–1974 को प्राप्त हो गई थी।

अतः सारे तथ्यों पर विचार कर आदेश दिया जाता है कि :—

(1) सनातन धर्म पंचायत उ0 मा0 वि0 मण्डावा की प्रबन्ध समिति द्वारा श्री बजरंगलाल धाभाई, वरिष्ठ अध्यापक की सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 12–8–1974 का निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त श्री धाभाई को निलम्बन तिथि से पूर्व पद पर दिनांक 29–11–75 से पुनः सेवा में लिया जाता है।

(318)

(3) संस्था को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस आदेश के पालन करें एवं शिक्षक का बकाया भुगतान करें।

(4) इस आदेश की अवेहलना करने पर अनुदान नियम-1963 के परिशिष्ट 111 के खंड (17) के अनुसार संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

सही/-

प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा

राज0 बीकानेर

क0 शिविरा अनु0/ डी0/ 17320/ ता-2/ 385/ 72-73 दि0 7-2-80

परिशिष्ट 11

तारांकित प्रश्न संख्या 464 की सूची

रा० बा० उ० प्रा० वि० गोजगढ़ | माहवार अध्यापिकाओं की उपस्थिति की सूचना:—

क्र. सं.	नाम अध्यापिका,	जुलाई 80 कु. दि. कु. उ.	अगस्त 80 कु. दि. कु. उ.	सितम्बर 80 कु. दि. कु. उ.	अक्टूम्बर कु. दि. कु. उ.	नवम्बर 80 कु. दि. उ.	दिसम्बर 80 कु. कु. दि. उ.	जन. 80 कु. दि. कु. उ.	फरवरी 81 कु. दि. कु. उ.	मार्च 81 कु. दि. कु. उ.	अप्रैल 81 कु. दि. उ.	मई 81 कु. दि. कु. उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	—कमलेशसाहनी प्र.अ.	27 26	23 23	25 8	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
2	—लूसी सचदेव, स.अ.	27 26	23 21	25 16	13 10	16 1	26 –	24 –	24 –	24 –	24 14	14 13
3	—आशा माथुर स.अ.	27 27	23 13	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
4	—शारदा माथुर स.अ.	27 27	23 23	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
5	—कुमुद सक्सैना स.अ.	– –	–	– –	– –	– –	26 4	24 21	24 22	21 3	24 –	14 4
6	—कुसुम सरदाना, स.अ.	– –	–	– –	– –	– –	26 ,1	– –	– –	– –	– –	– –
7	—शकुन्तला चुक स.अ.	– –	–	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	24 21	14 7

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8—विमलेश तनेजा, स.अ.	27 26	23 22	25 25	13 13	16 16	26 26	24 23	24 18	21 17	24 24	14 14
9—पुष्पलता खन्ना स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
10–हीरावती पंजवानी	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
रा. बा. उ. प्रा. वि. भाण्डारेज											
1—वृजराज पालीवाल, प्र.अ.	27 27	24 10	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
2—अरुणा भाटिया, प्र.अ.	– –	24 7	25 25	13 12	16 9	26 26	25 25	24 22	21 21	24 23	14 14
3—गुलाबीदेवी स.अ.	27 20	24 24	25 22	13 13	16 15	26 26	25 25	24 24	21 21	24 24	14 9
4—कृष्णा देवी स.अ.	27 26	24 24	25 25	13 13	16 15	26 26	25 25	24 24	21 21	14 24	14 9
5—कुसुम भार्गव स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
6—कमला बक्स स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
7—गुरुप्यारी, स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	रा. बा. उ. प्रा. वि. सिकन्दरा											
1—	उमेश कुमारी शर्मा प्र.अ.	27 27	23 23	25 25	13 13	16 9	– –	– –	– –	– –	– –	– –
2—	सरला गुप्ता प्र.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
3—	प्रभा सक्सैना स.अ.	27 27	23 23	25 25	13 13	16 16	26 26	26 24	24 24	21 21	24 24	14 14
4—	कृष्णा गुप्ता स.अ.	27 27	23 23	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
5—	शारदा शर्मा प्र.अ.	27 27	23 23	25 25	13 13	16 16	26 26	26 24	24 24	21 21	24 24	14 14
6—	स्नेहलता गोयल स.अ.	27 27	23 23	25 7	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
7—	विजेन्द्रकान्त स.अ.	27 27	23 23	25 16	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
8—	चन्द्रकान्ता कर्नाटक स.अ.	27 27	23 23	13 13	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
9—	विद्यादेवी स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	26 21	26 –	24 –	21 21	24 7	14 14
10—	स.अ. *	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
11—	विनय गुप्ता स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12—	संयुक्ता स.अ. *	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
13—	प्रेम टाक स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
14—	अनुसूइया शर्मा स.अ.	– –	– –	– –	– –	– –	26 1	– –	– –	– –	– –	– –
रा. बा. उ. प्रा. वि. सिकराय												
1—	अन्जना खोसला प्र.अ.	27 26	23 21	25 11	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2—	कमलादेवी गौड़ प्र.अ.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	24 2	14 14
3—	राजकुमारी स.अ.	27 27	23 23	25 24	13 13	16 16	26 25	24 24	24 22	13 21	24 22	14 14
4—	त्रिवेणी देवी स.अ.	27 27	23 23	25 24	13 13	16 16	26 26	24 23	24 24	21 16	24 23	14 9
5—	उमा कौशिक स.अ.	27 15	23 23	25 5	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
6—	रंजना मिश्रा स.अ.	27 26	23 23	25 25	13 13	16 13	26 26	24 23	24 17	21 10	24 24	14 14
7—	सिद्दिकी स.अ. *	– –	– –	– –	13 1	16 1	– –	– –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8—	सुषमा भार्गव स.अ	–	–	–	–	–	–	24	21 24	23 21 21	24 24 14	14
9—	अरुणा सिंघल स.अ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10 —	शकुन्तला शर्मा स.अ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11—	उमा दीक्षित स.अ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12—	शान्ति शर्मा स.अ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13—	लाजवन्ति स.अ.	–	–	–	–	–	–	–	–*	–	–	–

* अस्पष्ट नाम

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी [छात्रा संस्थायें] जयपुर

सत्र 1980–81 में निम्न अध्यापिकाओं को पदस्थापित किया गया तथा जिन अध्यापिकाओं ने कार्यभार नहीं सम्भाला अथवा (जिनके स्थानान्तरण निरस्त किये गये) निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	अध्यापिका का नाम	कार्यग्रहण तिथि व कार्य ग्रहण न करने का कारण
1–	रा.क.उ.प्रा.वि. गीजगढ़	श्रीमती कुमुद सक्सेना	27–12–80
		,, कुसुम सरदाना	31–12–80
		,, शकुन्तला चुग	1–4–80
		,, इन्द्रा पूनिया	स्थानातरण निरस्त किया गया
		,, गुरमीत कोर	,, ,, ,,
2–	रा.क.प्रा.वि. भाण्डारेज	,, अरुणा भाटिया	21–8–80
		,, चन्द्रकान्ता	स्थानान्तरण निरस्त किया गया
		,, यशोदा मिश्रा	,, ,, ,,
		,, रुक्मणी कांवरिया	,,
3–	रा.क उ.प्रा.वि. सिकन्दरा	,, बिशनादेवी	31–12–80
		,, इन्द्रा सक्सना	स्थानान्तरण निरस्त किया गय
		,, प्रेमजीतकौर	,, ,, ,,
		,, इन्दु जैन	,, ,, ,,
		,, विश्वकान्ता	,, ,, ,,
		,, सरोज महेश्वरी	,, ,, ,,
		,, सुशीला भट्ट	,, ,, ,,
		,, प्रेम टांक	21–12–81
4–	रा.क.उ.प्रा.वि. सिकराय	,, आसेफा सिद्धीकी	16-10-80 को कार्यग्रहण किया, 10-11-80 को कार्यमुक्त हुई
		,, कृष्णा भार्गव	31–12–80
		,, कमलादेवी गौड	29–4–81
		,, अरूणा सिंघल	1–7–81
		,, हरकिसन कौर	स्थानान्तरण निरस्त किया गया
		,, पदमावती नाग	,, ,, ,,
		,, पुष्पलता	,, ,, ,,
		,, कृष्णादेवी	,, ,, ,,
		,, चन्द्रकान्ता	,, ,, ,,
		,, अमृत मदान	,, ,, ,,
		,, बिधा मिश्रा	,, ,, ,,
		,, फूलकुमारी	,, ,, ,,
		,, पुष्पालता खन्ना	,, ,, ,,

ह०/–

जिला शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची

जांच आयोग की सूची

राजस्थान, उदयपुर एवं जोधपुर विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली, द्वितीय एवं अनियमितताओं बाबत निम्नलिखित जांच आयोग नियुक्त किए गए :

1–	राजस्थान विश्वविद्यालय	जस्टिस जगतनारायण की अध्यक्षता में दिनांक 1-8-77 को नोटिफिकेशन जारी कर जांच आयोग गठित किया गया।
2–	जोधपुर विश्वविद्यालय	न्यायमूर्ति श्री रणछोडदास गट्टानी की अध्यक्षता में दिनांक 6-9-72 को नोटिफिकेशन जारी कर जांच आयोग गठित किया गया।
3–	उदयपुर विश्वविद्यालय	जस्टिस एस. डी. सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 27-7-77 को नोटिफिकेशन जारी कर जांच आयोग गठित किया गया।
4–	जोधपुर विश्वविद्यालय	श्री गोपाललाल शर्मा, परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर को गट्टानी रिपोर्ट द्वारा निदेशित वित्तीय अनियमितताओं एवं अन्य शिकायतों की जांच हेतु जांच अधिकारी दिनांक 21-1-80 को नियुक्त किया गया।

(326)

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 466 की सूची

जिला बांसवाड़ा के स्कूलों में अध्यापकों की कमी की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	श्रेणी	अध्यापकों की कमी
1	2	3	4
1-	उच्च प्रा. वि. जगपुरा	तृतीय	1
2-	,, ,, बडलिया (घाटोल)	,,	1
3-	,, ,, बामनवाडा	,,	1
4-	,, ,, कसारवाडी	,,	1
5-	,, ,, मछारासाथ	,,	1
6-	,, ,, उकाला	,,	1
7-	,, ,, बड़ाडूंगर	,,	1
8-	,, ,, लोहारिया	,,	1
9-	,, ,, मोहकमपुरा	,,	1
10-	,, ,, कोटडाराणया	,,	1
11.	,, ,, सुन्द्राव	,,	2
12-	,, ,, भगोरा	,,	2
13-	,, ,, दुकवाड़ा	,,	2
14-	,, ,, सागडोद	,,	2
15-	,, ,, गामडी	,,	2
16-	,, ,, कुशलपुरा	,,	2
17-	,, ,, पुजाखुलडी	,,	2
18-	,, ,, मेघापादर	,,	2
19-	,, ,, सातसेरा	,,	2
20-	,, ,, पाठन	,,	2

1	2	3	4
21-	उच्च.प्रा.वि,, केशरपुरा	तृतीय	2
22-	,, ,, नवागाम	,,	2
23-	,, ,, बोरदा	,,	2
24-	नूतन उ.मा.वि बांसबाड़ा	द्वितीय	2
25-	माध्यमिक वि० मोटागाम	,,	1
26-	रा.उ.मा.वि. बागीदौरा	,,	1
27-	रा.बालिका मा.वि. घाटोला [बांसवाड़ा]	,,	1
		योग	41

28 प्राथमिक विद्यालय जो पंचायत समितियों के अधीन हैं। 205

ह०/–
उप निदेशक [प्रशासन]
प्राथमिक एवं मा० शिक्षा

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 467 की प्रति

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा । माप्र । डी । 2054 । अजली । 1979 दिनांक 9–6–80

प्रषिति:–

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)

शिक्षा विभाग अजमेर

विषय:–राजकीय केन्द्रीय बालिका माध्यमिक विद्यालय अजमेर के सभागार का निर्माण।

प्रसंग:–आपका आशा, पत्राका जिशिअ । छात्रा । अज । सामाबी । 79–80 3–815 दिनांक 22–5–80

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप तुरन्त राजकिय केन्द्रीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, अजमेर में सभागार के निर्माण कार्य को आप द्वारा बनाई गई समिति के माध्यम से करवाने की व्यवस्था करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करावें।

ह:

उप निदेशक (प्रशासन)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (राजस्थान)

बीकानेर

सूची

भवन विकास समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों का विवरण:—

1) दिनांक 8–3–80

(1) अधिशासी अभियन्ता द्वारा नक्शे की प्रतियां तैयार करवाने संबंधी निर्णय।

(2) मैटीरियल खरीदने हेतु खुली निविदाऐं आमंत्रित करने का निर्णय।

(3) निर्माण कार्य की देखरेख के लिए श्री केसरीमल गोयल की नियुक्ति करने का निर्णय।

(4) सभाभवन के निर्माण में मदद देने के लिए राज0 कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करने संबंधी निर्णय

329

(5) सभा भवन के निर्माण कार्य की तकनीकी देख रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने संबंधी निर्णय ।

2) दिनांक 23–5–80

(1) श्रीमती तारासेठी आचार्य के सभागार निर्माण कार्य के प्रति उदासीनता बरतने को जानकारी शिक्षा आयुक्त महोदय व निदेशक महोदय को देने एवं श्रीमती सीता अग्रवाल को सचिव बनाने संबंधी निर्णय ।

(2) बैंक में विकास समिति के नाम से खाता रखने संबंधी निर्णय ।

(3) क्रय करने वाले सामान की जांच करने व उसकी देखरेख करने संबंधी निर्णय ।

(4) भवन विकास समिति में श्री माणक चन्द सौगानी, श्री मुकन्दराम गर्ग, एडवोकेट को सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय ।

3) दिनांक 7–6–80

(1) सभागार का निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ करने का निर्णय ।

(2) खुली निविदाओं पर टेन्डर प्राप्त नहीं होने से पुनः टेन्डर आमंत्रित का निर्णय ।

(3) मजदूरी का निर्णय ।

(4) स्थायी पेशगी की राशि रखने का निर्णय ।

4) दिनांक 21–6–80

(1) सभागार के लिए मेटीरियल खरीदने संबंधी निर्णय ।

(2) नियमित रूप से हिसाब रखने संबंधी निर्णय ।

(3) स्थायी पेशगी की राशि 200–200 से बढ़ाकर 500) करने का निर्णय ।

5) दिनांक 3–8–80

(1) निर्माण कार्य का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग से समय समय पर करने का निर्णय ।

(2) खरीदे जाने वाले लोहे के सामान का स्पेसिफिकेशन पी0डब्लू0डी0 से प्राप्त कर स्टील आथोरिटी आफ इंडिया जयपुर को भेजने का निर्णय ।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर मेटिरियल आदि की खरीद करने संबंधी निर्णय ।

(4) जन सहयोग की राशि एकत्रित करने हेतु उप समिति का गठन करने का निर्णय ।

6) दिनांक 12-10-80

(1) स्टील आथॉरेटी आफ इंडिया से लोहे का सामन क्रय करने संबंधी निर्णय ।

(2) सभागार की ऊंचाई 14 फुट के स्थान पर 20 फुट करने सबंधी निर्णय ।

(3) जन सहयोग की राशि एकत्रित करने के लिए विशेष प्रयास उप समिति द्वारा करने संबंधी निर्णय ।

—o—

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 468 की सूची

वर्ष 1981–82 में बीकानेर जिले में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची :–

1–लोहारों का मोहल्ला	2–व्यापारियों का मोहल्ला
3–बीदासर बारी कोचरों का चौक के पास	4–कोलासर (कन्या)
5–पवनपुरी	6–आर. पी. सी. कोलोनी
7–जसवन्तसर	8–गोगलिया वाली
9–मेहरासर	10–मेनसर
11–खोतालाई शिम्भू	12–साधुना की ढाणी

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 469 का विवरण

निःशुल्क आवंटन की पंचायतवार सूचना

क्र. सं.	नाम पंचायत	संख्या
1.	इटावा	75
2.	रजोपा	24
3.	डीबरी	30
4.	नियाना	151
5.	खातोली	120
6.	जोरावरपुर	57
7.	जलवाड़ा	14
8.	बालूपा	27
9.	गैंता	7
10.	बमूलिया	1
11.	पीपल्दा	25
12.	फूसोद	24
13.	स्यावदा	10
14.	लूहावद	34
15.	दुर्जनपुरा	9
16.	गणेशगंज	7
17.	बकवन	9
18.	दौलतपुरा	6
19.	बावई	1
20.	तलाव	2
		633

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 473 की सूची

पंचायत समितियों द्वारा वर्ष 1981 में निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये जाने सम्बन्धी सूची।

पंचायत समिति सवाई माधोपुर

क्र. सं. 1	पंचायत का नाम 2	आवंटित भूखण्डों की संख्या 3
1—	भगवतगढ़	31
2—	लोरवाड़ा	44
3—	सारसाप	41
4—	जांला	76
5—	करमोदा	83
6—	चौथ का वरवाड़ा	110
7—	आटून कलां	41
8—	बलरिया	143
9—	रजवाना	14
10—	अजनोटी	50
11—	मुई	24
12—	सुनारी	57
13—	आदवाड़ा	55
14—	जटवाड़ा	46
		815 (37 बीघा 16 बिस्वा)

पंचायत समिति, खण्डार

1—	दौलतपुरा	37
2—	छाण	20
3—	खण्डेवला	27

1	2	3
4-	दूमादा	12
5-	खण्डार	31
6-	अनियाला	10
7-	गण्डावर	40
8-	चितारा	40
9-	फलोदी	188
10-	अक्षयगढ़	34
11-	सीगोर कलां	27
12-	बहरावण्डा कलां	23
13-	बयारदा कलां	25
14-	बिचपुरी गुजरान	25
15-	बालेर	20
16-	कुरेडी	28
17-	रडावदा	8
18-	गाठविहारी	4
18-	बहरावण्ड खुर्द	63
20-	बरनावदा	47
21-	डूंगरी	25
22-	पाचांलास	—
23-	रवाजना चौड	—
24-	तलावड़ा	—
25-	भूरी पहाड़ी	—
26-	लहसाडा	—
27-	गोठड़ा	—
28-	डांगरवाड़ा	—
29-	मेई कलां	—
		734 भू-खण्ड (50 बीघा)

B-35

पंचायत समिति, बौंली

1	2	3
1-	उदगांव	5
2-	मलारना डूंगर	161
3-	मलारना चौड़	107
4-	गालदा कलां	96
5-	पापल्दा	20
6-	गातौड़	29
7-	मित्रपुरा	11
8-	बौरदा	33
9-	विच्छीदौना	121
10-	सत्रकड़ा	326
		909 भू-खण्ड (56 बीघा)

—o—

(336)

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 477 की सूची

आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि०, अजमेर के सदस्यों की सूची

क्रमांक नाम सदस्य	क्रमांक नाम सदस्य
1- श्री प्रो. श्रीलाल जी श्रीवास्तव	22- श्री शिवप्रसाद जी
2- ,, रायसहाय किशनलाल जी	23- ,, बीरबल जी जोशी
3- ,, प्रो. देवकीनन्दन जी	24- ,, वन्द्रावन जी
4- ,, मथुराप्रसाद जी शिवहरे	25- ,, बाबूप्रसाद जी
5- ,, चांदमल जी चन्द्रक	26- ,, धर्मचन्द जी
6- ,, शिवनाथ प्रसाद जी	27- ,, मोतीसिंह जी कोठारी
7- ,, गप्पुराम जी	28- ,, हरलाल जी शर्मा
8- ,, केशव देव जी	29- ,, शिवचरणलाल जी
9- ,, अक्षयसिंह जी	30- ,, गंगाराम जी दवाना
10- ,, धनकरण जी	31- ,, विशनचन्द्र जी
11- ,, दौलतसिंह जी	32- ,, हरस्वरूप जी
12- ,, अभयमल जी साण्ड	33- ,, कन्हैयालाल जी जडवाल
13- ,, सुगनसिंह जी	34- ,, ,, लो. को.
14- ,, मदनलाल जी चटूक	35- ,, चन्द्रकिशोर जी गर्ग
15- ,, जालमसिंह जी कोठारी	36 ,, हरदत्त जी दवाना
16- ,, ज्वालाप्रसाद जी	37- ,, गयाप्रसाद जी
17- ,, चौधरी भजनलाल जी	38- ,, हरीमोहन टण्डन
18- ,, मुरलीधर जी	39- ,, हनुमानप्रसाद जी
19- ,, कैलाशनाथ जी	40- ,, प्यारेलाल जी
20- ,, विशम्भरनाथ जी	41- ,, बसन्तलाल जी
21- ,, जयदेव जी	42- ,, मकवनलाल जी

क्रमांक	नाम सदस्य	क्रमांक	नाम सदस्य
43-	श्री शम्भुनाथ जी मेहरा	50-	श्री नरवरसिंह जी
44-	,, द्वारकानाथ जी मेहरा	51-	,, परमानन्द जी
45-	,, इन्द्रनारायण जी टण्डन	52-	,, ज्ञानचन्द जी
46-	,, अजमेरी प्रसाद जी	53-	,, प्रो. हरचन्ददास जी
47-	,, ताराचन्द जी मेहरा	54	,, जी एल. गर्ग
48-	,, पण्डित प्रकाशचन्द जी	55.	,, विशमनारायण जी मेहरा
49-	,, कन्हैयालाल जी गर्ग	56.	,, हरिकिशन जी सोनी

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 479 की प्रति

COPY OF AGREEMENT MADE ON 27th APRIL, 1981 BETWEEN RAJASTHAN STATE COOPERATIVE SHEEP & WOOL MARKETING FEDERATION AND M/s. MIDLAND FRUIT & VEGETABLE PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED P. O. OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, NEW DELHI-110020. REGARDING PROCESSING FACILITY AT COMPOSITE MEAT PLANT, ALWAR.

This Agreement is executed on 27th April, 1981 between the Managing Director of the Rajasthan State Co-Operative Sheep and Wool Marketing Federation Ltd. (hereinafter called the "Federation" which expression shall mean and include its representatives, agents, successors, executors and assignees unless the context requires otherwise) and between the Midland Fruit & Vegetable Products (India) Private Ltd., P. O. Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 (hereinafter called the "Processors" which expression shall mean and include its representatives, agents, successors, executors and administrators, agents, successors, executors and administrators unless the context requires otherwise).

And whereas the Federation invited tenders for utilising canning facilities of Composit Meat Plant, Alwar.

And whereas the processors also filed its tender alongwith Earnest Money of Rs. 10000/— deposited earlier.

And whereas the tender of the processor was considered alongwith other tenders and found to be suitable for awarding the contact.

And whereas in pursuance of the acceptance of the aforesaid tender filed by the processor this agreement witnesses :—

1. Whereas the processor has agreed with the Federation to process Canned Meat Products in the Federations's Compcsite Meat

Plant in Alwar in the Manners setforth on weight basis at processors cost. All the men, material, labour etc. shall be provided by the processor at their cost.

2. That the processor shall furnish a security of Rs. 50000/– in the form of a bank guaranteed for the fulfilment of this agreement.

3. The earnest money of Rs. 10,000/– will be refundable when the bank guarantee is provided by the processor.

4. Federation will make available stock-yard, slaughter hall, pre-chilling room, Chilling room, processing room, cooking room, can reforming room and store room, for canning and residential accommodation of the last year on the same rent.

5. That in view of Army requirements of "Jhatka Slaughter" Federation will arrange for separate slaughtering facility if the present slaughter house is engaged or there will be no "Halal" slaughter in the present slaughter house when Army supply is being carried out.

6. All taxes of the State Govt., Central Govt., Excise duties etc., will be paid by the processor and will be deposited by them directly. The processor will be exclusively liable for any default on this account.

7. The animals for slaughtering for canning purpose will be arranged by the processor, however, first preference will be given to Federation for the supply of animals at mutually agreed price.

8. The Federation will provide only the existing facilities and equipment. No additional equipment or other facilities at the Federation cost will be provided. Any equipment or machinery, if required, will be purchased by the processor and the same may be removed after the contract is over, with the permission of the Federation.

9. Electric and Water facilities will be provided by the Federation free of cost.

(340)

10. The machinery installed by the processor which will cost more than Rs. 50,000/- will stand as guarantee for use of building, plant and machinery. In case any damage is caused to the machinery and building by the negligence of the processor, the same will be got repaired by the processor at his cost. The factory shall be left at the expiry of contract period in the same conditions in which it was taken, allowance being made for the normal wear and tear. The cost of machinery installed in the factory by processor to step up the production capacity will be certified by the processor and the same will be verified by the Federation.

11. That Federation will provide all men and material for the maintenance, upkeep and running of refrigeration plants, electric generator, water pumps sewerage pumps, boiler and all other electrical installations belonging to the Federation at its cost. However, the actual cost of Furnance Oil for the Boiler and cost of Diesel Oil for running the Generator will be paid for by the processor. If any quota system for procuring the commodities is there then Federation will arrange to obtain the permit for the same.

12. The processor will use the plant and machinery for the period of the arrangement commencing from the signing of this agreement. After expiry of this agreement the processor shall immediately remove its goods and equipments from the factory. One store room shall be given on rent as fixed by the Managing Director for 3 months only to dispose of the goods, if required by the processor.

13, For playing the minimum charges of Rs. 1.80 lacs in each year, the processor will pay at the end of each quarter Rs. 45000/- the processor will pay minimum processing charges of Rs 1.80 lacs per year.

14. The processing charges @ Rs. 1:15 per kg. will be paid by the processor by 15th of the succeeding month for the goods produced in the previous month. The charges paid every month on actual production will be adjusted against the minimum charges.

15. Federation bears no responsibility for the fitness of tbe finished product. The processor will not mark any code no./trade mark/label of the Composit Meat Plant on the cans.

16. Any violation of Food Adultration Act/Weights and Measures Act or any other Act, applicable will be responsibility of the processor and they will themselves have to indemnify to the Govt. to this effect:

17. The processor will issue a'daily production certificate duly signed by his representative which will be counter signed by G.M. of the Alwar Factory.

18. It is clearly understood by the processor that by this agreement, he is only having the licence to do the processing and canning of the meat in the factory and no lease or tenancy is being ordered in its favour. The processor shall comply with labour and industrial laws in relation to the labour employed by him for processing work and for this the Federation shall have no responsibility.

19. The processor will obtain from the factory General Manager gate passes for the canned product whenever the same are taken out from the factory.

20. It will be the responsibility of the processor to get the hygienic inspection of the factory arranged by the Army authorities and get the approval by the 30th June every year. The processor will get the hygienic approval by the said date after which they will be liable to pay the minimum charges. If by chance the factory is not approved hygienically, the processor will not be liable to pay any processing charges.

21. Since the processor will be engaged in the production of meat food products to maintain perfect hygienic conditions it will be the responsibility of the Federation to get repaired in the month of April/May every year all doors, windows, fly proffings, four walls, drainage system, overhead water tanks, septic tanks, boiler and other equipment

besides getting them painted, which may need repair due to normal wear and tear at their own cost.

22. The processor is desiring to transfer its all activities of meat canning at Alwar to a new corporated company. As and when the processor requests in writing Federation agrees to transfer the arrangements in the name of new Company on the same terms and conditions.

23. That this agreement shall be for three years from the date of this agreement and renewable for further two years on mutual agreement of both the parties.

24. After paying the minimum charges, for the 1st year and before closing of the 1st year if the processor wants to terminate this agreement they will give 30 days notice of their intention to do so after working for 11 months in the first year.

25. All disputes and differences whatever arising between the parties with regard to the operation and breach of this contract shall be referred to the sole arbitration of the Chairman of the Federation and the decision of the Chairman of the Federation shall be final and binding on the contracting parties.

26. Processor will pay to the Federation processing charges for canning the meat Rs. 1.15 (Rupees one and paise fifteen only) per Kg. besides the actual cost of furnace oil on the total product. In WITNESS thereof the parties hereto have sat their hands on the 27th day of April 81.

Sd/—	Sd/—
Signature of the Processor	Signature for & on behalf of the Federation

Sd/—
Commercial Manager,
Date 27-4-81
Witness : 1.

Sd/—
(K. K. Beri)
Witness : 2.

Sd/—
Managing Director,
Designation
Witness : 1

Sd/—
General Manager,
Witness : 2

Sd/—
Finance Officer.

Copy of letter No. AWR/P. A./dated 11-12-81 fiom Shri Umaid Si gh, Managing Director. Rajasthan State Cooperative Sheep & Wool Marketing Federation Ltd., Jaipur addressed to M/s. Gitwako Farms, C/o. Composite Meat Plants, Alwar (Raj.).

SUBJECT :–CANNING OF BUFF AND PORK PRODUCTS.

With reference to your letter dated 3rd December, 1981 and subsequent discussions with our Chairman regarding manufacture of 1200 M. Tonnes Canned Buff/Luncheon Meat, Buff in own sauch and Pork at the Composite Meat Plant, Alwar, against the Letter of Credit you are allowed to manufacture Buff and Pork products at our Alwar Plant on the following terms and conditions :–

1. In the first instance, the processing canned Buff/Pork products will be upto 150 M. Tonnes on the same terms and cordiions on which M/s. Midland Fruits and Vegetables Products (India) Private Li nited, New Delhi are processing.

2: The processing charges will be at the rate of .35 paisa per

kg. on the finished products, subject to review on either side after the export of 150 M. Tonnes, when more details about costing and other expenses are available.

3. The Federation will not incur additional expenditure for canning 150 M. Tonnes above products on additions and alterations or on repair of the plant.

4. The manufacturing of products may be started after obtaining clearance from the local authorities of Alwar.
